खण्ड-439, अंक-8
गुरूवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(31 मई, 2001 ई0)

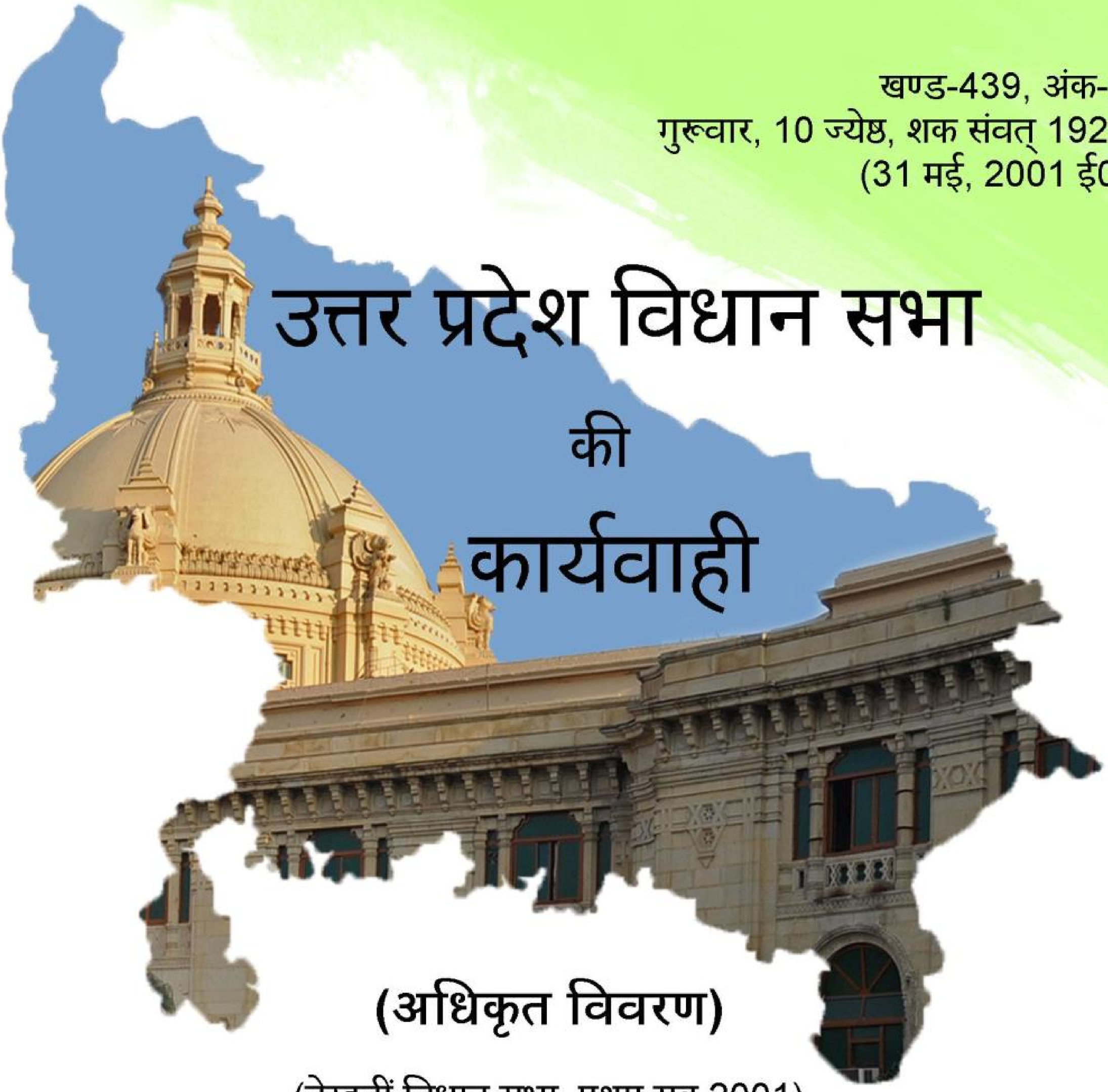

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों के नाम सभा मण्डप के मुख्य द्वार के शिलालेख पर अंकित किये जाने पर कतिपय सुझावों के साथ मा० अध्यक्ष को बधाई ...	1
प्रश्नोत्तर	1-27
सत्रकाल के समय नगर पालिका परिषद् एवं जिला पंचायतों की बैठक जिसमें विधायक एवं सांसद सदस्य हों, बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	27-29
प्रश्न के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न	29
नियम–301 की सूचनाएं	30
जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र में रेउसा से तम्बौर के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30-31
लखनऊ कैण्ट के सदर बाजार स्थित प्रमुख चौराहे पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत भवनविहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनवाने एवं कतिपय गांवों में मानक के अनुसार विद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31-32
जनपद एटा के सिद्धपुरा ड्रेन, मोहनपुर ड्रेन एवं समौढ़ो ड्रेन में अनियमित रूप से की गई सफाई आदि कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	32
राजकीय पालीटेक्निक से डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त अप्रेन्टिसशिप कर रहे शिशिक्षुओं को प्रतिमाह दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	32
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	33
प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरे न होने के कारण गेहूं खरीद में उत्पन्न बाधा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	33-35
भारत के महालेखा परीक्षक की वर्ष 31 मार्च, 2000 की राजस्व प्राप्तियां तथा वाणिज्यिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	35
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली, 2001 (सदन के पटल पर रखी गयी)	36
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (दसवां संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	36

विषय	पृष्ठ-संख्या

लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1995 (सदन के पटल पर रखा गया) 36

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1996-97 एवं 1997-1998 का तीसवां एवं इकतीसवां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) 36

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना) 36-37

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 37

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 37

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) 37

श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 165-166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य ... 37-43

दिनांक 6 जुलाई, 1998 को श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०-85 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत की गयी कार्यबाही से सम्बन्धित शोधन वक्तव्य 43-46

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ... 46

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ... 46

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 46-63

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा शासन के निर्देश के बावजूद कर्मचारियों की छटनी किये जाने के सम्बन्ध में उठाया गया प्रश्न ... 64

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सनहा ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के भू-माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाये जाने पर उनके द्वारा धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 64-65

प्रदेश के नाबालिग लड़कियों एवं लड़कों को पड़ोसी देशों में बेचे जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना 65-66

भगवान राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय ... 66

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) (जारी) 67

जनपद आजमगढ़ के उर्दू अध्यापकों को वेतन दिये जाने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास 67-69

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	69
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ...	69-70
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)...	70-75
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग	76-111
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	111-112
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित) ...	112
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 (पुरःस्थापित)	113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	113-116
प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत नये थाने खोलने, पुलिस बल व आधुनिक शस्त्र बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	116-117
जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सड़कें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	117
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कर्मचारियों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	118
नियम 51 की चयनित सूचनाओं से सम्बन्धित सदस्यों के सदन में उपस्थित न रहने पर अस्वीकृत किये जाने की भांति निर्धारित वक्तव्यों को सम्बन्धित मंत्री की अनुपस्थिति पर स्थगित न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	118-119
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम-वजीरपुर बेहलपुर निवासी कार चालक गुड्डू की हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही तथा मृतक आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	119-121
जनपद बांदा में करतल मार्ग पर पंगुरी नाले के पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र कराने तथा बान गंगा नाले पर बदौसा-फतेहगंज मार्ग पर पुल का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य	121-122

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गौतम बुद्ध नगर में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चमक विहीन बताकर वापस किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री का वक्तव्य	122
कानपुर नगर निगम में सीवर सफाई में जहरीली गैस के कारण मृत नवयुवकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा नगर निगम में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	122-123
खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री द्वारा मद संख्या 31 के स्थान पर मद संख्या 28 का वक्तव्य पढ़े जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	123-124
जनपद मथुरा में गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं क्रय किये जाने में की जा रही अनियमिताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री का वक्तव्य	124-125
सदस्यों की सूचनाओं के आधार पर सदन में दिये गये वक्तव्यों का तारतम्य न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	125-126
जनपद उन्नाव में बेगार से इन्कार करने पर श्रमिक की रायफल की बटों व हाकियों से पीटकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामकुमार एडवोकेट व श्री उदयराज यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	127
प्रदेश में नवगठित तहसीलों के गलत सीमाकंन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबू खां, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	128
जनपद महोबा में जिलाधिकारी द्वारा बिहार प्रदेश के तीन दर्जन व्यक्तियों को राजस्व संग्रह विभाग व तहसीलों में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरिमर्दन सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य...	128-129
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड में विद्युत अभियन्ताओं की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	129
आयुर्वेदिक निदेशालय, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री आर्य राम शरन एवं श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	129-130
प्रदेश के कृषि निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	131

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलरामपुर में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को गृह अनुदान उपलब्ध कराये जाने विषयक में श्री बिन्दु लाल, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	131
जनपद मऊ में फुटकर डीजल की दुकानों के आवंटन में कथित रूप से की गई अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री सुधाकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	131-132
जनपद सोनभद्र के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत हुए अग्निकाण्ड से क्षति विषयक श्री राम विलास आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	133
मेरठ नगर निगम में कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य ...	133-134
खुर्जा शहर में खुर्जा मुण्डा खेड़ा रोड के निकट पशुवध के उपरान्त सड़क पर ही मलवा फेंक देने से व्याप्त प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	134-135
जनपद अलीगढ़ के आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु ताला एवं पीतल उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रसायन ट्राइक्लोरोइथलीन पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में डा० ज्ञानवती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	136
समाज कल्याण विभाग के उप विभाग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सहायक विकास अधिकारी की सेवा नियमावली न होने एवं इनकी पदोन्नति न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम हर्ष सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	137
राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं छोटे मुद्रक एवं प्रकाशकों का बकाया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य	137-139
जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करमडाडा एवं लखनऊ की ग्राम पंचायत अठेसुआ के रिक्त प्रधान पदों का शीघ्र चुनाव कराने के सम्बन्ध में, श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज राज्य मंत्री का वक्तव्य	139-140
प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों आदि की सेवा निवृत्ति पर एवं कर्मचारियों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके बीमा दावों का शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	141-142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री विजय पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	142
शासन द्वारा श्री चन्द्रेश पासवान को उपलब्ध कराये गये दूरभाष को रिकार्ड कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 38(3) के अन्तर्गत दी गई सूचना को निरस्त किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	142-143
जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव अन्तर्गत घाघरा नदी पर मलहटुलिया नाला, दुबारी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री सुधाकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य..	144
जनपद लखनऊ निवासी श्री संजय तिवारी के पक्ष में मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवशेष वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	144-145
जनपद-महाराजगंज में रोहिन नदी पर स्थित त्रिभुहानी सेतु एवं फरेन्दा से सिद्धार्थनगर मार्ग पर स्थित हड़हवा घाट सेतु को पथकर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, श्री विनोद मणि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	145
जनपद सन्त रविदासनगर भदोही में निर्माणाधीन 33 के० वी० भदोही-सुरयावां लाइन को जोड़ने के सम्बन्ध में, डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	145-146
बहराइच के कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु खराब नलकूप ठीक करने के सम्बन्ध में, डा० वकार अहमद शाह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	146
जनपद जौनपुर में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के शुभारम्भ में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में, श्री जगदीश नारायण राय, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	146-147
प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों/अनुदेशिकाओं के प्रकरण के सम्बन्ध में, श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	147-148
जनपद वाराणसी में जलने से मृत महिलाओं के शवों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु विशेष मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित करने एवं मृत्यु पूर्व बयान लेने हेतु समय से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	148

विषय	पृष्ठ-संख्या

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना एवं इसी सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2001 को तारांकित प्रश्न संख्या–6 के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा ... 149-161

उत्तर प्रदेश विधान सभा परिसर में तम्बाकू, पान मसाला तथा धूम्रपान एवं तम्बाकू से बने सभी पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी मा० अध्यक्ष के निर्देश की सूचना 161-162

प्रदेश में बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन 162

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिए वर्तमान कानून के स्थान पर नया कानून बनाये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा 162-167

नत्थी 168-169

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 31 मई, 2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2–अजय राय, श्री	वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
5–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
6–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
7–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
8–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
9–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
10–अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
11–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
12–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
13–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
14–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
15–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
16–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
17–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
18–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
19–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
20–कौशल किशोर, डा०	खीरी
21–गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
22–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
23–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
24–छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
25–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
26–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
27–तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
28–दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
29–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
30–धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई
31–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
32–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
33–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
34–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री	खीरी
35–परवेज हलीम खां, श्री	मेरठ
36–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
37–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
38–मंडलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
39–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
40–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
41–मुराद लारी, श्री	देवरिया
42–मुस्लिम, डा०	रायबरेली
43–मोती लाल, श्री	खीरी
44–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़
45–रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
46–राजा गज़नफर अली खां, श्री	बिजनौर
47–राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
48–राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
49–राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
50–राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

51–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
52–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
53–रामजग, श्री आजमगढ़
54–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
55–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
56–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
57–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
58–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
59–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
60–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
61–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
62–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
63–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजंफ्फरनगर
64–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
65–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
66–श्रीराम पाल, श्री जालौन
67–सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
68–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
69–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
70–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
71–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 31 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों के नाम सभा मण्डप के मुख्य द्वार के शिलालेख पर अंकित किये जाने पर कतिपय सुझावों के साथ मा० अध्यक्ष को बधाई

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक अनुरोध करूँगा और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ । आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सदन में वर्तमान सदस्यों का, जिन्होंने 21वीं सदी में प्रवेश किया है, शिलालेख पर उनका नाम अंकित कराकर प्रवेश स्थान पर लगाया गया है । थोड़ी कंजूसी की गई है, उचित तो यह होता; सम्मानित सदन के सदस्य रहे और पहली विधान सभा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सहयोग के बगैर यह शिलालेख अधूरा है । मैं दो तीन चीजों का उल्लेख कर दूँ, मेरा सुझाव है महामहिम राज्यपाल समेकित सदन को हमेशा सम्बोधित करते हैं, तो महामहिम राज्यपाल का उद्धरण आ जाय तभी पूरा होगा । जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, अगर उनका नाम, कार्यकाल का उल्लेख हो जाय, तो हमारे बरखूराम और सर्वाधिक योग्य धनीराम वर्मा जी का नाम भी आ जायगा । फिर कब विधान सभा की पहली बैठक हुई, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बाहर के लोग तो बिल्कुल नहीं जानते, उसकी तारीख या जो विधान सभा हुई कब हुई, कब विघटन हुआ, उसका विवरण आ जाता । नेता सदन अति महत्वपूर्ण पद होता है, उनका क्या–क्या कार्यकाल रहा, और नेता प्रतिपक्ष का विवरण, इस सब के बिना अधूरा सा लगता है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं करवा दूँगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने मेरा सुझाव स्वीकार किया, इसलिए आपको बधाई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मधुमेह कैंसर व एड्स रोगियों हेतु सरकारी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता में कमी की शिकायत

**1–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकारी अस्पतालों में मधुमेह, कैंसर तथा एड्स के रोगियों हेतु दवाओं की उपलब्धता में आयी निरन्तर कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

प्रदेश में मधुमेह कैंसर तथा एड्स के रोगियों में हो रही वृद्धि की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मधुमेह के बचाव हेतु अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई है यह एक वंशानुगत रोग है । परिधिगत अधिकारियों को औषधि मद में आवंटित बजट सीधे उपलब्ध करा दिया जाता है जिससे वे

अपनी आवश्यकतानुसार मधुमेह के उपचार हेतु औषधियाँ स्वयं क्रय कर सकते हैं । इसके इलाज हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में दवाओं की कोई कमी नहीं है ।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर की रोकथाम हेतु कैंसर प्रिवेन्शन एण्ड अर्ली डिटेक्शन योजना 5 जनपदों, मैनपुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा एवं आजमगढ़ में चलायी जा रही है जो शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग उपकरणों के क्रय, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार मद में किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था में खोज एवं उपचार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कैंसर से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करने हेतु प्रचार–प्रसार चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण आदि का कार्य भी किया जाता है । प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों को वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन मेडिकल कालेजों आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, झाँसी तथा के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । प्रदेश के जिला चिकित्सालयों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के अधीन रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त जे०के० कैंसर इन्स्टीट्यूट कानपुर, रिजनल कैंसर संस्थान, कमला नेहरु चिकित्सालय इलाहाबाद, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर संस्थान गोरखपुर तथा वाराणसी एवं अलीगढ़ स्थित केन्द्रीय चिकित्सा संसाधनों द्वारा कैंसर रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है । एड्स रोग के नियंत्रण की दवा अभी तक विकसित नहीं हुई है इसके नियंत्रण हेतु प्रचार–प्रसार के माध्यम से सभी मेडिकल कालेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है । एड्स रोगी में अवसरवादी संक्रमण के इलाज हेतु सभी मेडिकल कालेजों एवं समस्त जिला चिकित्सालयों में सुविधा उपलब्ध है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2/3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ । जो मूल प्रश्न था कि कैंसर और एड्स के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 में कितने कैंसर और एड्स के रोगी चिन्हित किये गये और कितनों का इलाज किया गया ? इसकी संख्या सदन के सामने आ जायेगी तो पता चल जायेगा कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं । दूसरा यह कि 5 जनपदों में बताया है कि मैनपुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा और आजमगढ़ में केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कैंसर प्रिवेंशन एण्ड डिटेक्शन योजना चलाई जा रही है तो क्या और अन्य जनपदों में भी इस तरह की कोई योजना चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है अथवा नहीं ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि एड्स के 316 रोगी चिन्हित किये गये जिसमें से 262 पुरुष और 54 महिलाएं हैं और यह विशेष रुप से 21 से 30 वर्ष की आयु के और 31 से 40 वर्ष की आयु के 115 हैं । कैंसर के सन्दर्भ में जो कानपुर कैंसर इन्स्टीट्यूट से आंकड़े आये हैं 1995 में 3324 लोगों की जाँच की गई 621 कैंसर के मरीज थे जिसका परसेन्ट 18.68 था 1996 में 3486 में से 647 रोगी घनात्मक पाये गये परसेन्ट 18.56 बैठता है । 1997 में 3495 में से 675 कैंसर से ग्रस्त पाये गये इनका प्रतिशत 19.32 बैठता है । 1998 में 3348 के सापेक्ष 699 पाये गये जिसका परसेन्ट 20.88 बैठता है । 1999 में 3420 में 746 मरीज कैंसर के थे जिसका परसेन्ट 21.81 बैठता हैं।

इससे ज्यादा बढ़ोत्तरी की स्थिति नहीं आ रही है । माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कोई योजना बनाई है । 5 जनपदों में तो भारत सरकार के सहयोग से योजना चल रही है किसी अन्य जनपद के लिये कोई माँग नहीं की गई है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मेरठ मेडिकल कालेज का जिक्र किया है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मेडिकल कालेज में इसके लिये नियुक्त चिकित्सक कौन है ? इसके लिये जो संसाधन वहां हैं, क्या वह काम कर रहे हैं या वह खराब पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो जिले की विशेष जानकारी है । अलग से प्रश्न किया होता तो ब्योरा मँगा लेते । अगर मंत्री जी विवरण है तो जानकारी दे दें ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां कोबोर्ड थैरेपी की मशीनें वर्षों से खराब पड़ी हैं । कोई भी चिकित्सक कैंसर के नाम पर वहां पर नियुक्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका संज्ञान ले लें और कोई कमी हो तो बता दें ।

डा० वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने ब्योरा दिया कि इतने का प्रबन्ध हुआ, इतने कैंसर के रोगी पाए गए, कैंसर की रोकथाम हेतु कैंसर प्रिवेन्शन एण्ड अर्ली डिटेक्शन योजना जो चलाई जा रही है इसकी जानकारी लोगों को कम रहती है अर्ली डिटेक्शन का मतलब ही जनरल पब्लिक को पता नहीं होता है, क्या सूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक हैड क्वाटर पर एक कम्प्यूटर की स्थापना करायेंगे ताकि सूचना मिलती रहे इनको भी उससे सूचना मिलती रहेगी । दूसरी बात इसके प्रचार–प्रसार के लिए कि जनरल पब्लिक को पता लग सके, जब अर्ली स्टेज में कैंसर हो तभी जानकारी हो, ब्रेस्ट कैंसर, प्रास्टेट कैंसर के बारे में होल्डिंग के माध्यम से प्रसार–प्रचार करवायेंगे कि यदि यह लक्षण हैं तो कैंसर हो सकता है ?

डा० राम बाबू हरित–

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ पूर्व में हमने पांच जनपदों में 15–15 लाख की व्यवस्था कराई थी । 1994–95, 1997–98 के अन्तर्गत सारे प्रदेशों के जनपदों के लिए व्यवस्था नहीं थी । कुछ जनपदों के लिए व्यवस्था थी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो चल रहे हैं वहां होल्डिंग के द्वारा जानकारी दी जाती है मरीज जब डाक्टर के पास जाता है तो उसको पता लग सकता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कैंसर से पिछले दो सालों में कई लोगो की मृत्यु हुई है इसमें जहां तक मुझे सूचना है कैंसर से सर्वाधिक मृत्यु हो रही है इसकी रोकथाम इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि जब तक पता लगता है तब तक कैंसर की लास्ट स्टेज होती है । मान्यवर, बम्बई में टाटा मेमोरियल अस्पताल कैंसर का है वहां भारत के कई प्रदेशों से लोग इलाज कराने जाते हैं और मँहगा भी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में इसी तरह का एक कैंसर का अस्पताल बनवाने का कष्ट करेंगे ? दूसरी बात मान्यवर, कलकत्ता में रिसर्च हुई है उसमें जो एडवांस स्टेज में मरीज पहुँच जाते हैं उसमें 80 फीसदी ठीक होने में सफल रहे हैं तो क्या इसी तरह से यहां भी रिसर्च सेन्टर खुलवाकर व्यवस्था करवायेंगे ?

डा० रामबाबू हरित–

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ और जे०के० कैसर इन्स्टीट्यूट कानपुर के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त हो जाएगी, कितने कैंसर के मरीजों की जांच की जाती है। ओरल कैविटी का प्रतिशत है 1998 में 20.8 प्रतिशत 1999 में 21.81, 2000 में 20.67 जैन्ट्लस में 1998 में 20.70, 1999 में 20.9, 2000 में 22.77 आजैस्टिक सिस्टम में, 14.01 ....

श्री अध्यक्ष–

इनका कहना है कि जैसा बम्बई में टाटा मेमोरियल अस्पताल है उसी प्रकार से इस विशिष्ट रोग के लिए विशिष्ट उपचार के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित करायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

संसाधन के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं जानता हूँ कि संसाधन कम है लेकिन जो तमाम निजी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे टाटा मेमोरियल एटोमिक एनर्जी में सहयोग करते हैं, तो निजी क्षेत्र के लोगों से बात करके यह प्रयास करेंगे कि उसी तरह का एक अस्पताल खोला जाय। कानपुर के अस्पताल में पूरी क्षमता नहीं है इसलिए ज्यादातर मरीज बम्बई जाते हैं। कलकत्ता में जो रिसर्च हुई है आयुर्वेद में उसी तरह से यहाँ एडवांस स्टडीज के लिए खुलवायें। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि दो साल में कितने कैंसर के मरीजों की मृत्यु हुई है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मृत्यु के आंकड़ें नहीं हैं और जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है उसको सरकार गम्भीरता से लेकर जो संसाधन हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मधुमेह, कैंसर और एड्स बीमारी के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है या उनके पास कोई जानकारी है कि उसमें कैंसर, मधुमेह और एड्स के रोगी हैं उनके निराकरण के लिए कोई बृहद् कार्य योजना बनायी है। और दूसरा यह है कि जैसा कुंवर साहब ने कहा एडवांस रिसर्च स्टडीज इन इन्सेन्टिव ट्रीटमेंट हो रही हैं, जो गम्भीर रोगी हैं इन रोगियों के लिए कोई गहन चिकित्सा और शोध मान्यवर, एस०जी०पी०जी०आई० हमारा एक बहुत बड़ा अस्पताल है, तो क्या यहां पर इन रोगों के लिए सघन चिकित्सा तथा शोध के लिए कोई केन्द्र स्थापित करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है एड्स के जो हमारे यहां केस डिटेक्ट हुए हैं वह 316 हैं और पुरूषों में कितने हैं और महिलाओं में कितने हैं यह भी बताया। कैंसर के आंकड़े भी प्रस्तुत किये। कुछ आंकड़े मधुमेह के आपकी अनुमति से रखना चाहूंगा। मान्यवर, जो स्वास्थ्य केन्द्र है, मरीज वहां पर जाता है उसकी जांच होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी जांच कर लेते हैं और इसके लिए बजट दस हजार रुपया प्रति शैय्या .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि कैंसर में, एस०जी०पी०जी०आई० में, एक विशिष्ट शोध संस्थान हो और कैंसर चिकित्सा के लिए विस्तारित करके योजना बनायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित-

मान्यवर, यह चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रश्न है । हमने इसका संज्ञान ले लिया है । हम इस संबंध में माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से बात कर लेंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इन्होंने संज्ञान ले लिया है । जब प्रश्न स्वीकार कर लिया तो तमाम अनुपूरक प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी । तो यह बतायें कि एस०जी०पी०जी०आई० के लिए सरकार को कहें कि प्राथमिकता तय कर लें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैंने कहा है कि मैंने संज्ञान ले लिया है ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के लोग विदेश जाते हैं तो उनका एड्स का टेस्ट होता है और जब अपने प्रदेश में आता है, आगरा ऐयर पोर्ट से, यह इन्टरनेशनल ऐयर पोर्ट बनाया गया है, तो जो लोग वापस आते हैं तो उनके एड्स को रोकने के लिए कोई जांच की व्यवस्था करायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग की तरफ से व्यवस्था दी गयी है । हम फोरसिबली टेस्ट नहीं करा सकते हैं । जो व्यक्ति कराना चाहता है हम उसकी व्यवस्था कराते हैं । पहले यह सौ रुपये में होता था अब प्रदेश में 10 रुपये में कर देते हैं । कोई भी आराम से टेस्ट करा सकता है । प्री और पोस्ट काउन्सिलिंग की व्यवस्था है । मान्यवर, इससे कोई उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है मान्यवर, हमने सर्वे कराया हैं, व्यवस्था की है जो हमारी क्लीनिक चलती है उसमें दो विशेष अभियान भी चलाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया कि हम किसी का जबरदस्ती करके परीक्षण नहीं कर सकते ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज, आगरा के पास एड्स और कैंसर रोग के प्रतिरक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है न उनका कोई प्रशिक्षण भी होता है तो क्या आगरा मेडिकल कालेज में प्रशिक्षण और उसके इलाज की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, हमारे आगरा मेडिकल कालेज में यह व्यवस्था सुनिश्चित है पूरी जांच करायी जाती है जो काम्पलीकेटेड केस होते हैं उसमें मास का पीस लेकर परीक्षण कराया जाता है इलाज भी होता है और जो मरीज होते हैं उनकी ग्रेडिंग तय करनी होती है वह विशेषज्ञ तय करते हैं कि आपरेशन करना है या रेडियोथ्रोपी देनी है योगोंथ्रोपी देनी है यह विशेषज्ञ तय करते हैं ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न है और जो उत्तर है उसको कृपया देखने का कष्ट करें कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कितना है । मान्यवर, आज तक यह विभाग यह जानकारी नहीं कर पाया कि प्रदेश में कोई बीमारी बढ़ रही है या घट रही है तो जब तक इसका आकलन नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में है कि विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, कोई बीमारी बढ़ी है या घटी है इसका आकलन तो हमारे पास होना चाहिए अब विशिष्ट जानकारी में कौन सी जानकारी है वही बता देंगे । मान्यवर, इनके पास स्टाफ है एम०एन०ए० हैं, नान मेडिकल प्रेक्टिसनर्स हैं, नान मेडिकल असिस्टेन्ट हैं, वैक्सीनेटर हैं जो कि तीन-चार ग्राम सभाओं को मिलाकर एक कर्मी लगा रहता है । आपकी एडिशनल पी०एच०सी० हैं, पी०एच०सी० हैं तो जो इनके स्वास्थ्य कर्मी हैं मेरा सुझाव है कि कम से कम उनको निर्देशित करके एक अभियान के रुप में निर्देशित करें कि साल भर में एक बार पता लगे कि प्रदेश में कौन सी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है ? ताकि उसके अनुसार आगे आने वाले समय में क्या कार्य योजना बननी है ? तो जो कार्य योजना बननी हो वह सही कार्य-योजना तो बन सके । इस तरह का कोई सर्वेक्षण करायेंगे । मान्यवर, उत्तर में यह भी आया है कि मधुमेह के बचाव हेतु अभी तक कोई वेक्सीन विकसित नहीं हुई है यह एक वंशानुगत रोग है । मान्यवर, मधुमेह का रोग इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसके परिवार में कभी कोई मधुमेह का रोगी नहीं रहा है उस परिवार में भी मधुमेह रोगी हो रहे हैं । यह केवल वंशानुगत रोग नहीं है । मान्यवर, हर 8–10 व्यक्ति के बाद व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है यह वंशानुगत रोग है ऐसी बात नहीं है । इस तरह का उत्तर देकर जो बताने का प्रयास किया गया है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी समीक्षा करके कोई योजना बनाएं जिससे मधुमेह के रोगियों को, एड्स या कैंसर के रोगियों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण लग सके ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें प्रश्न के उत्तर में काफी कुछ हमने कह दिया है । अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से हमने माननीय सदन को जानकारी दी है । मान्यवर, मधुमेह की जांच की हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्यन्त सभी में इसकी व्यवस्था है । वैसे एक कहावत है कि एक साधारण व्यक्ति जब खेतों में जाता है पेशाब करने के लिए और वहां चींटी लगती है तो उससे लगता है कि शुगर आ रही है । उसकी जांच करा सकते हैं । साथ ही साथ जब तक उसके खून और पेशाब की जांच नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते है कि मधुमेह है । वंशानुगत के अलावा इन्फेक्शन और चोट आदि के कारण भी होते हैं इसमें पैंन्क्रियाज की बीटा हीमोलिटिक सेल द्वारा इन्सूलिन बनना कम हो जाता है या पूर्णतः रुक जाता है । कभी कभी यह बीमारी होने का कोई कारण पता नहीं चलता है जैसे अधिक मोटा हो जाना । मान्यवर, यह छूत की बीमारी नहीं है अतः सर्वे की विशेष आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, इसके साथ ही साथ कोई इस तरह का मरीज आता है तो दवाओं की व्यवस्था करते हैं जो हमारी एपिडिमिक डिसीज हैं उनका समय–समय पर सर्वेक्षण होता रहता है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जिनके अन्तर्गत यह मेडिकल कालेज हैं वह सोसाइटी के अधीन हैं और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं कि सरकार के अधीन है तो क्या स्थिति है एक तो यह बता दें और आगरा मेडिकल कालेज में विशेष चिकित्सा क्या–क्या उपलब्ध है ? कोबाल्ट थिरैपी है या नहीं अगर नहीं है तो क्या उपलब्ध करायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इसमें हमारे प्रदेश के अन्दर कोई गैर सरकारी संस्था भी काम करती है तो यह सरकार की उपलब्धि ही मानी जाती है क्योंकि सरकार के द्वारा उन्हें समय–समय पर सहायता दी जाती है जैसे अन्धता निवारण में । मान्यवर, हमारी कोबाल्ट यूनिट जहां लगी है वहां कार्य कर रही है इससे कैंसर के मरीजों को पूरा लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या इस मेडिकल कालेज में कोबाल्ट पद्धति के उपचार की सुविधा है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, सुविधा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में महाराष्ट्र व गुजरात की भांति गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*1–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की भांति क्या उ०प्र० सरकार भी गो–वध पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? और इसमें उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । इसमें 45 दिन से अधिक का समय हो गया है मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह का उत्तर आ रहा है, यह तो सदन की अवमानना है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सूचना क्या एकत्र करनी है ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें सूचना जो एकत्र की जा रही है वह आपने महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण दिया अभी वहां की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस उत्तर के बाद तो यह स्थगित हो जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है और उसके बाद इस तरीके से यह बचकाना बयान दिया है वह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

वह अध्ययन करेंगे तभी तो बतायेंगे ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, अभी एक दिन पूर्व ही विधान सभा में वेबसाइट का उद्घाटन हुआ है और एक सेकेण्ड में ही सारी सूचनायें उपलब्ध हो जाती हैं । यदि इस प्रकार मुख्य प्रश्न पर जानकारी न देकर टालने का प्रयास किया जायेगा तो निश्चित रुप से यह सदन की अवमानना है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें महाराष्ट्र और गुजरात की भांति प्रतिबन्ध की बात आ गई ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, इसमें ऐसी कोई जानकारी वाली बात नहीं थी, जिसमें बहुत समय लगने वाली बात हो । आज सारी सूचना/साहित्य बाजारों में उपलब्ध है, इसमें कोई गोपनीय सूचना का सवाल नहीं है । 43 दिन इस प्रश्न को दिये हो गये हैं, इस बात का जवाब न आये, यह ठीक नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें अनुपूरक की आवश्यकता नहीं है । यह स्वतः स्थगित हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार आज इस स्थिति में है कि वह बतायें कि गो-हत्या रोकने के लिये वह कोई अधिनियम लाने जा रही है, या नहीं । प्रोफार्मा क्या होगा, वह तो अलग बात है ? क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा । क्या सरकार इसी प्रकार गो-हत्या कराती रहेगी, इसमें तो किसी सूचना की जरूरत नहीं हैं ?

डा० अशोक बाजपेयी–

गो-वध रोकने के संबंध में इनकी नीति क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह नत्थी (ख) का पहल प्रश्न है और स्पेसिफिक बात पूछी गई कि महाराष्ट्र और गुजरात की भांति । अगर यह न रहा होता तो इसका उत्तर लेकर हम आते, अब इसमें जो पूछा गया है, इसमें जानकारी लेना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न स्थगित रहेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

गाय हमारी माता है तो बछड़े इनके भाई हैं, कृपया उनका तो ख्याल करेंगे ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना

*1–श्री राम औतार शाक्य तथा श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य–योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री विवेक कुमार सिंह)–

प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य योजना पूर्व से संचालित है ।

केन्द्र पुरोनिधानित आई०सी०डी०पी० योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश) पूर्व से ही संचालित की जा रही थी, जो माह नवम्बर, 2000 से भारत सरकार की मैक्रो मोड आफ असिस्टेंस योजना (90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश) में समाहित कर दी गयी है ।

कार्य योजना पूर्व से ही कार्यान्वित की जा रही है, अतः नई कार्य योजना का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, यह कार्य योजना जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया, इसका सगुण रुप और सगुण करने का संक्षिप्त स्वरुप का विश्लेषण या वर्णन सदन में करेंगे ? यह निर्गुण आपकी योजना जमीन पर नहीं है, सगुण स्वरुप आपका क्या है, स्पेसिफिक सूचना आप इसके सम्बन्ध में देंगे ? हमारी जिज्ञासा है कि आपकी कार्य योजना क्या है, इसका सगुण रुप क्या है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाने हेतु पूर्व में संचालित आई०सी०डी०पी० योजना भारत सरकार की माइक्रो मोड आफ असिस्टेंस योजना में माह नवम्बर, 2000 में शामिल कर प्रदेश के समस्त 70 जनपदों में, 809 विकास खण्डों में चलायी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

योजना क्या है, आपकी कार्य योजना क्या है ? आपकी यह माइक्रो मोड आफ असिस्टेंस योजना क्या है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के 25 पश्चिमी जनपदों में एकीकृत धान विकास कार्यक्रम और 35 पूर्वी जनपदों में संचालित हो रहा है । इस योजना में वर्ष 2001 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का सहयोग 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न गेहूं के बारे में था ।

(कुछ सदस्यों के सीधे प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सीधे प्रश्न न करें ।

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, शुरु में फरवरी, 2001 तक यह सुविधा थी 118 विकास खण्डों में, अब 70 जनपदों के 809 विकास खण्डों में की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी आप योजना का संक्षिप्त स्वरुप दे दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उचित होगा कि इसको स्थगित कर दें मंत्री जी दुबई से जब खेती करके लौटेंगे तब उत्तर दे देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक योजना बनायी गयी कि किस प्रकार गेहूँ की उत्पादकता बढ़े ।

श्री प्रमोद कुमार–

दुबई में ?

श्री हुकुम सिंह–

दुबई में हो या प्रतापगढ़ में हो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

दुबई से माननीय मंत्री जी ऐसे–ऐसे बीज लायेंगे जिनकी कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है ।

(हंसी के माहौल में कुछ और सदस्यों के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर इतना हास–परिहास काफी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं निश्चित रुप से आश्वस्त करता हूँ कि जो लायेंगे उसका एक पैकेट आप को जरूर दिलवा दूँगा । (श्री प्रमोद कुमार की ओर मुखातिब होकर)

मान्यवर, गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना पहले से चल रही थी और उसमें बताया गया और विशेष कार्य योजना की जो बात है वह योजना है कि किसान की किस प्रकार सहायता करके, क्या–क्या चीजें उसको उपलब्ध कराके उत्पादकता बढ़ायें, इसमें गुणात्मक बीजों की उपलब्धता, उन्नतिशील कृषि यन्त्रों का वितरण, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, कृषि रक्षा जीवनाशी का वितरण, क्षेत्र प्रदर्शन (खेतों में प्रदर्शन) अन्य तकनीक हस्तान्तरण, हमारे जो विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर चल रहे हैं उसका ट्रांसफर कैसे करें, यह सारी की सारी योजना है ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्नतिशील बीज के बारे में उन्होंने बताया । इस साल उन्नतिशील बीज की जो कीमत रखी थी वह 9.50 रुपये और 15.00 रुपये रखा जिसकी वजह से अधिकांश किसान उन्नतिशील बीज खरीदने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने उन्नतिशील बीज नहीं खरीदा और पुराना बीज ही बोया । क्या सरकार उन्नतिशील बीज की कीमत कम करने पर विचार करेगी जिससे किसान खरीद सके । दूसरा मान्यवर, हरियाणा और पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक बीज की बात है उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व से ही 200 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान प्रमाणित बीज पर देती है । खाने के अनाज और बीज में दोनो में अन्तर रहता है और रहना चाहिए । कृपा करके बीज को अनाज का स्वरुप देने पर विचार न करें । बीज का स्थान अलग रहता है और उसे अलग रहना चाहिए । दूसरी बात रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या अन्तर है । हरियाणा में भी एकरुपता हर जिले में नहीं है, पंजाब में भी हर जिले में नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं है । हरियाणा और पंजाब की उत्पादकता को देखते हुये यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कम है । लेकिन कम होने के कारण न जाने कितने हैं । सिंचाई भी एक कारण है, पंजाब में 100 प्रतिशत सिंचाई है, हरियाणा में लगभग 70 प्रतिशत है, हमारे यहाँ सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा और कई कारण हैं जिनकी वजह से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

श्री विश्वनाथ–

माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न की ओर ध्यान दें उसमें है कि क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? मान्यवर, यह प्रश्न था । मंत्री जी का जवाब बहुत बौद्धिक है जबकि सीधा सवाल है कि क्या विशेष कार्य योजना है, जबकि जनरल विश्लेषण कर रहे हैं जिसे आप भी महसूस करते होंगे । सही मायने में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य–योजना पूर्व में संचालित है ।

श्री विश्वनाथ–

मान्यवर, इनकी कोई कार्य योजना नहीं है । विशेष कार्य योजना के बारे में पूछा गया था ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोमोड ऑफ असिस्टेन्स योजना बनायी है तो इसके द्वारा कितने सालों में गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने का इनका लक्ष्य है । मान्यवर, गेहूँ का केवल उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य ही इनका है, इस योजना द्वारा या गेहूँ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी इनकी कोई योजना है ? मान्यवर, गेहूँ की उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ यह भी एक महती आवश्यकता है कि गेहूँ की गुणवत्ता भी बढ़ायी जाय । इसके लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक है उसके कारण हमारे प्रदेश का गेहूँ जाकर वापस आ गया है । तो मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी का चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमारी योजना गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाना भी है । मान्यवर, हमने अपने गेहूँ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैव नासी जैव रसायनों का वितरण तथा कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आप का गेहूँ लौटकर वापस आ गया तो मैं गर्व के साथ यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का गेहूँ पूरे देश में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला माना जाता है । हमारे गेहूँ की प्रशंसा चारों ओर हो रही है । हमारा कार्यक्रम यह है कि गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ गुणवत्ता भी बढ़े ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी माइक्रोमोड आफ असिस्टेंस के बारे में तो बता दिया लेकिन हमने पूछा था कि यह लक्ष्य आप कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, उसका जवाब नहीं आया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लक्ष्य के बारे में बता पाना संभव नहीं है क्योंकि खेती सरकार तो करती नहीं है, खेती जो हमारे किसान हैं वह करते हैं, सरकार का काम है कि जो नयी–नयी टेक्नालाजी आती हैं वह किसानों तक पहुँचाये टेक्नालाजी वितरण का काम सरकार करती है और खेती किसान करते हैं ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना है और पंजाब तथा हरियाणा के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश में उत्पादन है वह बहुत कम है । मैं जानना चाहता हूँ कि जब माइक्रोमोड असिस्टेन्स योजना नहीं लागू थी तो गेहूँ के उत्पादन की क्या स्थिति थी और जब यह योजना लागू हो गयी उसके बाद गेहूँ के उत्पादन की क्या स्थिति है ? नवम्बर, 2000 में यह योजना लागू हुयी तो तब से उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुयी है । आर्थिक समीक्षा नाम की यह जो पुस्तिका है उसमें दिया गया है कि कृषि उत्पादन सूचकांक घटा है । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह गेहूँ के उत्पादन की व्यवस्था की गयी है क्या उसी प्रकार धान में हाईब्रिडसीड उत्पादन करने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, डा० अशोक बाजपेयी ने और आपने जो चिन्ता व्यक्त की है तो ऐसी बात नहीं है । प्रदेश के बारे में नकारात्मक स्वरुप के बारे में सोंचेगे जो उचित नहीं है । मान्यवर, राष्ट्रीय जो उत्पादन है वह 26.21 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है और उत्तर प्रदेश का उत्पादन 27.64 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है, जो देश का औसत है उसमें हम ऊपर हैं । यह कहना हमारा कोई वजूद नहीं है यह उचित नहीं है । हम राष्ट्रीय औसत से ऊपर है जो भाजपा की सरकार है वह राष्ट्रीय औसत से ऊपर है ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने हाईब्रिडसीड के बारे में पूछा था उसका उत्तर दिलवा दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं समझ रहा था यह खेती भी करते हैं, लेकिन यह तो खाली बैठे हैं । हमारी सारी वैरायटी जो है हाईब्रिडसीड है । पिछले 40 सालों से गेहूँ बोया जा रहा है वह हाईब्रिडसीड ही है । धान में तो 20 साल पहले हाईब्रिडसीड आया है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूर्वांचल के हैं और संसदीय कार्य मंत्री पश्चिमांचल के हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि लखनऊ मण्डल को इस योजना में आच्छादित नहीं किया गया है । क्या लखनऊ मण्डल को भी आच्छादित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पश्चिमांचल और पूर्व की बात नहीं है । मैं मानता हूँ कि माननीय सदस्य बीच में लटके हैं इसलिए चिन्तित हैं । मैं आश्वस्त करता हूँ कि लखनऊ मण्डल भी इसमें आच्छादित है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, गौरी शंकर तो बीच में हैं ही, लेकिन बीच में इनके प्रधान मंत्री भी अटके हैं ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, आई०सी०डी०पी० माइक्रोमोड ऑफ असिस्टेंट योजना से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त है, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि किसानों को जो उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं उनसे उसका शुल्क लिया जाता है । जैसे स्प्रिंकलर के लिए किसानों से 3300 रुपया लिया जाता है ? किसान से पैसा क्यों लिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ यंत्र ऐसे हैं जिन पर अनुदान दिया जाता है, लेकिन जो उसके साथ अन्य उपकरण पाइप वगैरह लगाते हैं उसकी व्यवस्था करने की किसान की जिम्मेदारी होती है । जो सामान है जैसे श्रम, मजदूरी, खेती है, इसकी व्यवस्था तो किसान को करनी पड़ेगी, केवल हम इक्विपमेंट पर अनुदान देते हैं ।

श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, स्प्रिंकलर और पाइप के लिये किसान से 3300 रुपया लिया जा रहा है जबकि यह नहीं लेना चाहिये । यह क्यों लिया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नलकूप से लेकर जिस खेत में स्प्रिंकलर लगा है उसके लिये कुछ माडीफिकेशन करने पड़ते हैं कुछ अन्य उपकरणों या साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है । किसान को इन साधनों और श्रम, मजदूरी आदि को स्वयं वहन करना पड़ता है ।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के पश्चात् मुख्य राजस्व देयों की वसूली स्थगित करने की मांग

* 2–श्री श्रीराम पाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अनावृष्टि के कारण रबी की फसल सूख जाने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या राजस्व देयों, बैंक ऋण देयों तथा सहकारी देयों एवं कृषि सम्बन्धी अन्य ऋण देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन क्षेत्रो में कौन–कौन से राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे तथा कब से और इस हेतु जनपदवार कितनी–कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी हां ।

बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी रबी की फसल आने तक मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है एवं विविध देयों की वसूली के दौरान कोई उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता हैं ।

पेयजल व्यवस्था हेतु नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोरिंग कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है । नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है । तालाबों/पोखरों को पानी से भरवाया जा रहा है तथा अन्य राहत सम्बन्धी कार्य भी कराये जा रहे हैं ।

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों हेतु नगरीय क्षेत्रों मे हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोर के लिए नगर विकास विभाग को रु० 5.00 करोड़ का धनावंटन, ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोर हेतु 5.00 करोड़ का धनावंटन, नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु रु० 5.00 करोड़ का आवंटन तथा जनपद जालौन हेतु रु० 25.00 लाख का अतिरिक्त आवंटन अर्थात् कुल रु० 15 करोड़ 25 लाख का धनावंटन किया गया ।

---

* यह प्रश्न प्रश्न सं० 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर हेतु लिया गया था ।

श्री दद्दू प्रसाद–

अध्यक्ष जी प्रश्न राहत कार्य का है हैण्ड पम्प की मरम्मत का कार्य तो ठीक है पानी उपलब्ध हो जाएगा पर वहां बुन्देलखण्ड में समस्या यह खड़ी हो गई है, सूखे से उत्पन्न हो गई है कि लोगों को खाने के लिये रोटी की व्यवस्था नहीं है । इसके लिए बार–बार सरकार से पहले भी लिखित रुप से मांग की गई, सदन मे भी प्रश्न आया । मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रोजगार सृजन के लिए लोगों को अन्न उपलब्ध हो सके श्रम के बदले खाद्यान्न उपलब्ध हो सके उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है , कितना धन उपलब्ध करा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां भूखों मरने की स्थिति हो जो राहत का पैसा दिया है उसके अतिरिक्त अन्न पूर्णा योजना के तहत चावल और गेहूँ दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो दिया गया है । गांवों के गरीबों के लिए दो रुपये किलो गेहूँ व तीन रुपयें किलो चावल दिया जा रहा है । अन्य प्रकार की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं । चित्रकूट मंडल व झांसी मण्डल जो बुन्देलखण्ड के इलाके हैं कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि भूखों मरने की स्थिति हो । फिर भी यहां पर किसी को भूखों मरने नहीं दिया जाएगा अनाज की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री बी०आर०वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर के पैरा दो में कहा है । बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी रबी की फसल आने तक मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है एवं विविध देयों की वसूली के दौरान कोई उत्पीड़क कार्यवाही न किए जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं तो कौन सी देयें हैं जिनकी वसूली उन्होंने स्थगित कर दी है कौन सी देयों की वसूली अभी भी जारी है । एक सुझाव के रुप में मंत्री जी मैं चाहूँगा इस समय देश में या प्रदेश में जो गेहूँ व चावल की भण्डारण की समस्या है इतना अधिक हमारे पूल में गेहूँ है तो क्या कोई ऐसी खाद्यान्न योजना जैसा वहां के ताल पोखर की योजना वहाँ के पानी को स्टोर करने के लिए पोखरों की खुदाई करने के लिए कई खाद्यान्न योजनायें काम करें जहाँ श्रम के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके । बरसात का पानी रोका जा सके । क्या इस तरह की कोई खाद्यान्न योजना उत्तर प्रदेश सरकार चलायेगी जिससे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम के बदले अनाज मिल सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विविध देयों की वसूली स्थगित है जिसमें लगान सिंचाई आदि है बैक ऋण देय स्थगित नहीं है, और दोनों मंडलों के जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे पानी की कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करे । केवल झांसी मण्डल को अभी चिन्हित किया गया है जहाँ सात तालाबों को पानी की आवश्यकता है टैंकर भेज दिये गये हैं और 355 लाख रुपये इस कार्य हेतु दिये गये हैं इसके अलावा 832.31 लाख रुपये रोजगार के लिए हैं जिसमें 997 बेरोजगार कार्य कर रहे हैं । किसी भी प्रकार की पेयजल समस्या या भुखमरी की समस्या नहीं आने दी जायगी ।

श्री बी०आर०वर्मा–

उस अंचल के जो ग्रामीण लोग है उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन से देय पर पैसा देना है और कौन सा देय स्थगित हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

लगान सिंचाई पर देय स्थगित है और बैंकों के ऋण स्थगित नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जो किसान देय नहीं चुका सकते उन्हें बन्द किया जा रहा है तो तहसीलों में उन लोगों की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न अलग से करिये यह तो पूरे प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

50 तहसीलों में बन्दीगृह बन चुके हैं । वे वित्त आयोग से पैसा मिल गया है जहाँ बन्दीगृह खराब स्थिति में है वहाँ ठीक कराया जा रहा है जहाँ-जहाँ बन्दीगृह नहीं है वहाँ जेल में रहने की व्यवस्था की जा रही है । यह समस्या तो विपक्ष की सरकार में थी ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सभी सूबों में यह व्यवस्था नहीं की जा रही है । परिवार वाले अपने-अपने घरों से बन्दियों के लिए खाना ले जाते हैं उन्हें खाना तक नहीं मिलता । कहा जाता है कि 50 पैसे का खाना दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज सामान्य प्रशासन का बजट है उस पर अपनी बात इस विषय पर रखियेगा ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि तालाब में पानी भरा जा रहा है, हैंण्ड पम्पों को ठीक कराया जा रहा है, अच्छी बात है अगर यह सब हो रहा है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जो समस्या पैदा हो गई है उसके बारे में बार–बार कहा गया है कि वहाँ पर रोजगार की समस्या पैदा हो गई है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार सृजन के लिये, राहत देने के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध करा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

इस बारे में बताया है मंत्री जी ने कि रोजगार के सम्बन्ध में विभिन्न अन्य योजनायें चल रही हैं, उसमें सुविधा उपलब्ध है ।

जनपद आगरा, फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों को भू-कटाव से बचाने के उपाय की जानकारी

*3–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि आगरा, फिरोजाबाद का यमुना, चम्बल और उटंगन नदियों वाला क्षेत्र निरन्तर भू-कटाव और भू-क्षरण का शिकार हो रहा है और कृषि भूमि इस भू-कटाव से बड़े–बड़े खारों में बदलती जा रही है ? यदि हां, तो इस पिछड़े और भू–कटाव से ग्रस्त क्षेत्र को भू–कटाव से बचाने हेतु सरकार ने क्या–क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

जी हाँ ।

इस क्षेत्र को भू-कटाव से बचाने हेतु प्रदेश, केन्द्र, वाह्य सहायता तथा नाबार्ड की सहायता से भूमि संरक्षण योजनाएं संचालित कर लगभग 97568 हे० क्षेत्र संरक्षित/उपचारित किया गया है । ई०सी० सहायतित बीहड़ स्थिरीकरण, जर्मन सहायतित एकीकृत जल समेट क्षेत्र विकास योजना तथा नाबार्ड

सहायतित बीहड़ सुधार की विशिष्ट परियोजनाएँ उक्त क्षेत्र के भू–कटाव को रोकने के लिए विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, भूमि कटाव की स्थिति से बचाने हेतु 97568 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित/उपचारित किया गया है । इतने क्षेत्रफल को संरक्षित करने हेतु कितना समय लगा है और जो क्षेत्रफल अभी संरक्षित/उपचारित करने से बचा है उसको कितने दिन में उपचारित करने की योजना है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसे ही धनराशि मिल जायगी उपचारित करने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 266 एकड़ भूमि कटाव होता है और जो खार है वह साढ़े 4 मीटर की दर से गहरे हो रहे हैं जिससे भूमि कटाव हो रहा है । इनके बचाव के लिये जो योजनायें हैं उनकी कब स्वीकृति मिल जायेगी और कब काम शुरू कर देगें ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में जो नाबार्ड की योजना है वह 3 वर्ष की अवधि की है और जर्मन बाईलैटरल सहयोग परियोजना जो है उसकी अवधि 5 वर्ष है और ई०सी० सहायतित बीहड़ परियोजना की अवधि 5 साल की है । यह परियोजनायें स्वीकार हो गयी हैं और ई०सी० द्वारा धन की उपलब्धता प्रतीक्षित है इसके बाद कार्य पूरा करा दिया जायगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया कि कब पूरा करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि जैसे–जैसे धन मिल जायेगा काम शुरू हो जायेगा ।

उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात् मत्स्य निदेशालय व पर्वतीय कैडर के समस्त हस्तान्तरित पद

*4–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य निदेशालय मे उत्तरांचल कैडर का सृजन कब हुआ तथा उसमें कौन-कौन से पद किस शासनादेश के अन्तर्गत सृजित किये गये ? क्या उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पर्वतीय कैडर के सभी पद उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

मत्स्य निदेशालय मे उत्तारांचल कैडर का सृजन नहीं हुआ है ।

मत्स्य निदेशालय के स्तर पर पर्वतीय विकास सेल हेतु तृतीय श्रेणी के पांच पद शासनादेश संख्या–518/28-8-86–5(13)–प/86 दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा सृजित किये गये थे जिन्हें उत्तरांचल राज्य बनने के बाद शासनादेश संख्या–5309/57-म-2000-10-5(14)/2000, दिनांक 8 नवम्बर, 2000 द्वारा उत्तरांचल राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

मत्स्य विभाग में वर्ष 1994 में पर्वतीय उप संवर्ग का गठन किया गया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा श्रेणी ''ख'', श्रेणी ''ग'' तथा श्रेणी ''घ'' के कुल 139 पद सृजित किये गये थे । इन पर्वतीय उप संवर्ग में सृजित सभी पदों को उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जटाशंकर जी कोई अनुपूरक प्रश्न इस पर करेगें ?

श्री जटाशंकर सिंह–

नहीं ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न–2 *जो श्री श्रीराम पाल का है वह उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं इस पर रुचि रखता हूँ । समय भी है । नियम 39 के तहत आपकी अनुज्ञा हो ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सुल्तानपुर के भूलेख निरीक्षक श्री भानू प्रताप त्रिपाठी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके देयों के भुगतान की जानकारी

1–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भानु प्रताप त्रिपाठी, सेवानिवृत्त भूलेख निरीक्षक, तह०–मु० खाना, जनपद सुल्तानपुर से दिनांक 31-6-90 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इनका 1988-89 का बोनस सन् 1986 तक संशोधित पेंशन लाभ तथा 90 प्रतिशत जी०पी०एफ० का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवशेष देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के राजस्व ग्रामों में चकबन्दी पश्चात् धारा–52 का प्रकाशन कराने की मांग

2–श्री मुख्तार अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ जनपद किन-किन राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अब तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं किया जा सका है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक उक्त ग्रामों में धारा 52 का प्रकाशन करके अभिलेख तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही –

जनपद मऊ के कुल 57 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक धारा–52 का प्रकाशन नहीं कराया जा सका है (सूची संलग्न है) प्रश्नगत ग्रामो के अभिलेख तहसील मुख्यालय पर उपलब्ध कराकर धारा–52(1) की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 168–169 पर)

नोट :–नत्थी 'ग' के ता० प्र० सं०–4 के पश्चात् ता० प्र० सं–2 लिए जाने के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । ता० प्र० सं०–2 का उत्तर यथास्थान क्रम में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद अम्बेडकर नगर, विकास खण्ड टाण्डा में ग्राम प्रधान दायमपुर की कतिपय पट्टेदारों की भूमि पर कथित अवैध कब्जा

3–श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान दायमपुर विकास खण्ड टाण्डा, तहसील–टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर ने दिनांक 27-4-2001 को ग्राम दायमपुर की मरघट की जमीन, चकरोड एवं अनुसूचित जाति के विभिन्न पट्टेदारों की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम प्रधान दायमपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-4-2001 जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर को दिनांक 26-4-2001 को प्राप्त हुआ है ।

प्रार्थना-पत्र को उप जिलाधिकारी टाण्डा को जांच करने हेतु दिया गया । जिलाधिकारी के रिपोर्टनुसार मरघट की भूमि अनुसूचित जाति के पट्टेदारान की भूमि तथा चकरोड की भूमि पर अतिक्रमण को खाली कराया गया है । ग्राम सभा की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 31-10-97 की स्वीकृति दिनांक 26-2-2000 को उपजिलाधिकारी टाण्डा द्वारा की गयी है । इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर अम्बेडकरनगर के न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का प्रकरण विचाराधीन है । अपर जिलाधिकारी ने तहसीलदार टाण्डा को मौके की नवइयत न बदलने तथा जांच आख्या भेजने के निदेश दिये हैं । इसके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी टाण्डा द्वारा दिनांक 18-10-2000 के आदेश द्वारा दिनांक 26-2-2000 के स्वीकृति के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है तथा आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु नायब तहसीलदार को जांच आख्या भेजने का निर्देश दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त चकबन्दी लेखपालों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी

4–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष 1996-97 में प्रशिक्षण प्राप्त चकबन्दी लेखपालों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लेखपालों को कार्यभार कब तक ग्रहण करा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रशिक्षण के उपरान्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों को चकबन्दी लेखपाल के पद कर कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, विकास खण्ड गोवर्धन के ग्राम पेठा की चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त करने सम्बन्धी-पत्र पर जांच की कार्यवाही

5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पेठा विकास खण्ड गोवर्धन जिला मथुरा की चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम/44–445/मथुरा/2001, दिनांक 31-3-2001 आयुक्त चकबन्दी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच करायी जा रही है ।

जनपद ज्योतिबाफूले नगर तहसील अमरोहा के ग्राम सभा असरफपुर में आवंटित पट्टों पर कब्जा दिलाने सम्बन्धी जानकारी

6–श्री मेजर जगतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा असरफपुर फैजगंज, तहसील–अमरोहा, जिला–ज्योतिबाफुले नगर में पात्र व्यक्तियों को 95 भूमि पट्टे ग्राम प्रधान ने वर्ष 1991 में प्रस्ताव पारित कर आवंटित कर दिये थे, जिसकी स्वीकृति परगना अधिकारी अमरोहा से प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या पात्र व्यक्तियों को 95 पट्टों का परगना अधिकारी द्वारा कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद, तहसील सम्भल की ग्राम सभा मढ़न में भूमिहीन अनुसूचित जाति के पट्टों पर कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

7–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मढ़न, तहसील–सम्भल, जिला–मुरादाबाद में भूमिहीन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को 73 भूमि पट्टे ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पारित कर परगना अधिकारी, सम्भल द्वारा विगत वर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी ? क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों के पात्र व्यक्तियों को 73 पट्टों का परगना अधिकारी द्वारा कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर, विकास खण्ड चौबेपुर के कतिपय मार्गों पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

8–श्री राकेश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के बन्दीमाता मार्ग से ग्राम नोनहां कला तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कराया गया है ? उक्त सम्पर्क मार्ग एवं उसके बीच पड़ने वाली पुलिया के निर्माण हेतु रु० 3,50,000 स्वीकृति हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग का लेपन स्तर तक का कार्य निम्न स्तर का कराया गया है एवं बनवायी गयी पुलिया भी धंस गयी है ? क्या सरकार इसकी टी०ए०सी० द्वारा जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित करेगी तथा उक्त कार्य पुनः करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । पेंटिंग तथा पुलिया निर्माण मानक के अनुरूप कराया गया है तथा पुलिया धंसी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से निकाले गये कर्मचारियों की सेवा बहाली के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन

श्री विश्वनाथ तथा श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-8-2000 का अनुपालन की जानकारी क्या सरकार द्वारा कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार 1-4-96 के पूर्व नियुक्तिधारी ऐसे समस्त कर्मचारी जिन्होंने मंडी सेवा में 240 दिनों से अधिक लगातार सेवा की है उन्हें भी सेवा में लेने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां । मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा 382 कर्मचारियों/याचीगणों को सेवा में बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2000 को दिये गये हैं ।

मा० न्यायालय के आदेश से आच्छादित समस्त कर्मचारियों/याचीगणों को सेवा में लिये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के जिला उद्योग केन्द्र के पावर लूम निरीक्षक श्री दशरथ सिंह के सेवानिवृत्ति पश्चात् उनके समस्त देय के भुगतान कराने की मांग

10–श्री तेजभान सिंह–

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि दशरथ सिंह पावर लूम निरीक्षक जिला उद्योग केन्द्र सुल्तानपुर से दिनांक 30 जून, 2000 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें दो माह का अवशेष वेतन ग्रेच्युटी, ग्रुप इन्श्योरेन्स, नगदीकरण, बोनस, डी०ए० एरियर एग्रीमेंट का एरियर तथा अग्रिम वेतन मान 1995 से व अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी हां ।

श्री सिंह की पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण एवं जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है । श्री सिंह का माह मई, जून, 2000 का वेतन, मंहगाई भत्ता 1/99 से 4/2000 का एरियर एवं बोनस का भुगतान अभी लम्बित है ।

अवशेष देयों के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

जनपद चित्रकूट, कृषि उत्पादन मण्डी समिति कर्वी में पहुंच मार्ग व नाली निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

11–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति कर्वी में निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग कर्वी पहाड़ी मार्ग से मण्डी पहुंच मार्ग व नाली निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्यों को अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

ठेकेदार द्वारा कार्यों को धीमी गति से कराये जाने के कारण निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

मार्ग का कार्य टापकोट स्तर तक पूर्ण है तथा नालियों का कार्य पूर्ण है । शेष कार्य दिनांक 30-6-2001 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी ब्लाक के ग्राम विसाहड़ा के पशु चिकित्सालय भवन के मरम्मत व चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

12–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी ब्लाक में ग्राम विसाहड़ा का पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर होकर निष्प्रयोज्य हो गया है जिससे वहां पर अब कोई डाक्टर नहीं बैठता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां भवन निर्माण कराकर डाक्टर की नियुक्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

ग्राम विसाहड़ा में पशु सेवा केन्द्र स्वीकृत है । इसका भवन मरम्मत योग्य है । वर्तमान में उक्त पशु सेवा केन्द्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी का पद रिक्त है ।

उक्त पशु सेवा केन्द्र की मरम्मत धनराशि उपलब्ध होने पर करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम घोडी-बघेडा में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण की मांग

13–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतम बुद्धनगर के ग्राम घोडी-बघेडा में पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर होकर निष्प्रयोज्य हो गया है और डाक्टर भी वहां पर इस समय तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भवन का पुनः निर्माण कराकर अस्पताल को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

इस ग्राम में कोई पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम सभा सरोसा की ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना के पश्चात् बैंक से धनराशि की निकासी

14–श्री ओम प्रकाश गुप्ता तथा श्री रमेश राही–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पिसांवा के ग्राम सभा सरोसा की ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा सम्पन्न हुये पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद पंचायत सेक्रेटरी से मिलकर भगीरथ ग्रामीण बैंक अरथाना-सीतापुर से रुपया 76,000 निकाल लिया जबकि अधिसूचना के उपरान्त सरकारी धन निकालने पर रोक लगा दी

जाती है ? यदि हां, तो चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में ग्राम प्रधान श्रीमती रामपती तथा पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर, जिला कारागार द्वारा स्थित छावनी कदीम की भूमि पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

15–श्री रमेश राही–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के जिला कारागार द्वारा भूमि गाटा सं०–752/0.84, 753/0.29, 1.35, 755/0.25, 756/0.25, 757/0.39, 758/0.22, 759/0.40, 760/3.11 स्थित छावनी कदीम की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त भूमि को मुक्त कराये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जिला कारागार से मुक्त कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा, तहसील मनकापुर तरबगंज में विगत वर्ष अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को वितरित सहायता राशि

16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील मनकापुर और तहसील तरबगंज में वर्ष–2000-2001 और 2001-2002 में कितने ग्रामों में अग्निकाण्ड से कितने परिवारों को क्षति हुई ? क्या पीड़ित परिवारों को सहायता राशि का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पीड़ित परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में चयन करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर और तरबगंज में वर्ष 2000-2001 में कुल 550 ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनायें हुई, जिसमें 1633 परिवारों को क्षति हुई । वर्ष 2001-2002 में अब तक उक्त दोनों तहसीलों में 142 ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनायें हुई जिसमें 411 परिवारों को क्षति हुई ।

पीड़ित परिवारों में पात्र पाये गये सभी परिवारों को सहायता राशि वितरित कर दी गई है ।

वर्ष 2000-2001 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से पीड़ित उक्त तहसीलों में 7 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है । वर्ष 2001-2002 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पीड़ित पात्र परिवारों को चयन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन्दिरा आवास के आवंटन के चयन पर अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है ।

जनपद उन्नाव में पंचायत चुनाव में जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि को वापस कराने की मांग

17–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2000 (ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत) में जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि उन्नाव जनपद की कितनी है ? क्या सरकार उस जमानती धनराशि की वापसी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में कुम्हारी कला हेतु व्यक्तियों को आवंटित भूमि के पट्टों की जानकारी

18–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद उन्नाव के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुम्हारों को कुम्हारी कला हेतु वर्ष 1995 से अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि के पट्टे दिये जा चुके हैं ? शेष को कब तक पट्टे उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद उन्नाव के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कुम्हारों को कुम्हारी कला हेतु वर्ष 1995 से अब तक 3914 व्यक्तियों को भूमि के पट्टे दिये जा चुके हैं ।

वर्तमान वर्ष 2000–2002 में कुम्हारी कला हेतु 40 स्थल का लक्ष्य राजस्व परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में कर ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर, तहसील देवबन्द के ग्राम सापला खली में चकबन्दी में हुई अनियमितताएं

19–श्री संजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सापला खली, तहसील–देवबन्द, जिला सहारनपुर की चकबन्दी में हुई अनियमितता की जांच श्री नेमी चन्द्र संयुक्त संचालक चकबन्दी से करायी गयी थी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 5-6-2000 को आयुक्त चकबन्दी को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये तथा दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच में श्री सकलानन्द जुगरान, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, श्री प्रमोद कुमार, चकबन्दी लेखपाल तथा श्री लोकेश कुमार, अहलमद दोषी पाये गये हैं ।

श्री सकलानन्द जुगरान, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जो दिनांक 31-7-1999 को सेवा-निवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र गठित करके नियुक्ति विभाग, को भेजा गया है । श्री प्रमोद कुमार, चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और उन्हें बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सहारनपुर के आदेश दिनांक 11-9-2000 द्वारा सेवा से हटा (डिसमिस) दिया गया है । अहलमद श्री लोकेश कुमार के विरुद्ध इसी मामले में पूर्व में विभागीय कार्यवाही की गयी और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश सं०–80/वि०का० दिनांक 7-2-2000 के अन्तर्गत उन्हें निन्दात्मक प्रविष्टि प्रदान की गयी तथा एक वेतन वृद्धि रोकी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निदेशक, कृषि एवं फसल बीमा कार्यालय में डाटा इंट्री आपरेटर की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच

20–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक कृषि एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में डाटा इंट्री आपरेटर के 52 पदों की भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितता को शासन स्तर से जांच के बाद सही पाए जाने पर चयनित सूची दिनांक 25-11-2000 को निरस्त कर नई सूची नियमानुसार बनाने

के निर्देश दिये गये थे ? क्या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

जी, हां ।

चयन प्रक्रिया में की गयी अनियमितता की जांच शासन स्तर से करायी गयी । प्राप्त जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का उल्लेख किया है परन्तु किसी अधिकारी के दोष का निर्धारण नहीं किया गया । अतएव प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संदर्भ में अग्रेतर जांच सम्पादित की जा रही है तथा यथास्थिति दोष सिद्ध होने पर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री राम कुमार एडवोकेट–

[6 ठे मंगलवार में अता० प्र० सं०–49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर, की ग्राम सभा रिधौरा में विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण

22–श्री सीताराम निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रिधौरा क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर जनपद बस्ती को वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के मध्य किन-किन मदों से आवंटित धनराशि कितनी-कितनी किस परियोजना हेतु दी गयी है तथा क्या-क्या कार्य सम्पादित कराये गये हैं ? क्या कार्य सम्पादन की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । ग्राम पंचायत रिधौरा क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर को वर्ष 1995-1996 से 1999-2000 के मध्य निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित किया गया :–

जवाहर रोजगार योजना	मु० 1,11,261.00
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	
दशम् वित्त आयोग	94,578.00
राज्य वित्त आयोग	90,947.00
	2,96,786.00

तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं पर विकास कार्य कराये गये हैं ।

शिकायत प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवां की ग्राम सभा पिपरा में आवंटित भूमि कब्जा दिलाये जाने की मांग

23–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पिपरा, तहसील सहजनवां, जनपद–गोरखपुर की भूमि गाटा सं०–23/3 में रकबा 05–05 जो भारती शस्त्र सेना में कार्यरत चौथी प्रसाद व राजेन्द्र प्रसाद को आवंटित है उक्त भूमि पर आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा० मंत्री रेशम एवं वस्त्रोद्योग का पत्र दिनांक 31-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद–बुलन्दशहर, तहसील शिकारपुर में कराये गये कार्यों के भुगतान की मांग

24–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-11-98 जो नवसृजित तहसील शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में कराये गये कार्यों के भुगतान के सम्बन्ध में था और जो उनके पत्रांक बी/858 दिनांक 26-11-98 द्वारा जिलाधिकारी बुलन्दशहर को भेजा गया था, उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की आख्यानुसार प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-11-98 के सम्बन्ध में प्रार्थी को बिल प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया तदुपरान्त दिनांक 01-2-2000 को रु० 49,489 तथा रु० 33,612 मात्र का बिल प्रस्तुत किया गया । उक्त बिलों के भुगतान की स्वीकृति एवं आदेश भी पारित किये गये किन्तु बजट आवंटन न होने के कारण उक्त भुगतान नहीं हो सका । राजस्व परिषद् की आख्या के अनुसार वर्ष 2000-2001 में जनपद बुलन्दशहर को रु० 1,78,200 तथा लघु निर्माण मद में रु० 84,000 का आवंटन किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत बिलों की धनराशि के अनुरूप राजस्व परिषद् द्वारा धनराशि विगत वर्ष में ही दी जा चुकी है । सम्प्रति जिलाधिकारी, बुलन्दशहर एवं राजस्व परिषद् से वस्तुस्थिति ज्ञात की जा रही है । शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की नवसृजित समस्त जिलों व तहसीलों के भवन निर्माण की जानकारी

25–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में नये जिलों एवं तहसीलों के सृजन की घोषणायें की गयी थी ? क्या नवसृजित समस्त जिलों व तहसीलों के लिये भवन निर्माण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त जिलों व तहसीलों के भवनों के निर्माण कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं जैसे-जैसे धन की उपलब्धता होती जायगी वैसे-वैसे निर्माण कार्य पूरे कराये जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हाथरस, ब्लाक सहपऊ की ग्राम सभा नगला बिहारी व नगला मौजी में गांव पंचायत गठित करने के सम्बन्ध में जानकारी

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पंचायती राज मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद–हाथरस के ब्लाक सहपऊ की ग्राम सभा नगला बिहारी का सीमांकन गलत करके ग्राम नगला मौजी से जोड़ दिया गया था ? क्या यह सच है कि ग्राम सभा मौजी खास की अपेक्षा ग्राम नगला बिहारी की जनसंख्या अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः नगला मौजी के स्थान पर नगला बिहारी के नाम सही गांव पंचायत गठित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नगला मौजी की जनसंख्या (942) से नगला बिहारी की जनसंख्या (716) कम होने के कारण ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील लालगंज में अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील दिवस के अवसर पर दिनांक 7 सितम्बर, 1999 को क्षेत्र पंचायत लालगंज में क्षेत्र पंचायत निधि से कराये गये अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अधूरे कार्यों को पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

अधूरे कार्यों को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार क्रमशः पूर्ण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा के प्रधान द्वारा विकास कार्यों हेतु आहरित धनराशि

28–श्री समरपाल सिंह

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा के प्रधान श्री बानेश्वर सिंह यादव द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2000 को दशम् वित्त की धनराशि वर्ष 1999–2000 में रुपये 1,58,000 विकास कार्यों हेतु आहरित की थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को प्रधान द्वारा विकास कार्य में न खर्च करके अपने निजी कार्यों में खर्च कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महोबा, ब्लाक पनवाड़ी के ग्राम विकास अधिकारी श्री बलवान सिंह की मृत्युपरान्त उनके आश्रित को सेवायोजित करने की मांग

29–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा, ब्लाक पनवाड़ी के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी स्व० श्री बलवान सिंह की मृत्यु दिनांक 29-11-99 को सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित पुत्र श्री विश्ववीर सिंह को नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित को सेवायोजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय सड़कों के निर्माण की मांग

30–श्री राजपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अतरौली जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आलीपुर अटेरना के मदीनपुर व बहरामगढ़ उर्फ कपूरगढ़ से मोहम्मदपुर राया सिंह सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

अलीपुर अटेरना से मदीनपुर तक सम्पर्क मार्ग का कार्य टापकोट स्तर तक पूर्ण है । लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है । कपूरगढ़ से मोहम्मदपुर राय सिंह सम्पर्क मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य नियमान्तर्गत प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरान्त कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सत्रकाल के समय नगरपालिका परिषद् एवं जिला पंचायतों की बैठक जिसमें विधायक एवं सांसद सदस्यों को बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि बार–बार इस पीठ से निर्देश दिये जाते हैं कि सत्र के दौरान कोई इस प्रकार की मीटिंग न हो जिनमें हम जन प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । लेकिन मान्यवर, स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी नगरपालिका परिषद् सहारनपुर में मीटिंग काल की है । मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों से भी अवगत कराया लेकिन फिर भी यह मीटिंग काल की गई है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में उनके बारे में कार्यवाही होनी चाहिए । यह बैठक निरस्त की जानी चाहिए । हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान ले लीजियेगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, एक कठिनाई हमारे सामने भी है, मैं उसका भी जिक्र कर दूँ । नगर पालिका परिषद् टाउन एरिया, जिला पंचायत में विधायकों के अलावा और भी सदस्य होते हैं, उनको वहाँ काम करने से वंचित रखा जाय सिर्फ इसलिये कि सत्र चल रहा है, यह ठीक नहीं है । कितने विधायकगण उसमें भाग लेते हैं, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं । केवल यह कहने के लिये कि हम भी उसके सदस्य हैं, मीटिंग न हो जायं । मान्यवर, आप विचार कर लें, निर्देश जो आप देंगे उसका अनुपालन होगा ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, कल ही सत्र खत्म हो रहा है । दो दिन बाद भी बैठक रखी जा सकती थी ।

श्री अध्यक्ष–

आज दलीय नेताओं की बैठक में इस पर भी विचार कर लेते हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, इस पीठ से कई बार निर्देश हो चुके हैं कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई जायेगी जिसमें इस सम्मानित सदन के सदस्य मेम्बर होते हैं, बैठक में भाग लेना अनिवार्य होता है । मान्यवर, 30-40 दिन ही तो सदन की बैठकें होती हैं, उसके अलावा मीटिंग बुला सकते हैं । कल ही सत्रावसान होने वाला है तब बुला लेते । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में जो कहा है, मान्यवर, पीठ से तो कई बार निर्देश हो चुके हैं, उनका पालन तो करना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष–

जिस बिन्दु की ओर संसदीय कार्य मंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट किया है वह भी महत्वपूर्ण बिन्दु है । नगर निगम और स्थानीय निकाय में भी सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनको भी उसका कार्य देखना है । माननीय विधायक भी उसके प्रतिनिधि हैं लेकिन जब वे यहां सदन के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं और कोई विशेष मीटिंग करनी है तो हम उनके बैठक करने के अधिकार को कहां तक सीमित कर सकते हैं, इस पर भी हम विचार कर लेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पहले की व्यवस्था में थोड़ा अन्तर आया है । यह सारी की सारी संवैधानिक बाडी हो गये हैं । उनका कहना है कि हम आपके बनाये कानून के तहत नहीं है । संवैधानिक अधिकार हमारा भी है । मान्यवर, इसको थोड़ा गंभीरता से देखना होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना ठीक है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा । ठीक है कि समय-समय पर निर्देश दिये हैं । इसकी संवैधानिक स्थिति और विधिक स्थिति पर विचार कर लेते हैं । निर्देश दिये गये हैं लेकिन वह एक संवैधानिक बाडी है । 73वें और 74वें संशोधन के बाद निकायों की स्थिति में परिवर्तन आया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि जैसा बताया गया कि नगर निगम और स्थानीय निकाय संवैधानिक बाडी हो गये हैं । हम भी संविधान के तहत और विधि के तहत ही उसके सदस्य हैं । हमको उसके अपने अधिकार से वंचित रखा जाय, यह भी उचित नहीं है । इस पर भी विचार कर लिया जाय, देख लिया जाय । कई सदस्य नगरीय क्षेत्र से आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र से आते हैं । कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए जिला पंचायत की बैठक होती है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जिस प्रकार से मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उससे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा उसमें सदस्य होने का कोई मतलब ही नहीं है हम उन बैठकों में जाते ही नहीं हैं जो ध्वनि निकलकर आई है ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसमें पूर्ण रूप से बात कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

ध्वनि तो जो मेरी है वही निकलती है ।

श्री अध्यक्ष–

सारे पहलुओं पर विचार कर लिया जाएगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह कहा गया कितना उपस्थित रहते हैं इसलिए मैंने कहा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आज तक उस बैठक में नहीं गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

हम साधारण विधायक हैं हमें क्षेत्र की चिन्ता करनी पड़ती है । मंत्री जी के तो इशारे से काम होते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

इनको उस बैठक में जाने के लिए अपमान लगता होगा । संविधान की धाराओं के अनुसार 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार नगरपालिका परिषद और क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में माननीय विधायक और सांसद सदस्य होते हैं उनको मत डालने का अधिकार है जब अधिकार मिला है तो अन्याय नहीं होना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम समस्यायें उन सदनों में न उठा सके । रोज-रोज तो वहां की बैठक होती नहीं है किसी एक दिन होती है तो इसको शनिवार को रखा जा सकता है अगर लगातार होती तो शनिवार को न होती जब साल भर में कभी बैठक होती है तो उसमें पूरे क्षेत्र की समस्या रखी जाती है, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि पर विचार होता है ।

श्री अध्यक्ष–

सभी पहलुओं पर विचार करने की अब आवश्यकता हो गई है ।

श्री लालजी वर्मा–

अगर सदन की बैठक चल रही है तो शनिवार या रविवार खाली रहते हैं इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं कि जब विधान सभा या लोक सभा की बैठक चल रही है तो शनिवार या इतवार को बैठक रखी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

निर्देश वह दिये जाने चाहिए जिसकी बाध्यता हो, जिस निर्देश की बाध्यता नहीं है जिस निर्देश का पालन सुनिश्चित न कर सकें उस पर पूर्णरूपेण विचार किया जायेगा । नेताओं की बैठक में विचार कर लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उन अधिनियमों को जिसके द्वारा नगरपालिका के कार्यो का संचालन होता है उसमें निर्देश देने का अधिकार है या नहीं इसमें सम्यक विचार करेंगे ।

प्रश्न के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न

श्री रामकुमार एडवोकेट–

मैंने 9–5–2001 को प्रश्न लगाया था अतारांकित प्रश्न इसमें कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि जिले से सूचना उपलब्ध न कराई जा सके इसमें कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

जहां सूचना एकत्र की जाती है वहां अपने आप स्थगित हो जाता है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31 मई 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं मे से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना गोमती यादव जी की है, यह अनुपस्थित हैं । दूसरी सूचना महेन्द्र कुमार सिंह जी की है । तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है । चौथी सूचना श्री लवकुश कुमार की है । पांचवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है यह अनुपस्थित हैं । छठीं सूचना श्री श्याम किशोर यादव की है यह अनुपस्थित हैं । सातवीं सूचना श्री विजयपाल सिंह की है । श्री महेन्द्र कुमार सिंह श्री संजय गर्ग, श्री लवकुश कुमार, श्री विजयपाल सिंह की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं । प्रतीक्षा सूची की पहली सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की है यह पढ़ी हुई मानी गई । दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है यह भी पढ़ी हुई मानी गई । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई उनके नाम निम्नवत् हैं श्री दीपलाल भारती, श्रीमती विजमा यादव आदि, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री भीम प्रसाद सोनकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम नरेश यादव, श्री अजय कुमार पोइया ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुईं मानी गईं)

जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र में रेउसा से तम्बौर के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू–

[महोदय, जनपद सीतापुर के बेहटा विधान सभा क्षेत्र रेउसा से तम्बौर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है जिससे क्षेत्र की जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त है ।

अतः शासन से उक्त सड़क को नये सिरे से बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ ।]

प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एक तरफ़ सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं, दूसरी तरफ पद न होते हुए फार्मेसिस्टों के पदों पर वर्ष 1997 व 1999 में सैकड़ों की तादाद में नियुक्तियां की गई हैं और सरकार का करोड़ों रुपये वेतन के रूप से आहरित किया जा रहा हैं । नियुक्तियाँ भी फर्जी की गई जैसे सामान्य अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति बनाकर पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के पासिंग डिप्लोमा में वर्ष बदलकर जैसे 1995–1996 को 1993–1994 करके की गई है । ऐसा ही नहीं विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न होते हुए फर्जी सर्टीफिकेट लगाकर नियुक्तियां की गई हैं । जिन पदों पर नियुक्तियां की गई हैं । सरकार ने फार्मोसिस्टो के 1361 पदों को उच्चीकृत कर चीफ फार्मासिस्टों के पदों का सृजन किया था और 1361 फार्मासिस्टों के पदों को समाप्त कर दिया था परन्तु विभाग ने उन रिक्त पदों को मानते हुए फार्मासिस्टों के पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं । आज सैकड़ों फार्मासिस्ट राज्य स्तर से वेतन प्राप्त कर रहे हैं ताकि नियुक्त कर्मचारियों का सही पता न चल सके । आज तीन वर्ष के अन्तराल में फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट की सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी सैकड़ों फार्मासिस्ट स्वीकृत पदों के विपरीत अधिक कार्य कर रहे हैं । उपरोक्त प्रकरण विभाग के प्रकाश में आया तो दो अभ्यर्थियों की जांच निदेशक भण्डार,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

स्वास्थ्य भवन से कराई गई जिसमें यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों प्रकरण फर्जी है और जांच अधिकारी द्वारा यह संस्तुति की गई संबंधित कर्मियों व अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय परन्तु विभाग ने अपने कारनामों को छुपाने के उद्देश्य से आज तक कोई भी कार्यवाही नही की है बल्कि उन्हें उससे अभी सीटों पर बैठकर फलने–फूलने दिया जा रहा है । उक्त प्रकरण को छुपाने के लिए सैकड़ों फार्मासिस्टों का वेतन राज्य स्तर से आहरित किया जा रहा है और अनेकों प्रकरण जांच हेतु लम्बित है । जिस पर जांच रोक दी गई है । यही नहीं इसी प्रकार की नियुक्तियां वर्ष 1998–99 में नर्सों की गई । प्रदेश में नर्सों के पद रिक्त नहीं थे बल्कि पदों के स्वीकृत न होने के कारण मानक के आधार पर सैकड़ों की तादाद में नियुक्ति की गई है । परन्तु यह प्रकरण आज तक दबाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार का पर्दा न खुल सके ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ ।]

लखनऊ कैन्ट के सदर बाजार स्थित प्रमुख चौराहे पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लवकुश कुमार–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ऐसा विषय उठाना चाहता हूँ जिससे आपको विदित होगा कि कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका का मखौल किस प्रकार से उड़ाया जाता है ।

लखनऊ कैण्ट के सदर बाजार स्थित प्रमुख चौराहे पर विशेषकर मकान सं० 1075, 1076 तथा 1077 के सामने खाली पड़े फुटपाथ पर चार पहिये के ठेले वालों द्वारा सामान्य तथा सायंकाल को अनाधिकृत रूप से किये गये नाजायज कब्जों को हटाने के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2001 पर न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) लखनऊ ने आदेश संख्या541/ए०सी०एम०(1)/2001, दिनांक 20 अप्रैल, 2001 द्वारा क्षेत्राधिकारी हजरतगंज, लखनऊ को आदेश पारित किया था कि उपरोक्त स्थान पर खड़े होने वाले ठेलों आदि को अतिशीघ्र हटवा दिया जाय । अपने आदेश दिनांक 20–4-2001 का अनुपालन न होने पर उक्त न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 4–5–2001 को आदेश संख्या 601/ए०सी०एम०(1)/2001 पारित किया गया कि उपरिसंदर्भित स्थान पर अनाधिकृत रूप से कब्जे किये गये ठेलों को हटाने के लिये क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ को आदेशित किया किन्तु खेद है कि क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा अभी तक न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों का किस प्रकार से मखौल उड़ाया जाता है ।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया प्रश्नगत विषय को शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । साथ ही दोषी अधिकारी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी जारी किये जाने का कष्ट करें ।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनवाने एवं कतिपय गांवो में मानक के अनुसार विद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में साक्षरता अभियान के तहत इसी चालू वित्तीय वर्ष मे 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद–आगरा में ऐसे भवन विहीन कई प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि पेड़ों के नीचे चलाये जा रहे हैं । जैसे विदरई, नौवरी इस प्रकार अन्य कई ग्रामों में पेड़ों के नीचे चलाये जा रहे हैं । इसी तरह कई ऐसे

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विद्यालय हैं जहां पर बच्चों की संख्या अधिक होने के बावजूद एक ही अध्यापक तैनात है ऐसे विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नही हो पा रहा है । शहरी क्षेत्रों मे आवासीय भत्ता मिलने के कारण पुरुष अध्यापक दसियों वर्षों से एक ही जगह तैनात जबकि नवनियुक्त महिला अध्यापिकाएं सुदूर ग्रामीणों क्षेत्रों से जहां आने जाने का समुचित साधन नहीं है तैनात किया गया है उक्त अध्यापिकाओं के समय से विद्यालय नहीं पहुँच पाती है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में मानक के अनुसार लालपुरा (बिहारी) वीलपुरा, गढ़ी जहान, बावरपुर, गुज्जा नन्दन गढ़ी मनेश, साय कापुरा, बक्शी का पुरा आदि ग्रामों में विद्यालय तक नहीं है । इसी प्रकार ऐसे कई ग्रमों में जहां तीन चार किमी० तक विद्यालय नहीं है उक्त ग्रामों के बच्चों को सुदूर पैदल चलकर जाना पड़ता है ।

अतः मैं विधान सभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अर्न्तगत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ ।]

जनपद एटा के सिद्धपुरा ड्रेन, मोहनपुर ड्रेन एवं समौड़ी ड्रेन में अनियमित रूप से की गई सफाई आदि कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[महोदय, निवेदन है कि जनपद एटा में जलभराव के कारण विकास, सिढपुरा, पटियाली सहावर आदि में गत वर्ष व्यापक महामारी फैलने से 137 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है । जलभराव को देखते हुए ड्रेनेज खण्ड एटा द्वारा भूमि सुधार द्वारा नालों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है । इस सफाई कार्य में ड्रेनेज खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा टेण्डरों में गम्भीर रूप से अनियमिततायें बरती जा रही हैं । ठेकेदारों एवं अभियन्ताओं द्वारा मिलीभगत से नियमों की अवहेलना करते हुए टेण्डरो को न कर फर्जी वर्क आर्डर बनाये जा रहे हैं । नालों की सफाई में किसी भी नाले में बरसाती पानी आने हेतु निकास नहीं छोड़े गये हैं । फलस्वरूप सफाई कार्य में निकाली गयी मिट्टी बरसात के फलस्वरूप पुनः नालों में ही आकर नालों को भर देगी तथा अगले वर्ष पुनः इनकी सफाई करानी पड़ेगी ।

आपसे निवेदन है कि लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सिढपुरा ड्रेन, मोहनपुर ड्रेन समौड़ी ड्रेन में हुए कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

राजकीय पालीटेक्निक से डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त अप्रेन्टिसशिप कर रहे शिशुक्षुओं को प्रतिमाह दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड की धनराशि बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से ज्वलंत अविलम्बनीय समस्या सदन के समक्ष लाते हुए त्वरित निदान की अपेक्षा करता हूं ।

राजकीय पालीटेक्निक से डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त अप्रेन्टिसशिप कर रहे शिशुक्षुओं को प्रतिमाह दी जाने वाली धनराशि रु० 1160 शिक्षित मजदूरों को प्रतिदिन दी जाने वाली धनराशि रु० 66 से बहुत ही कम है । इससे शिशुक्षुओं में असंतोष व्याप्त है । वह सारे दिन परिश्रम से कार्य करते हैं, इस प्रकार इनका शोषण हो रहा है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । इनको प्रतिमाह दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड की धनराशि को बढ़ाने पर विचार किया जाय ।

इस हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना श्रीमती सुमनलता सिंह की जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र सनहा, ब्लाक आलमपुर, जाफराबाद, तहसील आंवला तथा फरीदपुर में भू-माफियाओं द्वारा ग्राम समाज एवं भूमिधरों की भूमि हड़प लिये जाने एवं उसके विरुद्ध आवाज उठाने के फलस्वरूप जानमाल की धमकी के सम्बन्ध में है । मैं इस सूचना को नियम–56 के बाद सुन लूंगा । दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद तथा तीसरी डा० आशोक बाजपेयी व कुंवर रेवतीरमण सिंह की प्रत्येक माह में 10 दिन का अधिवेशन बुलाये जाने के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में नियम समिति ने प्रतिवेदन 18 मई, 2001 को प्रस्तुत कर दिया था और वह कार्यसूची में भी था ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, प्रस्ताव तो नहीं आया है । आपने यह कहा था कि विधान सभा में विचार करके तद्नुसार संशोधन कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

वह आ जायेगा । 14 दिन के उपरान्त वह नियम बन जाता है ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

तो यह सदन यह आश्वस्त रहे कि प्रत्येक दो माह में 10 दिन का अधिवेशन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

तेरहवीं विधान सभा के दो-तीन सत्र और होंगे ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियमानुसार 14 दिन में अधिनियम बन जायेगा । नियमावली सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है । तो हम दो महीने में दस दिन का कार्यक्रम बना लें ।

श्री अध्यक्ष–

घड़ी की सुई की तरह न तय करें । एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है । लगभग दो महीने में होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह लगभग शब्द हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री विनोद मणि जी की पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि के वितरण में असमानता के सम्बन्ध में है । इस पर हम विचार करने जा रहे हैं ।

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरे न होने के कारण गेहूं खरीद में उत्पन्न बाधा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना श्री राम ललित चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री राम अचल राजभर की गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरे न होने के कारण गेहूं खरीद में बाधा के सम्बन्ध में है । यह नियम–300 में कैसे आती है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 167 देखें । उसमें यह है कि मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन वह अनुच्छेद जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है वह तो नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की तरफ से कल इस बात पर सदन को आश्वस्त किया गया था कि गेहूं खरीद प्रत्येक केन्द्र पर जारी रहेगी और बाहर भी माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि जब तक बाजार भाव 620 रुपया नहीं हो जायेगा तब तक गेहूं खरीद जारी रहेगी । इसलिए इसे उठाना पड़ा । सरकार की तरफ से इस बात को कहा जाता है और यह विधान सभा की कार्यवाही में है ।

श्री अध्यक्ष–

किसी घोषणा का अनुपालन नहीं हो रहा है तो इससे सदन का कार्य विनियमित नहीं होता है । यह नियम–300 में नहीं आता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कल अम्मार रिज़वी जी ने नियम–56 में सूचना दी और उस सूचना के जवाब में सरकार की तरफ से यह कहा गया कि प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की जायेगी और मान्यवर, 610 रुपये में खरीदा जायेगा । यह विधान सभा की कार्यवाही में है और इस सदन की सम्पत्ति बन चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–300 में नहीं आता है । जब बोरे उपलब्ध नहीं हैं तो यह विधान सभा की कार्यवाही इससे कहां विनियमित होती है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह संदेश तो पूरे प्रदेश भर में गया कि उत्तर प्रदेश की सारी जगहों पर किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है और आज यह कहकर कि सभी क्रय केन्द्रों पर बोरे उपलब्ध नहीं है किसानों के ट्रैक्टर और ट्रालियां पचासों की संख्या में खड़ी हुई है, कहीं पर गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऊंचाहार ब्लाक में तीन गेहूं केन्द्र खुले हैं जिसमें दो पर 15 दिनों से खरीद इसलिए नहीं हो रही है कि वहां पर बोरे नहीं हैं केवल तीन में एक चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार द्वारा गेहूं खरीदने का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है यह सरासर अन्याय है किसानों के साथ । लेकिन व्यवहारिक रूप में कहीं पर भी खरीद नहीं की जा रही है, किसानों को वापस किया जा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आपकी बात आ गयी यह नियम–300 में नहीं आती है ।

(व्यवधान)

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में न बोरा दिया जा रहा है और न पैसा ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, यह जो गेहूं खरीद योजना है मेरे यहां भी किसान परेशान है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं नहीं लिया जा रहा है किसानों को झूठा आश्वासन देकर यहां पर ढपोरशंखी घोषणा करके सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ नारा लगाते हुए सदन का त्याग किया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य, श्री काशीराम, श्री भीम प्रसाद सोनकर की–जनपद रामपुर के विधायक श्री काशीराम के साथ पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा की गयी अभद्रता की जांच अभी तक न कराये जाने के सम्बन्ध में है । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

अगली सूचना श्री शिव सिंह चक की ग्राम व पो० अलाउद्दीनपुर जिला अम्बेडकर नगर निवासी श्री संजय श्रीवास्तव द्वारा अवैध निर्माण कर रास्ता बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में है यह नियम 300 में नहीं आती है माननीय सदस्य कृपया नियम 300 पढ़ लिया करें ।

अगली सूचना श्री राम नक्षत्र की श्री राम आसरे वर्मा पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा पर दिनांक 24 तथा 28 मई, 2001 को हुए हमले के सम्बन्ध में । यह नियम 300 में नहीं आती है मैं इसे निरस्त कर रहा हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 31 मार्च, 2000 की राजस्व प्राप्तियां तथा वाणिज्यिक प्रतिवेदन †

* वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, "राजस्व प्राप्तियां" तथा "वाणिज्यिक" उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली 2001††

* संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबूराम एम०काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या क०नि०2/636/ग्यारह–9–(81)91, उत्तर प्रदेश अधि०–12–2000–नियम–1999–(15) दिनांक 26 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली, 2001 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क की उपधारा –(1) के अधीन तथा विज्ञप्ति संख्या–क०नि० 2–306/ग्यारह–9(113)/99–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(8)–2001, दिनांक 29 जनवरी, 2001 को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा–(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (दसवां संशोधन) नियमावली 1999††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–6 की विज्ञप्ति संख्या 338/11–क०सं० वि०–6–99– बीस–आर–(5)–94, दिनांक 16 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (दसवां संशोधन) नियमावली, 1999 को, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अधीन, विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1995

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1995 को, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12(7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 का तीसवां एवं इकतीसवां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण †††

कृषि राज्य मंत्री (श्री विवेक कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 का तीसवां एवं 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 2001 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मई, 2001 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 मई, 2001 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†† छापी नहीं गयी।

††† छापा नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का पंचम प्रतिवेदन †

* श्री शिव बहादुर सक्सेना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति, उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2000-2001) का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का द्वितीय प्रतिवेदन †

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सभापति लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–2), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) में उल्लिखित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का तृतीय प्रतिवेदन †

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सभापति लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–3), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) में उल्लिखित शिक्षा (प्राथमिक) विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आड़िट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 और मद संख्या–14 में कुछ नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य, स० वि० स०, द्वारा निवेश संख्या 165-166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से श्री राम औतार शाक्य माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा....

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

यह पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

---

† छापे नहीं गये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

[श्री राम औतार शाक्य, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा मार्च, 1999 में विधान सभा में नियम–56 के अन्तर्गत एक अज्ञात महिला की सिर कटी लाश पाये जाने के सम्बन्ध में, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग की गयी थी । इस सम्बन्ध में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी श्री राम सिंह द्वारा दिनांक 8-3-99 को दी गयी सूचना के आधार पर सदन में यह उत्तर दिया गया था कि एक बोरे में सुअर की लाश पायी गयी थी और महिला की लाश नहीं पायी गयी थी । उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि किशनपुर गढ़िया, थाना–बेवर, जिला-मैनपुरी में कोई लाश नहीं पायी गयी थी । शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन से जांच करायी गयी, जिन्होंने तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री अभय सिंह को तत्काल निलम्बित किये जाने और प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी श्री राम सिंह को स्वयं करने के आदेश दिये थे । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा अभय सिंह को अपने आदेश दिनांक 4-4-99 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12-4-99 को पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन को प्रेषित की, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि ग्राम किशनपुर गढ़िया, थाना–बेवर में लाश मिलने की बात पूरी तरह बेबुनियाद पायी गयी है । श्री अभय सिंह ने अपने निलम्बन के विरुद्ध दिनांक 17-4-99 को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए । तदोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन की संस्तुति पर शासन द्वारा इस प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

2–इसी बीच एक श्रीमती लीना कुमारी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी के न्यायालय में दिनांक 10-3-99 को आवेदन देते हुए यह कहा गया कि जो लाश ग्राम-किशनपुर गढ़िया के पास बम्बे में देखी गयी थी, वह उसकी छोटी बहन बीना कुमारी की है और ग्राम मोटा के कुंवर पाल सिंह द्वारा बीना कुमारी के साथ बलात्कार कर, उसकी हत्या कर दी गयी थी और उसकी लाश बहा दी गयी थी । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन-पत्र पर दिये गये आदेश के अनुपालन में थाना–भोगांव, जनपद–मैनपुरी पर अभियोग मु०अ०सं०–124/99 पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोग के अतिरिक्त श्रीमती लीना कुमारी द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर एक अभियोग मु०अ०सं०–291/99 थाना–कोतवाली मैनपुरी पर पंजीकृत किया गया ।

3–अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में अज्ञात महिला की नग्न लाश, जिसका माथे से सिर कटा हाथ कटे, जवान उम्र की, बम्बे/नहर में जो आलीपुर खेरा, जलालपुर के पास से निकल कर भैसरौली हसनपुर होते हुए थाना–क्षेत्र बेवर के गांव सील बन्द व किशनपुर गढ़िया तक जाता है, में थाना क्षेत्र भोगांव व बेवर की तरफ से बह कर आयी थी और इस अज्ञात महिला की लाश को ग्राम-भैसरौली के पास बम्बे के पानी में अटकते-अटकते बहते हुए ग्राम–भैसरौली के ग्रामीणों ने व उक्त गांव के चौकीदार ने देखा । उक्त लाश को ग्राम–हसनपुर सील बन्द आदि के ग्रामीणों द्वारा भी बम्बे में बहता हुआ देखा गया था । अपराध शाखा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि किसी लीना कुमारी एवं बीना कुमार नामक महिलाओं का माह फरवरी, 99 में उक्त क्षेत्र में आना-जाना नहीं पाया गया और उक्त अज्ञात महिला की लाश कथित लीना कुमारी की बहन बीना कुमारी की नहीं है ।

4–अपराध शाखा ने अपनी आख्या में श्री नरेश चन्द्र त्यागी, प्रभारी निरीक्षक, श्री रमेश चन्द्र भदौरिया, मुख्य आरक्षी थाना–भोगांव कां० मुनीश, कां० वीरेन्द्र कुमार, कां० उमेश चन्द्र, चौकी मोटा थाना–भोगांव एस० आई ऐशवीर सिंह, ए० एस० आई०/एच० सी० पी० कुंवर पाल सिंह एवं कां० जय प्रकाश के विरुद्ध धारा 193/196/201/217/218 भा०दं०वि० का अभियोग अलग से पंजीकृत कराकर

नोट :–[ ] यह अश पढ़ा हुआ माना गया ।

विवेचना कराये जाने की संस्तुति की । अपराध शाखा में यह भी कहा है कि विवेचना के उपरान्त थाना–भोगांव जनपद मैनपुरी पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मु० अ० सं०-274/2001 अन्तर्गत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत कराकर, विवेचना की जा रही है और श्री अभय सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर के कृत्य/अकृत्य आचरण के सम्बन्ध में भी, इसी विवेचना के दौरान अग्रिम जांच कराकर तदुपरान्त संस्तुति की जायेगी । अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की गयी संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं । वादी के रूप में श्रीमती लीना कुमारी द्वारा पंजीकृत कराये गये दोनों अभियोगों मु०अ०सं०-124/99 थाना भोगांव एवं मु०अ० सं०-291/99 थाना कोतवाली मैनपुरी की भी विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा करायी जा रही है ।

श्री राम सिंह तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा सही व निष्पक्ष जांच न करके एवं तथ्यों को छिपाने हेतु अपने दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है और उन्हें आरोप-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं ।

मान्यवर, आपने वक्तव्य में पढ़ा होगा इसमें है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा श्री अभय सिंह को अपने आदेश दिनांक 4-4-99 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12-4-99 को पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन को प्रेषित की, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि ग्राम किशनपुर गढ़िया, थाना–बेवर में लाश मिलने की बात पूरी तरह बेबुनियाद पायी गयी है । उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो सूचना दी थी, सदन को सूचना आई थी उसमें गुमराह किया गया था, इन्सान की लाश को सुअर की लाश बताया और दूसरी बार जांच करके जो आख्या प्रेषित की उसमें लाश का पाया जाना निराधार बताया इससे स्पष्ट है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तथ्यों को छिपाने का कार्य किया है और सदन को गुमराह करने का काम किया है । मान्यवर, श्री रामसिंह तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा सही व निष्पक्ष जांच न करके एवं तथ्यों को छिपाने हेतु अपने दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में उन्हें निन्दा प्रविष्ट दी जा रही है और उन्हें आरोप-पत्र दिया जा रहा है कि क्यों न आपके खिलाफ निन्दा प्रविष्टि दी जाए ।

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना को छिपाने का जिस व्यक्ति ने काम किया है जिसको जांच की जिम्मेदारी दी गयी है मैं जानना चाहता हूं कि परिनिन्दा प्रविष्टि दिया जाना निश्चित रूप से जो सदन का भाव है, जो सदन ने चिन्ता व्यक्त की है उसका घोर अपमान है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह तथ्य आ जाने के बाद क्या तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निलम्बित करने की घोषणा सदन में करने की कृपा करेंगे ?

डा० वकार अहमद शाह–

उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई और यहां यह कहा गया कि क्या सुअर के साथ बलात्कार हो सकता है, इससे सदन की अवमानना हुई है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर दी थी, वह रिपोर्ट गलत पाई गई और गलत पाये जाने के कारण उनको निलम्बित किया गया । इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का सुपरवाइजरी रोल था, उनको परीक्षण कर लेना चाहिये था । चूंकि उनके सुपरवाइजरी रोल में कमी पाई गई, इसलिये उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि की बात कही गई ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अभय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच आख्या प्रस्तुत की, वह तो अभय सिंह को निलम्बित करने के बाद प्रस्तुत है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो सकती । यह तो निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत दिया गया शोधन वक्तव्य है । त्रुटि थी, उसको संशोधन कर दिया और शोधन वक्तव्य दे दिया, इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है । अगर उस दिन शोधन वक्तव्य आया होता तो भी हम स्पष्टीकरण चाहते ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

उस दिन राम औतार शाक्य जी ने पूरी बात यहां बताई, तो यह कहा गया कि आपको इन्सान और सुअर की लाश में कोई अन्तर नहीं लगता । आज जो शोधन वक्तव्य यहां आया है, उस पर संसदीय कार्य मंत्री स्वयं गम्भीर नहीं हैं । जिन लोगों ने सदन को गुमराह किया है, उन पर तो सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, उनको यहां तलब किया जाय और आपके सामने आना चाहिये । उनको जानकारी होनी चाहिये कि अध्यक्ष, विधान सभा का कितना गरिमापूर्ण स्थान है और आपको उन्हें यहां बुलाकर, संज्ञान लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करानी चाहिये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वह कोई व्यक्ति विशेष के लिये नहीं, बल्कि पूरे सदन के लिये दोषी हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी थी । मैं यह कह रहा हूं कि निलम्बित किये जाने के बाद जो 12-4-99 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी जो रिपोर्ट प्रेषित की है, वह फिर जांच करने के बाद की है और उसमें भी कहा कि कोई लाश नहीं पाई गई । यह सदन को गुमराह करने का कार्य किया गया है, इसलिये वह सदन के प्रति दोषी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर इस सदन में सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता । यदि हम लोग इस तरह के लोगों को तलब कर दण्ड देने की अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभायेंगे । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सदन में मुलिजम की तरह प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप विशेषाधिकार हनन की सूचना दे सकते हैं । शोधन वक्तव्य तो आ गया, आप किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं । आपकी भावनाओं से यह सदन अवगत हो गया, मैं अवगत हो गया, संसदीय कार्य मंत्री अवगत हो गये, अब सदन तो नियमानुसार ही इस पर कार्यवाही करेगा । आप किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत सूचना दे दीजिये ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जिसको दण्डित होना चाहिये, वह संसदीय कार्य मंत्री के जिले में है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सदन के संज्ञान में पूरी घटना हो, तो अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये निवेदन है कि आप इस पर विचार कर लें ऐसे लोगों को सदन में बुलाकर दण्ड देने की व्यवस्था करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, विचार कर लूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जितना प्रकरण है, उसके अनुकूल ही बात रहे, तो उचित होगा । शोधन वक्तव्य आ गया है । अब हर एक को ढूंढकर सदन में मार्च कराने की बात कहां तक हो पायेगी ?

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

तथ्य संशोधित होकर आ गये हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सदन का सबसे बड़ा महत्व है कि यहां सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, हमें बोलने का अपनी बात कहने का अवसर मिला है उससे तो वंचित न करें । मान्यवर, जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हमने बात कही, उसके बाद मैंने फिर जांच करायी और वह रिपोर्ट गलत निकली, आई० जी० से जांच करायी गयी और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत थी, सुअर की लाश नहीं थी, उसके आधार पर इंस्पेक्टर को निलम्बित करने के आदेश हुए । जो रिपोर्ट आई थी वह रिपोर्ट थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर आई थी, वह हमारे पास आई थी, सदन में नहीं आई थी और मैंने उस रिपोर्ट के आधार पर कहा था । मान्यवर, जिस आदमी का सुपरवाइजरी रोल था उसको भी मैंने नहीं बक्शा, यह उसके कैरियर को चौपट करने वाली बात है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस दिन जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे थे, मैं भी मौजूद था और सम्भवतः आप भी मौजूद थे, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जिले से सूचना आती है उसी के आधार पर जवाब दिया जाता है, इसलिए यह संशोधन वक्तव्य आया और उस दिन बड़े व्यंग्य से संसदीय कार्य मंत्री ने राम औतार शाक्य से कहा था कि इनको सुअर और औरत की लाश में कोई फर्क नहीं है, मंत्री जी आज दूसरी बात कह रहे हैं उसे निलम्बित कर दिया गया है और उसके खिलाफ प्रविष्टि दे दी गयी है । मान्यवर, मुझे सुनिश्चित जानकारी है कि प्रविष्टि देने के बाद भी वह एस० पी० बना हुआ है, दूसरे जिले में है । पहले एक जिले में एस० पी० था अब दूसरे जिले में एस० पी० बन गया, निन्दा प्रविष्टि से क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

इससे पदोन्नति और वार्षिक इन्क्रीमेंट में दिक्कत आयेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, किसी भी अफसर को निन्दा प्रविष्टि मिल जाए तो उसे दूसरे जिले का चार्ज नहीं मिलना चाहिए तो मैं आग्रह करूंगा कि खाली निन्दा प्रविष्टि देकर केवल अपनी जान छुड़ाने का काम न करें, पूरा सदन चाहता है कि उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री स्व[illegible]साद मौर्य–

[illegible]मनीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं और बहुत ही सूक्ष्म आपसे दो बातें कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आवश्यकता नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आवश्यकता क्यों है यही तो बताना चाहता हूं । सीधे-सीधे मान्यवर, एक तो शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन से जांच करायी गयी जिन्होंने तत्कालीन थानाध्यक्ष अभय सिंह को निलम्बित किये जाने के आदेश दिये । मान्यवर, एक गलती के लिए थानाध्याक्ष को निलम्बित किया जा रहा है और उसी गलती के लिये, जबकि दोबारा जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया था, मान्यवर, एक गलती के लिये एक को निलम्बित किया जा रहा है और वही गलती जब दूसरा कर रहा है तो उसे निन्दा प्रविष्टि दी जा रही है । मान्यवर, एक ही अपराध करने वाले को अलग-अलग सजा का प्राविधान नहीं है । मान्यवर, मै आपका संरक्षण चाहूंगा कि जिस गलती के लिए एस०ओ०/थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया तो उसी गलती के लिए पुलिस अधीक्षक को भी निलम्बित किया जाना चाहिए क्योंकि अपराध दोनों का समान है । इन्हीं दोनों की गलत बयानी पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी जिस प्रकार सदन को बयान दिए थे उससे सदन की गरिमा गिरती है और संसदीय कार्य मंत्री की प्रतिष्ठा पर उंगली मात्र इसलिए उठ रही है । मैं चाहता हूं कि आप अपना संरक्षण देते हुए इस पर कोई ऐसा निर्णय दें जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का गलत बयान कोई भी अधिकारी न दे ।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, आपकी बात आ गयी, कृपया बैठिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अगर एक मिनट इजाजत दें तो तथ्य के ऊपर नहीं सदन की गरिमा के ऊपर दो बातें कहना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज जो बैठक है उसमें सदन की गरिमा पर बात करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सदन के प्रति कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, मंत्रि-परिषद् उत्तरदायी है जिसका संविधान और नियमावली में प्राविधान किया गया है यहां जो भी जवाब आता है वह मंत्री देता है वह सरकार का जवाब होता है । ऐसा नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री जी की दृष्टि उत्तर प्रदेश भर में है जिससे हर काम को देख रहे हैं । उन्हें जो फीड़बैक प्रशासन से, अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलता है उसी के अनुरूप मंत्री जी जवाब देते हैं । आज वह कितने गम्भीर हैं । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मुझसे भूल हो गयी और सदन को दी गयी सूचना सही नहीं थी । जब सही जानकारी मिली तो उन्होंने शोधन वक्तव्य दिया । ....

श्री अध्यक्ष–

यह तो नई परम्परा पड़ रही है, शोधन वक्तव्य पर चर्चा हो रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिसने गलत सूचना दी, मंत्री जी कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह तो ये जाने । मान्यवर, सदन में आपने भी चिन्ता व्यक्त की थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की थी और कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि माननीय सदस्यों की अभिरुचि कम होती जा रही है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं और आये दिन रोज यही हालत हो रही है । 20 सवाल तारांकित

लगने चाहिए लेकिन अब 3-4 से ज्यादा नहीं लग रहे हैं । अगर सदन में इस तरह की बात की जायेगी तो कौन माननीय सदस्य सवाल लगायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो आज आयी, सवाल तो पहले से ही नहीं पूछा जा रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदन में जो सूचना दी गयी गलत सूचना/ तथ्य से परे सूचना दी गयी । महिला की लाश को सुअर की लाश बताया । पहले तथ्य गलत था उसका शोधन वक्तव्य आ गया लेकिन जो परिपाटी डाल रहे हैं वह ठीक नहीं है । इससे इस संस्था के प्रति न सदस्यों की रुचि रह जायेगी न संस्था का सम्मान रहेगा । मान्यवर, यदि आप गम्भीर नहीं होंगे तो सवाल भी कोई नहीं पूछेगा । सुअर और आदमी की लाश में फर्क नहीं कर पायेंगे और कोई कार्यवाही नहीं कर पायेंगे तो निश्चित तौर पर सदन की गरिमा गिरेगी जिसे न हम रोक पायेंगे न आप रोक पायेंगे ।

दिनांक 6 जुलाई, 1998 को श्री राम औतार शाक्य द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–85 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से सम्बन्धित शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तृतीय सत्र 1998 के तृतीय सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1998 को श्री राम औतार शाक्य, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये ।

(पढ़ा हुआ माना गया शोधन वक्तव्य निम्नलिखित है ।)

[विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–165/166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में शोधन वक्तव्य ।

प्रश्न	दिनांक 6-7-98 को दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
85–क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध सं०–123/98 थाना–किशनी जनपद–मैनपुरी में वांछित अभियुक्तों से अधिक लम्बा अपराधिक इतिहास अपराध सं०–171/98, 172/98, थाना बेवर, जनपद–मैनपुरी में नामित/वांछित अभियुक्तों का है ।	अपराध सं०–123/98 थाना–किशनी, मैनपुरी के वांछित अभियुक्तों से अपराध सं०–171/98, 172/98 में नामित/वांछित अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास लम्बा है ।	जी हां ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्न	दिनांक 6-7-99 को दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
यदि हां, तो वाद के दोनों केसों के अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास का विवरण क्या है और उनके विरुद्ध श्री आशुतोष पाण्डे, एस०एस०पी० मैनपुरी ने गिरफ्तारी/गैंगस्टर व एन०एस०ए० की कार्यवाही क्यों नहीं की ?	अ०सं०–171/98 में नामित अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई एवं अं०सं० 172/98 में शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई हैं जिनके विरुद्ध 49 देवेन्द्र उर्फ करूआ के विरुद्ध 10, जितेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध 9, सुरेन्द्र के विरुद्ध–16, जनेश के विरुद्ध–2 एवं टीटू के विरुद्ध–6 अभियोग पंजीकृत हैं । उक्त दोनों अभियुक्तों में नामित अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध वर्ष 1996 में अ०सं०–379/96 धारा गैंगस्टर ऐक्ट, वर्ष 1997 में अ०सं०–365/97 धारा गुण्डा ऐक्ट तथा अ०सं०/567/97 धारा 110 सी०आर०पी०सी० में चालान किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना के समुचित साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी की जायेगी । अभियुक्त शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई का सगा भाई उपदेश सिंह उर्फ खलीफा जो माफिया गैंग का सरगना है अपराध सं०–59/98 धारा एन०एस०ए० थाना–बेवर, मैनपुरी से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध है ।	वाद के दोनों केसों के अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास निम्नवत् है :– 1–शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध–49 2–सुरेन्द्र के विरुद्ध–16 3–संतोष उर्फ भूरा के विरुद्ध–15 4–देवेन्द्र उर्फ करूआ के विरुद्ध–10 5–जितेन्द्र उर्फ भल्लू के विरुद्ध–9 6–टीटू के विरुद्ध–6 7–जनेश के विरुद्ध–2 उक्त दोनों अभियोगों में नामित अभियुक्त में शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई के विरुद्ध वर्ष 1996 में अ०सं०–379/96 धारा गैंगस्टर ऐक्ट वर्ष 1997 में अं०सं०–365/97 धारा गुण्डा ऐक्ट तथा अ०सं०–567/97 धारा में 110 सी०आर०पी०सी० में चालान किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । चूंकि इस संबंध में उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में हो गयी थी इसलिए पुनः यही कार्यवाही दोहराना उचित नहीं समझा गया । एन०एस०ए० लगाने हेतु कोई लोक व्यवस्था की अत्यन्त गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।
क्या यह सही है कि अपराध सं०–549/98 थाना कोतवाली, मैनपुरी के केस की घटना जिला कारागार मैनपुरी में की गयी ?	जी हां ।	जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न	दिनांक 6-7-98 को दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा कायमी के बाद अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	इस अभियोग में उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, प्रेमलाल सिंह, पिंकी दुबे, करूआ उर्फ देवेन्द्र, भल्लू उर्फ विजेन्द्र अभियुक्त हैं । इनमें उपदेश सिंह उर्फ खलीफा अ०सं०-59/98 धारा एन०एस०ए० थाना बेवर, मैनपुरी से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध हैं । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।	इस अभियोग में उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, प्रेमलाल सिंह, पिंकी दुबे, करुआ उर्फ देवेन्द्र, भल्लू उर्फ जितेन्द्र अभियुक्त हैं । इनमें उपदेश सिंह उर्फ खलीफा अ०सं०–59/98 धारा एन०एस०ए० थाना बेवर, मैनपुरी से जिला कारागार, आगरा में निरुद्ध हैं । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

2–जहां तक पूर्व में उक्त प्रश्न के उत्तर में गलत सूचना देने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का उल्लेख किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि अभियुक्तों के संबंध में दी गयी संख्या में हुई त्रुटि के लिए संबंधित दो कर्मचारियों को भविष्य में सतर्क रहने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा एक कर्मचारी को भविष्य में विशेष सतर्क रहने के लिए उसकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी गयी है । श्री आशुतोष पाण्डेय, तत्कालीन एस०एस०पी० मैनपुरी को प्रश्नगत प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया है ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप इसको देखिये जैसा उत्तर अभी पहले दिया गया था उसी तरह का उत्तर इसमें भी दिया गया है । कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

इस उत्तर के बाद अगर किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो संसदीय कार्य मंत्री जी उसे देख लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, रोज शोधन वक्तव्य आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

शोधन वक्तव्य आ गया है । अगर आप इसको उठाना चाहते हैं तो उस नियम में आप सूचना दीजिएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उसके खिलाफ कार्यवाही न करके आप निन्दा प्रविष्टि देकर अपना काम खत्म कर ले यह उपयुक्त न होगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस प्रकरण पर आपको गम्भीर होना पड़ेगा और अगर सरकार की तरह यह पीठ भी हमारी बातें सुनकर अनसुनी कर देगी तो फिर हम लोग कहां जायेंगे, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर प्रकरण है लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं और जो लोग यहां पर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए जिससे पुनः इस घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले वाले प्रकरण में कहा है कि मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001†

*राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैं राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001††

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मैं भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(श्रीमती सुमनलता के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुमनलता जी आप अनुपस्थित थीं इसलिए मैं आपकी सूचना नियम–56 के बाद ले लूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31 मई, 2001 को नियम–56 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । श्री विनोदमणि, श्री रामविशुन आजाद, श्री मो० मुकीम, डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, चौधरी

---

† दिनांक 4-6-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक 4-6-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाबूलाल, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री लालजी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम कुमार एडवोकेट हैं । पहली सूचना श्री विनोदमणि की है ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग में हज यात्रियों से प्राप्त होने वाली धनराशि 18 करोड़ 75 लाख है । इस धनराशि को एक नान शेड्यूल बैंक जिसका नाम इण्डियन मर्केण्टाइल को-आपरेटिव बैंक है उसके चालू खाते में खाता संख्या 31/20 के अन्तर्गत जमा की गयी है । हज समिति के अध्यक्ष मा० मंत्री होते हैं जिन्होंने 25-7-98 को सचिव द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और यह धनराशि बचत खाते के बजाय चालू खाते में जमा कर दी गयी है जिससे ब्याज का नुकसान हुआ है । मान्यवर, इसके पहले पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी ने इस सम्बन्ध में आदेश दिया था कि बचत खाते में जमा होने वाली धनराशि को चालू खाते में जमा करने का दायित्व किस पर है और इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है उससे अवगत कराया जाये । इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने 14-9-2000 को उस धनराशि को पुनः बचत खाते में जमा करने का आदेश दिया और लिखा कि इसका उत्तरदायित्व किन पर है इसकी जांच किया जाये । मान्यवर, इस संबंध में सचिव राज्य हज समिति के बारे में और अध्यक्ष राज्य हज समिति के बारे में 5-10-2000 को सचिव (वित्त) ने लिखा कि सचिव, राज्य हज समिति के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और उन्होंने यह भी कहा कि 15 करोड़ 85 लाख रुपया इंडियन मर्केण्टाइल बैंक, कैंट, लखनऊ में जमा करके बैंक को लाभ पहुंचाया गया तथा ब्याज की हानि कराई गयी । सचिव ने अपनी आख्या में यह भी कहा है कि जहां तक अध्यक्ष राज्य हज समिति के निर्णय का प्रश्न है, वह इस विभाग के माननीय मंत्री हैं जिनके बारे में मेरे द्वारा कोई संस्तुति दिया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है ।

मान्यवर, इस मामले में 10-12-2000 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अध्यक्ष राज्य हज समिति को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि–

"मेरे संज्ञान में लाया गया है कि हज यात्रियों से प्राप्त होने वाली धनराशि (लगभग 18.85) करोड़ को सचिव, राज्य हज समिति के प्रस्ताव पर आप द्वारा इंडियन मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक में चालू खाते में जमा कराने के आदेश दिये गये हैं । यह बैंक शिड्यूल्ड बैंक नहीं है और उक्त धनराशि बचत खाते में जमा करायी जानी चाहिए थी । इस प्रकार राज्य हज समिति को मिलने वाली ब्याज की काफी बड़ी धनराशि की हानि हुयी है । मैं चाहूंगा कि कृपया इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।"

मान्यवर, आप चाहेंगे तो यह पत्र मैं आपको दे दूंगा । मान्यवर, यह जो 18 करोड़ रुपया जमा किया गया है यह एक जाति और एक संप्रदाय का पैसा था । लेकिन सचिव और माननीय मंत्री जी ने बैंक को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी धनराशि को चालू खाते में जमा कर दिया । ब्याज को कमीशन के रूप में माननीय मंत्री जी ने और सचिव ने ले लिया । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता आपकी नीति और नीयत है तो यह सबूत हम आपको दे रहे हैं और इसके आधार पर मांग करते हैं कि इसमें जो शामिल हैं, वित्तीय अनियमितता में जो मंत्री शामिल हैं उनको बर्खास्त करने की घोषणा करें । इसके अलावा जो-जो अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें अगर इन सबूतों को जिनको मैंने बताया है, सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो मैं यह मानकर चलूंगा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये लोगों को संरक्षण देना चाहती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह तात्कालिक है ?

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, 3 महीने पहले रिपोर्ट आयी है ।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह प्रकरण शासन के संज्ञान में पूर्व से है । इसकी जांच करायी है और जो जांच में दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । ऐसा नहीं है कि माननीय विनोद मणि की सूचना के बाद शासन के संज्ञान में यह मामला आया है । पहले से ही इस प्रकरण पर कार्यवाही चल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विनोद मणि और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री विनोद मणि–

माननीय सचिव, मुस्लिम वक्फ विभाग का दायित्व फिक्स करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है और उसमें साफ-साफ लिखा है कि सचिव और अध्यक्ष दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं । इसके अध्यक्ष मंत्री होते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

* श्री कौकब हमीद–

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय राम विशुन आजाद की है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आज विश्व तम्बाकू दिवस है आज देखा जाय तो पान मसाला, गुटखा, पान पराग, सिगरेट, बीड़ी का व्यसन बढ़ता जा रहा है और इनके प्रयोग से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । लाखों लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो रही है । आज देश में 20–30 प्रतिशत लोग बीड़ी, पान मसाला आदि का प्रयोग करते हैं । 19 प्रतिशत लोग सिगरेट पीते हैं और 81 प्रतिशत लोग बीड़ी पीते हैं और तम्बाकू आदि का सेवन करते हैं । भारत में प्रतिदिन 2 हजार 200 लोग तम्बाकू के सेवन से मरते हैं । इन चीजों के सेवन करने से दमा, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं । आज देश में 4 लाख लोग कैंसर के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश में 38500 लोग प्रतिवर्ष तम्बाकू के सेवन से कैंसर से मरते हैं । देश में 11 लाख लोग दिल के मरीज हैं । 9 लाख 25 हजार लोग फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं । इस तरह से देखा जाय तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य अंधकार मय हो रहा है । केवल कानपुर में ही 100 से ज्यादा इकाइयां हैं जो गुटखा, पान मसाला बनाने का काम कर रही हैं और यह जहर जनता को खिला रही हैं । कानपुर में प्रतिवर्ष 2 हजार लोगों की मौत कैंसर से हो रही है ।

कार्यालयों में जब अधिकारी पहुंचते हैं तो वह सीट पर बैठते ही सिगरेट सुलगाते हैं और उनके मेज के नीचे टोकरी रखी होती है जिसमें वह गुटखा खाकर पीक थूकते हैं । विधान सभा के अन्दर भी आपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देखा होगा कि लाबी में लोग सिगरेट पीते हैं और खैनी खाते हैं । मंत्रीगण उत्तर देकर जब लाबी में जाते हैं तो सदस्यों से कहते हैं कि खैनी खिलाओ, खैनी और सिगरेट मांगकर पीते हैं । यह मामला अत्यंत संवेदनशील और गम्भीर है । आज तम्बाकू दिवस पर तम्बाकू पर पूर्ण रोक लगानी चाहिये । गुटखा-पान मसाला पर लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है फिर भी उसको प्रयोग किया जा रहा है । मान्यवर, देखा जाये तो सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से पान, तम्बाकू, अफीम, गांजा सप्लाई कर रही हैं यह आने वाली पीढ़ी को बरबाद करने की साजिश है । आज कैंसर एजूकेशन सोसायटी ने सर्वे किया जिसके अनुसार सन् 2001 में 50 लाख कैंसर के रोगियों की संख्या होगी । इसको प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया तो सन् 2020 तक कैंसर के मरीजों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जायेगी । एक सर्वेक्षण के अनुसार परोक्ष धूम्रपान से पूरे भारत में दो लाख बच्चों की मृत्यु होती है । अगर सरकार ने तत्काल इसको नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अन्धकारमय होगा । इण्टर कालेजों, डिग्री कालेजों, के पास पान मसाला, तम्बाकू की दुकानें जो लगाई गई हैं इस पर रोक लगानी चाहिए । छात्रों के पाठ्यक्रम में तम्बाकू दिवस, तम्बाकू निषेध शामिल किया जाये । मद्य निषेध के बारे में पढ़ाया जाए । यह लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

अगर आज तम्बाकू दिवस पर सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को आज घोषणा करनी चाहिये कि सभी कार्यालयों में पान पराग, तम्बाकू, सिगरेट पर रोक लगायें । केवल स्लिप चिपका देने से यह कार्य नहीं होगा । इससे सदन के अन्दर ही नहीं प्रदेश के अन्दर चेतावनी जायेगी । सदन में आज शपथ ली जाये कि पान बीड़ी, सिगरेट, आदि का सेवन नहीं करेंगे व जो सदस्य पान बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं इस प्रकार का उनके अन्दर व्यसन नहीं है उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

यह सुझाव जो सदस्य ने दिया है यह आपके लिए ही दिया है सभी सदस्यों से एक संकल्प भरवा लें कि कोई बीड़ी सिगरेट पान आदि नहीं खायेगा यह आप भरवा लें ।

(कुछ सदस्यों के आपस में टोका-टाकी करने पर)

कठिनाई यही है कि ऐसे गम्भीर विषय पर हम गम्भीर नहीं होते हैं । इस पर टीका टिप्पणी करके आप समस्या की गम्भीरता को समाप्त कर देते हैं । आपको याद होगा इसी विषय पर कि तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगे, तम्बाकू उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगे, सदन ने इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से संकल्प पास किया है और केन्द्र सरकार को भेजा है केन्द्र सरकार ही इस पर कानून बनाने के लिए सक्षम है । संकल्प सदन सें सर्वसम्मति से भेजा है । तम्बाकू सिगरेट का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है इसीलिए सिगरेट पर लिखा भी रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । यह जागरुकता की बात है संस्कारों की बात है अपने परिवार में कितना संस्कार डालें, बच्चों पर कैसा संस्कार डालें जिससे आने वाली पीढ़ी में जागरुकता आये । कई वर्ग ऐसे हैं जहां शिक्षा नहीं है मजदूर गरीब रिलैक्स होने के लिए बीड़ी का दम ले लेता है हमें उनको समझाने की जरूरत है आहिस्ता-आहिस्ता जब समझ आ जायेगी, जागरुकता आयेगी तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आयेगा जब सभी को इस बात का अहसास होगा कि किस प्रकार इस भयावह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सूचना आपने दी नियम 56 में आये या न आये अलग बात है सामान्य चर्चा का विषय था स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो सकती थी आपने एक सूचना दी है उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं । सरकार ने जो किया मैंने बताया एक संकल्प पास कराकर केन्द्र सरकार के पास भेजा जा चुका है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, राम विशुन जी ने 56 के तहत अच्छी सूचना दी है मेरा आग्रह है कि आप अपने सचिवालय में, परिसर में तम्बाकू पान निषिद्ध कर दें। आज जबकि तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है तो आपकी तरफ से निर्देश आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में विचार तो हुआ था।

श्री हुकुम सिंह–

यह विचार सरकार स्तर पर भी हुआ पर यह विचार तक ही सीमित रह गया।

श्री अध्यक्ष–

यदि सारे सदन की सहमति हो तो निर्देश दे दिये जायं।

*डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, यह भी आपसे चाहूंगी कि विधान सभा सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विधान सभा के कर्मचारियों के लिए इसे निषिद्ध कर दें।

श्री अध्यक्ष–

जब परिसर में प्रयोग बन्द होगा तो उसमें कर्मचारी ही नहीं बाहर के लोग जनता भी शामिल हो जायगी। सारे सदन की सहमति है तो निर्देश हो जायेंगे। इस सूचना पर राम विशुन जी, कुंवर साहब और संसदीय कार्य मंत्री जी व डा० ज्ञानवती जी को सुनने के पश्चात् जबकि यह विषय महत्वपूर्ण है नियम 56 में नहीं आता मैं इसे निरस्त करता हूं।

* श्री मोहम्मद मुकीम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं किसानों के गम्भीर प्रकरण पर आपने बोलने का अवसर दिया। पूरे प्रदेश में किसानों के गेहूं क्रय को लेकर चिन्ता व्याप्त है। सरकार घोषणा करती है कि गेहूं आखिरी वक्त तक खरीदा जायेगा लेकिन महज कागज में घोषणा होती है। प्रेक्टिकल में अन्तर है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस विषय पर नियम 56 और अन्य नियमों के माध्यम से किसानों की इस समस्या को उठाया है। एक बार चर्चा भी हुई जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने भाग भी लिया। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि सरकार की तरफ से कोई नाइंसाफी नहीं होगी लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। इटवा विधान सभा क्षेत्र है मेरा वहां मार्केटिंग का क्रय केन्द्र खुला है जिस पर आये दिन बोरी नहीं रहती किसान हफ्तों लाइन लगाने के बावजूद गेहूं नहीं बेंच पाते। वहीं पर एक मार्केटिंग केन्द्र पर व्यापारियों का 26 तारीख को गेहूं खरीदा जा रहा था जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने एस०डी०एम० से जांच कराने के लिए चाहा लेकिन वह मौजूद नहीं थे मैंने मण्डलायुक्त को टेलीफोन पर सूचना दी तो मण्डलायुक्त बस्ती ने एस०डी०एम० को निर्देशित किया कि तुरन्त मौके पर जायं और व्यापारी तथा क्रय केन्द्र प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करें।

मान्यवर, इस सरकार का प्रशासन इतना लापरवाह है कि मण्डलायुक्त के निर्देश के बाद 28 घन्टे के बाद परगनाधिकारी उस क्रय केन्द्र पर पहुंचे। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं भी वहां पर पहुंचा। वहां पर 300 बोरी गेहूं की बाहर उस व्यापारी की मिली जिसको सीज किया गया। मैंने इनके गोदाम के बारे में भी कहा तो वहां पर भी देखा गया काफी मात्रा में अवैध तरीके से मिला। 535 क्विंटल इनके स्टाक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रजिस्टर से अधिक मिला जिसको एस० डी० एम० और तहसीलदार ने लिखित सूचना में लिया और इसकी सूचना मण्डलायुक्त को कर दी । मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा ही दर्ज किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है आपकी ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, मैं इस गम्भीर प्रकरण पर आपके माध्यम से चाहता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय और जो इसमें लिप्त दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । जो गेहूं क्रय केन्द्र के प्रभारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय । जो अधिक गेहूं मिला है उसको सीज किया जाय और जो गेहूं क्रय केन्द्र ठप्प पड़े हैं, जहां गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, वहां गेहूं क्रय किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शिकायत तो वहां कही जाय जहां कार्यवाही न हो । अविलम्ब कार्यवाही हुई है । सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी वहां गये और 300 बोरियां गेहूं और 535 क्विंटल जो स्टाक से अधिक था उसको कब्जे में ले लिया । जो दोषी हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करने के आदेश मण्डलायुक्त पहले ही दे चुके हैं । जो व्यापारी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, जो व्यापारी है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन जो क्रय केन्द्र के प्रभारी हैं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

जांच परगनाधिकारी से करा रहे हैं उसका दोष पाया जायेगा तो जो कार्यवाही करनी होगी जरूर करेंगे ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, एस० डी० एम० ने रिपोर्ट मण्डलायुक्त को दे दी । मुकदमा दर्ज करने के लिये उसमें कहा गया है फिर भी यह कर्मचारियों/अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । स्पष्ट निर्देश गये हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ।

श्री अध्यक्ष–

मोहम्मद मुकीम और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिये इसको निरस्त कर रहा हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

जब जांच करके कमिश्नर के यहां एस० डी० एम० ने दे दी है । इसकी कापी माननीय सदस्य के पास है, आपको भिजवा रहे हैं फिर जो कर्मचारी या अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष–

कह तो दिया है कि दोषी पाया जायेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने कहा कि सक्षम अधिकारी आयुक्त हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं । बात हो गई है उन्होंने मुकदमें दर्ज करने के आदेश दे दिये । शासन कहां बीच में आ गया ? हमने कोई रुकावट कहां डाल दी ?

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, 27 तारीख की बात है आज 31 तारीख हो गई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्या कारण है ? व्यापारी के खिलाफ दर्ज कर लिया है लेकिन अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

यह पता लगा लेंगे कहां क्या बात है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आपके पास आयुक्त महोदय की रिपोर्ट पहुंच गई अब इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर सत्यता से परे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में क्या लिखा है, दिनांक 24 मई को शेष इतना क्विंटल 25 मई को तौल इतनी क्विंटल, 26 मई में तौल दी गई है इसमें कोई तौल नहीं है आगे है 714.68 क्विंटल, अगर यह आख्या है तो इसमें किसी को दोषी करार नहीं किया गया है इसमें जांच होगी, 26, 27 की तारीख में कोई तौल नहीं है अब इसके आधार पर जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जांच में जो दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मोहम्मद मुकीम को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना हम लोगों ने दी है वह अविलम्बनीय लोक महत्व की और तात्कालिक है । मान्यवर, मैं इसको दोहराना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए कोई घटना तात्कालिक और अविलम्बनीय नहीं होती है वह इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह प्रदेश व्यापी होती है, इनके लिए महत्व उसका नहीं होता है । मान्यवर, इस सरकार ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को यह छूट दे दी है कि वह महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने यहां के छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं इसका नतीजा यह है कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में चार से पांच गुना ज्यादा फीस वृद्धि कर दी गई है इससे यह हो रहा है कि जो सामान्य वर्ग के और निर्बल वर्ग के लोग हैं कम आय वाले छात्र हैं वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा लेने में प्रायः असमर्थ हैं ।

जहां तक सरकार के दायित्व का सवाल है सरकार का दायित्व होना चाहिए कि सभी ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराई जाये ताकि सब शिक्षा ग्रहण कर सकें । मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय है पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है आप देखें किस तरह से फीस बढ़ाई जा रही है । मैं आपके सामने चार्ट पढ़ रहा हूं–बी०ए०पार्ट I, II, III में जहां पहले 558 रुपया फीस थी, अब 2,155 हो गई है ।

श्री अध्यक्ष–

फीस है और शुल्क भी है ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

बी० एस० सी० में पार्ट I, II, III में जहां पहले 657 रुपये थी अब 2;405 हो गई है । पहले बी० काम० I, II, III में 558 रुपये थी अब 2155 रुपये हो गई है । एम० ए० पार्ट I, II में पहले 643 रुपये थी अब 2605 रुपये हो गई है । एम० एस० सी० पार्ट I, II में 791 थी अब 3,055 हो गई है । एम० काम० में पहले पार्ट I, II में 643 थी अब 2,605 हो गई है । ला में पार्ट I, II, III में पहले 648 थी अब 2,605 हो गई है । एल०एल०एम० में पार्ट I, II में पहले 822 रुपये थी अब 2,905 हो गई है । बी० टेक में पार्ट I, II में 843 थी अब 3,335 हो गई है । डी० लिट की 365 से 2350, डी० फिल–329 से 2050, एम० टेक की 706 सें बढ़ाकर 8210 रुपया की गयी है । इसी तरह से अन्य भी हैं । मैंने चर्चा इसलिए करी कि इससे यह अनुमान लगाया जा सके कि छात्रों की फीस में पूरे प्रदेश में चार से पांच गुना बढ़ी है । मान्यवर, बहुत बड़ी छात्रों की संख्या ऐसी है जो बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते हैं और इससे सरकार की सोची समझी नीति के अनुसार एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसकी आय की सीमा न हो, वह वर्ग आज शिक्षा लेने में पूर्णतया असमर्थ है ।

मान्यवर, इसी के साथ शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण कर दिया है । इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में 20, 25, 10 लाख की फीस देनी पड़ती है तो यह कहां से सम्भव होगा ? यह मंहगी शिक्षा नीति मेरी समझ से बाहर है । यह सरकार पूरी तरह से असफल हो गयी है और सरकार ने एक और नियम में तब्दील यह कर दिया कि 98 के बाद जितने महाविद्यालय सबके अनुदान को फ्रीज कर दिया है । मनमाने ढंग से फीस वहां के प्रबन्ध तंत्र वाले लेंगे । क्या यह करना चाहते हैं । मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सवा दो करोड़ से साढ़े छः करोड़ की आमदनी होगी । यह आमदनी का कोई जरिया नहीं है । यह व्यवसायीकरण का एक केन्द्र हो गया है । मैं यह भी आग्रह करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने पास कर दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को तत्काल केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय । मैं यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव पास करे और बढ़ी हुई फीस वृद्धि को वापस किया जाय ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिस गम्भीर चिन्ता की ओर माननीय कुंवर साहब ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है यह पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है । आपको स्मरण होगा कि देश की आज के बाद से नौजवानों ने लड़ाई लड़ी और एक नारा दिया गया कि कपड़ा रोटी सस्ती होगी, शिक्षा दवा मुफ्त होगी लेकिन आज हो क्या रहा है । मान्यवर, तक्षशीला और नालान्दा विश्वविद्यालय में भी इस तरह से मंहगी शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्या गुरुकुल में मंहगी शिक्षा दी जाती थी ? शिक्षा हमारा नैसर्गिक अधिकार है और यह कल्याणकारी कही जाने वाली सरकार शिक्षा को व्यवसायिक रूप दे रही है । इसे कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता है ।

मान्यवर, चार-पांच निर्णय हुए और विभिन्न विश्वविद्यालयों ने निर्णय को लागू करना प्रारम्भ कर दिया तो बेचैनी होना स्वाभाविक है । वैसे भी इस मंहगाई के जमाने में सामान्य परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा पाने में कठिनाई महसूस करते थे, केवल आठ प्रतिशत ही पहुंच पाते थे आपने फीस बढ़ाकर सामान्य परिवार के बच्चों की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको कुंठित करने का काम किया है । आज सारे चीजों का व्यवसायीकरण हो रहा है । हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि शिक्षा को व्यवसाय का अधिकार न दें । आप उद्योगों को तो व्यवसाय के रूप में ला नहीं सके जबकि उसको व्यवसाय के रूप में लाना चाहिए था, उसमें आपकी सरकार फेल हो गयी लेकिन शिक्षा के ऊपर इतना बड़ा महादण्ड फीस बढ़ाकर करेंगे तो यह सरकार को कल्याणकारी सरकार नहीं कहा ज़ा सकता है । इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह बहुत कम है ।

मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवान और विद्यार्थी इस निर्णय को सरलता से स्वीकार नहीं करेंगे । आन्दोलन की चिंगारी भड़क रही है । नौजवान और विद्यार्थी आज इसको लेकर के संगठित हो रहे हैं । मान्यवर, फीस बढ़ेगी तो संघर्ष छिड़ेगा । आज मान्यवर, प्रदेश में लाखों नौजवान बेरोजगार हैं परिवार के ऊपर बोझ बढ़ा हुआ है गरीब परिवार किसी तरह से संसाधन जुटाकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है लेकिन यह सरकार इतनी फीस बढ़ा देना चाहती है जिससे गरीब छात्र उच्च शिक्षा से महरूम रह जाये । मान्यवर, आज आपकी पीठ से निर्देश जाने की आवश्यकता है कि सरकार बढ़ी हुई फीस को तत्काल रोकें । मान्यवर, अगर तमाम नौजवान संघर्ष में उतर आये तो सारा काम बाधित हो सकता है । मान्यवर, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जानकारी माननीय कुंवर साहब ने दी लखनऊ विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार का निर्णय होने जा रहा है । इसी तरह से एक-एक करके सारे विश्वविद्यालय अपनी-अपनी इक्जीक्यूटिव काउन्सिल से स्वीकृत कराकर फीस बढ़ानें जा रहे हैं और कई विश्वविद्यालय बढ़ा चुके हैं ।

मान्यवर, आप विद्वान हैं शिक्षा के प्रति आपका विशेष अनुराग रहा है प्रदेश में आप वरिष्ठतम मंत्री रहे हैं प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा को आप समझते हैं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता के दर्द को आप समझते हैं । मान्यवर, वह जो अकल्याणकारी निर्णय लिया जा रहा है शिक्षा को गर्त में मिलाने का काम किया जा रहा है उसको रोका जाये । मान्यवर, शिक्षा व्यवसाय का अंग नहीं है शिक्षा को इसीलिए बढ़ावा दिया जाता है कि हमारे देश की बौद्धिकता बढ़े आज देश की बौद्धिकता पर प्रापर्टी राईट्स किया जा रहा है । मान्यवर, आज आप उच्च शिक्षा की फीस को बढ़ाना चाहते हैं प्रौद्योगिकी की फीस को बढ़ाकर आप सामान्य जन की पहुंच से बाहर इस उच्च शिक्षा को करना चाहते हैं यह आपका आत्मघाती निर्णय होगा और यह आपका निर्णय प्रदेश के लिए घातक होगा । मान्यवर, आप इस पर निर्देश देकर इस प्रदेश में उच्च शिक्षा को बचाने का काम करें ।

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए वहां की काउन्सिल ने प्रस्ताव पारित कर दिया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बढ़े ।

मान्यवर, इलाहाबाद जो हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है लम्बे समय से इसकी मांग होती जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय तो शुल्क वृद्धि से संबंधित है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उसी से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, सरकार उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है । मान्यवर, आज कई पाठ्यक्रमों पर पढ़ाई बन्द हो गयी है । मान्यताओं पर रोक लगा रखी है । आज सरकार की अंतिम प्राथमिकता शिक्षा हो गयी है जो बजट निर्धारित किया गया है वह भी न्यूनतम है । महाविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है केवल फीस बढ़ाने का निर्णय सरकार ले रही है । मान्यवर, इस गंभीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विषय रखने से पूर्व माननीय सदस्य कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने शुरूआत यहीं से की थी कि कार्य स्थगन के प्रश्न पर यह आपत्ति लगेगी कि अविलम्बनीय नहीं है । मैं आपत्ति नहीं लगाता । जो नियम–56 के प्राविधान हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं । कामयाब अपने मिशन में बिल्कुल नहीं हूं । पूर्णतया असफल हूं । सफल हूं या असफल हूं यह तो आप जाने । मान्यवर, जब तक नियमों में संशोधन नहीं होगा जो नियम–56 के प्राविधान हैं उसको नजरअंदाज करके कोई विषय यहां पर लाया जाता है तो उस बारे में कहने की बात

है कोई आपत्ति की बात नहीं है । मान्यवर, मैं इसलिए चिन्तित था कि उच्च शिक्षा का बजट आया था ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री गायब थे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कहीं न कहीं चूक हुई है । जब ऐसा अवसर आया, चर्चा का मौका हो तब तो आप गायब हो गये, उच्च शिक्षा मंत्री थे, मान्यवर, फिर भी आपने बात कही है 2-3 बिन्दु कहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उस दिन कटौती प्रस्ताव मैंने ही रखा था और इन सारे मुद्दों को उठाया था सरकार गंभीर हो तो बता दें कि क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यहीं कह रहा था कि आपके मुद्दों को चुराने के लिए यह लोग आ गये आपने सदन में यह मुद्दा रखा और बड़े विद्वता के साथ रखा लेकिन आपके विद्वता के साथ प्रस्तुत मुद्दे कुंवर साहब ने चुरा लिए । मान्यवर, नियम–56 का क्षेत्र कहां तक बढ़ायेंगे और श्री स्वामी प्रसाद जी आज कहेंगे कल वह दुवारा कहेंगे । मान्यवर, जो व्यवसायीकरण और अनुदान की बात कहीं तो प्रदेश सरकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिसमें सरकार ने शिक्षा को व्यवसाय के रूप में बनाने की बात की हो । स्थिति क्या है 98-99 तक का जो अनुदान हम दे रहे थे हमने उस लेबिल पर आगे के अनुदान को फ्रीज कर दिया, सम्प्रति जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसकी सही स्थिति जनता के सामने रख दी आज की तिथि तक जो अनुदान दे रहे हैं उसमें कमी नहीं आयेगी लेकिन अनुदान बढ़ाने की स्थिति नहीं है । कुंवर साहब जब कहते हैं कि इंजीनियरिंग में, डाक्टरी में व्यवसायीकरण कर दिया और कई-कई लाख रुपये फीस बढ़ा दिया ।

मान्यवर, कुछ वर्ष पूर्व मुझे कर्नाटक जाने का शुभ अवसर मिला और जब मैंने देखा कि उक्त जितने इंजीनियरिंग कालेज हैं, मेडिकल कालेज हैं वहां पर सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के छात्रों की है और दूसरे नम्बर पर बिहार के छात्रों की संख्या है । तब जाकर विश्वास हुआ कि किस प्रकार से छात्र लाखों-लाख फीस देकर एडमीशन ले रहे हैं । उस समय यह लगता था कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य वह स्थिति नहीं उपलब्ध करा सका । अगर आज यहां पर कुछ लोग आकर संस्थाएं स्थापित कर रहे हैं । हमें यह सुविधा मिल रही है कि बाहर न जाना पड़े और वह सुविधा यहां मिल रही है यहां पर डाक्टर इंजीनियर बन सकें तो उसको आप व्यवसायीकरण कहते हैं । आज तो युग यह है कि जब उत्तर प्रदेश के छात्रों ने जाकर,वैज्ञानिकों ने जाकर, इंजीनियर्स ने जाकर अपने नाम को स्थापित किया अपनी योग्यता को स्थापित किया है उस योग्यता को आप केवल राजनीतिकरण करने का प्रयास न करें । अभी 98-99 के स्तर पर फ्रीज कर दिया आगे खर्च बढ़ेगा, कहीं न कहीं से तो आयेगा, कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी । एक व्यवस्था स्वयं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उस व्यवस्था को करने में कुछ कदम उठा रहे हैं । यह बिन्दु कभी खत्म होने वाला नहीं है । सदैव सरकार के विचाराधीन रहेगा और विचाराधीन आज भी है और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए जब संभव होगा तो नीति में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन जो आपकी नीति है कि घोषणा कर दें कि इतना पैसा दे देंगे और दे न पाये तो कम से कम किसी को अंधकार में न रखें किसी संस्था को जीर्ण-शीर्ण स्थिति में न पहुंचा दें । जो बात है स्पष्टवादिता के साथ रखी है । जनता के सामने रखी गई है, आपके सामने रखी गई है । केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रम का जाल न फैलायें । बच्चों को बर्गलाने की कोशिश न करें । डाक्टर, इंजीनियर जो नागरिक बनना चाहते हैं उनको बनने में राजनीति न फैलायें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने कर्नाटक का दृष्टान्त दिया कर्नाटक में उत्तर प्रदेश के कुछ सौ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी आपकी दृष्टि समाज के चंद बड़े लोगों के ऊपर है लेकिन हमारी चिन्ता है गरीबों के बारे में । आज जिनके पास धन है वह कर्नाटक ही नहीं रूस में जाकर शिक्षा प्राप्त करें । लेकिन 70 फीसदी से ज्यादा वह लोग हैं, जो मंहगी उच्च शिक्षा की वजह से उसे प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे, मैंने उनकी पीड़ा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया है । जिनको मंहगी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वह तो देश क्या विदेश जाकर भी प्राप्त कर लेंगे । उत्तर प्रदेश में जो किसानों, दलितों, गरीबों के बेटे जो होनहार हैं, जिनमें प्रतिभा है, वह धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पीड़ा के लिये यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाये थे । आपकी दृष्टि समाज के उस वंचित वर्ग की ओर नहीं जाती ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी इन्होंने एक बात कह दी, इनको बड़ी चिन्ता है । मैं एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं । आपने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कालेज सभी में अनुदान समाप्त कर दिया और आपने यह कह दिया कि उच्च शिक्षा मंहगी कर दी, इसकी वजह से लाखों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेंगे । आप माननीय मंत्री जी, इस चीज का मजाक, मखौल उड़ा रहे हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री के गंभीर तरीके से जो बात कही है, उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग कर रहा है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डा० अशोक बाजपेयी, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को नियम–56 में अग्राह्य करता हूं, निरस्त करता हूं । अगली सूचना चौधरी बाबूलाल की है ।

चौधरी बाबूलाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का मौका दिया । जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर–सीकरी का क्षेत्र जो आगे राजस्थान से मिला हुआ है, वहां सिंचाई विभाग द्वारा एक सहनपुर बन्धी बनाई गई थी, आज सामरागांव के पास राजस्थान के लोंगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, साथ ही सामरागांव के काश्तकारों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन अवैध कब्जों को तुरन्त हटवाया जाय और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो सहनपुर बंदी है, वह दो साल से टूटी पड़ी हैं, इस कारण राजस्थान की तरफ से जो पानी बरसात का आता है, उससे पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आबादी भी नष्ट होती है । वर्ष 1998 में जो बाढ़ आई थी, उसकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान किसानों का हुआ और प्रदेश सरकार को भी हुआ । अतः बंधी की मरम्मत यथाशीघ्र कराई जाय । साथ ही पानी को रोककर वहां के ट्यूबवेलों का जल स्तर ऊंचा किया जाय । जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उन्हें हटाने का निर्देश देने की आप कृपा करें । हम लोग राजस्थान सीमा से लगे हुये हैं, वहां वैसे ही जल का बड़ा संकट है, 200-250 फीट पर जल स्तर पहुंच चुका है । किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, उनमें आक्रोश व्याप्त है । और यदि कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि अवैध कब्जों को हटवाया जाय और मुकदमा दर्ज कराते हुये, उस बंधी की मरम्मत कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। जैसे ही जानकारी आ जायेगी, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने चौधरी बाबूलाल तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इस प्रकरण की जानकारी शासन की तरफ से मंगाई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे। इस सूचना को मैं नियम–56 में निरस्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से इस माननीय सदन के सम्मुख एक अविलम्बनीय सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया और प्रदेश में बाल श्रम प्रतिबन्धित है और अपराध है, बालकों से श्रम लेना अपराध है। उसमें आदेश दिया गया कि बाल श्रमिक जहां सेवारत हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाए और उनमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में हैं उनकी टीम बनाकर यह सर्वेक्षण कराया जाए, उन्हें बस्तियों में भेजा जाए जहां बेसहारा लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनके पास खाने का कोई साधन नहीं है, आमदनी का सहारा नहीं है, उनके बच्चे जो काम करने जाते हैं उनका कैसे कल्याण हो, उन्हें कैसे काम पर जाने से रोका जाए।

मान्यवर, इसके लिए एक सर्वेक्षण टीम गठित की गयी इसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में भी हुआ, लेकिन मान्यवर, इसमें गांवों में लेखपाल, प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक लगाये गये और नगर में नगरपालिका में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनको इस काम में लगाया गया और यह खबर फैला दी गयी कि ऐसे बच्चों को 20 हजार रुपये कारखाना मालिक और 5 हजार रुपया सरकार देगी। मान्यवर, यह लालच लोगों के मन में बैठ गया और फर्जी लोगों के नाम लिखकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। इसमें उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बच्चों के नाम डाल दिए गये जिनका काम करने से कोई ताल्लुक नहीं था।

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई उसे श्रम विभाग ने, सरकार ने बिना कारखानों में परीक्षण कराये, बस्तियों में जाये बिना उसे स्वीकार कर लिया और हर कारखानेदार के यहां 20 हजार रुपये की आर०सी० जारी हो गयी तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गयी उस पर आर०सी० जारी हो गयी और फर्जी लोग विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेज दिए गये। मान्यवर, जिन कारखाना मालिकों से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, कारण बताओ नोटिस नही दिया गया। उनसे चर्चा नहीं की गयी और आर०सी० जारी हो गयी हैं ऐसी रिकवरियां रोकी जायें और बाल श्रमिकों का पुनः सर्वेक्षण कराया जाए। जो संविधान के अन्तर्गत कानून में नियम हैं, मैं कहना चाहता हूं कि समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को वहां भेजा जाए, उन बस्तियों में जिनके खाने-पीने का साधन नहीं है।

मान्यवर, इससे फिरोजाबाद का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे कारखाने बन्द होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। मैं उनका एक प्रतिवेदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भेज रहा हूं। मान्यवर, इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाए और बाल विकास निधि का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोका जाए।

इस पर एक कमेटी बना लें संसदीय कार्य मंत्री जी और इसको अच्छी तरह से दिखवा लें जिससे बाल श्रमिकों का कल्याण हो और इससे फिरोजाबाद का वातावरण ठीक होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर जी की है ।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, आपने नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मान्यवर, आज यह सरकार पूरे प्रदेश में ढिंढोरा पीट रही है कि पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्र हो रहे हैं । मान्यवर, मैं अपने जनपद अम्बेडकर नगर, विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज की बात करना चाहता हूं ।

मान्यवर, ब्लाक जहांगीरगंज में गेहूं क्रय केन्द्र खोलने के लिए मैं कई बार डी०एम० से मिला और किसानों की परेशानियों को बताया परन्तु उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी । जहांगीरगंज ब्लाक में गेहूं क्रय केन्द्र नहीं खोला गया, वहां पर तत्काल क्रय केन्द्र खुलवाया जाये, जिससे किसानों को अपना गेहूं क्रय केन्द्र पर भेजने के लिए सुविधा हो सके । इतना ही नहीं वहां के करीब 200 किसानों का धान का पैसा नहीं दिया गया है, चेक बन चुका है, परन्तु अधिकारियों की धन उगाही के चलते पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे किसान परेशान हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना गेहूं क्रय केन्द्र के बारे में है । उस पर अपनी बात कहें ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, किसानों का धान का पैसा शीघ्र दिलाया जाये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जहांगीरगंज ब्लाक में जल्द से जल्द गेहूं क्रय केन्द्र खुलवाया जाये जिससे किसानों की परेशानी दूर हो सके । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ले ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है । रिटायरमेन्ट होने के बाद उनके पेशन का भुगतान कोषागार से न होने के कारण सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को घोर परेशानी उठानी पड़ती है । उनको साल-दो साल-तीन साल तक पेंशन नहीं मिल पाता । मान्यवर, यह पूरे प्रदेश से संबंधित मामला है । जैसे माध्यमिक विद्यालयों के, इण्टर कालेजों के सहायता प्राप्त अध्यापकों को पेंशन कोषागार से दिया जाता है उसी तरह से जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को भी कोषागार से पेंशन का भुगतान कराये जिससे उनको प्रत्येक माह के पहले हफ्ते तक पेंशन का भुगतान हो सके । आज जो परिस्थिति है उसके कारण कई वर्षों तक पेंशन नहीं मिल पाता और उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, पूरे प्रदेश के शिक्षकों से संबंधित मामला है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके प्रति कुछ आश्वासन दे दें । माननीय अधिष्ठाता जी इस पर आप ध्यानाकर्षण न करें, मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बैठे हुये हैं, कोई अनर्गल मांग नहीं है, कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है । आप उनको पेंशन देते जो विलम्ब हो रहा है, अगर कोषागार से मिलने लगेगा तो उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा । इस पर मंत्री जी का स्पष्टीकरण दिलाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय वर्मा जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी बैठे हुये हैं और वह कुछ कहना चाह रहे हैं । पूरे प्रदेश के शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, आपकी भी शिक्षकों से हमदर्दी होगी । मान्यवर, [x x x] यहां रहते हैं तो आप कैसे-कैसे बिन्दु उठाते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपना विषय रखते हुए यह कहा है कि [× × ×] मैं समझता हूं कि यह पीठ पर टिप्पणी है और आक्षेप है । मान्यवर, कृपया आप इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, यह कोई आक्षेप नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यहां पर 5-5 सूचनाओं को सुना गया है और कभी-कभी माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी सूचनाओं को सुना गया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय मंत्री जी ने उन सूचनाओं का जवाब भी दिया है और आज आपको यह गंवारा नहीं है, आखिर क्यों ? मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता है आप उन्हें आदेश दें और वह जवाब न दें । मान्यवर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं आप कृपया उनसे इस पर जवाब दिलवा दीजिए । इससे न तो शासन पर कोई अतिरिक्त भार पड़ने वाला है और न ही इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ है, इससे शासन के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी बात सुन ली है इस पर व्यवस्था दे दी गयी है और शासन का ध्यान इस पर आकृष्ट कर दिया गया है अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप इस पर पुनर्विचार कर लें, माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं आप उनसे इसका जवाब दिलवा दें । मान्यवर, सदन में इसका जवाब आ सकता है इसीलिए मैंने इसे नियम–56 में उठाया है नहीं तो नियम–301 में उठाता । माननीय अधिष्ठाता जी ऐसा हुआ है कि पांच ही नहीं दस-दस सूचनाओं को सुना गया है और माननीय मंत्री जी ने उनका जवाब दिया है, कृपया आप इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और माननीय मंत्री जी से जवाब दिलवा दें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप इस तरह से आग्रह न करें मैं इसे कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन लें या आप सिर्फ अपनी ही बात कहते रहेंगे । आप अगर पूरी ग्राह्यता पर बोलने का समय इसी में निकाल देंगे इससे तो अच्छा यही होता कि मैं इसे आपकी छठीं सूचना मानकर ही सुन लेता । आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं आप कल का उदाहरण दे रहे हैं । आपके पहले की और दो सूचनाओं पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है तो क्यों न इसी का अनुश्रवण किया जाय । आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपका विषय शासन के संज्ञान में आ गया है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पता नहीं क्यों आप इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं कृपया आप मेरी बात पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस भ्रान्ति को मन में न रखें, मैं किसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत मैंने उत्तर प्रदेश की जो आपकी सिंचाई व्यवस्था लुन्ज-पुन्ज हो गयी है इसके विषय में सूचना दिया है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार सदन के अन्दर और सदन के बाहर हर खेत को पानी देने की घोषणा एक नहीं अनेक बार कर चुकी है और पिछले 15 दिनों से लगातार सभी समाचार-पत्रों में इस प्रकार का विज्ञापन हर खेत को पानी दिये जाने का सरकार का संकल्प निरन्तर छपता रहा है । लेकिन यह सारी की सारी घोषणाएं केवल घोषणा मात्र ही रह गयी है । वास्तविकता से उनका कोई मतलब नहीं रह गया है जिस प्रकार से इस सरकार के मुखिया मा० मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी नित-प्रति घोषणा करते रहते हैं, लेकिन एक भी काम नहीं हो रहा है और उसी का अनुसरण हमारे मंत्रीगण भी कर चुके हैं । नतीजा यह है कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम रजबहों और माइनरों में विगत 2 साल से लगातार पानी नहीं आ रहा है जबकि मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा पानी पहुंचाने की बात हो रही है, खेतों को पानी देने का नारा लगाया जा रहा है ।

मान्यवर, भारत देश किसानों का देश है उसमें भी उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है । मान्यवर, 85 परसेन्ट लोग खेती से जुड़े हुये हैं । मान्यवर, यह सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, खेतों में पानी नहीं जायेगा तो अन्न का संकट पैदा होगा तो प्रदेश की वित्तीय हालत क्या होगी, यह प्रदेश किस हालत में पहुंच जायेगा । मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नहरों में पानी न जाने की विकट समस्या खड़ी हुई है उससे जायद की फसलें सूखी जा रही है । मान्यवर, खरीफ जो मुख्य फसल होती है । धान के पौध तैयार करने का समय आ गया है पानी के अभाव में किसान जब बीज ही नहीं तैयार कर पायेगा तो धान की रोपाई कैसे हो पायेगी । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का किसान असहाय और मजबूर होने के कारण निराशा की हालत में बैठा हुआ है ।

मान्यवर, यहीं पर जो तमाम सिंचाई के सरकारी ट्यूबवेल है, नलकूप हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, 60 परसेन्ट नलकूप बेकार पड़े हैं मात्र 40 परसेन्ट नलकूप हैं उसमें भी नलकूप चालक गायब हैं इसलिए भी मान्यवर, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । मान्यवर, जो निजी ट्यूबवेल हैं, निजी पम्पिंग सेट हैं डीजल इतना मंहगा हो गया है कि किसान उससे भी सिंचाई नहीं कर पा रहा है । मान्यवर, बिजली की आपूर्ति ठीक न होने के कारण ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं जिससे पूरे प्रदेश में सिंचाई की भयावह स्थिति पैदा हो गयी है । इसी के तहत मैं संज्ञान के रूप में यह लाना चाहता हूं कि जैसा नित-प्रति सरकार की घोषणा होती है कि टेल तक पानी जायेगा, हर खेत को पानी जायेगा । मैं एक दृष्टान्त के रूप में अपने विधान सभा क्षेत्र के रजबहा मुरेठी को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । इससे मान्यवर, कन्दरावा, खण्डौली, ऊंचाहार माइनर निकलती है, लगातार 2 साल से पानी नहीं आ रहा है । मान्यवर, जब हेड में नहीं आ रहा है तो टेल में भी पानी नहीं आ रहा है । जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनका मैं एक दृष्टान्त दूंगा । हमारे विधान सभा क्षेत्र में एफ०डी० 83, 84 तथा 85 जो शहजादपुर में लगे हैं उनमें से 2 बेकार पड़े हैं । इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सिंचाई की स्थिति भयावह हो गयी है और किसान इससे पूरी तरह तिलमिलाया है और गुस्साया हुआ है और जन आन्दोलन के लिए तैयार है । अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो संकट की स्थिति पैदा हो जायगी । इसलिए मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

* श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मुझे 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं, अब मैंने राम कुमार एडवोकेट को बुला लिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह 12 करोड़ किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल 2-2 मिनट का समय था, मैंने आपको 5 मिनट का समय दे दिया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार किसान विरोधी है । प्रदेश का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है । सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग दिया ।)

*श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, विगत दिनों जो भयंकर आंधी आयी थी और उन्नाव में एक शराब गोदाम गिर गया था जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गयी थी । मृतकों के लिए मुआवजा मालिकों ने जमा कर दिया है लेकिन 2 मृतकों के मुआवजे के सम्बन्ध में विवाद पैदा हो गया है । अधिकारियों का कहना है कि वारिसान प्रमाण-पत्र लेकर आयें तो मुआवजा मिलेगा । इसमें एक मृतक की शादी 2 माह पूर्व हुई थी उसके माता-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिता वृद्ध हैं । दूसरे मृतक की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए मुआवजा नहीं मिल रहा है । मैं चाहता हूं कि जो पहला मृतक है उसके मुआवजे को उसकी पत्नी और उसके माता-पिता में आधा-आधा दे दिया जाय और जो दूसरा मृतक है जिसके 2 बेटियां हैं और जिसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है उसके माता-पिता को सारा मुआवजा दे दिया जाय । मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

अगली सूचना पर 6 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं मैं चाहूंगा कि कोई एक माननीय सदस्य बोल ले ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त गम्भीर लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे विधान सभा क्षेत्र जसवन्त नगर, इटावा जनपद में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की लगातार हत्यायें हो रही हैं । कल शाम को लगभग 7 बजे बहुत ही गरीब लोग थे, अल्पसंख्यक जाति के लोग थे एक अपराधी गिरन्द्र सिंह उर्फ रवीन्द्र सिंह जो बलात्कारी भी है गरीबों के घर में घुस जाता है लूट भी करता है, अपहरण भी करता है, डकैती भी डालता है और उसके नाम लाइसेंस भी हैं । शाम को सात बजे उसने सुकराती खां जो बहुत ही गरीब और भले व्यक्ति थे उनकी हत्या कर दी । सुकराती खां ही नहीं कल वहां पर चार लोग उसकी गोली से घायल भी हुए हैं, सुकराती खां मौके पर ही मारे गये । निसार खां के गोली लग जाने से उनके हाथ बिल्कुल ही अलग हो गया है । हमीद खां के टांग में गोली लगी है । इस्लाम अली भी घायल हो गये हैं ।

इसके पहले 26 तारीख को इसी मुल्जिम गिरन्द्र सिंह उर्फ रवीन्द्र सिंह ने नूर अली, सलमान को भी घायल किया था । असगर अली की लड़की व सौकीन की पत्नी को भी गिरन्द्र सिंह ने घायल किया था । वहां की पुलिस ने मामूली दफाएं लगाई इतना ही नहीं पुलिस उस समय मौके पर ही थी लेकिन पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया । गांव के लोगों ने पकड़कर उसको पुलिस को दिया हम उस दिन इटावा में ही थे जब वहां के लोग आए तो उसने खुले आम चैलेंज दिया कि हम जैसे ही जेल से निकलेंगे फिर से आप सभी लोगों को मारेंगे, जान से मारेंगे । हमने एस० पी० से बात की उन्होंने निर्देश दिया लेकिन थानाध्यक्ष और वहां को पुलिस ने उसको संरक्षण दिया है । इतना ही नहीं वहां के जिम्मेदार लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है कुछ भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व एम० एल० ए० हैं, एस० एस० पी० को टेलीफोन करते हैं उनके टेलीफोन से मामूली दफाएं लगती हैं । जैसे ही वह छूटकर आता है आने के बाद फिर गांव जाता है, गरीबों को मारता है, जान से मारता है उसके बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । गम्भीर कार्यवाही नहीं हुई इतना ही नहीं इटावा जनपद में रोज घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, थानाध्यक्ष लगातार ऐसे मुल्जिमों को संरक्षण दे रहे हैं, इटावा जनपद की पुलिस सो रही है ।

आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने तथा भिंड जिले के एस०एस०पी० एवं वहीं की महिला सी० ओ० ने वहां के अपहरणकर्ताओं को इटावा में खदेड़ दिया जिनके द्वारा इटावा जनपद में लगातार हत्याएं की जा रही हैं, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए । वहां पर जो लोग घायल हुए हैं, जिसकी हत्या हुई हैं उसको आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही करें व मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए व इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए और जो डकैती को अपहरणकर्ता को संरक्षण दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें समाजवादी पार्टी ....

श्री अधिष्ठाता–

गृह विभाग का बजट है उस पर बोल लीजियेगा। मैं अगली सूचना ले रहा हूं श्री प्रमोद कुमार और श्री कौकब हमीद जी। अनुपस्थित हैं इस कारण इसे समाप्त करता हूं। अगली सूचना श्री राम प्यारे जी की है इस पर 29-5-2001 को ध्यानाकर्षण हो चुका है।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आपसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज गृह विभाग का बजट है उस पर बोल लीजियेगा।

(व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने निर्देश दे दिया है कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है।

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, डा० वकार अहमद शाह तथा श्री सीताराम निषाद के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गये और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया बैठ जायं।

*श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[x x x]

(सदन के फ्लोर में आये हुए सदस्यगण नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित कर रहा हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 35 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [xxx] यह अंश मा० अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा शासन के निर्देश के बावजूद कर्मचारियों की छटनी किये जाने के सम्बन्ध में उठाया गया प्रश्न

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक निगम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । महोदय उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ने 1999 में 225 कर्मचारियों की छटनी के लिये उप श्रमायुक्त, कानपुर के कार्यालय में....

(व्यवधान)

महोदय अनुमति मांगी थी लेकिन उप श्रमायुक्त कानपुर ने कर्मचारियों की छटनी की अनुमति नहीं दी और उन्होंने आदेश दिये कि पंचम वेतन आयोग लागू करके इन कर्मचारियों को बी० आर० एस० योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दे दी जाए । इससे पूर्व उत्तर प्रदेश निर्यात निगम 210 कर्मचारियों की छंटनी कर चुका था । मान्यवर, भारत सरकार के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री समय-समय पर कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी, यह कहते हैं । उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री ने 29-10-99 को यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी । उन्होंने एक जी० ओ० किया था लेकिन उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के एम० डी० जबर्दस्ती कर्मचारियों को 6-7 माह का वेतन नहीं देते हैं और उनको इस बात के लिये बाध्य कर रहे हैं कि बी० आर० एस० ले लें और उनकी छंटनी की जा रही है । महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के एम० डी० को तत्काल निर्देश दें कि कर्मचारियों की छटनी न की जाए और उनका जो बकाया वेतन है उसका तत्काल भुगतान किया जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

जनपद बरेली के विधान सभा सनहा ब्लाक आलमपुर जफराबाद के भू-माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाये जाने पर उनके द्वारा धमकी दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्रीमती सुमनलता सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं । मेरे जनपद बरेली में कुछ भू-माफियाओं ने तहसील आंवला, फरीदपुर, गोमिदपुर, दीपपुर, हिम्मतपुर, सिकोड़ा, तजपुरा, नवदिया, ग्राम सभा लहर की जमीनों पर कब्जा कर लिया है ग्राम समाज की चार-पांच सौ बीघा जमीन पर इनका कब्जा है । 14 भूमिधर किसानों की जमीनों पर कब्जा है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इन भू-माफियाओं से जमीन को मुक्त कराया जाय । मान्यवर, 1500 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पर कब्जा है जिनके पास अपनी खसरा-खतौनी मौजूद है चक नहीं काटे हैं तो इसमें आप निर्देशित करें कि सी० ओ० चकबन्दी बरेली चक काटे ताकि उन किसानों को चक मिल सके । ग्राम समाज की भूमि पर जब से कब्जा है भू-माफियाओं का तब से अर्थ दण्ड की वसूली से 122 बी कार्यवाही है और बेनामी पट्टे निरस्त होने की कार्यवाही हों उस समय कार्यरत एस० डी० एम० फरीदपुर के एक पक्षीय कार्य करने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की (दण्ड) व्यवस्था के आदेश सरकार के माध्यम से हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना है भू-माफियाओं के विरुद्ध आपकी जान-माल को खतरा है इस बारे में सूचना है ।

श्रीमती सुमनलता सिंह–

मैंने पूर्व में मुख्य मंत्री को लिखित पत्र दिया है जिसके आधार पर उसकी पैमाइश हुई । सीमाएं तो खोल दीं लेकिन उन किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और भू-माफिया उसका उपयोग कर रहे हैं । मेरे द्वारा शिकायत करने पर उन्होंने मेरी सभा में गलत हरकत की जिसके कारण दुश्मनी बढ़ती जा रही है और मुझे धमकियां दी जा रही हैं और मुझे खतरा हो गया है । मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरी जान की सुरक्षा व्यवस्था की जाय और उन भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो । एस० डी० एम० फरीदपुर की वहां पर मौजूदगी में ही पैमाइश हुई लेकिन उन्होंने भी उन्हीं का पक्ष लिया और एक पक्षीय कार्यवाही की है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य द्वारा भू-माफिया के विरुद्ध उठायी जा रही आवाज के कारण इनके जानमाल को धमकी दी जा रही है इसको आप दिखवा लें । अगर इनकी जान को खतरा समझा जा रहा है तो इसका संज्ञान लेते हुए इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और उन भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो । इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

प्रदेश की नाबालिग लड़कियों एवं लड़कों को पड़ोसी देशों में बेचे जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी भी एक विशेष उल्लेख के रूप में सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका नाम पुकारा गया था आप उस समय उपस्थित नहीं थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उस समय सदन में बहुत व्यवधान था । मैं एक अत्यन्त दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं विशेष उल्लेख के जरिये । इधर कई दिनों से तमाम सूचनाओं को ग्राह्य करने के पश्चात् अगर भण्डाफोड़ न होता तो सच्चाई सामने नहीं आती । मान्यवर, रविवार 27 तारीख को भारत और नैपाल की सीमा पर 6. 7 लड़कियां बरामद की गयीं एक अध्यापक के कब्जे से । निःसंदेह अध्यापक जैसे पवित्र पद पर उसने कालिख लगायी है और प्रदेश की चिन्ता को भी बढ़ाया है । यह दल का विषय नहीं है बल्कि समूचे समाज की चिन्ता का विषय है । वहां पर दो-दो लाख में उन बच्चों को बेचा जा रहा था । उन बच्चियों ने सुन लिया उस शिक्षक रवीन्द्र और नूर हसन जो दलाल था उससे और वह बच गयीं । यह घटनाएं आम होती जा रही हैं ।

मान्यवर, जो बहुत कमजोर और गरीब तथा नाबालिग लड़कियां हैं वह पड़ोसी देश में उम्रदराज लोगों से निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर ले जायी जाती हैं और फिर उनका जीवन वैश्यावृत्ति के जरिये ही रह जाता है । यह अत्यन्त चिन्ता और कलंक की बात हैं । मान्यवर, जो यू० एन० ओ० की रिपोर्ट आयी है उसको पढ़ने के बाद दिल दहल जाता है । कुछ पड़ोस के देश हैं अपने रोमांच के लिये घिनौना, खतरनाक और बहिशियाना खेल खेला जाता है । वहां मासूम बच्चों को, जो चार-पांच साल के होते हैं, एक ऊंट की पीठ पर बांध दिया जाता है और ऊंट को मारा जाता है या फिर नगाड़ा बजाते हैं जिससे ऊंट भागता है और मान्यवर, जब वह ऊंट भागता है तो उस पर बैठा बच्चा बिलबिलाता है, चिल्लाता है उसके चिल्लाने का आनन्द वहां बैठे दर्शक लेते हैं ।

मान्यवर, इस कार्य के लिये धनाढ्य् राष्ट्र के बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं गरीब देशों से गोद लेने के नाम पर बच्चे खरीद लिये जाते हैं और उस आनन्द में उन बच्चों की जान भी चली जाती है । मान्यवर, कल्पना कीजिये एक चार-पांच साल का मासूम बच्चा जो देश से गोद लेने के नाम पर गया हो ऊंट पर बिठा दिया जाये और वह चिल्लाता रहे तो इससे ज्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है ? मान्यवर, यह खासतौर से उन गरीब देशों में हो रहा है और वहां के प्रदेशों में हो रहा है जहां गरीबी है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की इस घटना ने हम लोगों की आंखें खोल दी है मैं शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि इस पर कड़ी नजर रखें और इस तरह की घटनाओं पर सख्ती बरती जाये और जो इससे जुड़े हुये लोग हैं उन पर जो सबसे कड़ा कानून हो उसको लागू करके कार्यवाही की जाये और इन मासूम और नाबालिग बच्चों के बाहर जाने पर हर सम्भव कदम उठाये जायें । अन्यथा यह वहिशियाना घटनायें हो रही हैं वह होती रहेंगी । मान्यवर, एक प्रकरण पुलिस को बरामद हो गया सारी घटनायें सामने आ गयीं आगे उसकी सच्चाई भी सामने आ गयी । मान्यवर, इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि आप इस पर कड़ी कार्यवाही का विश्वास सदन को देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

भगवान राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था वह निर्णय सुना रहा हूं ।

दिनांक 22 मई, 2001 को उच्च शिक्षा विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त करते समय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान श्रीराम के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया था । अनेक माननीय सदस्यों ने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के उक्त कथन पर आपत्ति करते हुए उसे कार्यवाही से निकाले जाने का अनुरोध किया था उस समय श्री अधिष्ठाता ने सदन में निम्नलिखित व्यवस्था दी थी–

"मैं इसे दिखवा लूंगा, अगर इसमें आक्षेपात्मक अंश होंगे तो उसको निकलवा दूंगा ।"

दिनांक 23 मई, 2001 को डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा पुनः इस बिन्दु को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया गया था । उस समय पीठासीन अधिकारी महोदय ने उक्त व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था । प्रश्नगत व्यवस्था के प्रश्न पर मेरा निर्णय निम्न प्रकार है–

किसी भी माननीय सदस्य को किसी ऐसे महापुरुष के लिये, जो पूरे देश में जनता द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता हो, वह चाहे किसी भी जाति/धर्म/सम्प्रदाय का हो, अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिये । इस प्रकार की टिप्पणी से सदन में अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न होती है तथा सदन की कार्यवाही बाधित होती है । जनमानस में भी इसका कुप्रभाव पड़ता है और उसकी प्रतिक्रिया होती है । मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह इस प्रकार की अनावश्यक टिप्पणियों से बचें तथा सदन में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान किया करें ।

श्री अधिष्ठाता द्वारा 22 मई, 2001 के उपवेशन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भगवान श्री राम के बारे में कहे गये अपमानसूचक एवं आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

* कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 87,22,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

जनपद आजमगढ़ के उर्दू अध्यापकों को वेतन दिये जाने सम्बन्धी सूचना को उठाने का प्रयास

(श्री राम प्यारे सिंह, श्री वसीम अहमद द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, माननीय राम प्यारे सिंह जी की सूचना विशेष उल्लेख के अन्तर्गत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उसी वक्त बता दिया था कि उस विषय पर 29 मई को ध्यान आकृष्ट हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, वह उससे हटकर है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि इसी विषय पर 29 मई को शासन का ध्यान आकृष्ट हो चुका है जो माननीय राम प्यारे सिंह जी ने विषय उठाया है ।

(डा० वकार अहमद शाह, श्री वसीम अहमद, श्री राम प्यारे सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने तथा श्री अधिष्ठाता द्वारा अनुज्ञा न दिये जाने और अपना आसन ग्रहण करने का बार-बार आग्रह करने पर व्यवधान बना रहा ।)

(व्यवधान के मध्य)

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

मान्यवर, उत्तरांचल के अलग होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय जेलों की जो स्थिति है उसमें 49 जिला कारागार तथा 5 केन्द्रीय कारागार और अन्य संस्थाएं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं इस विषय पर 29-5-01 को ध्यान आकृष्ट हो चुका है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अनुदान मंत्री जी ने प्रस्तुत कर लिया भाषण उनका चल रहा है 2-4 माननीय सदस्य खड़े हो जायेंगे तो सदन का संचालन बदल जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी । कृपया स्थान ग्रहण करें । बीच में अवरोध न उत्पन्न करें ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश की जेलों में लगभग 48,284 कुल बन्दी हैं उनमें से 5370 सिद्ध दोष बन्दी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक ही विषय पर दो बार कैसे होगा । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप दुराग्रह मत करिये, आप स्थान ग्रहण करिये यह उचित बात नहीं है ।

* श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि विशेष उल्लेख में सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

इसमें जो रिपोर्ट लगी है । आप सुनेंगे या बोलते जायेंगे । जब दोनों साथ-साथ में बोलेंगे तो कौन किसकी बात सुनेगा ? इस पर यह रिपोर्ट लगी है कि 29-5-2001 को इसी पर ध्यान आकृष्ट हो चुका है आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं । जिस विषय पर दो दिन पूर्व ध्यान आकृष्ट हुआ है शासन का उस विषय को फिर रखा जाय यह कहां उचित । इस तरह से सदन का समय न ज़ाया करें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, [x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

हम, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, इसमें कोई बात लिखी नहीं जायेगी । हमें यह बात अच्छी नहीं लग रही है । आप बात समझने की कोशिश कीजिये । जब एक प्रकरण एक बार आ चुका है; उस पर ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है । मैंने निर्देश दिया, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं ।

(सदस्यों द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

आप दुराग्रह नहीं कर सकते । माननीय राम प्यारे सिंह जी मुझे कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा ।

(सदस्यों द्वारा बार-बार अपनी बात दोहराये जाने पर) आप सदन से बाहर जाइये, मैं निवेदित कर रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इस पर समाजवादी पार्टी के श्री राम प्यारे सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री वसीम अहमद, ...वकार अहमद शाह तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट के साथ अनेक सदस्य वेल में आकर अपनी ...त कहने का प्रयास करने लगे और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) ... (क्रमागत)

...अधिष्ठाता–

...द संख्या 21(1) इस पर कोई माननीय सदस्य, कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

...लालजी वर्मा–

मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह ...विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी ...ाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

...अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन ...मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

...श्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 87,22,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्ड्स राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,71,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। इस प्रस्ताव करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,71,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आए हुए सदस्य अपने स्थानों पर चले गये)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

होमगार्ड्स राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,04,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी, उनका संकल्प था, उनका लक्ष्य था कि 21वीं सदी में भारत सम्प्रभुतामयी होगा, भारत रचनामयी होगा, भारत निर्माणमयी होगा और इसीलिये उन्होंने सीने पर गोली खाने से लेकर जेल की लम्बी-लम्बी यात्राएं की थीं और उसके बाद जितने लोग इस आजाद भारत में बचे, यह सही है कि आजाद भारत में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेंशन तो नहीं लेकिन पेंशन के नाम पर उनको सहायता के रूप में देना स्वीकार किया, सम्मान के रूप में। बल्कि हम यह कहें कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं।

मान्यवर, आज इस प्रदेश की सरकार ने सीमित संसाधन के होते हुए और असीमित लक्ष्य की चुनौती होते हुए भी, हमने सीमित संसाधनों के होते हुए जो बढ़ोत्तरी की, हिन्दुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगर डी० ए० से पेंशन को किसी ने जोड़ा है तो हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके मुखिया राजनाथ सिंह ने जोड़ा है। मान्यवर, वे गांधी के अनुयायी थे और गांधी तथा कृष्ण में बहुत कुछ अन्तर नहीं था। अगर गांधी ने गुजरात में जन्म लिया था तो भगवान कृष्ण ने भी मथुरा में जन्म लिया था। उनका नाम अगर हम यह कहें कि भगवान कृष्ण का नाम मोहन था तो नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहूंगा कि उनका नाम भी मोहन दास था। यदि इनका कार्यक्षेत्र बरसाना था तो उनका भी धरसाना था, वे चक्रसुदर्शनधारी थे तो वह भी तकलीधारी थे। वह माखनचोर कहाते थे तो

वो नमक चोर कहलाते थे । वह ब्रज विख्यात बिहारी थे, तो वह गुजरात बिहारी थे । इन्हें दूध गऊ का भाया था, (माननीय नेता विरोधी दल आप तो भैंस का पीते हैं) तो गांधी को बकरी का भाया था । तो हम सब मिलकर बोलें मोहन-मोहनदास की जाय ।

मान्यवर, इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2250 रु० मिलता था उसे बढ़ाकर और डी० ए० से जोड़कर पेंशन बढ़ोत्तरी करके एक सेनानी का पेंशन रु० 3016 कर दिया है । यह आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार ने किया है । यह हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ है । उनके पुत्र और पुत्री को विवाहित होने से पहले या अविवाहित रहने तक जो पहले हो पेंशन प्रदान करेंगे । पूरे प्रदेश के सेनानियों के लिये लखनऊ आने पर सम्मानित स्थान उपलब्ध कराने के लिये सेनानी सेवासदन की स्थापना की गयी है । विपक्ष को अपनी वाणी से भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिये । एक यकीन और विश्वास और दिलाना चाहता हूं कि हमने एक और विश्वास की ज्योति जलायी है कि प्रदेश और देश के कोने-कोने के स्वतंत्रता सेनानी जो कृष्ण की भूमि ब्रज भूमि में जायेंगे, दर्शन करने जायेंगे ...

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय मान्यवर, [xxx]

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

हमारी रगों में सेनानी का खून है, हम सेनानी के औलाद हैं, एक नहीं सौ-सौ बार गांधी की हत्या करने वाले सेनानी के पुत्र को [xxx] कहेंगे तो यह सबसे ज्यादा खराब बात होगी । मान्यवर, वह सेनानी वृन्दावन, बरसाना, गोकुल, बल्देव में दर्शन करने जायेंगे, उनके सम्मानीय ढंग से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और जुलाई के पहले सप्ताह तक "सेनानी सदन" सेनानियों को समर्पित करने जा रहे हैं । यह मात्र सेनानियों को सम्मान देना ही नहीं है हमने एक विश्वास दिलाया है । (विपक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि अब सेनानी नहीं रह गये है) आपको ज्ञान नहीं है, अभी 10 हजार से ज्यादा सेनानी हैं । सम्मान देने के साथ-साथ जो हमने योजना बनायी है कि इनकी स्मृति चिरस्थायी कैसे रहे, इसलिये सरकार ने संकल्प ले लिया है कि उनकी यादगार को चिरस्थायी बनाने की दृष्टि से सरकार ने सौगन्ध खायी है और विश्वास की ज्योति जला दिया है । इस दृष्टि से करीब 65 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारकों का निर्माण माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार ने किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 65 स्मारकों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् और 65 स्मारकों की नीव रखने का काम माननीय राजनाथ सिंह की सरकार करने जा रही है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सेवासदनों में सुविधाएं देने जा रहे हैं । रोडवेज में चलने की सुविधा उनको दी जा रही है । उनके आश्रितों को भी सरकार द्वारा सुविधायें दी जा रही हैं ।

(शोर)

उनके लिये यह सारा का सारा संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी, राजनाथ सिंह की सरकार ने दिया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से यह बजट पारित कर दिया जाय ।

एक सदस्य–

सत्ता पक्ष के लोग माननीय मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में जो बजट प्रस्तुत किया है और जो भाषण दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन रणबांकुरों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उनके प्रति गम्भीर नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम में न जाने कितने ही नौजवान, छात्र बलिबेदी पर चढ़ गये थे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी कृपया थोड़ा संक्षिप्त रखियेगा, बोलते रहें रुके नहीं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप मुझे टाइम एलाट कर दीजिये।

श्री अधिठाता–

आप 10-15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, देश की आजादी के लिये आजादी के दीवानों, परवानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने अपनी आंखों से उस कुर्बानी को देखा होगा और वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं इतिहास के पन्नों में उन्होंने पढ़ा होगा कि इस देश के बहुत से दीवानों-परवानों ने प्राणों की चिन्ता किये बगैर भारत माता की जाय, इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए लोगों ने फांसी के फन्दों को चूम लिया और फांसी के फन्दों पर झूल गये।

(व्यवधान)

* स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, यह सभी जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप शान्त हो जाये।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कटौती रखी जा रही है तो धीरज रखें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि मर्यादा के साथ और गम्भीरता से सदन चलने दें उसमें अपना सहयोग दें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हमारे देश के दीवाने-परवाने बहुत से नौजवानों को घोड़ों की पूंछ से बांधकर घसीटा गया, महिलाओं के स्तन काट दिये गये, छात्रों के नाखून उखाड़ दिये गये आज उनके बारे में पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गयी। यद्यपि आंजादी के दीवानों के दो पक्ष थे। एक क्रान्तिकारी और दूसरा अहिंसक। अहिंसक दृष्टिकोण का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे और क्रान्तिकारियों का नेतृत्व सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे लोग कर रहे थे। मान्यवर, आज महात्मा गांधी का [xxx] उत्तर प्रदेश की गद्दी पर और केन्द्र की गद्दी पर बैठे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, यह उचित नहीं है इस प्रकार की भाषा जो बोल रहे हैं इनको कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० शाक्य जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, अच्छे वक्ता हैं, संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं । आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि आप अपने भाषण में युक्तिसंगत और प्रासंगिक विषय ही उठायें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लूंगा यदि ऐसा होगा तो निकलवा दूंगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी तो उस आन्दोलन में हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई सभी ने एकजुट होकर वह लड़ाई लड़ी ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, जैन को क्यों भूल गये ?

(शोर)

श्री लाल जी वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न है । सदन ठीक ढंग से चले इसके लिये बहुत से नियम बने हैं । महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर चर्चा चल रही है और सत्ता पक्ष के लोग चर्चा नहीं होने दे रहे हैं । ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को डिवेट नहीं आता इसीलिये वह बोलने नहीं देते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं । जैसे आपने विपक्ष के लोगों को सदन से निकल जाने को कहा था उसी प्रकार सत्तापक्ष के लोगों से कहें कि सदन का त्याग करें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी बात नहीं है, सभी माननीय सदस्य खुशी खुशी बजट पर चर्चा रखने जा रहे हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जब शाक्य जी बोल रहे हैं तो सत्तापक्ष के लोग व्यवधान कर रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

अभी हमारे तीन वाक्य भी पूरे नहीं हुये और सत्तापक्ष में उत्तेजना पैदा हो गयी । पता नहीं क्यों इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी । आपमें जितनी राष्ट्रीयता है उससे कहीं ज्यादा हम विपक्ष में हैं । राजनीति आजादी प्राप्त करने के लिये सारे भारत के लोग एक थे लेकिन आज देशवासियों में अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है । हिन्दू-मुसलमान लड़ रहा है, हिन्दू–सिक्ख लड़ रहा है,

सिक्ख–इसाई लड़ रहे हैं, इस सबको लड़ाने का काम इन लोगों ने किया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लोग भूल गये ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें चन्द्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया है । जब चन्द्रशेखर को आतंकवादी बतायेंगे तो उनको कैसे सम्मान दे पायेंगे ? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आपने बजट में कोई सुविधा नहीं दी है । जब माननीय मुलायम सिंह यादव थे तो उन्होंने बहुत सारी सुविधायें देने का काम किया अपने मुख्य मंत्रित्व काल में । आपके जो तमाम संस्थान हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन हैं, सेनानी कल्याण संस्थान हैं, वहां पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है । मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने देश के लिए कुरबानी दी है उनकी याद में प्रत्येक जनपद में जो बड़े-बड़े चौराहे हैं उनकी प्रतिमायें वहां पर लगायी जायं ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि देश के लिए कुर्बानी के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए । आज स्थिति यह है कि तमाम अनावश्यक रूप से अनुत्पादक मदों में आप व्यय कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसेस वैसे ही उत्तर प्रदेश में है । प्राथमिकतायें हैं वह प्राथमिकतायें अनुत्पादक व्ययों में है । राजनीतिक पेंशनरों की नहीं । जो राजनीतिक आजादी को प्राप्त करने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवार को कोई सुविधा मुहैया नहीं करायी जा रही है । कारगिल के युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनको भी एक तरह से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में गिना जाना चाहिए । आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया वह कारगिल की लड़ाई आपकी कमजोरी से हुई है आप वहां सोते रहे आपकी सरकार वहां सोती रही वह तो एक गड़रिये के बेटे ने इस बात की सूचना दी नहीं तो पाकिस्तान की सीमायें आज दिल्ली तक होती वह दिल्ली पर कब्जा कर लेता । आप इतने अक्षम हैं ।

मेरा अनुरोध है कि कारगिल के शहीदों को भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की तरह सुविधायें देने का काम करें । आपने बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । लगता है कि आप राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नहीं हैं । आप राष्ट्र की कैसे एकता कायम रख पायेंगे ? यूनाइट रख पायेंगे । इस देश की आजादी तीन कारणों से गयी थी यह आप भी जानते हैं । चाहे वह भाषा की समस्या हो, चाहे सम्प्रदाय की समस्या हो, चाहे जाति की समस्या हो । मुख्य रूप से तीन कारणों से इस देश की आजादी गयी थी । आज भी वह तीनों कारण विद्यमान हैं । मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जो बजट दिया जा रहा है उसको बढ़ायें । यह सही है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का जीवन अब बहुत कम रह गया है उनके परिवार के लोगों को पेंशन मिलती है । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में भाग लिया था शायद वह ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह पायेंगे । कुछ बचे-खुचे लोग ही रह गये होंगे । 10-5 वर्ष में वह भी धीरे-धीरे चले जायेंगे । मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनके लिए सहवर्ती की सुविधा आपने नहीं दी यह मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे उन्होंने यह सुविधा दी थी । आपने कोई उनका बजट बढ़ाने का काम नहीं किया । वह महत्वपूर्ण बजट है छोटा हो सकता है लेकिन यह राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित है जो राष्ट्रीय गौरव के लोग हैं उनसे सम्बन्धित है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

शाक्य जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की मेरे ख्याल से जैसा कि इनका स्वरूप है, जैसा इनका चरित्र है उनमें इनको अकल से कोई वास्ता नहीं है नकल से वास्ता है। आज शाक्य जी कह रहे हैं इस सरकार ने कुछ नहीं किया तो आज से तीन महीने पहले तक सेनानियों को 2250 रुपये मिलते थे लेकिन हमारे मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा करके शासनादेश निर्गत कराकर यह पेंशन 3016 रुपये की। यही नहीं यहां तक सुविधा दी कि यह पेंशन उनको उस वक्त से मिलेगी जब से उनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा। आप कह रहे हैं सेनानियों के लिए कुछ नहीं किया। मथुरा में सेनानी सदन बन रहा है आज आपने तो जसवन्तनगर में डाक बंगला बनाया सेनानियों के लिए एक कमरा भी नहीं बना सके। जिनके रग-रग में खून में सेनानियों का खून है उनको आपने नॉनसीबीएस बता दिया। हमने तो आपको कृष्ण दर्शन और न जाने कितने दर्शन गिना दिये तुलना कर दी फिर भी आप नॉनसीबीएस कह रहे हैं।

वाणी की स्वतन्त्रता देने का काम गांधी ने किया और आप उस स्वतन्त्रता पर रोज कत्लेआम करके गांधी की रोज-रोज हत्या कर रहे हो फिर भी गांधी पुजारी बनते हो। आप क्या चाहते हैं कि सेनानियों की पेंशन बन्द कर दी जाय, बस सुविधा बन्द कर दी जाय। हमने सीमित संसाधन होते हुए भी सारे काम कर दिखाये हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है यहीं मरता है पाप की श्रेणी में अपना नाम दर्ज मत कराओ कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो जीवन सार्थक हो जायगा।

श्री राम औतार शाक्य–

खेत में किसान रखवाली के लिए बिजूका टांगता है जिससे बाहरी जानवर खेत को हानि न पहुंचायें। मतलब होता है धोखा तो यह हमें बिजूका दिखा रहे हैं। हम अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,04,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) एवं अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

* मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,00,94,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग का अपना एक महत्व है और किसी भी लोक कल्याण सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके राज्य में अमन चैन की स्थिति कायम रहेगी । मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, न्याय एवं अमन स्थापित रहे, इस ओर उत्तरदायित्व के प्रति हमारी सरकार जागरूक भी है और ईमानदार भी है । प्रदेश के प्रति व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को व्यवस्था से निष्पक्षतापूर्ण न्याय सुलभ हो सके, यह हमारा लक्ष्य भी है । श्रीमन्, मैं इसीलिये स्वीकार करता हूं कि यदि आधुनिक प्रबन्धन की दृष्टि से देखते हैं तो वर्तमान व्यवस्था में कुछ खामियां और कमियां भी हैं । हम पूरी तरह से जागरूक और सचेष्ट हैं कि इन कमियों को इन खामियों को दूर करें और प्रदेश में अमन चैन के राज्य की स्थापना करें । हमारा लक्ष्य है कि जन सामान्य में सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसे हमने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित किया है । मैं कानून व्यवस्था का मूल्यांकन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं करता इसलिये मैं उन आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो निश्चित रूप से आंकड़े प्रस्तुत भी कर सकता हूं । जिस समय मैंने मुख्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, पहली प्रेस वार्ता में स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मूल्यांकन आंकड़ों के आधार पर नहीं, पब्लिक परसेप्शन के आधार पर, जन भावना के आधार पर करेंगे । यह स्पष्ट निर्देश शासन के द्वारा दिये गये हैं कि चाहे घटना छोटी हो अथवा बड़ी हो, उसकी एफ० आई० आर० निश्चित रूप से दर्ज की जानी चाहिए ।

प्रायः यह देखा गया है कि इससे पहले भी थानों पर घटनाओं की एफ० आई० आर० जल्दी दर्ज नहीं की जाती है और लोगों को बराबर परेशान किया जाता है । इसीलिये इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि घटना छोटी या बड़ी हो उसकी एफ० आई० आर० दर्ज होती है । इतना ही नहीं मैंने यह भी सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है कि जो भी मुकदमें दर्ज होते हैं, तत्परता के साथ वर्क आउट किये जाने चाहिए । वर्क आउट ही नहीं होना चाहिए बल्कि अपराधी दंडित भी होने चाहिए । न्यायालय में मामले चल रहे हैं उनकी पैरवी भी ठीक तरीके से की जानी चाहिए ताकि अपराधियों को दंडित किया जा सके । इसकी मैं बराबर समीक्षा भी करा रहा हूं । क्राइम एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दंड अपराधियों को मिलने चाहिए । परस्पर सामन्जस्य बना रहे, इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिये हैं । इस दृष्टि से हमको सफलता भी प्राप्त हुई है ।

सम्मानित सदस्यों को निश्चित रूप से यह जानकारी होगी कि हमारी सरकार ने प्रदेश में अमन चैन का राज स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिला है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रकों की वसूली आम बात थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे कि इसको रोकने में हमारी प्रदेश सरकार को काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है । मैं स्वीकार करता हूं कि केवल एक शासनादेश के माध्यम से अथवा एक झटके में इसको रोका नहीं जा सकता बल्कि सदैव इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में प्रशासन को सचेष्ट रहने की आवश्यकता है । मैंने निर्देश दिए हैं, ट्रकों की अवैध वसूली रोकने के लिए समय-समय परअभियान चलाया जाना चाहिए । यह भी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है पंचायत चुनाव हुए हैं पंचायत चुनाव पूरी तरह से शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं, निष्पक्षतापूर्ण सम्पन्न हुए हैं । किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई है । पंचायती राज से संबंधित बात छोड़ दे तो अभी हाल में लोकसभा और विधान सभा के मध्यावधि चुनाव सम्पन्न हुए । पहली बार ऐसा हुआ इन उप चुनाव में एक भी मतदान केन्द्र पर री–पोलिंग की स्थिति पैदा नहीं हुई है । किसी को जान-माल की क्षति नहीं पहुंची है ।

(मेंजें थपथपाई गई)

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, जहां तक धार्मिक, मज़हबी त्योहार का प्रश्न है, कानपुर की घटना छोड़ दी जाए, उसे साम्प्रदायिक दंगा नहीं कहा जा सकता है प्रशासनिक लोगों के साथ टकराव हुआ जिससे असामान्य स्थिति पैदा हुई लेकिन पुलिस ने तत्परता से उसमें सफलता प्राप्त की । धार्मिक, मज़हबी त्योहार जो हुए हैं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं ।

महाकुम्भ के बारे में कहना चाहता हूं । इसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है जो व्यवस्था रही है उसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से जो लोग प्रयागराज पहुंचे, महाकुम्भ में स्नान करने के लिए, सबने सराहना की है । यहां तक कि विदेशों से महाकुम्भ में स्नान करने आने वालों ने वहां पहुंचकर प्रदेश सरकार को बधाई दी है । महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक में अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की कुंभ व्यवस्था के लिए भूरि-भूरि सराहना की है, बधाई दी है । अपहरण, फिरौती की घटनाओं का जहां तक संबंध है यह घटनायें होती हैं मैं नकारता नहीं हूं लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूं घटनाएं कहीं हो रही हैं तो छुटपुट अपहरण की घटनायें हो रही होंगी । इन पर काबू पाने में हमने सफलता प्राप्त की है ।

नक्सलवादी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में बढ़ रही हैं उसमें प्रभावी कदम सरकार ने उठाए हैं । उत्तर प्रदेश के तीन जनपद चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र किसी न किसी सीमा तक गाजीपुर में नक्सलवादी गतिविधि बढ़ रही हैं । आने वाले दिनों के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है । केन्द्र सरकार ने भी नक्सलवादी गतिविधियों में जो खर्चा किया जाएगा उसमें 50 प्रतिशत वहन करने का आश्वासन दिया है । आई०एस०आई० की गतिविधियां आज से नहीं वर्षों से, और मैं कह सकता हूं कि शायद 1971-72 से, आई०एस०' आई० की गतिविधियां बढ़नी शुरू हुई हैं । उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में इसने अपना जाल फैला रखा है ।

मेरी सरकार ने आई० एस० आई० की गतिविधियों को दस्तावेज देने वाले सात पाकिस्तानी जासूस, नूरबख्श और अब्दुल्ला के साथ, सात पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तस्कर दीपक बनर्जी को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन ने सफलता प्राप्त की है । श्रीमन्, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं, सजग, सचेष्ट, सक्रिय रहने के कारण पुलिस प्रशासन ने सफलता प्राप्त की है । विगत 6 माह में श्रीमन् लगभग 62 हजार अपराधी पकड़े गए हैं । भारी संख्या में असलहे बरामद हुए, कारतूस पकड़े गए, बहुत सारे ऐसे अपराधी जो दहशत का वातावरण समाज में पैदा करते थे जिनका नाम सुनकर दहशत पैदा होती थी उनको एन०एस०ए० लगाकर जेल के भीतर कर दिया गया है बहुत सारे लोगों पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

प्रदेश में अमन चैन का राज स्थापित हो इसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस का मनोबल टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए तो प्रदेश सरकार ने पुलिस का मनोबल ऊंचा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं । पहले मुठभेड़ में पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी मारा जाता था तो जैसी सहायता निराश्रित परिवार को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती थी । अब जब वह मारा जाता है तो मैं स्वयं पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि ढाई लाख की सहायता तो शासन से दी जाती है, इसके अतिरिक्त ढाई लाख उस परिवार को अपने विवेकाधीन कोष से देता हूं । इतना ही नहीं उस परिवार के छोटे बच्चे, बच्चियों को उनकी शादी के लिए कुछ धनराशि मुहैय्या कराता हूं । बच्चों की सही ढंग से शिक्षा दीक्षा हो, कोई व्यवधान न पैदा हो, इस दृष्टि से आवश्यक सहायता मुहैय्या करायी जाती है । पहले के मुठभेड़ में जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं लेकिन मृतक आश्रित को सेवा का अवसर नहीं होता था और यदि किसी केस में हुआ तो एक नियमावली के अन्तर्गत पांच वर्ष के अन्दर जो मुठभेड़ में मारा गया उसको सेवा का अवसर उपलब्ध कराया जाता था । लेकिन अब भले ही वह 15 साल, 20 साल या पच्चीस साल पहले मारा गया, हो सकता है कि कुछ पुलिस कर्मी जब मारे गये तो उनका बच्चा 6 महीने का हो, साल भर का हो, तो हमने नियमों में शिथिलता करके उनको सेवा का अवसर दिया है ।

मान्यवर, होमगार्ड और कारागार का बजट अभी पास हुआ है । जो कम्पनी कमान्डर हैं उनके भत्तों में वृद्धि की है और मैं समझता हूं कि संबंधित विभाग के मंत्री ने इसका उल्लेख किया होगा इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा । मान्यवर, चौकीदार यह सबसे छोटा कर्मचारी होता है जो कानून और व्यवस्था गांव में बनाये रखने के लिए योगदान करता है । कोई घटना होती है तो पुलिस थाने में जाकर उसकी सूचना देता है । संवेदनशीलता इस बात से लगायी जा सकती है कि पहले उसे इस काम को करने के लिए सौ रुपये या ढेड़ सौ रुपये मिलते थे लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर तीन सौ रुपये यानि दो गुना कर दिया है । मान्यवर, कुछ वेतनमानों में भी संशोधन किया गया है ।

पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उनके लिए उठाये जा रहे हैं । केन्द्र सरकार का सहयोग प्राप्त होता रहा है । एक हजार करोड़ की आधुनिकीरण योजना तैयार की गयी है जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 124 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है और यह योजना पांच वर्ष में पूरी होगी । हमारे पास एक स्पेशल टास्क फोर्स है और उसने सचमुच करिश्मा किया है अपराध नियंत्रण में । मैं इस फोरम से उनको बधाई देना चाहता हूं । पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने में अहम भूमिका निभायी है । कई ऐसी मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दान्त अपराधी मारे गये उसमें स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका सराहनीय रही है । इसको और अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जाय इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं मान्यवर, अब हेड कांस्टेबिल को विवेचना का अधिकार दे रहे हैं ।

मान्यवर, अब हर थाने में दो-दो हेड कांस्टेबिल होंगे । एक हेड कांस्टेबिल होता था 24 घंटे ड्यूटी होती थी । विवेचना की बात अलग आती थी, मान्यवर, सब इंस्पेक्टर एक तरफ तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बराबर जूझते रहते थे और उसके परिणामस्वरूप विवेचना का काम जितनी त्वरित गति से होनी चाहिए उतनी त्वरित गति से नहीं हो पाता था इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि एक हेड कांस्टेबिल का और पद सृजित किया जाना चाहिए । एक हेड कांस्टेबिल की और नियुक्ति की जानी चाहिए वह व्यवस्था की गयी है । विवेचना का अधिकार हेड कांस्टेबिल को दे दिया गया है । मान्यवर, हम उप निरीक्षक के पदों को भर रहे हैं, शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है । एक महीने में 1634 और सब इंस्पेक्टर के पद भर दिये जायेंगे और सब इंस्पेक्टर के चयन का काम पूरा कर दिया जायेगा । मान्यवर, हम कुछ पुलिस कर्मियों की भर्ती भी करना चाहते हैं । इसी फोरम से बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं बेरोजगारों की फौज लम्बी होती जा रही है । मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर उत्तर देते हुए मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि तेरह-चौदह हजार नौजवानों की भर्ती इसी वर्ष करेंगे और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इनके पहले चरण में यह बताना चाहूंगा कि लगभग 2200 पी०ए०सी० के नौजवानों की भर्ती इसी वर्ष करने जा रहे हैं और इसके लिए विज्ञापन इसी जून के महीने में कर दिया जायेगा (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इसके अतिरिक्त मान्यवर, सब इंस्पेक्टर के पदों पर विगत नौ-दस वर्षों से भर्ती हुई नहीं थी । मान्यवर, जिनकी आयु 10 साल पहले 35 वर्ष रही होगी वे 45 वर्ष के हो गये होंगे और जिनकी 45 वर्ष रही होगी वह 55 वर्ष के हो गये होंगे । श्रीमन्, आप भी सहमत होंगे कि अगर अधिक आयु हो जाती है तो जैसे उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जान हथेली पर लेकर कलेजे में कूबत चाहिए उसमें कमी हो जाती है ह्रास आ जाता है । इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हम नये जवानों की सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती करेंगे ऐसी लगभग दो हजार सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने वाले हैं अधिकतम एक माह के अंदर इसके विज्ञापन जारी कर दिये जायेंगे और उनका भी चयन कर दिया जायेगा । मान्यवर, इस तरह से 4200 जवानों की भर्ती के लिए इस माह में विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं ।

श्रीमन्, इण्डो नेपाल बार्डर की समस्या खड़ी हुई है लेकिन हमने इण्डो नेपाल बार्डर के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से कुछ प्रभावी कदम उठाये हैं और भारत सरकार का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और लगभग 4 बटालियन एस०एस०बी० की भारत सरकार द्वारा हमें दी जा रही है ।

श्रीमन्, घूमंतू अपराधियों के अभिलेखीकरण एवं उनके अपराध के सम्बन्ध में, श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । मान्यवर, आकस्मिक घटना में कुछ बड़े शहरों में 100 नम्बर डायल करने के बाद पुलिस कर्मी पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते थे थोड़ी ही देर में लेकिन यह व्यवस्था अनेक शहरों में उपलब्ध करायी जा रही है । मान्यवर, मानवाधिकार का प्रश्न कभी-कभी खड़ा किया जाता है मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए यह एक अमानवीय कृत्य है और किसी भी सरकार के कार्यकाल में सचमुच में यदि मानवाधिकार का हनन होता है तो उसे चिन्ता के रूप में सरकार को लेना चाहिए । मान्यवर, कहीं भी जानकारी मिली है इस संबंध में कि मानवाधिकार का हनन हुआ है तो हमने कठोर कार्यवाही की है । मान्यवर, मानवाधिकार आयोग का गठन अभी नहीं हुआ है लोग कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ है सरकार जानबूझकर नहीं करना चाहती है । मान्यवर, हम मानवाधिकार आयोग का गठन करना चाहते हैं लेकिन प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा वह रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का होना चाहिए । मान्यवर, हमने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से देश भर में जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनके नाम मांगे हैं उनका चयन करके शीघ्र ही मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे । श्रीमन्, एक तरफ जहाँ हम आम व्यक्ति की जानमाल की सुरक्षा के प्रति सचेष्ट है जागरूक हैं वहीं पर यदि कोई कमी पुलिस प्रशासन के मामले पर रह जाती है तो हम कठोर कार्यवाही करने में चूकते नहीं । ट्रकों की वसूली का अभियान हमने रोका और इसमें बहुत से इन्सपेक्टर और पुलिस कांस्टेबिल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी । श्रीमन् इसको हमने केवल गम्भीरता से नहीं लिया बल्कि इसमें 16 आरक्षी और 5 मुख्य आरक्षी को अनिवार्य रूप से उसी समय सेवा निवृत्त कर दी गयी ।

इधर हमने सुरक्षा नीति भी बनाई है और मैं जानता हूँ कि जो हमने सुरक्षा नीति बनाई है उसके कारण बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता आहत भी हुये हैं । मैं मानता हूँ कि उनकी जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए और उन्हीं की जानमाल की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के जानमाल की सुरक्षा होनी चाहिए । उसमें ऐसा नहीं है, एक पार्टी की यह बात नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है । बहुत सारे लोग जो सामाजिक सेवा में लगे हुए थे उन्हें भी सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी फिर भी सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी थी । बहुत सारे पुलिसकर्मी इस सुरक्षा में लगे हुए थे । हमने ऐसी सुरक्षा नीति तैयार की है

कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हमें उपलब्ध हो जायेंगे जिनकी तैनाती पुलिस थानों में करेंगे और अमन चैन कायम करने में उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

श्रीमन्, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखना, अमन चैन बनाये रखना, यह केवल शासन का ही दायित्व नहीं होता है इसमें प्रतिपक्ष का भी योगदान चाहिए । इस सच्चाई को कहां नकार सकते हैं कि विगत कुछ दशकों में और मैं कह सकता हूँ कि विगत डेढ़ दो दशकों में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतीकरण हुआ है इसको कौन नकार सकता है । मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि राजनीतिक क्षेत्र में कद्दावर लोगों का भी हाथ रहा है । अमन चैन का राज स्थापित करने के लिए केवल पुलिस प्रशासन अकेले अपने दमखम के आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा ऐसा मैं नहीं मानता । आज आवश्यकता है कि लोगों की सोंच और संस्कार में परिवर्तन होना चाहिए । सोच और संस्कार में परिवर्तन करने का काम केवल जादू की छड़ी घुमाकर नहीं किया जा सकता, कई महीनों या वर्षों में नहीं किया जा सकता । लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी को काम करना चाहिए यही हमारा उद्देश्य है । केवल हम तात्कालिक राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता को तार–तार कर देने में हम संकोच नहीं करते हैं जाति और मज़हब की राजनीति का सहारा हम लेकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी करना चाहते हैं । इसीलिए दायित्व संभालते ही पहली प्रेस वार्ता में मैंने कहा कि उस डगर पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूँ मेरी सरकार के काम काज का आधार जाति मज़हब नहीं होगा बल्कि इंसाफ और इंसानियत होगी कानपुर में जो कुछ हुआ है हमारी सरकार ने भेद भाव नहीं किया है ।

अभी एक बस के रेल से टकरा जाने के कारण लखीमपुर में 20–25 लोग मारे गये । मैं उनके प्रति यहां अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ । सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति । हमने अपने सहकारिता मंत्री को तुरन्त भेजा हेलीकाप्टर से कि जाइये, आज मुझे बजट पेश करना था नहीं तो मैं स्वयं जाता । मैं रेल मंत्री जी से बात कर रहा हूँ कि जो निराश्रित परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता मुहैया करायी जानी चाहिए । यदि वहाँ नियम परिनियम इजाजत नहीं देते हैं रेल मंत्री को तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो निराश्रित हो गये हैं, इस दुर्घटना में मारे गये हैं उत्तर प्रदेश सरकार उनको सहायता मुहैया करायेगी । हम जाति मज़हब के आधार विचार नहीं करते हम तो सचमुच एक सोच दृष्टिकोण अपने जीवन में बनाकर आगे बढ़ रहे हैं । हम तो यह मानकर चलते हैं कि "यत्र पिंडे तत ब्रह्मांडे" अर्थात् जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है । जो जड़ में है, वही चेतन में है, जो मेरे में है, वही तेरे में है । इसलिये हम जाति, मज़हब की राजनीति करके सफलता हासिल नहीं करना चाहते हैं, इससे तात्कालिक सफलता तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी सम्मानित सदस्य, जो इस सदन में बैठे हैं, आज जब सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट पेश हो रहा है तो हम यह संकल्प लें कि उत्तर प्रदेश में अमन–चैन का राज स्थापित करने की दिशा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे और अमन-चैन का राज स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव मैंने अनुदान से संबंधित पेश किया है, उस प्रस्ताव को इस सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिये । मैं और भी बहुत सारी बातें रखना चाहता था लेकिन श्रीमन् इसलिये नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा समय न लूँ ताकि अन्य सम्मानित सदस्यों को भी अपने सुझावों को रखने का अवसर प्राप्त हो, उसके बाद जब कन्क्लूयूड होगा, जो मूल्यवान सुझाव प्राप्त होंगे, उनका संज्ञान लेते हुये मैं अपने भाषण को कन्क्लूयूड करूँगा ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन् अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत करते हुये सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना डाला और तमाम नई नीतियों के बारे में भी खुलासा किया । लेकिन श्रीमन् मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर कहा है,उसमें एक प्रतिशत भी कहीं सत्यता का अंश नहीं है । श्रीमन् मैं आंकड़ों से, उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि आपके समक्ष करना चाहता हूँ । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था पटरी पर लाने का काम किया है, पटरी पर पूरी तरह नहीं आ सका है, यह मानते हैं, यह उन्होंने कहा । लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस प्रदेश में है ही नहीं, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसलिये यह कहा जाना, कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया है, यह नितान्त मिथ्या प्रतीत होता है । श्रीमन् मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस समय जैसा आज का माहौल है, वैसा कानून व्यवस्था का बिगड़ता हुआ माहौल शायद पीछे कभी न रहा हो ।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो दलितों पर अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न, कत्ल, डकैती इनकी जो घटनाएँ हैं उनमें बाढ़ आ गयी है । मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन् राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है और निर्देश भी किए हैं कि 108 पुलिस कर्मियों को दण्डित किया जाए । यह अभी आपका 13 मार्च का ही जो सहारा है उसमें पूरी तरह से दिया हुआ है और हम सब लोग उससे वाकिफ भी हैं ।

मानवाधिकार आयोग ने इन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है इसमें बहुत ज्यादा पुलिस उत्पीड़न के केसेज हैं और जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं और यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सारे हिन्तुस्तान में ऐसे लगभग 70,000 केस हैं इसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही 40 हजार हैं और बाकी 30 हजार पूरे हिन्दुस्तान में हैं । इससे जाहिर हो जाता है कि कितना जुल्म और ज्यादती उत्तर प्रदेश में हो रही है, कितना मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है । इसको हम उदाहरण में कह देना चाहते हैं ।

श्रीमन् पुलिस मुठभेड़ में रोज एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या होती है, यह भी अपने में एक रिकार्ड है जो पहले नहीं था । इसी तरह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और यहाँ तक कि दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता है, पुलिस कर्मी भी बलात्कार करते हैं और दूसरे लोग करते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । मैं कह देना चाहता हूँ मैं एक-एक घटना के बारे में आपके समक्ष संक्रामक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दूँगा । श्रीमन् 5-9-2000 को डा० बी०एन० कपूर की हत्या 22-5-2001 चार लोगों की डकैतों द्वारा हत्या और यहाँ तक कि डकैतों ने औरतों को नंगा कर पीटा, श्रीमन् इस तरह की घटनाएं हो रही हैं । इसी प्रकार 21-5-2001 की रात फतेहपुर जिले में खागा थानान्तर्गत एक गाँव में चार लोगों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती है उसमें दो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बच्चे तुरन्त मर गये और दो की हालत गम्भीर है, यह है कानून–व्यवस्था । श्रीमन्, स्टेट बैंक के कर्मचारी नेता अशोक कुमार पाल की अलीगंज क्षेत्र लखनऊ में गोली मारकर हत्या 5-1-2001 को कर दी गयी । इन्दिरा नगर में प्रताप सिंह को 18-1-2001 को डकैतों द्वारा गोली मारकर घायल किया गया । दिनांक 10-2-2001 को वाराणसी के भेलूपुरा में 3 सिपाहियों को बदमाशों ने मार दिया । 12-2-2001 को उन्नाव में बदमाशों ने 5 लोगों की हत्या कर दी । श्रीमन् अलाईपुर, रायबरेली में 3-2-2001 को डकैतों ने भगौती को जिन्दा जला दिया । मोहनलाल गंज लखनऊ में पेट्रोल पम्प पर मैनेजर और सेल्समैन की हत्या कर दी गयी और 37 हजार रुपये लूट लिये ।

एक सबसे बड़ी बात यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारी घटनाओं के बारे में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने समय–समय पर सदन में नियम 311 व 56 के अन्तर्गत तथा तमाम संगत नियमों के अन्तर्गत उठाया लेकिन श्रीमन् दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े हल्के–फुल्के रुप में लेते हैं । अभी कुछ दिन पहले औरत की लाश को सुअर का लाश कह दिया । मैं यह नहीं कहता कि अपराध आपका है लेकिन हर चीज को जो अधिकारी कहता है आंखें मूँदकर स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं । जब शाक्य जी ने प्रश्न उठाया था तो यह कहा था कि बोरे के अन्दर लाश है । यह सोच लेना चाहिए था कि बोरे के अन्दर सुअर की लाश का औचित्य क्या है, अगर यह सोच लिया होता तो शोधन वक्तव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती । संसदीय कार्य मंत्री जी ने हल्के –फुल्के रुप में उत्तर दिया है । निश्चित तरीके से इसलिए घटनायें लगातार बढ़ रही है । थोड़ी बहुत गम्भीरता से इन घटनाओं को लिया होता तो निश्चित रुप से ये घटनायें घटी होतीं ।

जहाँ तक मुख्य मंत्री जी के घोषणायें की बात है, बहुत सोच समझकर घोषणायें करनी चाहिए । बिना सोचे समझे, अदूरदर्शितापूर्वक घोषणायें हो जाती हैं और उसका परिणाम जो निकलता है वह जनता के लिए दुःखदायी होता है । सारे प्रदेश के लोग परेशान होते हैं । जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि जितने भी लोगों के गनर और शैडो हैं विधायकों और सांसदों को छोड़कर सब वापस ले लिये जायेंगे । इसी के साथ महन्त नृत्य गोपाल दास जी का शैडो गनर वापस हुआ और इसी के बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया । इतना ही नहीं आप देखें प्रदेश में कौन आपको बतायेगा कि अमुक क्षेत्र या फलां जगह पर बदमाश हैं और उसको इस वक्त घेरा जा सकता है, उसके साथ मुठभेड़ की जा सकती है अब कोई नहीं कहेगा । क्यों नहीं कहेगा इसलिए कि दाढ़ी गैंग जो बहुत कुख्यात गैंग पूर्वांचल का था, उसका सुराग देने वाले कैलाश नाथ उपाध्याय, जिनके सुराग से 3 कुख्यात बदमाश जिन पर लाखों रुपये का इनाम था, ये तीनों मारे गये और मारे जाने के बाद उनकी सुरक्षा दे दी गयी और यह कहा गया कि यह सुरक्षा बनी रहेगी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश से सुरक्षा वापस ले ली गयी । कैलाश नाथ उपाध्याय ने पुलिस प्रशासन के आई०जी०डी०आई०जी० और एस०पी० से माँग की कि हमें सुरक्षा न दिया जाये तो कम से कम एक आग्नेयास्त्र राइफल का लाइसेंस दे दिया जाये ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक, बस्ती जिनको डी०आई०जी० ने निर्देशित किया, डी०एम० ने भी पत्र लिखा कि इनको अविलम्ब आग्नेयास्त्र लाइसेंस दे दिया जाये लेकिन नहीं दिया गया । 5 तरीख को पत्र लिखते हैं एस०पी० को और 15 तारीख को कैलाश नाथ उपाध्याय की हत्या हो जाती है । वैसे भी जो सुराग दे देते हैं श्रीमन् मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आगरा और कानपुर तक जो गंगा यमुना रिवाइन्स हैं इटावा में जो चम्बल और कुँआरी नदी के रिवाइन्स हैं वहाँ पर यह हालत हैं कि वहाँ जो इसके बीच में रहते हैं वह अगर डकैतों को भोजन न दें, उन्हें खाना बनाकर न दें तो इसके लिए उन्हें डकैतों द्वारा तरह–तरह की यातनाएं दी जाती हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और अगर वह डकैतों को खाना देते हैं तो पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है । मान्यवर, वहाँ के लोगों को पुलिस द्वारा इतना अधिक उत्पीड़न किया गया है कि वह वहाँ से पलायन कर जाते हैं । वह वहाँ से भाग कर समतल क्षेत्रो में आ रहे हैं । वह केवल झोपड़ पट्टी बनाकर वहाँ

पर रहने लगे हैं । तो श्रीमन् मेरा निवेदन है कि अगर कोई किसी तरीके से किसी शातिर बदमाश की शिनाख्त और सुराग देता है तो उसे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए ।

श्रीमन् मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी तरीके की घोषणाएं करते हैं जैसे आपने बहुत से लोगों के सुरक्षा गार्डस हटा लिये हैं उसके लिये पहले आप कम से कम एक सप्ताह पहले उनको खबर कर देते और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी जांच करवाकर सुरक्षा गार्डों को हटवाते तो न ही महन्त नृत्य गोपाल दास पर आक्रमण होता और न ही कैलाश नाथ उपाध्याय की हत्या होती । मैंने पहले भी यह कहा था कि जब तक आपकी जांच चलेगी तब तक न जाने कितने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या हो जाय । तो इसकी जांच एक सप्ताह पहले भी हो सकती थी और अगर यह जांच पहले हो गयी होती तो जो हत्यायें आज हो गयी हैं वह हत्यायें न हुई होतीं । श्रीमन् मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस समय जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न बड़े जोर–शोर से किया जा रहा है और ऐसा इसलिए किया जा रहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पहचान लिया है और जो इनके क्रिया कलाप हैं उससे अब इस बात के आसार बहुत कम ही नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर आ पायेगी ।

श्रीमन् भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह हत्यायें इसलिए कराई जा रही हैं कि इससे जनता में एक भय व्याप्त हो जाय और वह समाज वादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को वोट न दें । लेकिन श्रीमन् भारतीय जनता पार्टी अब अपना जनाधार खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की यह गलत सोच है अब उनकी यह सोच कभी पूरी होने वाली नहीं है । मान्यवर, रामपुर की घटना हो, डी०एम० को बढ़ावा दें, एस०डी०एम० को बढ़ावा दे दें, सी०ओ० को बढ़ावा दे दें वहाँ अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है । मान्यवर, हमारे साथ कार्यकर्ता हर जगह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । किसी तरह से हम इनके अत्याचार से डरेंगे नहीं झुकेंगे भी नहीं ।

श्रीमन्, इसी तरह से मैनपुरी की घटना है रास्ते में निकल रहे थे बन्द कर दिया जाये । श्रीमन् 4-4 हत्याएं हो जाये और अपराधी खुलेआम घूमे, उनके खिलाफ कार्यवाही न हो । श्रीमन् इससे जनमानस मे आक्रोश बढ़ेगा तो सत्ता के प्रति निश्चित रुप से उसका मोह भंग हो जायेगा । श्रीमन् इटावा में 3-4 हत्याएं हो गयी लेकिन अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । श्रीमन् जब खुलेआम अपराधी घूमेंगे तो हत्याएं होगी ही और श्रीमन् सत्ता में बैठे हुए लोग सी०आई०डी० जांच करवाते हैं । जब जांच होने के बाद ठन्डे बस्ते में डाल देते हैं ।

श्रीमन् मै उदाहरण स्वरुप 2-4 प्रमाण आपके सामने रख रहा हूँ । चौगिया थाने के गन्नापुर में 2-2 हत्याएं हुई जिनकी 3-3 बार सी०आई०डी० जांच होती है और हत्यारे को पकड़ने के लिए आदेश दिया गया कि गुप्ता को गिरफ्तार किया जाये, लेकिन 7-8 महीने हो गये आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं शायद दुबारा से सी०आई०डी० जांच हो जाये । इसी तरह से गंगापुर में 2 हत्या हुई । श्रीमन् इस तरह से आज हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं । तो इस तरीके से कैसे शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी, कैसे व्यवस्था रहेगी ? अभी उदाहरण सहित हम पेश करना चाहेंगे ।

श्रीमन् अभी फरवरी में कानपुर देहात में भोलापुर एक गाँव है । थाना–रसूलाबाद है । श्रीमन् वहाँ पर अमर सिंह की पत्नी ग्राम प्रधान हो गयीं तो वहाँ पर असरदार लोगों ने अमर सिंह की हत्या कर दी । सरेशाम रसूलाबाद से आ रहा था गाँव एक मील रह गया था घेर कर जान से मार दिया । मैंने पत्र पुलिस महानिदेशक जी को लिखा मैंने मंशा जाहिर की कि कहीं इसकी सी०आई०डी० से जांच हो जाये । मैं श्रीमन् बताना चाहता हूँ कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक वह सब लोग लगे हुए हैं इनके ही लोग वहां पर कत्ल करने वाले लोग हैं । वे सी०आई०डी० जाँच करवा देंगे । मेरे पास पत्र

भी आता है डी०जी०पी० महोदय का इसमें अतिशीघ्र कार्यव्राही की जाये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्रीमन् प्रशासन में बैठे हुए लोग इतने अकर्मण्य हो गये हैं वह जानते हैं जो हम कर रहे हैं वही ठीक है आज इनके ऊपर किसी प्रकार अंकुश नहीं है, यही बात है और अन्ततोगत्वा उसमें भी सी०आई०डी० जांच हो गई । श्रीमन् 5 तारीख को शपथ ग्रहण था 5 बजे शाम को घर आ रहा था भूरे सिंह चौहान जो औरैया थाने का था उसकी हत्या कर दी गयी । श्रीमन् मेरी जानकारी में हैं कि इस तरह से सी०आई०डी० की जांच करवा करके सारे अपराधियों को खुला घूमने के लिए आप कार्य कर रहे हैं । सत्ता पक्ष के लोग यह कार्य कर रहे हैं । श्रीमन् सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में से मंत्रियों में से 2 दर्जन से ज्यादा [x x x] हैं । जब ऐसे लोग बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं । जब मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग [x x x] हैं । निश्चित रुप से आज जो मंत्रि-मंडल में बैठे हुए हैं उन्हें [xxx] में होना चाहिए जो आज मंत्रिमण्डल में आसीन हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में विधायकों को अपमानित करने का काम लगातार चल रहा है । मान्यवर, इसी सदन में बसपा के विधायक छोटे लाल जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वह डी०आर०डी०ए० की मीटिंग में गये तो डी०एम० ने उनके सामने जूठी प्लेट सरका दी और कहा नाश्ता कर लो । हमने भी इस संबंध में कहा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

रामपुर के विधायक काशीराम जी है उनका मामला सदन में आया था, मैंने भी उस संबंध में कहा था उनको गाड़ी में पीछे बैठाया गया और अपमानित किया गया लेकिन उस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी । इसी कारण जो वहां के सांसद आजम खां हैं उनको तक धमकी दे डाली गयी । वहां पर 3-4 इनकाउंटर्स हुऐ जो फर्जी थे जब उन्होंने इसके बारे में कहा तो उनसे कहा गया कि आजम साहब आपका भी इन्काउंटर हो सकता है । तो यह जो हिम्मत और जुर्रत है यह ऐसे ही नहीं हो गयी है, सत्ता पक्ष के लोग मदद करते हैं तभी ऐसा होता है ।

मान्यवर, अम्बेडकर नगर में हमारे विधायक भीम प्रसाद सोनकर को वहां के एस०पी० ने धमकी दी तो इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है ? जब आप विधायक को अपमानित करेंगे तो आम नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी ? जहां तक दंगों की बात है सरकार ने दंगों का माहौल पैदा करने का प्रयास किया ? मऊ और कानपुर में दंगा सरकार ने कराने का प्रयास किया । मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर के बारे में पहले यह कहा गया कि पुलिस पर आक्रमण किया गया इसलिये दंगा हुआ । मैं कहना चहाता हूं कि कोई व्यक्ति कोई समाज या वर्ग अपनी जायज मांगों के लिये सरकार के कान पर जूं रेंगने के लिये अपना प्रजातांत्रिक अधिकार प्रयोग करता है तो उसको अपराध की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । दिल्ली में कुरान जलायी जाती है तो लोगों ने पट्टी बांधकर पुतला जलाया तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी । पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में तमाम ऐसी घटनायें हुयी हैं । ऐसी घटनायें विरोध प्रदर्शन के लिये हमेशा होती हैं । वहां पर एक ए०डी०एम० की जान चली गयी और तमाम लोग मारे गये या घायल हुये और अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । भा०ज०पा० सरकार चाहती है कि सारे प्रदेश में दंगे का माहौल पैदा हो ताकि अगले इलेक्शन में हिन्दू मुसलमान बंट जायं और ऐसा करके वह हिन्दू वोट लेने की कोशिश करती है ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

मैं कहना चाहता हूं कि. वह दिन लद गए अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है । मंदिर वहीं बनाऐंगे, हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाऐंगे वह दिन लद गए । काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है । निश्चित रूप से अब आपकी काठ की हांडी में चावल पकने वाला नहीं है ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किसानों की हत्याएं हो रही है जिनके बल पर जिनकी कड़ी मेहनत से सारा प्रदेश और देश खुशहाल रहता है वह हम सबको भोजन देता है । उनकी हत्याएं कराने पर यह सरकार पूरी तरह से उतारू है । पडरौना में किसान की हत्या कर दी गई यह पहले भी प्रश्न उठाया । बनारस में जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने भी माना मुआवजा भी दिया किसी अपराधी को मुआवजा नहीं दिया जाता मुख्य मंत्री ने उसको अपराधी नहीं माना वहां किसान की हत्या कर दी गई । वहां के एस० डी० एम० ने, सी० ओ० ने एस० ओ० ने अंधाधुन्ध गोलियां चलाई । उसकी वजह से हत्या हुई । बाद में सहायता भी दी गई ।

जब इस तरह से किसानों की हत्याएं होंगी तो किसान अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरह से कर सकेगा इसमें संदेह है । यह सरकार किसान विरोधी भी है । फर्जी मुठभेड़ दिखाकर लोगों को मार दिया जाता है । बनारस में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया । भोलू यादव के यहां पुलिस 13-5-2001 को जाती है । उसके यहां चाभी लेकर पुलिस 32 हजार रुपए निकाल लेती है उसके बाद कहती है कि अगर तुमने रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे । यही सूचना 13 तारीख को जब आई० जी० वाराणसी, एस० एस० पी० और मानवाधिकार को दी जाती है तो पुलिस झुंझला गई और फिर 15 तारीख को पकड़ कर ले गई और गोली मार दी । उसकी पत्नी और दूसरे लोगों ने टेलीग्राम किया कि उसकी पकड़ कर हत्या कर दी जाएगी । 32 घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई ।

इसी तरह से धीरज जायसवाल और अजय जायसवाल को पकड़कर थाने में पुलिस ले गई और मारत-मारते बेदम कर दिया । यह तीनों जेल में थे पुलिस ने सोचा कि अगर एक को छोड़ेंगे तो राज आउट हो जाएगा इसलिए लाकर तीनों की हत्या कर दी । तीनों के बारे में पहले से टेलीग्राम किया जा चुका था । कारतूस दिखाए पुलिस के उनके पास एक भी कारतूस नहीं था । 13 तारीख को टेलीग्राम और फैक्स किया गया 15 तारीख को टेलीग्राम व फैक्स किया उसके बावजूद पुलिस ने इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया । यह सरकार कितनी सेंसटिव है, कितना लोगों के जान माल की रक्षा करती है इससे साफ तौर से उजागर हो जाता है । क्या यह सही नहीं है कि जिनकी हत्या हुई है उनके बच्चे मासूम हैं कैसे पलेंगे ? मारने वालों की उम्र थी 25 से 32 के बीच । दलितों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं ।

पानी गांव थाना माल में ऊषा देवी और रूक्मिणी देवी की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया पुलिस ने गम्भीरता से नहीं लिया रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की और माल क्षेत्र में ही 5-7-2000 को मायावती के साथ दो सिपाहियों ने बलात्कार किया रिपोर्ट नहीं लिखी गई । पुलिस हिरासत में पिछले वर्ष और अब भी जो हत्यायें हुई हैं वह अपने आप में एक रिकार्ड हैं । यह सिलसिला लगातार जारी है मुख्य मंत्री जी कहते हैं हमने आदेश कर दिये हैं कि रिपोर्ट दर्ज की जाय । हम उदाहरण देकर कहना चाहते हैं 20 फरवरी की रात को थाना मोहम्मदा गोहाना गांव के पास बरामदपुर में 12 वर्षीय श्यामा पुत्री के साथ तेशीराम और रमेश ने बलात्कार किया जब उसके माता-पिता और वह थाने रिपोर्ट लिखाने गये तो उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई ।

बावतपुर हवाई अड्डे पर किसानों की हत्या हुई हमने कहा कई माननीय सदस्यों ने बताया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । ना तो बलात्कार की न हत्या की कोई कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है मेरी समझ में नहीं आता कानून व्यवस्था कैसे चलेगी ? अनेक रिपोर्ट तो आई०जी०, डी०आई०जी० के आदेश से लिखी गईं । एक अक्टूबर, 2000 से 2001 तक केवल लखनऊ जनपद में 16 बलात्कार के केसेज हुए अखबारों में निकला है हमारे पास कटिंग । किस तरह से प्रदेश में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है इसका उदाहरण देना चहाता हूं बिहार के डी०आई०जी० ने लिखकर भेजा उत्तर प्रदेश शासन को कि गोरखपुर और पास पड़ोस के जनपदों के 72 लोग इनामी बदमाश हैं जो वारदात करने हैं बिहार में

और चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में उनको पकड़ा जाय लेकिन उनमें से किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया अभी तक । श्रीमन्, मैं अंत में यह कहते हुए गृह विभाग की बात समाप्त करना चाहूंगा कि श्रीमन्, आज इन सारे उदाहरणों से जो मैंने यहां रखे हैं, उनसे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । कातिल, डकैत, अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं । पुलिस की फर्जी मुठभेड़ में लोगों की हत्या कर दी जाती है । गम्भीर घटनाएं होती हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है ।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । श्रीमन्, किसी भी अधिकारी को चाहे वह एस०पी० हो, चाहे डी०आई०जी० रैंक का कोई व्यक्ति हो, अधिकारी स्तर के व्यक्ति को एक जगह पर 2 साल से ज्यादा नहीं रहने देना चाहिए । नहीं तो वह उस क्षेत्र में रिश्ता कायम कर लेते हैं । इनके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होती है तो पड़ोस के जनपद में या तहसील में उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए नहीं तो जहां पर आदमी शिकायत करता है, वह उसको प्रभावित करेगा । इसी तरह से मान्यवर, घटना हो जाती है और रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है, ऐसे में रिपोर्ट न लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

इसी तरह से कहना चहाता हूं कि पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है तो निश्चित तरीके से धारा-302 का मुकदमा उन पुलिस कर्मियों पर, जो उस समय वहां मौजूद थे, कायम किया जाना चाहिए और मृतक के परिवार को इन पुलिस कर्मियों की सम्पत्ति आदि कुर्क करके 5 लाख रुपये की धनराशि की सहायता दी जानी चाहिए । श्रीमन्, मानवाधिकार आयोग का भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग का शीघ्र गठन होना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश करने की बात नहीं है बल्कि स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि 1/2 महीने में यह मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश का भी गठन हो जायेगा ।

मान्यवर, शराब और दूसरे नशीले पदार्थों के आदी कर्मचारियों जो कि ड्यूटी के समय भी इनका सेवन किये होते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सस्पेंड करना चाहिए और जो इसके ज्यादा आदी लोग है उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए । ज्यादा आदी होने के कारण वेतन से गुजर नहीं हो पाती है तो दूसरे तरीके से पैसा पैदा करने की कोशिश करते हैं जिस कारण से अपराधों में और बढ़ोत्तरी होती है . इसी प्रकार से मान्यवर, जैसे कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है । कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कारण से पूरी व्यवस्था बदनाम होती है । ऐसे लोगों को सस्पेंशन से लेकर सेवा से बर्खास्त तक करने की कार्यवाही की जानी चाहिए । यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पुलिस कर्मी साहसिक कार्य करते हैं, डकैतों से मुठभेड़ में मारे जाते हैं, 2,4 लाख नहीं । सिपाही स्तर पर पांच लाख रुपये, दरोगा और जो दूसरे उच्च स्तर के लोग हैं 10-15 लाख रुपये उनके परिवारजनों को दिये जाने चाहिए ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की है । मैं भी कहना चाहता हूं कि कम से कम इतनी सहायता राशि उनके परिवार को मिलनी चाहिये । सर्विस में स्थान तो पहले से भी है और होना भी चाहिए । जब माननीय मुलायम सिंह जी थे उस समय उन्होंने थानों पर जो जीप दे रखीं थीं वे अब खटारा हो गयी हैं । पुलिस को आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती है । जीप है नहीं, कहीं घटना हो गयी तो वह कैसे जायं ? साइकिल उसके पास है नहीं, मोटर साइकिल उसके पास है नहीं । शायद किसी के पास मोटर साइकिल हो तो कैसे उस पर एक आदमी और दो आदमी राइफल लेकर जायें अकेले जाने का काम खतरे से खाली नहीं है.....

श्रीमन्, नई जीपें होनी चाहिए बल्कि जो जीपें थीं वह भी खराब हो चुकी हैं । मैं कहना चाहता हूं कभी खबर की जाए जैसे कानपुर देहात है, वहां एस्कार्ट मिल जाए, तो मिलती नहीं है अगर मिल भी

जाती है तो एक-दो किलोमीटर चलती है फिर कहते हैं कि जीप खराब है आपका प्रोटोकाल विभाग है 100–200 जीपें पड़ी हैं लेकिन एस्कार्ट नहीं मिलती है । मैं तो चाहता ही नहीं हूं जैसे मंत्रियों के साथ अलग से एस्कार्ट चलती है क्योंकि मैं इसका आदी नहीं हूं शेडो गनर भी एक से ज्यादा नहीं लगे हैं लेकिन जीप की बात आई तो जीप निश्चित रूप से थानों में देनी चाहिए इससे अपराधों में रुकावट होगी ।

एक चीज यह भी कहना चाहता हूं वायरलेस सेट थानों पर ही नहीं चौकियों पर भी प्रोवाइड करें ताकि चौकी थानों से सम्पर्क कर सके और अपराधी भागने न पाए । चौकीदार के वेतन के बारे में कहना चाहता हूं हमारी सरकार थी तो 30 रुपये से बढ़ाकर 100-150 किया अब आपने 300/- कर दिया है यह कम से कम 500/- रुपया होना चाहिए वह थाने के अधिकारियों की सेवा करेगा, जनता की सूचना देगा, जनता की सेवा करेगा, तो कम से कम पांच सौ रुपये तो होना ही चाहिए वैसे 1000 होता तो ज्यादा अच्छा था । इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस कांस्टेबिलों की भी नियुक्ति एस० आई० वगैरह की नियुक्ति होनी चाहिए आपने घोषणा की है जल्दी भर्ती करेंगे, इसमें कमी पूरी होनी चाहिए शीघ्र काम इसमें होना चाहिएं । जिन चौकियों पुलिस थानों के भवन नहीं हैं वह अविलम्ब बनवाए जाएं । अगर भवन होंगे तो कांस्टेबिल, थानेदार के लिए व्यवस्था होगी यह भी सूचना रहेगी कि वह यहां हैं उनको सूचना मिलेगी तो तुरन्त कार्यवाही होगी । अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी ।

फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है इसमें अंकुश लगना चाहिए कौन व्यक्ति ऐसा हो जो समाज के लिए देश को आगे बढ़ाने में कामयाबी दिलाए । देश की प्रगति में सहायक हो । इस बजट पर मैंने अपने विचार रखे अब मैं कुछ विचार सामान्य प्रशासन के संबंध में रखना चाहता हूं और इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं प्रशासन चलता है । दो चीजें हैं । मैं अपने अनुभव और बुद्धि के अनुसार प्रेषित कर रहा हूं । जो शासक हैं उससे जो नकारा अधिकारी हो और अपराधी हो, समाज का अपराधी हो और प्रशासन में बैठा हुआ नकारा अधिकारी हो उससे भय खाता रहेगा तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी ठीक रहेगी और प्रशासन भी चुस्त रहेगा, काम-काज भी सुचारु रूप से चलेगा, प्रगति होगी, उद्योग धंधे लगेंगे और अगर यह समझ लिया कि किसी गुंडे बदमाश ने या नकारा अधिकारी ने कि शासन कोई तवज्जह नहीं दे रहा है तो निश्चित तरीके से भय मुक्त होकर काम करेगा और प्रशासन को भी कलंकित करेगा और सारे समाज को परेशान करेगा ।

आज भला आदमी भययुक्त तथा अपराधी भयमुक्त है । तो यह उचित बात नही है । श्रीमन्, मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं । घोड़े पर जब सवार बैठता है तो घोड़ा यह अनुभव कर लेता है कि किस तरीके का सवार है और वह क्या चाहता है ? इसका इशारा कैसा है, लगाम कैसे पकड़ता है और इसमें कुछ करने का दम है कि नहीं वह समझ लेता और उसी के अनुसार रफ्तार बढ़ाता है । आज हमारे मुख्य मंत्री को लोगों ने समझ रखा है । लोग यह कहते हैं कि खिचड़ी सरकार है और इसमें मुख्य मंत्री कुछ करने वाले नहीं हैं, इनका साहस नहीं है इसलिए अराजकता का माहौल है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है और प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा नहीं तो दस पन्द्रह प्रतिशत ऐसे हैं जो आकंठ डूबे हुए हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पा रही है । श्रीमन्, मान लीजिये कि किसी केस में मंत्री ने गलत काम किया, किसी तरह का जन विरोधी काम किया । मुख्य मंत्री चाहते हैं कि वह हटे लेकिन हटा नहीं पाते हैं । क्यों नहीं हटाना चाहते हैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा । श्रीमन्, वह स्त्री जिसके बहुत से पति हों ऐसी स्त्री क्या करे मजबूर है, किसको खुश करे, पता नहीं कौन नाराज हो जाय ।

* गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

माननीय नेता विरोधी दल जी आप स्त्री का अपमान न करें तो उचित होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं । इसीलिए मैंने "ऐसी स्त्री" शब्द का प्रयोग किया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आप स्पेसिफिकली ऐसे मंत्री और अधिकारी के खिलाफ, जो समाज विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो आपको कलंकित कर रहे हैं और जो किसान और आम आदमी का उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें । कोई यह नहीं कहेगा कि अमुक मंत्री का काम गलत था इसलिए सरकार बदनाम हो गयी और इसकी लुटिया डूब गयी और फिर पचास लोग भी चुनकर नहीं आये । सब यही कहेंगे कि मुख्य मंत्री का प्रशासन इस प्रकार से खराब था कि उन्होंने ऐसी नाव खेयी जो बीच में डूब गयी । कुछ लोग जो सशक्त हुआ करते हैं वह निकल जाते हैं और ऐसे लोग निश्चित रूप से निकल जायेंगे ।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जो सामान्य प्रशासन है जो प्रशासनिक व्यवस्था इस वक्त चल रही है वह पूरी तरह से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार घर कर गया है । अकर्मण्यता आ गयी है और अकर्मण्यता आने के कारण प्रशासन चुस्त-दुरुस्त नहीं रह गया है । हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे डी० एम० हों, चाहे एस० पी० हों, मान्यवर, नये जिले बहुत से बन गये हैं नये जिलों में कोई धर्मशाला में आफिस चल रहा है कोई मिडिल स्कूल में चल रहा है और कहीं किसी और जगह मांगे कि बिल्डिंग में चल रहा है, तो अगर कहीं किसी अधिकारी में क्षमता है तो वह पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता है तो श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और बहुत से खर्चों में कटौती कर दें, कर सकते हैं ।

श्रीमन्, यह जम्बू जेट मंत्रि-मण्डल आपका 90 सदस्यीय है वह उसे कम करके 19 भी कर सकते हैं और करोड़ों रुपये की हर महीने की बचत हो सकती है और प्रशासकीय बिल्डिंगें बन सकती हैं दिक्कत यह है कि इधर से उधर चले गये तो मुसीबत पड़ जायेगी । आप चिन्ता इस बात की मत करिये । इतिहास जो है वह हमेशा जो हिम्मत से काम करते हैं और निर्णय अपना दृढ़संकल्प होकर लेते हैं, जनहित में लेते हैं, निश्चित रूप से उनका इतिहास लिखा जाता है और जो किसी लालचवश, भम्रवश या किसी बात से प्रभावित होकर कोई निर्णय लेता है निश्चित रूप से उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है और समाज उसको तिरस्कृत करता है अब भ्रष्टाचार के भी कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी का भी इसमें परोक्ष रूप से निश्चित तरीके से नाम लिया जाता है भले ही उनकी जानकारी में न हों ।

मान्यवर, कुछ नोटरी वकीलों की नियुक्ति की गयी नोटरी वकीलों का एक-एक पद खाली था उसके बाद भी 14 पद सृजित किये गये और उसके बाद में निर्देश हुआ केन्द्र सरकार का कि इसमें अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों को भी इसमें नौकरी का हक दिया जाये तो श्रीमन्, इसमें ऐसा नहीं किया गया ।

यह चूंकि सामान्य प्रशासन से संबंधित है, न्याय विभाग से भी है लेकिन मुख्य मंत्री जी चूंकि इन सारे पर अपनी दृष्टि रखते हैं कंट्रोल करना चाहिए तो उसके बाद 4 पद और सृजित हुए उन पर भी बिना प्रार्थना-पत्र लिये हुए, बिना कोई अखबार में निकाले हुए उसके बाद फिर 4 पद और हुए इस तरह से नियुक्तियां मनमाने ढंग से होती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी तरह श्रीमन्, गौतमबुद्ध नगर के जो जिला पंचायत के सेक्रेट्री हुआ करते हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहूंगा । गौतमबुद्ध नगर के बारे में मैंने लिखकर भी दिया था । क्या हुआ कि एक जीप मरम्मत के लिए दी और उस जीप मरम्मत को दो बार पैसा निकाल लिया 50–50 हजार रुपये जबकि 10 हजार से ज्यादा निकालने का अधिकार नहीं है तो श्रीमन्, परमीशन भी नहीं ली और उसके बाद इस तरह से भ्रष्टाचार हो जाय और कोई कार्यवाही न हो । इसीलिये भ्रष्टाचार पनपता है अगर एक आदमी को दंडित कर दिया जाय तो निश्चित तरीके से लोग डरेंगे और भ्रष्टाचार की हिम्मत नहीं पड़ेगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे निगम जिनकी संख्या पहले 60 के करीब थी और उसमें भी करीब 106 उसकी संयुक्त कम्पनियां थी । अब वह धीरे-धीरे करके चूंकि इतना ज्यादा घाटे में हो गयी हैं कि उनको धीरे-धीरे बन्द करना शुरू कर दिया है ।

मैंने पहले इशारा किया था कि आगे विस्तार में रखूंगा । श्रीमन्, ऐसा है कि यह कोई रैमिडी नहीं है कि अगर हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है तो हम उसको समाप्त कर दें । श्रीमन्, समाप्त कर देने से तो लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेंगे । इन निगमों में लाखों लोग लगे हुए हैं और वह उससे रोजीरोटी पाते हैं तो श्रीमन्, जो निगम घाटे में है उन निगमों को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है अगर सुचारु रूप से चले तो घाटे का कोई प्रश्न नहीं है चाहे विद्युत बोर्ड हो, चाहे परिवहन निगम हो, चाहे औद्योगिक निगम हो । इन निगमों में कुछ ठीक से चल रही है लेकिन 5–7 निगम को छोड़कर सारे निगम घाटे में हैं । कारण क्या है, कारण है कि बहुत से निगमों की बैलेन्सशीट ही नहीं तैयार हुई दो-दो चार-चार साल से । ऐसे अधिकारियों को तुरन्त दंडित करना चाहिए और अगर दंडित हो जाय और दूसरे लोगों की नियुक्ति कर दी जाय तो ठीक हो जायेगा । बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो सुचारु रूप से चला सकते हैं लेकिन जो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को उस पद पर बैठाले हुए हैं इसीलिये लगातार घाटा हो रहा है और तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं । अनेक लोगों को करोड़ों रुपया तनख्वाह दी जा रही है यह अपव्यय है, कुछ पैदा न किया जाय और इस तरह से पैसा दिया जाय ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चहाता हूं कि सुझाव बड़े महत्वपूर्ण हैं और दूसरे विभाग से संबंधित सुझाव आप दे रहे हैं । अच्छा यह होता कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष में बैठकर सुझाव देते और समस्या से अवगत कराते । आज गृह विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव आपके यहां आते तो बेहतर होता ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी अननोन है, अपने बैठे हुये साथियों से पूछ लिया करें । सारी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी की है । जब मंत्री लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अपने विभागों में, तभी तो माननीय मुख्य मंत्री के सामने कहा जा रहा है । अगर इस पर कोई अंकुश लग जाय तो इसमें सुधार हो जाय । इसलिये कोई चीज जानकारी करके ही कहनी चाहिये । बिना जानकारी के नहीं कहनी चाहिये ।

श्री राजनाथ सिंह–

श्रीमन्, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो निगमों के बंद किये जाने के संबंध में चिन्ता व्यक्त की जा रही है, वह निश्चित रूप से उनकी चिन्ता जायज है, सही है और जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सम्भवतः इसलिये खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि निगमों के बंद हो जाने से कानून व्यवस्था के सवाल भी खड़े हो जाते हैं । श्रीमन्, जो भी चिन्ता व्यक्त की जा रही है, वह सही है, जायज है, इसमें माननीय राज्य मंत्री को इन्टरवीन नहीं करना चाहिये, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार रखते हुये और सुझाव देते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी साथी जो भी उनके जनपदों में घटनायें घटित हुई हों, प्रशासन संबंधी, गृह संबंधी, उन सबको उजागर करें। उजागर होने से निश्चित तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें आप जरूर कोई कदम उठायेंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो तथ्य सदन के संज्ञान में लाए जा चुके हैं चाहे वह कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से आए हों चाहे बजट प्रस्ताव रखते समय आए हों, उनकी चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा लेकिन एक बात का मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी के ओजस्वी भाषण के बाद अखबारों की कतरनों का सहारा ले करके घटनाओं की चर्चा की जायेगी, इसकी अपेक्षा मुझे नहीं थी और मान्यवर, मुझे सबसे अधिक कष्ट तब हुआ, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष का भाषण समाप्त हुआ किसी ने धीमी आवाज में कहा "धीमी गति के समाचार समाप्त हुए", मुझे मालूम नहीं कि यह आवाज कहां से आयी लेकिन खेद की बात यह है कि यह आवाज "हां" लाबी से नहीं आयी, यह आवाज "न" लाबी से आयी।

श्री राम औतार शाक्य–

नेता प्रतिपक्ष 70 वर्ष से ऊपर के हैं, डंग साहब जब आप भी उस आयु में होंगे तो, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। .....

डा० सरजीत सिंह डंग -

मैं तो अपने मन की व्यथा कह रहा हूं, इन्होंने तो बहुत ओजस्वी बातें कहीं, सारे इतिहास को दोहराया, सारे भूगोल को दोहराया। मान्यवर, मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, सम्भवतः एक छोटी सी, पतली सी पुस्तिका, साहित्य दिया गया है, काश, कटौती का प्रस्ताव ले आने वाले महानुभाव उसको भी पढ़ लेते, गत वर्ष से इस वर्ष हत्याओं की घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी हुई, गृह भेदन की घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी हुई है अपहरण की घटनाओं में कितनी कमी हुई इसे भी कहा होता लेकिन एक बहुत नपा-तुला वाक्य कटौती का प्रस्ताव रखते समय यह कहा जाता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, कि गम्भीर घटनाओं की एक-एक रिपोर्ट लिखी जाती है, जैसा शासन के आदेश हैं, इस तरह के अपराध करने वाला कोई बच नहीं सकता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अभी सुबह एक घटना आपके लखनऊ में ही घटी और संसदीय कार्य-मंत्री के कहने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

श्री राजनाथ सिंह–

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं उन्होंने कहा कि कल सुबह कोई घटना हुई और उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम कि किस घटना का उन्होंने उल्लेख किया लेकिन गाजियाबाद की एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, कोई महिला एफ०आई०आर० दर्ज कराने गयी थी, इन्सपेक्टर मौजूद नहीं थे, कान्सटेबल ने उनकी तहरीर ले ली, कुछ घण्टे विलम्ब

हुआ, 2-3 घण्टे का विलम्ब हुआ । मैंने कहा कि 3 घण्टे का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए और तुरन्त मैंने निर्देश दिया कि उस हेड कान्सटेबल को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए और वह निलम्बित कर दिया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अच्छा होता कि कटौती का प्रस्ताव रखते समय, स्पेशल टास्क फोर्स ने जो काम किया है, जिस प्रकार से कई घटनाओं का रहस्योद्घाटन किया है, नामी बदमाशों को ठिकाने लगाने का काम किया है, दो शब्द उसके विषय में कहे गये होते तो सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता । महाकुम्भ जिस सफलता के साथ पूर्ण हुआ, जहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई, उसके बारे में कुछ कहा होता । मान्यवर, एक समय प्रदेश में ऐसा समय था जिसमें हल्ला बोल, गेस्ट हाउस घटना, प्रयाग उच्च न्यायालय का अपमान यह भी किसने किया है ? और उत्तर प्रदेश की जनता इसको विस्मृत करने वाली नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को भी लोग भूलने वाले नहीं हैं, यह भी आप याद रखें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जब कुंवर साहब ने चर्चा छेड़ दी है, यह भी कहा गया था कि "परिन्दा पर नहीं मार सकता," मान्यवर, कोई सरकार ढांचा न बनाती है न गिराती है लेकिन राम भक्तों को जो करना था उन्होंने कर दिया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अगर आप न्यायालय को नहीं मानते हो, हाईकोर्ट को नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, देश के संविधान को नहीं मानते हो तो हमें कुछ नहीं कहना है, आप जो करो सब जायज है । वह आपको मुबारक हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

डंग साहब, आरोप-प्रत्यारोप में न जाकर कानून-व्यवस्था, पर बोलो । यही बात है तो आज राजनेताओं में ईमानदारी का अभाव हो गया है, यदि ईमानदारी का अभाव न होता तो मस्जिद गिराने के लिए आन्दोलन करने वाले लोग लिब्राह्न आयोग के सामने यह नहीं कहते कि हमें बड़ा दुःख हुआ, मस्जिद गिराया नहीं गया । ईमानदारी और अपने काम के प्रति निष्ठा खत्म हो गयी है और कुर्सी की लालच में तरह-तरह से बोलते हैं । (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जरा संयम से बोलें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

चर्चा छेड़कर पछता भी रहे हैं और बहस भी चाह रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, व्यवधान बीच-बीच में बढ़ रहा है इसको नियंत्रित करें ।

श्री लालजी वर्मा–

डंग साहब, बाहर आप मुख्य मंत्री जी की आलोचना करते हैं और अन्दर पक्ष में बोल रहे हैं यह मेरे समझ में नहीं आती ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय वर्मा जी, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने स्टेट गेस्ट हाऊस की चर्चा की तो आपके सीने पर मरहम लगना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए था । मैं क्या करूं, चूंकि आप "न" लाबी में बैठे हैं इसलिए दृष्टि आपकी भी बदली हुई है और वाणी भी बदली हुई है । पुलिस बल का मनोबल किसने गिराया, पुलिस बल का राजनीतीकरण किसने किया, जातिवाद को किसने घुसेड़ा, यह प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है और यही कारण है कि प्रदेश की जनता ने 1989 के बाद एक-दो–तीन जितने भी चुनाव होते गये, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया है और सत्ता का सूत्र और सेवा करने का अवसर नहीं दिया है ।

(विपक्ष की ओर से "शाहजहांपुर में क्या हुआ" की आवाज आने पर)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल माननीय राज्य मंत्री सतीश महाना जी ने सरदार लोगों के बारे में क्या कहा है, कल की कार्यवाही कृपया पढ़ लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि कटौती प्रस्ताव से इसका क्या सम्बन्ध है ? राम औतार जी जो कहते हैं उसे बड़े सम्मान के साथ सुनता हूं, भले ही निरर्थक हो । मान्यवर, दो-तीन सुझाव अवश्य देना चाहूंगा । अगर पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना है तो मान्यवर, आपको कुछ चिन्ता करनी पड़ेगी । कांस्टेबिल जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है अगर उसकी पोस्टिंग दूर के थानों पर हो जाती है तो उसके अपने रहने के लिए आवास की व्यवस्था करने में आधी तनख्वाह चली जाती है । कम से कम सुरक्षाबलों के जो छोटे-कर्मचारी हैं, उनके लिए अधिक से अधिक आवास बना दिये जायं जिससे कम से कम आवास की दृष्टि से वह पूरी तरह से निश्चिन्त होकर जनता की सेवा कर सकें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि भर्ती में अभी तक पिछली सरकारों ने पारदर्शिता नहीं रखी । बार-बार उंगलियां उठी हैं कि जातिवाद का सहारा लिया गया है, विशेष जाति के लोगों को रखा गया है, रिश्वतखोरी का बोलबाला रहा है । कांस्टेबिल और दरोगा बनने के लिए बिड़ला और टाटा का पुत्र नहीं आयेगा, साधारण श्रेणी का किसान और मध्यम वर्ग का लड़का अथवा लड़की आयेगा । भर्ती करते समय पारदर्शिता बरती गयी और कदाचार और भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो जो दरोगा और कांस्टेबिल आयेंगे वह जनता की सेवा करेंगे लेकिन जो खेत-खलिहान रेहन रखकर, माता के गहने रेहन रखकर यह जिम्मेदारी पाये हैं तो नौकरी के अगले दिन से ही वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जायेंगे । इस बात की चिन्ता सरकार करेगी । इसी तरह से पुलिस कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गंगेश्वर प्रसाद जी ने जो 20–25 साल पहले रिपोर्ट दी है

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट निकलवायें और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कम से कम पुलिस के लोगों को उतनी सुविधाएं तो दे दें यदि वह जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें जनता की सेवा करने में कठिनाई न हो ।

मान्यवर, यह कम्प्यूटर का जमाना है और आज अपराधी साइबर क्राईम करने लगे हैं इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस बल को प्रशिक्षण दिलवायें इससे वह साइबर क्राइम को रोकने में सफल और सक्षम होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रदेश को बड़ी अपेक्षाएं हैं जिस गति से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारा है, जिस गति से समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सीधा संवाद जोड़ा है, जिस गति से समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं, स्वाभाविक रूप से सामान्य जनता की समस्याओं की तरफ उनकी समस्याओं की तरफ अपनी दृष्टि डाली है, उससे सामान्य नागरिकों के बीच आपके प्रति विश्वास पैदा हुआ है उससे निश्चित रूप से भारतीय

जनता अपने सहयोगी दलों के साथ अवश्य ही आगे बढ़ेगी । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे माननीय नेता विरोधी दल अपने विचार प्रकट कर रहे थे, तो बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाला नहीं है आप ''न'' की लाबी में बैठे हैं, आज भी बैठे हैं और कल भी बैठेंगे और हम आज भी ''हां'' की लाबी में बैठे हैं और कल भी बैठेंगे । मैं यह भविष्यवाणी कर रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सरदार जी ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी दो भविष्यवाणियां की थीं वह रिकार्ड में शामिल हैं । मैंने पहली भविष्यवाणी की थी कि सोरों में आपकी जमानत जप्त हो जायेगी वह जप्त हो गयी और मैंने दूसरी भविष्यवाणी की थी कि आप शाहजहांपुर में बड़ी बुरी तरह से हारेंगे आप वहां हार गये ।

आज मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 65–70 से ज्यादा सीटे नहीं प्राप्त कर सकेगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने तो माननीय नेता विरोधी दल को एक मंझा हुआ राजनीतिज्ञ समझा था लेकिन इस परिचित चेहरे में अपरिचित प्रतिभायें हैं । मान्यवर, मैंने तो आज ही यह जाना कि माननीय नेता विरोधी दल भविष्यवाणियां भी करते हैं और उनकी पार्टी में उनका सम्मान इसलिये है कि वह भविष्यवाणियां करते हैं । इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं मिलेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना अधिक सन्देश इस विभाग के द्वारा जनता में जा सकता है उतना किसी अन्य विभाग से नहीं जायेगा इसलिए आप पूरी निश्चिन्तता से अपने कदम आगे बढ़ाइये, पूरा मंत्रिमण्डल और पूरे प्रदेश की जनता आप के साथ हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अब आपका मंत्री बनने का केस पक्का हो गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शायद आपको जानकारी नहीं है कि यह लालच आपकी पार्टी के लोगों में है, हमारी पार्टी में तो सिर्फ सेवा भाव है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयीं घोषणाओं को सुन रहा था । मा० मुख्य मंत्री जी के बारे में चारों तरफ से चर्चा बनी हुई है कि यह घोषणा मंत्री हो गये । मान्यवर, बड़े जोर-शोर से अपराध नियंत्रण की बात कही जाती है । कल एक प्रसंग आया था जिसमें कहा गया था, डोला की रखवाली करने वाले ही लोग अगर उसको छीनने लगे तो इस तरह से दुर्दशा ही होगी ।

मान्यवर, आज सारे स्तर पर अपराध बढ़ रहे हैं । चोरी,डकैती, अपहरण, बलात्कार बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं और जनता असहाय होकर देख रही है । जो आप सजा दे रहे हैं वह लेखपाल, पटवारी, और हेड कांसटेबिल को दे रहे हैं या छोटे कर्मचारी को या उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं आई०पी०एस०, पी० सी० एस० उनके खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं । इसी सदन में एक अधिकारी ने महिला की लाश को सुअर की लाश बताने का काम किया । आज उसके संबंध में शोधन वक्तव्य मा० मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया था । मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को, अभय सिंह को निलम्बित किया गया है और जांच रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि ग्राम किशन पुर गढ़िया थाना बेवर में लाश मिलने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद पायी गयी ।

मान्यवर, श्री राम सिंह तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा सही व निष्पक्ष जांच न करके एवं तथ्यों को छिपाने हेतु अपने दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में, उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है और उन्हें आरोप-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । तो मान्यवर, सदन को जिसने गुमराह किया है उसको केवल आपने निन्दा प्रविष्टि देने का काम किया है । ऐसे अधिकारी को निलम्बित करके चार्जशीट देना चाहिए था । मान्यवर, अभी गाजियाबाद में हेड कान्सटेबिल को निलम्बित किया गया है, लेकिन जहां पर ऐसी घटनाएं हो रही है वहां के एस० पी० और एस०एस०पी० के विरुद्ध कार्यवाही की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं ।

आज पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ा है । आज यह मंत्रिमण्डल [x x x] ऐसे लोगों के बल पर मा० मुख्य मंत्री जी प्रदेश में कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सपना देख रहे हैं । मुझे तो नहीं प्रतीत होता कि कोई सफलता मिल पायेगी । मान्यवर, बाबतपुर की जो घटना आयी उसमें एस०डी०एम० को रिवाल्वर देने की बात कही गयी है । मान्यवर, आज तक कोई ऐसा दूसरा दृष्टांत नहीं होगा कि मालखाने से रिवाल्वर दिया हो और उसी से हत्या कर दी गयी हो । यह सरकार असहाय होती है और रिवाल्वर की गोली सीने पर मारी जाती है और ऐसे लोगों को निलम्बित नहीं किया जाता है ।

मान्यवर, इसी तरह से अम्बेडकरनगर में वहां के एस०पी० ने भीम प्रसाद सोनकर को धमकाने का काम किया है । इसी तरह से अनेक घटनाएं हैं जिसमें पुलिस अधीक्षक ने लोगों को धमकाने का काम किया है पुलिस अधीक्षक और दूसरे अधिकारियों का नियंत्रण आज नीचे वाले कर्मचारियों पर नहीं रह गया है, वह जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और आये दिन बिना रिश्वत लिए हुए लोगों का काम नहीं करते हैं ।

मान्यवर, मेरे यहां रामजीत वर्मा गायब हो जाते हैं उनके अपहरण की रिपोर्ट लिखायी जाती है । एस०ओ० से मेरी बात हुयी उन्होंने कहा थाने भेज दीजिये । जब वह थाने जाता है तो उसके पास कट्टा दिखाकर उसका चालान कर दिया जाता है । और इसके पहले चालान न करने के लिये उससे 600 रुपये लिये गये और रुपये लेने के बाद भी चालान कर दिया गया ।

इसी तरह टांडा में अग्रवाल परिवार के यहां अपहरण किया जाता है और वह 4 लाख रुपया देकर छुटते हैं उनकी हिम्मत नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का काम करें । इसी तरह से अशरफ अंसारी के लड़के के नाम पर दूसरे के लड़के का अपहरण हो गया जब उसकी थाने पर इत्तला दी जाती है तो कार्यवाही नहीं होती है । अभी माननीय राम अचल राजभर के लड़के को मारने का काम किया गया और पुलिस उसकी जमानत लेकर छोड़ने का काम करती है । जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाता है । श्री राम अचल राजभर के लड़के को 2 घंटे थाने पर बैठाया जाता है और जब वह कहता है कि मैं विधायक का लड़का हूं तो उससे यह कहा जाता है कि पुलिस कप्तान या डी०आई०जी० के लड़के तो नहीं हो । जब वहां की जनता उमड़ पड़ती है तो उसको छोड़ा जाता है और वहां पर कहा जाता है कि मानवाधिकार का कहीं पर उल्लंघन नहीं होता है ।

इसी तरह देवहट ग्राम के एक व्यक्ति की टाण्डा थाने पर उल्टा टांगकर पिटाई होती है और जब वहां ग्राम की पूरी जनता उमड़ कर आ जाती है तो रात को छोड़ दिया जाता है और जब पूछा जाता है तो पुलिस कहती है कि पूछताछ के लिये लाये थे । इसी तरह से कपिल देव वर्मा जो ग्राम विकास अधिकारी टांडा में हैं उनको कोतवाली पकड़कर लाया जाता है और 151 में चालान कर दिया जाता है । टांडा के कोतवाल/रजिस्ट्रार आफिस में घुसकर वहां लेखकों की झोपड़ियों को गिराने का काम करते हैं

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानसुार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

और रजिस्ट्रार को अपमानित करते हैं लेकिन प्रशासन आंख मूंदकर देखा करता है । एस०डी०एम०, डी०एम० कि हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें । आज पूरे प्रदेश में इस तरह के अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं । टांडा में 10 दिनों में 4 हत्यायें हुयी हैं और आज तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया । आज पुलिस जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम करती है आपके सामने अनेक घटनायें आयीं लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती है ।

फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की पिटाई होती है वह अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाता है और यह कहता है कि मैं चाहे सर्विस न करूं लेकिन फैजाबाद नहीं जाऊंगा । इसी तरह से समाज कल्याण निगम के जो सहायक अभियन्ता अकबरपुर में तैनात हैं उनको धमकी दी जाती है वह एफ० आई० आर० करवाते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं होती है । इस प्रकार से अनेक घटनायें हैं जिनको मैं नहीं बताना चाहता हूं । आज अधिकारी अपना स्थानान्तरण कराकर भाग रहे हैं । कोतवाली अकबरपुर में अपराध संख्या–123/2001 अंकित किया जाता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है ? इसी तरह से अपराध संख्या–60/2000 थाना कोतवाली में अंकित होता है 307 भी रहता है उसको निकालने का काम पुलिस कर रही है । इसी तरह से बरखारी में रमेश की हत्या होती है पुलिस अपराधियों से मिली रहती है । थाना जहांगीरगंज में अपराध संख्या–51/2000 के अन्तर्गत अपराध दर्ज होता है 302 का मुकदमा भी दर्ज होता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है । इस तरह की अनेकों घटनायें हैं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है । फैजाबाद में मण्डी परिषद् के डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं वहां की सड़क बनाने का काम वह करते हैं आज उनको वहां से भागकर लखनऊ चला आना पड़ा । क्योंकि अपराधियों के डर से वह अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे थे । डंग साहब ने जातिवाद की चर्चा की मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक इस देश में जाति रहेगी जातिवाद की बात रहेगी । जातिवाद से हम दूर रहेंगे यह बातें कल्पित हैं, झूठी हैं, यह बातें असत्य हैं ।

पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जब मुख्य मंत्री थे उस समय 54 जिले थे 54 जिलों में 45 जिलों के डी०एम० उनकी जाति के थे । डा० सम्पूर्णानन्द जब मुख्य मंत्री थे तो उस समय सारे डी०एम० बदल गए उनकी कायस्थ विरादरी के डी०एम० रखे गए । झूठी बातें कहकर कब तक कमजोर वर्ग के लोगों को बरगलाते रहेंगे । दलितों को आगे नहीं बढ़ने देंगे । जातिवाद का हौवा खड़ा करके उनको आगे बढ़ने से रोकने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम सफल नहीं होगी । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज में विश्वास करती है जो राज्य पक्षपातपूर्ण था जब बालि ने उस काम को किया तो उसका वध किया जाता है और सुग्रीव वह काम करता है तो बध नहीं किया जाता है । जब कोई अपराधी इनके मंत्रिमण्डल में आता है तो वह अपराधी नजर नहीं आता । दूसरा व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसका अपराध बढ़ चढ़कर दिखाई देता है । जब तक पक्षपातपूर्ण व्यवस्था रहेगी प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकेगी । जब तक पक्ष और विपक्ष को समान समझते हुए सबके साथ अन्याय रोकने का काम नहीं किया जाता है सुधार नहीं होगा ।

मैं अम्बेडकर नगर का एक उदाहरण देना चाहता हूं वहां कोई भी एस०ओ० 50 साल से कम नहीं है जब तक आप 50 साल से कम उम्र के लोगों को वहां भेजने का काम नहीं करेंगे अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर में कृपा करके नौजवान पुलिस अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें । इसी तरह से एस०डी०एम० ऐसे अन्य अधिकारियों के बारे में है । वे रोज आर्डर बदलते रहते हैं एक दिन दूसरा आर्डर हुआ बाद में तीसरा आर्डर हुआ पैसा लेकर रोज आदेश को बदलते रहेंगे तो इससे प्रशासन में सुधार नहीं आएगा । अम्बेडकर नगर में अच्छे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भेजने की कृपा करें । इसी के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं मेरा केवल इतना ही कहना है कि जातिवाद के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य करना गलत है । जातिवाद का सहारा लेकर न किसी प्रदेश की प्रगति हो सकती है न ही राष्ट्र की प्रगति हो सकती है । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय डंग साहब ने जातिवाद पर चोट की है तो मैं बता दूं कि सम्प्रदायवाद को प्रदेश में किसने बढ़ाया ? मण्डल आयोग की रिपोर्ट न लागू हो पाये इसलिए कमण्डल लेकर रथ पर कौन बैठा किसने चलाया ? सिखों का कत्लेआम किसने कराया ? भाषण से काम नहीं चलता है ।

मेजर जगत पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश का नेतृत्व जब से सम्भाला है प्रदेश में कानून व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है । मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ओजस्वी, सूक्ष्म-पारदर्शी सत्यता पर आधारित घटनाओं का वर्णन किया है सागर को गागर में भरने का कार्य किया है लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उल्टा ही गागर को सागर में भरने का काम किया है ।

मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सपा के नेता वह दिन भूल गये जब सबसे पहले न्यायपालिका पर हल्ला बोल किया था । विधायकों पर हल्लाबोल किया था । पत्रकारों को पीटा, अखबार जलाये गये और कार्य पालिका पर हल्ला बोल किया था ,इसके साथ-साथ अतिथिगृह में मायावती दलित महिला को कमरे में बन्द करके आग लगाने का प्रयास किया गया तब भाजपा ने ही सहयोग किया यही नहीं सपा के पूर्व विधायक चार-दिन पहले एक महिला के साथ बलात्कार करते पकड़े गये उनके पास राइफल कारतूस और डीजल के टैंकर निकले वह सबसे बड़े तेल माफिया जे० पी० नगर एवं मुरादाबाद में हैं । संभल में झगड़ा कराने का प्रयास कर रहे पूर्व सांसद को पुलिस ने ही जाकर रोका । मुहर्रम के टाइम सम्भल में दंगा कराने का काम आपने किया ।

हमारी नजर में सब बराबर हैं कोई हिन्दू नहीं मुसलमान नहीं हम सबको एकता से साथ लेकर चल रहे हैं । सम्वत् 2000 में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके त्योहार हुए मगर कोई घटना नहीं हुई । उत्तर प्रदेश में जातिगत सम्प्रदाय हो, राजनीतिक गतिविधियां हों, पंचायत चुनाव नगरपालिका, नगर निकाय चुनाव हो या वी०वी०आई०पी० सुरक्षा हो हर जगह सराहनीय कार्य किये गये । इलाहाबाद का कुम्भ हुआ पूरे हिन्दुस्तान के श्रद्धालुओं ने भाग लिया विदेशी भी आये पुलिस ने उनको स्नान ही नहीं कराया बल्कि उन्हें सुरक्षित गाड़ियों में भी बिठाया और पूर्ण सुरक्षा दी । हिन्दुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रशंसा हुई मुख्य मंत्री जी को बधाइयां दी गईं ।

उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति में भारी सुधार हुआ है कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त हुआ है । पुलिस ने अनेक सराहनीय कार्य किये जिससे जनता में प्रशासन के प्रति आस्था बढ़ी है । हत्या में 1.53 की कमी आई है । .....

गृह भेदन में 3.80% की कमी आई है तथा रोड होल्डअप में 5.80% की कमी आयी है ।

जनपद मुरादाबाद में कोई ऐसी बड़ी साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी जो पहले घटा करती थीं । जे० पी० नगर या पश्चिमांचल हो उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह से जातिवाद या साम्प्रदायिक घटनाएं नहीं घटी हैं जो पहले हुआ करती थीं । अपराधियों के ऊपर कठोर कार्यवाही की गई है । चाहे एन०एस०ए० हो, गैंगस्टर ऐक्ट हो, गुण्डा ऐक्ट हो, जुआ अधिनियम हो, आबकारी अधिनियम हो, सबके तहत अपराधियों पर कार्यवाही की गई हैं 1855 आफिसर हैं । पुलिस मुठभेड़ में 213 अपराधी मारे गये हैं । उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन कुख्यात आई०एस०आई० के ऐजन्ट जो पाकिस्तान से आये थे, उन्हें मार गिराया जिसके लिये उत्तर प्रदेश की पुलिस बधाई की पात्र है ।

हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से पूरे पुलिस को वह उपलब्ध भी कराई जा रही हैं । आर्थिक सुधार कल्याण निधि, सुख सुविधा, बोनावोलेन्ट फण्ड निधि, शिक्षा की निधि, स्वास्थ्य की निधि उनके लिये बनाई गई हैं । मैं अपने जनपद की ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं तहसील वाइज थाने के लिये हमने मांग की थी । मान्यवर, हमारे यहां एक-एक थाने में 4–4 तहसीलें हैं जिससे बड़ी कठिनाई हो रही हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कुछ दिनों में भर्ती हो जायेगी तो जो स्टाफ अन्डर स्ट्रैन्थ है वह पूरा हो जायेगा । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग के बजट का समर्थन करते हुए, इस पर बल देता हूं ।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा में मुझे हिस्सा लेने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में, बताया कि यह लगातार बेहतर हो रही है । मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मैं देख रहा हूं आज मुख्य मंत्री जी ही नहीं, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब-जब बजट सत्र के दौरान जब-जब गृह विभाग का बजट आया है, जिस भी माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा, नेता सदन के द्वारा इसको रखने का काम किया गया है, हमेशा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के बारे में लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बाद भी आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार पिछले वर्षों से बिगड़ती चली जा रही है । चाहे हत्याओं के मामले में ले लीजिये, उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी जनपद हो लगातार हत्याओं की बाढ़ आ गई है ।

मैं अपने जनपद उन्नाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद के कुल आंकड़े देखे जायं तो प्रति दिन का आंकड़ा निकाल कर देखें औसत निकल जायेगा । दर्जन भर हत्याओं का प्रतिदिन का । डकैती, लूट या इस तरह के जितने भी गम्भीर अपराध हैं उनका यही हाल है । मैं छोटे अपराधों की बात नहीं करता हूं जितने भी बड़े अपराध हैं, उनके बड़े पैमाने पर बढ़ने का काम हुआ है । मैं केवल अपने जनपद की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर सारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के सारे विभागों के अधिकारी भी यहां रहते हैं, उत्तर प्रदेश का सारा गृह विभाग यहां रहता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आप अखबार उठाकर देख लीजिये तो चाहे हत्या की घटना हो, चाहे लूट की घटना हो, चाहे वह महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की घटना हो, महिलाओं की चेन छीनने की घटना हो । ऐसी तमाम घटनायें आये दिन अखबार में पढ़ने को मिलती हैं इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि लगातार अपराधों पर बढ़ोत्तरी हो रही है, अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि एक सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया करायेंगे। आप लखनऊ के इतिहास को देखने का काम करें, हो सकता है उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों में अधिकारियों के साथ घटनायें न होती हों अधिकारियों की हत्यायें न हुई हों लेकिन लखनऊ में अधिकारियों की हत्यायें हुई हैं इससे लगता है कि मुख्य मंत्री जी की जो घोषणा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, कितनी दुरुस्त हुई है उसका अन्दाजा लग रहा है।

लखनऊ के अन्दर जिला कारागार के अन्दर हत्या हुई लखनऊ के व्यवसायी की हत्या हुई। मुख्य मंत्री जी ने जब शपथ ली तो उनके कुछ दिन के अन्दर सम्मानित विधायक की हत्या हुई और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। वहीं इस सरकार में बैठे लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्यायें कराने का षडयंत्र किया है। कानपुर में अधिकारी की हत्या वहां के कुछ अपराधियों के द्वारा की जाती है वहीं अपर जिलाधिकारी की हत्या होती है, हत्याओं के बाद हत्यायें किस तरह से की जाती हैं यह खेद का विषय है वह किसी से छिपा नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई को पता लगाने का काम किया जाए मेरा मानना है कि जितने भी मामले होते हैं अधिकांशतः दर्ज नहीं किए जाते हैं मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं इतना कहुंगा कि बड़े पैमाने पर अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसी के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे गृह एवं सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में एक बात कही, यह खिचड़ी सरकार है, यह चलने वाली नहीं है चाहे जो कर लिया जाए, मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा कि जो घोड़ा होता है, वो सवार के इशारे को घोड़ा समझ लेता है, कि सवार क्या चाहता है, उनका कहना है कि यह शासन प्रशासन रूपी जो घोड़ा है नेता सदन, मुख्य मंत्री जी की बात समझ नहीं पा रहा है। मान्यवर, बार-बार सपा के नेताओं ने कभी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, कभी-अन्य माध्यम से कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां यह बात न कही होगी, आज भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कि समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी मुठभेड़ में हत्यायें की जा रही हैं उनकी यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह घोड़ा रूपी पुलिस प्रशासन जो है उसको मुख्य मंत्री जी ने आदेश किया है कि अपराधियों का सफाया कर दें। मान्यवर, अब अपराधी अगर समाजवादी पार्टी के हों तो इसमें पुलिस क्या करें। उनको तो सफाया होगा ही यह उनको समझ लेना चाहिए कि माननीय राजनाथ सिंह जी के रहते नामो-निशां इन अपराधियों का मिट जाएगा। तो इसमें क्या कहें, किसी का क्या दोष है।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बोलते हुए बहुत ठीक कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतीकरण हो गया, यद्यपि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने एक शब्द भी सत्य नहीं कहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि–

"जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी।"

यदि नेता प्रतिपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 15-20 सालों में स्थिति खराब हुई हैं, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ है इस सत्य को तो नेता प्रतिपक्ष स्वीकार कर लेते। उनके दल के प्रमुख नेता ने

अल्पसंख्यक समुदाय को भड़काते हुए यह कहा था कि अवैध असलाहे रखो । क्यों कहा ? कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए किसने उकसाया ? साम्प्रदायिक सद्भाव को किसने खराब किया ? केवल उनके वोट मिल जायें और हम सत्ता में आ जायें, यह उचित नहीं है ।

मान्यवर, चाहे रामपुर चौराहे, मुजफ्फरनगर की घटना हो, 2 जून, 95 को स्टेट गेस्ट हाऊस का काण्ड हो जिसमें बहन मायावती को जिन्दा जलाने का प्रयास किया गया । वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भाजपा कार्यकर्त्ताओं के साथ सपा के षडयंत्र को विफल कर बहन मायावती की जान बचाई या फिर अमर उजाला आगरे के प्रमुख सम्पादक श्री अशोक अग्रवाल के घर पर हमला किया हो ? किसने गड़बड़ियां पैदा कीं । एक राजनीतिक दल बसपा ने बुन्देलखण्ड में दुर्दान्त दस्यु ददुआ का खुला समर्थन करती है वह किसके साथी है यह बच्चा-बच्चा जानता है । राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए । आप आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखो तो समझ में आ जायेगा । अगर बूथ कैपचरिंग के लिए राजनीति का अपराधीकरण करना चाहते हो तो यह किसी प्रकार से अधिक समय तक नहीं चलेगा । एक राजनीतिक दल ने आज से वर्षों पूर्व आगरे में मोहम्मद असलम उर्फ शेर खां का, कांग्रेस का समय था, जूट निगम का चेयरमैन बना दिया, 1993 में आगरे के पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य मिश्रा ने लिखित सूची दी है कि उसके ऊपर 35 मुकदमें कायम हैं एक अपराध धारा 302 का व 302 के मुकदमे कायम हैं, और देश के खिलाफ जासूसी का मुकदमा कायम है । (कांग्रेस ने) बना दिया उन्हें जूट निगम का चैयरमैन ।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार से वार्ता कर लें जितने थाने हैं, उनका बिल का भुगतान न होने पर भी उनकी इन कमिंग काल फ्री की सुविधा हो । थाने और चौकी में भी हों, माननीय संचार मंत्री जी ने इस पर आश्वासन भी दिया था यह हो जाये पुलिस को आधुनिक तकनीक के अच्छे असलहे, अच्छे आवास रहने के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था जिनमें केवल अपराधियों का ही नहीं, पुलिस कर्मी/अधिकारी का भी रिकार्ड हो, केवल ट्रांसफर का नहीं । यह रिकार्ड फ्लापी में आये और यह सम्पूर्ण प्रदेश में इण्टर कैनेक्टेड हो । न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाये । हाई कोर्ट की सर्किट बेन्च आगरा व मेरठ में स्थापित की जाये । मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं मैं उनका समर्थन करना चाहूँगा और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिये नशे में काम करने वाले पुलिस कर्मी को निलम्बित करना चाहिये, जो लगातार नशा करता है ऐसे पुलिस कर्मी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये । मैं इन सुझावों का तहेदिल से स्वागत करता हूँ वायरलेस सेट सभी पुलिस चौकी पर स्थापित कर दिये जायें मैं इस सुझाव का भी स्वागत करता हूँ । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा गृह विभाग के बजट प्रस्ताव पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूँ । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुन रहा था शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में घटनाओं की एफ०आई०आर० शत प्रतिशत लिखी जा रही है । मान्यवर, हम मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि एफ०आई०आर० की हालत यह है कि बड़ी घटनाओं को छोटा करके सी०आर०पी०सी० की धारा 107/116 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है ।

मान्यवर, गरीबों के छोटे–मोटे झगड़े जो समझाने से सुलझ सकते हैं थाना दिवस, तहसील दिवस में सुलझ सकते हैं । लेकिन दोनों पक्षों को 107/116 में कार्यवाही करके सरकार अपने कार्यों को पूरा कर रही है कानून व्यवस्था के नाम पर । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो नेपाल की सरहद से सटा हुआ है माओवादियों की सक्रियता से यह जनपद संवेदनशील हैं । मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में

माओवादियों की सक्रियता का जिक्र नहीं किया । अभी पिछले महीने गोरखपुर में एक होटल में नेपाल के माओवादी संगठन ने एक बैठक की पुलिस तब जानी जब दूसरे दिन अखबारों में बात आयी । आपकी पुलिस को कोई सूचना नहीं थी कि माओवादियों ने किसी रणनीति को अंजाम दिया है ।

मुख्य मंत्री जी के केवल व्यक्तिगत निर्णय सही हो सकते हैं और उनकी रुचि है कि सही निर्णय हो लेकिन आगाह कर रहा हूँ कि जो यह एनेक्सी का पाँचवा तल है यहाँ आप ऐसे अधिकारियों से घिरे हैं कि आप चाहते हुए भी सही निर्णय नहीं दे पाते हैं । मुख्य मंत्री जी को उससे बाहर आना पड़ेगा आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी । निर्णय लेने की ताकत जुटानी पड़ेगी, मान्यवर, हमारे जनपद का एस०एस०पी० ईमानदार था हमारे जनपद के अगल–बगल के जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वे जानते हैं, उन लोगों को जानकारी है लेकिन वह सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि माननीय राज्य मंत्रियों के कहने पर थानेदार की पोस्टिंग करने से इन्कार कर दिया । थानेदार नेपाल के बार्डर पर महाराजगंज में 15–15 साल से पड़े हुए हैं एस०आई० और सिपाही काफी वर्षों से लगे हुए हैं उनका स्थानान्तरण नहीं होता । मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि हमारे जनपद का सिपाही माननीय मंत्रियों को अपनी जेब में लेकर घूमने की हिम्मत रखता है, मंत्रियों की तस्करी में लिप्त थानेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । थानेदार माननीय मंत्री जी से छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं एस०एस०पी० से छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है आप लोगों को इन लोगों के प्रभाव से मुक्त होना पड़ेगा तभी प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है ।

मान्यवर, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ मान्यवर, प्रदेश के वीआईपी की सुरक्षा में और नैपाल की सरहद में थानों पर ए०के० 47 की आपूर्ति की गयी थी लेकिन 1991–92 के बाद इस रायफल के कारतूस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय को बार–बार लिखने के बाद आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया । आप थ्री नाट थ्री के रायफल लाठी के रूप में इस्तेमाल होने लगे हैं । वह कारगर नहीं हो रहे । अगर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो पुलिस को अच्छे हथियार उपलब्ध कराने होंगे अगर इन लाठियों के बल पर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो ठीक नहीं होगी ।

मान्यवर, निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी की इच्छा हो सकती है कि अच्छे लोग जनपदों में तैनात हैं । ताकि कानून व्यवस्था ठीक रहे लेकिन हम उदाहरण देंगे कि एक जनपद में पुलिस अधीक्षक जो जिला स्तर का अधिकारी है को अगर एक महीने में हटाया जायेगा तो उस जनपद के बारे में कानून व्यवस्था की समीक्षा हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हैं । हम निश्चित रूप से कहना चाहेगे कि अपने पंचम तल के भ्रष्ट अधिकारी से, अपने मंत्रि मंडल के कुनबे से, आप उनको गैर रचनात्मक दबाव से बाहर कर मुख्य मंत्री को निर्णय करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो सके ।

श्री शिव सिंह चक–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे आज गृह विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, आज इस सर्वोच्च सदन में वरिष्ठ दोनों पक्ष के सम्मानित सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य ने एक भी सत्यता को कहने की जुर्रत नहीं की । मान्यवर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद के अन्दर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय जमीन हथियाने, लूटखसोट, अपहरण उनका पुरुजोर धंधा होता था लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक भी फिरोजाबाद के अन्दर न तो अपहरण हुआ है न लूट हुई है, कोई भी काण्ड जनपद के अन्दर नहीं हुआ ।

मान्यवर, कुछ दिन पहले की बात है आपको मालूम होगा इस सदन में बात आई थी कि टुंडला में बसई काण्ड हुआ था और उस काण्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सदन में ही डी०आई०जी०, कमिश्नर, एस०पी०, डी०एम० को तत्काल हटा दिया था लेकिन जब उसकी छानबीन हुई तो जिला एटा के समाजवादी पार्टी के ही किसी व्यक्ति का हाथ था, यह अखबारों मे छपा । मैं तर्क भी दे सकता हूँ । अखबार की कटिंग भी दिखा सकता हूँ, जिस तरह नेता प्रतिपक्ष अखबारों की कटिंग दिखा रहे थे ।

श्रीमान्, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने गृह विभाग का जो बजट पेश किया है, वह बहुत अच्छा बजट पेश किया है । इस समय पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट दर्ज हो रही है अमन चैन कायम हुआ है । अभी पंचायती राज के चुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुये । अभी हाल ही में उपचुनाव शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुये, इस समय हमारे मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं । अभी महाकुम्भ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसकी तारीफ हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी की । इस समय अपहरण, फिरौती की घटनाओं में काबू पाया गया है । आई०एस०आई० की गतिविधियों को रोका जा रहा है, अर्न्तराष्ट्रीय तस्कर दीपक को हमारे पुलिस के साथियों ने पकड़कर अच्छा कार्य किया है, तमाम लोगों को गुन्डा एक्ट में निरुद्ध किया गया है ।

अब यदि कोई पुलिस कर्मी/अधिकारी मुठभेड़ में मारा जाता है तो उसको 2.50 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है । इसी प्रकार श्रीमन् चौकीदार की धनराशि को बढ़ाकर प्रतिमाह दुगना किया गया है । इसके साथ ही 1634 सब इंस्पेक्टरों की नई भर्ती की जायेगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है । इसी प्रकार 14 हजार पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती शीघ्र की जायेगी । इसी प्रकार आधुनिकीकरण के संबंध में भी काफी काम किया गया है । हमारे टुन्डला क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय गृह राज्य मंत्री जी द्वारा एक पचकोरी थाना का उद्घाटन किया गया था, उसमें जीप की व्यवस्था नहीं थी, वह भी अब की गई है । इसी प्रकार हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत एक नगलासिंधी थाना छप्पर के नीचे चलता था, वहाँ सब असलहा, हथियार आदि छप्पर के नीचे ही रहता था, वहाँ भी थाने की घोषणा की गई है, वहाँ नया थाना बनेगा । यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वह कोई तारीख दे दें जिससे हमारे विधान सभा क्षेत्र में नगलासिंधी थाने का शिलान्यास हो जाय । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है जो राजनाथ सिंह जी कहते हैं उसको करते भी हैं । आज गृह विभाग के बजट पर बोलने का आपने समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुये, मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय धनीराम वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ । श्रीमन् हम जिस क्षेत्र से आते हैं,वह बिहार से मिला हुआ हिस्सा है । गंगा, कर्मनाशा, दुर्गावती, सोन इन नदियों के एक तरफ बिहार प्रदेश है वहां पर नक्सली आन्दोलन बहुत तीव्र है और श्रीमन्, प्रतिवर्ष बलिया में, गाजीपुर में, चन्दौली में, मुख्य मंत्री के तहसील चकिया में, नवगढ़ में, जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में ये करीब 3 करोड़ की आबादी का क्षेत्र नक्सलियों से घिरा हुआ है । हमारी पुलिस उनसे मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, अन्जाम होता है कि वह हादसा कर जाते हैं और बाद में पुलिस पहुँचती है ।

श्रीमन् पूरब में नक्सली आन्दोलन और उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटा हुआ माओ आन्दोलन, इससे उत्तर प्रदेश को घेरा जा रहा है । मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें, अभी यह शुरूआत है अन्यथा अगर यह बात बढ़ी तो जो हमारे पड़ोसी प्रदेश की हालत है, वह उत्तर प्रदेश की हो जायेगी । एक छोटा सा अनुरोध और है, अनुशासनहीनता छोटी बातों से ही बढ़ती है । आज सड़कों के ऊपर गाड़ियां चल रही है, मोटरकार, स्कूटर, मोटर साइकिल सभी गुजरते

हैं और जो किराये की गाड़ियां हैं उनका सफेद प्लेट होता है, काले अक्षर होते हैं और निजी वाहन पर काली प्लेट पर सफेद अक्षर होते हैं। हमारे मित्र ने कहा कम्प्यूटर युग है, टी०वी० युग है। अब नम्बर प्लेट पर विभिन्न रंग लगाये जाते हैं, नीला प्लेट होगा, हरा प्लेट होगा, पीला प्लेट होगा और हमारी ट्रैफिक पुलिस उसको तवज्जों नहीं देती।

आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जिलों के पुलिस अधीक्षक को बुला करके और विशेष तौर से जिनके हाथ में ट्रैफिक है वे इस तरह की गाड़ियों के मालिकों को पहले समझायें कि सही नम्बर प्लेट बनवायें ताकि भ्रम न पैदा हो। हम ट्रैक्टर को ट्राली के साथ देहात से शहर की तरफ आने की छूट दिए हुए हैं। ट्रैक्टर ट्राली निःशुल्क है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुशासनहीनता हो। ट्रेक्टर के ऊपर भी कितना वजन लेकर ट्रैक्टर चलेगा, कितना घेरा लेकर चलेगा, यह अंकित होना चाहिए। होता यह है कि सड़कें अच्छी बन गयी हैं, गति हो गयी है, ट्रकों की भी, बसों की भी कार की भी और इस पर ट्रैक्टर चले आते हैं, आजकल भूसा लेकर चल रहे हैं। जितना चौड़ा ट्रैक्टर है,उतना दोनों तरफ भूसा फैला हुआ है। हमारे किसान भाइयों को अन्दाजा नहीं है कि इससे ट्रैफिक कितना डिस्टर्व होता है। ट्राली का घेरा इतना ज्यादा होता है कि अगर बगल से कोई ट्रक निकला और घेरे का रगड़ लगा तो ट्राली पलट गयी, रास्ता जाम हो गया। यह कसूर पूरा हमारे प्रशासन का है, पुलिस महकमें का है। परिवहन विभाग और प्रशासन को पूरा अधिकार है कि वह निश्चित कर दें कि हर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर कितनी ऊँचाई तक लदा होना चाहिए तथा उसका घेरा कितना होगा यह निश्चित होना चाहिए।

मान्यवर, आखिरी अनुरोध है। आजकल जिला प्लान की बात हो रही है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ यह सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में है, हमारे जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी आपके प्रशासन के अन्तर्गत आते हैं, उनका सम्बन्ध चुने हुये प्रतिनिधियों से है, विधायकों से है, सासंदों से है, ब्लाक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों से है। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि उनका व्यवहार हमारे उन चुने हुये जन प्रतिनिधियों के साथ सही नहीं होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे अधिकरियों को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जनमानस के नौकर हैं, जनमानस के साथ विशेष रूप से चुने हुये जन प्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय धनीराम वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

* डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मान्यवर, अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुये हमारे विद्वान प्रतिपक्ष के नेता माननीय वर्मा जी अपनी समय की बातों का उल्लेख कर रहे थे कि जब हमारी सरकार पिछले समय थी उस समय क्या हो रहा था और आज के जमाने में ऐसा कह रहे थे जैसे–नानी के आगे ननिआउर का बखान करे। जनता सब जानती है कि क्या किया था–

अपहरण व्यापारिन क, छँटनी कर्मचारिन क,
ट्रान्सफर अधिकारिन क, किए बड़े पैमाने में।
खुद ही [××] किए, बहुत [××] किए,
संविधान की हत्याकर मस्त सबको सताने में॥

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[××] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चोरी, घुसखोरी, बरजोरी, सीना जोरी किए,
अपनी कमजोरी छिपाते जाकर मैखाने में ।
लुच्चई, लफंगई, नंगई और गुण्डई,
बढ़ी थी दबंगई, श्रीमान [x ××] के जमाने में ।।
हम तो लगे दलितों को, सारी सुख सुविधा दिलाने में,
दबे कुचलों के दिल में, मान सम्मान स्वाभिमान जगाने में ।
दलितों के नाम घड़ियाली आँसू, बहाने वालों,
तुमने तो जुल्म की हद कर दी थी अपने जमाने में ।।
सुनने में आ रही बहकी बातें विपक्ष की,
बढ़ती ही जा रही वारदातें विपक्ष की ।
कहने के समय एक स्वर एक जुट हैं हो जाते,
सुनने के समय भागते जमातें विपक्ष की ।।
मेरी हर अच्छी बात शिकायत सी बन गई,
बगावत करने की इनकी तो आदत सी बन गयी ।
हम क्या कहें अक्ल के इन दुश्मनों को श्रीमन्,
शराफत हमारी इनको शरारत सी बन गई ।।

श्रीमन्, बसपा के साथ मिल कर हल्ला बोल के जरिये प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया था इन लोगों ने । तब प्रदेश की जनता एक स्वर से यही कह रही थी कि–

हल्ला बोल तो हरे पूरे गोल क पोल खोल दिहेसि,
ई पता चलि ग तोहार केतनी अवकात बा ।
अपने पिछलग्गुन के जीयइ क जुगाड़ किह,
जेहरइ जे पावत बा लूटि पाटि खात बा ।।
चमचन क बात मानि मस्त खुब होत होब,
गांव गली घूमि देख केतना गन्धात बा ।
ई काठे क हाड़ी अब दुबारा न चढ़ि पाये,
जबन लुटबे हो लूटि ल, बस इही भाते भात बा ।।
श्रीमन् [××] करा रहे थे जो भी थोक रेट में,
अभियान चला रोक रहे, फिक्स डैट में ।
हम तो सुरक्षा देने का वादा निभा रहे,
फिर दर्द हो रहा है क्यों इन सबके पेट में ।।
श्रीमन्,
ला एण्ड आर्डर यहां पर चुस्त हो रहा,

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बिगड़ी व्यवस्था हर तरफ दुरूस्त हो रहा ।
कुछ मर गये, कुछ छिप गये, कुछ भागे छोड़कर,
अपराधियों के कारनामें अब सुस्त हो रहा ।।
श्रीमन्,
व्यवहार सबसे एक सा, न कोई भेद है,
सुविधा सुलभ सभी को, न कोई विभेद है ।
सुपवा अगर बोले तो बात समझ में आए,
चलनी क्या बोले जिसमें हजारों छेद हैं ।।
श्रीमन्,
महिलाओं की लाज सुरक्षित,
पहले से बेहतर आज सुरक्षित ।
सबके जान माल की चिन्ता,
लगता है आज सकल समाज सुरक्षित ।।
श्रीमन्,
हम तो सबके उत्थान की बात सोच रहे हैं,
गल्ती करने वालों को भी दबोच रहे हैं ।
शायद इन्हें हमारी छवि नहीं भा रही है,
खिसियानी बिल्ली जैसे खम्भा नोच रहे ।।
श्रीमन्,
कदाचार करने वाला न किया गया माफ है,
न्याय का आधार इंसानियत, इंसाफ है ।
कोई भी कितना बड़ा हो न बख्सा जाएगा,
हमारी नीति और नीयत दोनों साफ हैं ।।
श्रीमन्,
सब को साथ ले चलने की शुरूआत हो रही,
पंचायत करके सबसे खुली बात हो रही ।
शोषित, दलित, मजदूर, कृषक, छात्र कह रहे,
समता, ममता, समरसत्ता की बरसात हो रही ।।
श्रीमन्,
गांवों में गले मिल रहे विराज खाट पर,
भोजन किये रेक्सावानों संग बैठ टाटेपर ।
सब देखते रहिये, अब वह दिन दूर नहीं है,
शेर, बकरी, पियेंगे पानी एक घाट पर ।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमन्,
प्रदेश की वित्तीय स्थिति अब सम्हल रही है,
कायम है अमन-चैन, नीति सफल रही है ।
जब से श्री राजनाथ बागडोर सम्हाले,
प्रदेश की दशा और दिशा बदल रही है ।।
श्रीमन्,
सरकार से सन्तुष्ट अब सारा समाज है,
अपराधी है भययुक्त, जनता भयमुक्त आज है ।
जनता में चारों ओर शुरू बतकही हुई,
लगता है, आ रहा यू०पी० में रामराज है ।।
श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि–
जनता से इन्हें मिल रहा सहारा नहीं है,
सत्ता में इन्हें लौटना अब दुबारा नहीं है ।
मुद्दा विहीन लग रहा विपक्ष यहां का,
हल्ला के शिवा इनको कोई चारा नहीं है ।।
श्रीमन्,
उत्तर प्रदेश उत्तम बने, संकल्प यही है,
जनता को खुश रखने को समय अल्प नहीं है ।
कितना ही अब उछलो-कूदो या हल्ला मचा ले,
यू०पी० में भाजपा को कोई विकल्प नहीं है ।।
श्रीमन्,
गले लगा रहे सभी दुर्बल, अनाथ को,
हैं काम देने जा रहे कमजोर हाथ को ।
उत्तर प्रदेश की हैं कायाकल्प कर रहे,
बधाई है बार-बार श्री राजनाथ को ।।
श्रीमन्, अन्त में हम कहना चाहते हैं कि–
हल्ला इसी तरह से अगर आप करोगे,
बिन समझे-बूझे अनर्गल प्रलाप करोगे ।
कटौती न करो, निवेदन है श्री धनीराम से,
वापस लो वरना बाद में पश्चाताप करोगे ।।

श्रीमन्, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैंने नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को बड़ी गम्भीरता से सुना है। श्रीमन्, वर्तमान में ऐसा माहौल बनता दिखायी दे रहा है। श्रीमन्, जो विधायक आपस में आरोप-प्रत्यारोप में झगड़ते रहते हैं वही कल समाचार-पत्रों में छपकर जायेगा तो क्या स्थिति होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले जो रोजाना महसूस करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती चली जा रही है। इस विधान सभा का कोई अर्थ नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि शान्ति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी पुलिस महकमें की है। आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपराधियों को संरक्षण दिलाना बन्द किया जाये।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में जितनी कमियां हैं आज वह लाइलाज हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से चिन्तन-मनन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। श्रीमन्, राजनीतिक जीवन में 3 जगह हैं, थाना, तहसील, अस्पताल। यह ऐसी जगह हैं जहां विधायकों की खिचायी होती है। यदि कहीं चोरी, डकैती, अपहरण हो जाता है तो पीड़ित थानों पर जाते हैं तो पुलिस गाली-गलौज से पेश आती है। यह जो स्थिति है खत्म की जाये।

इस महत्वपूर्ण विभाग की रूपरेखा क्या हो इस पर विचार किया जाना चाहिए। डी०जी०पी० कहते हैं कि थानों में व्यवहार अच्छा होगा और आदेश भी जारी करते हैं, लेकिन इसका कितना अमल होता है, क्या इसका पता लगाने की कोशिश की गयी है ? पुलिस का असली काम यह है कि जो नहीं देखती है उसके बारे में विवेचना करके घटना स्थल पर जाकर गहराई में जाकर तथ्यों का विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिक तरीके से घटना की तह में जाकर पता लगाना और अपराधियों तक पहुंचना। लेकिन पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है। क्या डी०जी०पी० स्तर से इस तरह की कोई निर्देश किये हैं कि पुलिस वालों से इस प्रकार की वार्ता हो या थानों पर चर्चा हो, ताकि सही तरीके से जांच हो सके और तफतीश हो सके ?

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसके घर में डकैती पड़ी हो उसको आप थाने भेजकर देखें जब वह थाने में जायेगा तो उसकी रिपोर्ट को मिनिमाइज करके लिखा जायेगा। यह प्रवृत्ति जो थानों में है इस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे यहां वजीरपुर जेहलपुर का एक लड़का मारा गया दूसरे थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। वजीरपुर में गुड्डू की हत्या की गयी रिपोर्ट लिखी गयी लेकिन तफतीश के बाद कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस वाले थानों में 15-15 दिन, 1-1 महीने निरपराध लोगों को बैठाये रखती है। उनके घर वाले तार देते हैं कि हमारा आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस बेखौफ होकर यह कहती है कि हमारे थाने में इस नाम का कोई आदमी नहीं पकड़ा गया है और हमारे थाने में नहीं है। इस स्थिति को सोचना चाहिए। आपने कहा कि प्रतिपक्ष ने अपने समय में जब सत्ता में था तो गलत काम किया, लेकिन यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, आपकी सरकार है आप सही काम करें। विपक्ष ने सही काम नहीं किया था जो जनता ने उनको वहां बैठा दिया। आप भी अगर जनता को राहत नहीं दोगे तो आप भी उधर बैठोगे। आज ब्यूरोक्रेसी सब समस्याओं की जड़ बनती जा रही है और उस पर हमला नहीं करते हैं। आज जो स्थिति थानों पर उभर कर आ रही है उससे सभी परिचित हैं। अभी संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात आयी थी। उनके इंटरवेंशन पर 3 घण्टे के बाद रिपोर्ट लिखी गयी। थाने पर दरोगा नहीं मिला, एस०पी० नहीं मिले तो यह आज स्थिति है। यह कोई साधारण मामला नहीं है एक मंत्री का मामला है। जब ऐसे मामले हम उठाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। हमें शर्म आ रही है। थानों में जो दुर्व्यहार लोगों के साथ किया जाता है उसको रुकवाया जाय। अभी आगरा के थाना फतेहाबाद में थानाध्यक्ष ने एक व्यक्ति राजकुमार गांव पलिया को गोली मार दी लेकिन अभी तक

गिरफ्तार नहीं हुआ है । वह राजकुमार सहारा के पत्रकार थे जिन की पुलिस की गोली से मौत हो गयी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । यह ऐसे मामले हैं जिनसे सरकार की छवि खराब होती है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फिरोजाबाद में 2 महीने में 8-9 अपहरण की घटनायें हो गयीं । वहां एक दरोगा बसई मोहम्मदपुर हैं उन्होंने मुखबिर को हथियार दिया कि डकैती डालो । एस०पी० से कहा गया तो उन्होंने मुखबिर को हाजिर करा दिया और ऐसा दरोगा अभी भी वहां तैनात है । इसी तरह से एक श्री घनश्याम सचान एस०ओ० नगला सिंधी थे उन्होंने एक व्यक्ति राम खिलाड़ी को पकड़ कर थाने में पिटवाया, जूतों की माला पहनायी और माला पहना कर जुलूस निकाला । मैंने शिकायत की तो लिखकर मिला कि वह थाने के इंचार्ज नहीं रहेंगे लेकिन वह आज भी इंचार्ज हैं । ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने चार्ज लेते समय कहा था कि 15 दिन में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक कर दी जायगी लेकिन कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति सुधरी कि ताबड़तोड़ हत्यायें होने लगीं । अलीगढ़ में बसई गांव में पुलिस ने घर के किवाड़े, चक्की-चूल्हे तोड़ डाले मैं जानना चाहता हूं, डी०जी०पी० बतायें कि क्या यह जंगल राज नहीं है पुलिस को किसी के घर के किवाड़ तोड़ने का अधिकार कहां से मिल गया ? मैं याद दिलाना चाहता हूं जब चन्द्रभान गुप्त और चौधरी चरण सिंह थे तो उन्होंने कानून बनवाया था कि बिना किसी अदालत के आदेश के कोई किसी मकान से कुछ नहीं निकाल सकता । लेकिन आज उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है । कार्यवाही नहीं होगी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज माफिया तेजी के साथ खुश होकर घूम रहा है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत इससे कमजोर कभी नहीं आएगी इससे जितनी गुण्डागर्दी करनी हो कर लें । माफिया सरगना समझने लगा है कि सरकार उसकी है और सरकार का उन पर बरदहस्त है उनके ऊपर हाथ है । हर जगह डकैती पड़ रही है, चोरियों की बाढ़ सी आ गयी है अपहरण हो रहे हैं सरकार क्या कर रही है सरकार क्या भाड़ झोंक रही है क्या कर रही है । कानून सबके लिये बराबर है चाहे कोई गरीब हो या अमीर सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में । कानून सबके लिये है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

डकैत, डकैत रहेगा अधिकारी, अधिकारी रहेगा यह स्थिति हमको बनानी पड़ेगी । आंकड़ों व मायाजाल सें काम नहीं चलेगा कि अपराध घटे फिर कुनबा डूबा क्यों, क्यों डकैती पड़ रही है । आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब है घर से निकलकर जब कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिये जाता है तो मां बाप घर पर बैठककर मनौती करते रहते हैं कि मेरा बच्चा सही लौटे । चाहे गरीब हो, उद्योगपति हो सबके लिये कानून व्यवस्था की स्थिति भयातुर है । हर आदमी भय में है अपराधी भयमुक्त है । यह पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव क्या करते हैं इतने आई० जी० जोन बना दिये अधिकारियों की इतनी लम्बी फौज खड़ी कर दी तीन-तीन महानिदेशक बना दिये । हर जोन के लिये एक आई० जी० व डी० आई० जी० बना दिये । उसके बाद भी कानून व्यवस्था कि स्थिति भयातुर होती गई । छोटे छोटे कर्मचारियों की भरती कानून व्यवस्था को ठीक करने में अधिक मदद कर सकती है । रामपुर तिराहे की घटना की बड़ी चर्चा सत्ता पक्ष से हुई उस काण्ड का जो प्रमुख दोषी अधिकारी था वह आज प्रशासन का प्रमुख आदमी है मुख्यमंत्री के खास हैं फिर आपने उसकी आलोचना क्यों की थी । अब तो आपको इस काण्ड की आलोचना बन्द कर देनी चाहिये । उस समय मैं और हुकुम सिंह जी साथ-साथ थे सब

जानते हैं कि क्या बात है । इन सारी बातों के खिलाफ जनता माइण्ड करती है कि क्या हो रहा है । इन सारी बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लें ।

अपहरण को रोकने के संबंध में जब तक कारगर नीति नहीं बनाएंगे उसके लिये वहां के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी जब तक नहीं होगी अगर चार या पांच अपहरण काण्ड हो जाएं तो वहां के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ तत्काल कार्यवाही हो, आई० जी० जोन, व डी० आई० आई० जी० के खिलाफ कार्यवाही हो । जितनी दरखास्तें देते हैं यहां से दी जाती है डी० आई० जी० के यहां वह खो जाती है अगर गई तो एस० पी० उसमें मार्क कर देते हैं और वह वहीं पहुंच जाती है जिसके खिलाफ शिकायत हो । यह स्थिति है इस सम्बन्ध में एस० पी० की जिम्मेदारी होनी चाहिये, डी० आई० जी० की जिम्मेदारी होनी चाहिये, आई० जी० की जिम्मेदारी होनी चाहिये जो डी० जी० पी० काम करने में अक्षम साबित हों उनको तुरन्त हटाकर दूसरे आदमी को मौका देना चाहिये । मेरा कई वर्षों का अनुभव है सत्तादल के सहयोग से अपराध बढ़ता है, सत्तादल के सहयोग से ही बदमाश अधिकारी लाभ उठाता है उसी के सहयोग से यह पलते हैं । अगर यह स्थिति बदले तो प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी ...

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, चर्चा जारी करा दीजिये । कार्य-मंत्रणा की सिफारिश ले लें ।

(श्री गोरखनाथ पाण्डेय के बैठने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप जारी रखें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री नेता सदन द्वारा रखे गये सामान्य प्रशासन के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । .....

(सत्ता पक्ष से चर्चा जारी चर्चा जारी की आवाजें आने पर)

श्री लालजी वर्मा–

यदि माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते तो अगले को मौका दीजिये । ऐसा लगता है भाजपा के लोगों को मुख्य मंत्री जी पर विश्वास नहीं रहा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

नेता प्रतिपक्ष द्वारा कटौती के प्रस्ताव को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और यह सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट एवं नई बनाई गई व्यवस्थाओं का समर्थन करेंगे सही को सही कहेंगे लेकिन आपने कहा एक प्रतिशत भी इसमें कोई सत्यता नहीं है मैं नहीं समझ पाया प्रतिशत कैसे किस आधार पर निकालते हैं ? कोई मापदण्ड तो होगा । जहां शातिर बदमाश सरेआम घूमते थे स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से जेलों में बन्द हो गये । जहां कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ वहीं कम से कम कहना चाहिये था कुछ व्यवस्था की गई है । एक तरफ आप यह कहते हैं प्रदेश में अमन चैन कायम हो और दूसरी तरफ पुलिस जो बहादुरी का काम करती है और मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं ऐसी घटनायें पहले भी हुआ करती थी शहीदों के निरीह बच्चे विधवायें होती थी लेकिन पहले की सरकार ने

इस ओर ध्यान नहीं दिया शायद पहले की सरकार गूंगी और बहरी थी । जो आज हमारी कमियों को देखते हैं पहले अपने गिरेबान में झांक कर देंखे । जो मुठभेड़ में शहीद होते हैं उनको ढाई लाख का सहयोग देकर उनके बच्चों की शादी एवं शिक्षा हो सके इसलिये उनकी ओर ध्यान दिया गया । जहां सामान्य व्यवस्था है आप सब कहीं न कहीं धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हैं । धार्मिक सौहार्द और अमन चैन की बात होती है, वहीं महाकुम्भ का अवसर भी बीता जिसकी अन्य प्रदेशों में, हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों ने उसकी सराहना की । आपका ध्यान इस ओर नहीं गया । कहा जाता था कि आई० एस० आई० की गतिविधियां वहां पर तेज हो जायेंगी, विस्फोट होंगे, भगदड़ मच सकती है लेकिन मान्यवर, वहां पर अमन चैन के साथ करोड़ों जनता ने एक समय के अन्दर, 24 घंटे के अन्दर स्नान करके कीर्तिमान स्थापित किया है, आपको इसकी सराहना करनी चाहिये थी । कहा जाता है कि पुलिस बल की कमी है, कहीं-कहीं कठिनाई हो रही है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ढाई हजार सब इन्स्पेक्टर और 2200 पी०ए०सी० के जवानों की भर्ती की बात कही है । लालजी वर्मा जब कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात कह रहे थे तो मैं उनको ध्यान से सुन रहा था । आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उनकी भी सरकार थी, उस समय क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की ? उस समय क्या-क्या नहीं हुआ, मैं उधर जाना नहीं चाहता ।

कांग्रेस को काफी अरसा शासन करने का अवसर मिला । आज जो दुर्व्यवस्था और विसंगतियां हैं उसके लिये कहीं न कहीं ऐसे राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भी दायित्व रहा है । जब आज जरा व्यवस्था सुधरी है, अमन चैन कायम हुआ है, भाई चारा और सौहार्द का वातावरण बना है तो उस ओर ध्यान नहीं जाता । यह कहना कि एक परसेन्ट भी सुधार नहीं हुआ उचित नहीं मालूम पड़ता । कहा जाता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी तब एक वर्ग विशेष को देश छोड़ना पड़ेगा । मान्यवर, जब से यह सरकार आई है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसी सौहार्द कायम हुआ है, भाई चारा कायम हुआ है । खुले आम मर्डर और हत्या नहीं हुए हैं, इन सब पर प्रतिबन्ध लगा है । पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे लोग किसी न किसी क्षेत्र से आये हैं, इस व्यवस्था में सुधार आया है । मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हर प्रकार से चाहे गांव में रहने वाला चौकीदार, जो हर गांव से संबंधित होता है वह अरसे से काम करता आया है । क्या वेतन उसको मिलता था ? कैसे वह जीवकोपार्जन करता रहा होगा, उस ओर भी सुधार किया गया है । होमगार्ड और अन्य सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी दृष्टिपात किया है और अमन चैन कायम करने में, समरसता, एकता, सौहार्द भाईचारा कायम करने का काम किया है, जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । मुझे कष्ट होता है प्रतिपक्ष के नेता और सभी सम्मानित सदस्य अपनी बात कहने के लिये खड़े होते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि उन्हें भी अवसर मिला था, उस समय क्या व्यवस्था दी । कैसे हत्याएं हो रही थी, लूट होती थी, सरेआम डकैती पड़ती थी, तिराहा हत्याकाण्ड होते थे, हत्याओं का नग्न तांडव हुआ करता था । इसी तरह से मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनावश्यक ट्रकों से अवैध वसूली हुआ करती थी चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रही हो ट्रकों से सामान्य आदमी का संबंध रहा हो, अवैध वसूली हुआ करती थी । सड़कों पर लूट हुआ करती थी, अवैध वसूली हुआ करती थी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी व्यवस्था से उस पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक काम किया है । कानून व्यवस्था में अनेक नीतियां बनाकर ऐसे लोगों को जो अवैध अस्त्र शस्त्र के धन्धे में लिप्त हुआ करते थे, असलहे बनाकर बेचा करते थे वे पकड़े गये, अवैध कारतूस बनाने वाले पकड़े गये । शातिर बदमाशों की एक लम्बी कतार आज जेल में है । आये दिन जब पुलिस मुठभेड़ होती है और उसमें कोई शातिर बदमाश मारा जाता है तो प्रतिपक्ष में बैठे लोग दूसरे दिन सदन में हल्ला करते हैं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, निरपराध था, बिना किसी कारण के उसको मार दिया और कह रहे हैं कि हमने बदमाश को मारा । मान्यवर, जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि वह शातिर बदमाश था,

डकैत निकलता है, अवैध अस्त्र शस्त्र और असलहों के धन्धे में लिप्त निकलता है। यदि आप वास्तव में समाज में अमन चैन चाहते हैं तो इस व्यवस्था के प्रति आपको सहयोग देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रतिपक्ष में बैठे लीगों से आग्रह करूंगा कि सच को कहने की हिम्मत रखें इसके साथ ही मैं सुझाव देना चाहता हूं जहां थानों से आज पुलिस को बदमाशों से मुठभेड़ करने के लिए जाना पड़ता है वहीं वाहन पुराने होने के कारण पुलिस पिछड़ जाती है बदमाशों का पीछा करने में असफल होती है मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन और सम्मानित सदस्यगण बैठे हें हर थानों में जहां पुलिस बल अपराधियों का सामना करने के लिए भेजा जाता है उनके लिए नये वाहनों की व्यवस्था की जाए। बदमाशों के पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र होते हैं लेकिन पुलिस के पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र नहीं हैं सामान्य रायफलों से वह उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

उनको आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैस किया जाए आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की व्यवस्था पुलिस बल के लिए की जाए ताकि वह बदमाशों से मुकाबला कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री गजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर।)

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ उपलब्धियां गिनाई। यह एहसान नहीं है लेकिन यह उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था ठीक रखें। मुख्य मंत्री जी आंकड़ों से सिद्ध कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में नहीं आ रहे हैं प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई थाना होती है। इससे सारा कार्य संचालित होता है एक नजर थानों पर डालना चाहता हूं 1991 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश में कुल थानों की आवश्कयता 1935 होती है। जिसमें 1314 थानें स्वीकृत हैं। 571 थानों की और आवश्यकता होती है, पचास हजार की आबादी पर शहरी क्षेत्र में और 70 हजार की आबादी पर देहाती क्षेत्र में थाने खोले जायेंगे। यह कहा गया था, अब मान्यवर, नई जनगणना आ गयी है स्थिति भयावह हो जायगी कैसे कानून व्यवस्था सही रखी जाएगी। इस पुस्तिका में नये थानों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है मान्यवर, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है इन थानों पर वार्षिक खर्चा क्या होता है ? 1996-97-98-99 के आंकड़े देखने को मिले 42 परसेन्ट से कुछ ज्यादा यही मात्रा है, थानों के मुख्य दायित्व होते हैं, थानों की स्थिति छिपी नहीं है, थानों में बेहाली है इसके कारण जो भ्रष्टाचार होता है उसकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। थानों में रहने-खाने की व्यवस्था नहीं है।

जीपों के बारे में सभी वक्ताओं ने कहा है। जीप ऐसी दी जाती हैं कि दस कदम के बाद खड़ी हो जाती हैं उनको पेट्रोल दिया जाता है इस पर सरकार विचार करेगी ? मजबूरन अधिकारी भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं। गलत काम करते है। मान्यवर, एक 13-7-99 को शासनादेश जारी किया गया शहरी तीन थानों पर एक पुलिस उप-अधीक्षक और देहाती चार थानों पर एक उप अधीक्षक रहेगा यह मुख्य सचिव के नेतृत्व में विचार किया गया है। शासनादेश बना नहीं है। जी०-ओ० जारी हो गया है वह कभी भी निष्प्रभावी हो सकता है जब तक शासनादेश न बन जाए, इस पुस्तिका में तो विवरण में नहीं आया है। मान्यवर, यह एक अच्छी व्यवस्था है और मैं इस व्यवस्था का समर्थन करते हुए यह चाहूंगा कि इसको और सुदृढ़ करें। चाहे डिप्टी एस०पी० को और अधिकार दे दें। वह अधिकार विहीन बना रहता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तफतीश करने का अधिकार हैड कांस्टेबिल को दे रहे हैं। हैड

कांस्टेबिल क्या तफतीश करेगा इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यदि आपकी मंशा उनसे जांच कराने की है तो आप हैड कांस्टेबिल को सी०ओ० के अण्डर में रखिये। डिप्टी एस०पी० के अण्डर में काम करते रहें। दरोगा के अन्डर में नहीं रहेंगे तो पारदर्शिता हो सकती है।

मान्यवर, शासनादेश संख्या-561 दिनांक 28-1-95 का हवाला देना चाहूंगा। इसमें यह है कि प्रत्येक जनपद में बीस प्रतिशत अनुसूचित जातियों, 25 प्रतिशत पिछड़ी जातियों तथा 8 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को नियुक्त किया जायेगा। इसका पालन नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर वाकई आप कल्याणकारी रूप में कार्य करना चाहते हैं तो या तो इस शासनादेश को सुनिश्चित करायें या फिर इसे समाप्त करें। हो क्या रहा है पुलिस अधीक्षक सुविधा शुल्क लेकर बना रहे हैं। कोई मापदण्ड नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको नहीं बनाया जा रहा है, कुछ इनाम पाये हुये हैं लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा है ...

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं ...

श्री अधिष्ठाता-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[illegible] के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं सूचना दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपने बैठक दिनांक 31 मई, 2001 में सदन के 01 जून, 2001 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 01 जून, 2001 को निधन के निर्देश लिये जायं।

2-01 जून, 2001 को नियम 56, 300 तथा 311 की सूचनायें न ली जायं।

3-सदन का 01 जून, 2001 का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :-

(1) निधन के निर्देश।

(2) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ख) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

(ग) भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

(घ) राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001

3–वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

4 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001†

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 22 क ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता है ।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

नोट :–† दिनांक 4-6-2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†† दिनांक ..... के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 31-5-2001 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुईं अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

1–श्री अरिमर्दन सिंह एवं श्री दद्दू प्रसाद	जनपद महोबा में खनन पट्टा धारकों के साथ कथित रूप से अवैधानिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
2–श्री राम औतार शाक्य	जनपद कानपुर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय कालेज की कक्षा 9 की परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न-पत्र के अनुसार न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
3–डा० वकार अहमद शाह	प्रदेश में कीटनाशक सल्फास गोली के प्रयोग से हो रही आत्महत्या की घटनाओं के संबंध में ।
4–श्री राम अचल राजभर	प्रदेश में गेहूं के क्रय केन्द्रों पर बोरों के अभाव में गेहूं के खरीद पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में ।
5–श्री जगदीश नारायण राय	जनपद जौनपुर के मुफ्तींगंज बाजार में दिनांक 27 मई, 2001 को हुयी हत्या की घटना तथा पुलिस की लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी लोगों को फंसाए जाने के संबंध में ।
6–श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा में नालों की नियमित सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
7–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	मेरठ महानगर में मेले (पशुवधशाला) की अनियमितताओं के कारण जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के संबंध में ।
8–चौधरी बाबू लाल	आवास एवं विकास परिषद् आगरा की सिकन्दरा योजना में भूखण्ड आवंटन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के संबंध में ।
9–श्री गोरख नाथ पाण्डेय	प्रदेश में विशेषतः संत रविदास नगर भदोही में ग्रामीण अभियंत्रण एवं जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों के पुनः निर्माण के संबंध में ।

10–श्री नवाब सिंह नागर — जनपत गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत ग्राम छलैरा बांगर की जमीन के मुआवजे के संबंध में।

11–श्री रूप चौधरी — लोनी जनपद गाजियाबाद और आस-पास के क्षेत्रों में दिल्ली से हटाये गये अवैध उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण के संबंध में।

12–डा० पूर्णमासी पंकज — कालीन नगरी भदोही में अबाधित विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

13–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि — मो० दुर्गापल्ली निकट आशुतोष नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ में गन्दे पानी की निकासी के संबंध में।

14–श्री राम चन्द्र यादव — जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर तहसील के भवन के निर्माण के संबंध में।

15–श्री अजय कुमार पोइया — मथुरा जनपद में आवास एवं विकास परिषद् की राधिका बिहार योजनान्तर्गत व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में।

16–श्री लवकुश कुमार — नगरपालिका परिषद् नगीना जनपद बिजनौर के अध्यक्ष द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र दाखिल किये जाने तथा उन्हें षडयन्त्र की जानकारी होने के बावजूद भी पदच्युत न किये जाने के संबंध में।

17–मे० जे० पी० सिंह — लखनऊ नगर निगम जोन–3 के अन्तर्गत कल्याणपुर मोहल्ले में सड़क तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था के संबंध में।

18–श्री शिव सिंह चक — लखनऊ नगर निगम की शिवानी बिहार कालोनी अन्तर्गत ब्लाक डी की मुख्य सड़क तथा नाली का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

19–श्री बाबू लाल कुशवाहा — जनपद बांदा में वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रा० विद्यालयों के छात्रों के उपयोग हेतु घटिया सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

20–श्री रामवीर सिंह — जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद-मुस्तफाबाद मार्ग व फरिहा जवागढ़ मार्ग के टूट जाने से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में।

21–श्री परवेज हलीम — जनपद मऊ के कोपागंज एवं घोसी विकास खण्ड अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना के धन से प्रतिबन्ध कार्यों में पृथक्करण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

22–श्री रघुवर दयाल वर्मा — जनपद अलीगढ़ के खैरेपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत नगला करारी में कुएं के अन्दर जहरीली गैस से मृत चार युवकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में।

23–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी — पावर कारपोरेशन लखनऊ के अन्तर्गत घोटालों के उपरान्त षडयन्त्र के तहत राजस्व के महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

24-श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल अधिशासी अभियन्ता नलकूप बाराबंकी के अधीनस्थ मृत कर्मचारी श्री मिश्रीलाल के परिजनों को देय पेंशन बीमा एवं ग्रेच्युटी का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 51 में उपस्थिति देखने का निर्णय हुआ था, कृपया उपस्थिति देख लेने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

पहली सूचना श्री सीताराम निषाद, अनुपस्थित हैं। दूसरी सूचना श्री मूलचन्द, अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद, अनुपस्थित हैं। चौथी सूचना श्री अरिमर्दन सिंह, अनुपस्थित हैं। पांचवीं सूचना श्रीराम औतार शाक्य, उपस्थित हैं। छठी सूचना डा० वकार अहमद शाह, उपस्थित हैं। सातवीं सूचना श्री राम अचल राजभर, उपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय, उपस्थित हैं। नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग, उपस्थित हैं। दसवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, उपस्थित हैं। ग्यारहवीं सूचना श्री हरपाल सिंह, अनुपस्थित हैं। बारहवीं सूचना चौधरी बाबूलाल, उपस्थित हैं। तेरहवीं सूचना श्री कैलाश यादव, अनुपस्थित हैं। चौदहवीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय, उपस्थित हैं। पन्द्रहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर, उपस्थित हैं। सोलहवीं सूचना श्री रूप चौधरी, उपस्थित हैं। सत्रहवीं सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की है, उपस्थित हैं। अट्ठारहवीं सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, उपस्थित हैं। उन्नीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की, अनुपस्थित हैं। बीसवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की, अनुपस्थित हैं। इक्कीसवीं सूचना श्री लवकुश कुमार की, उपस्थित हैं। बाइसवीं सूचना मेजर जे० पी० सिंह की, अनुपस्थित हैं। तेइसवीं सूचना श्री शिव सिंह चक की, अनुपस्थित हैं। चौबीसवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की, उपस्थित हैं। पच्चीसवीं सूचना श्री रामवीर सिंह की, अनुपस्थित हैं। छब्बीसवीं सूचना श्री परवेज हलीम की उपस्थित हैं। सत्ताइसवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की, उपस्थित हैं। अट्ठाइसवीं सूचना श्री काशीराम की, अनुपस्थित हैं। उन्तीसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की, अनुपस्थित हैं। तीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह की, अनुपस्थित हैं। इकतीसवीं सूचना श्री उदय राज यादव की, अनुपस्थित हैं। बत्तीसवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की, अनुपस्थित है। तैंतीसवीं सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की, अनुपस्थित है। चौंतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह की, अनुपस्थित हैं। पैतीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की, अनुपस्थित हैं। छत्तीसवीं सूचना श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल की, अब उपस्थित हैं।

*श्री अरिमर्दन सिंह-

मान्यवर, मैं आ गया हूं, मुझे उपस्थित मान लिया जाये।

* श्री हरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आ गया हूं, मुझे उपस्थित माना जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आ गया हूं, मुझे उपस्थित मान लिया जाये ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं उपस्थित हूं, मुझे उपस्थित माना जाये ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, मैं आ गया हूं, मुझे उपस्थित मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

जिनकी सूचनाएं अस्वीकृत हैं उनको छोड़कर जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उन सभी की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं । श्री मूल चन्द, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री हरदेव सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री गोमती यादव, श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि, श्री राम औतार शाक्य एवं श्री उदय राज यादव ।

श्री चन्द्रेश पासवान–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे जान-माल का खतरा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है किसी नियम में सूचना दीजियेगा तो विचार किया जायेगा ।

मद संख्या 24, 25 एवं 26

उक्त मदों पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत नये थाने खोलने, पुलिस बल व आधुनिक शस्त्र बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश में नये थानों/चौकियों का सृजन किसी स्थान/क्षेत्र की संवेदनशीलता, पंजीकृत अभियोग, शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत किया जाता है । शासन द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने का सदैव भरसक प्रयास किया जाता है और आवश्यकतानुसार पुलिस बल में वृद्धि भी की जाती है ।

जहां तक जनपद गाजियाबाद में ट्रान्स हिन्डन क्षेत्र हेतु एक पुलिस अधीक्षक एवं लोनी व लिंक रोड क्षेत्र के लिये एक-एक क्षेत्राधिकारी के पद सृजन का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि जनपदों में सामान्यतः प्रत्येक 12 थानों पर एक अपर पुलिस अधीक्षक, तीन शहरी थानों तथा 4 ग्रामीण थानों पर एक–एक क्षेत्राधिकारी के पद का मानक शासन द्वारा निर्धारित है तथा इसी मानक के आधार पर प्रदेश की जनपदीय पुलिस में पुलिस क्षेत्राधिकारी के पद सृजित हैं । वर्तमान में जनपदीय पुलिस हेतु उक्त मानक के अतिरिक्त कोई नये पद का सृजन का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना 50:50 के अनुपात में केन्द्र व राज्य के अंश से संचालित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिये उपकरणों, अस्त्र-शस्त्र, वाहन व कम्प्यूटरीकरण हेतु 75.50 करोड़ रु० तथा भवनों के निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रु० की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 1999-2000 के लिये निर्धारित धनराशि को वर्ष 2000-2001 में पुनर्विधानित (रिवेलीडेट) कराकर 1623.54 लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत नियंत्रण कक्ष के लिये वाहन, संचार, सुरक्षा, उपकरण, वायस लागिंग विद डायल–100, जी० आर० पी० हेतु ट्रप कैरियर/पी०ए०सी० हेतु दंगा निरोधक उपकरण तथा पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण उपकरण स्वीकृत किये गये हैं।]

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सड़कें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उक्त सूचना के माध्यम से मा० सदस्य विधान सभा ने जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1998-99, 2000-2001 में दीन दयाल योजना, जिला योजना तथा पूर्वांचल विकास योजना के अन्तर्गत, कार्य पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख करते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99, 99-2000 एवं 2000-2001 तक पूर्वांचल विकास निधि में कुल 8 मार्ग कार्य, लम्बाई 11.30 कि०मी० के लिये रु० 50.515 लाख की लागत पर स्वीकृत है। इन 8 मार्गों में से 7 मार्गों पर पूर्ण आवंटन प्राप्त है, जिसके सापेक्ष 2 कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 5 कार्यों को मार्च, 2002 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। एक कार्य पर आंशिक आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरुद्ध 2 कि०मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा एक कि०मी० में कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1998-99, 99-2000 एवं 2000-2001 में उक्त क्षेत्र में पं० दीन दयाल सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत आर० आई० डी० एफ०–4 एवं आर० आई० डी०एफ०–5 में कुल 10 कार्य, लम्बाई 18.10 कि०मी० स्वीकृत है, जिसमें से आर० आई० डी० एफ०–4 के 5 कार्य एवं आर० आई० डी० एफ०–5 का एक कार्य, कुल 6 कार्य लम्बाई 10.50 कि०मी०, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2001-02 में स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अवशेष कार्य मार्च, 2002 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार उक्त क्षेत्र में वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत कुल 5 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें से एक कार्य पर पूर्ण धन आवंटित है, जिसके सापेक्ष टापकोट तक कार्य पूर्ण है। इस मार्ग का शेष कार्य प्रगति पर है। अन्य 4 कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के कर्मचारियों के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना शासनादेश संख्या–1763/15-10-81–15 (79)/80, दिनांक 21-8-81 के द्वारा हुयी थी । स्थापना आदेश में मा० अध्यक्ष एवं सदस्यगण तथा शेष अधिकारियों, कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं वेतनमान भी संलग्न थे । वर्ष 1996 से सभी को तद्नुसार वेतन मिलता रहा । जनवरी, 86 से शासन ने मा० अध्यक्ष एवं सदस्यगण का वेतन आदि उ० प्र० लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुसार कर दिया । इसके पश्चात् 1-1-96 से लोक सेवा आयोग की भांति यहां भी पुनरीक्षित कर दिया गया । यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग ने अपने संकल्प संख्या–461–2(बी) दिनांक 18-7-97 द्वारा यह निर्णय लिया है कि आयोग के कर्मचारियों का वेतनमान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की भांति किया जाय तथा दिनांक 5-8-99 को शासन को संस्तुति भी भेज दी है । आयोग द्वारा पुनः दिनांक 17-11-2000 के पत्र द्वारा संस्तुति भेजी गयी है । प्रकरण शासन में लम्बित है । उक्त सूचना में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों के वेतनमान न्याय एवं समानता के आधार पर लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के बराबर दिये जाने की मांग की गयी है तथा यह भी कहा गया है कि कर्मचारी शासनादेश जारी होने के माह से ही संशोधित वेतनमान लेने की मानसिकता में हैं । पिछला एरियर एवं उसकी व्यवस्था शासनादेश में न हो तो भी उन्हें संतुष्टी है ।

उक्त के सम्बन्ध में मा० सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था भारत के संविधान में दी गयी है जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा वर्ष 1980 में किया गया है । लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के लगभग सभी राजकीय सेवाओं के लिए चयन की कार्यवाही की जाती है जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा केवल अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग का कार्यक्षेत्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तुलना में अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण है । जहां तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बराबर वेतन दिये जाने की बात है, यह सत्य नहीं है । उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन वर्तमान में क्रमशः रु० 24, 000 प्रति माह एवं रु० 20.000 प्रतिमाह है जबकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन क्रमशः रु० 20,000 प्रतिमाह एवं रु० 22,500 प्रति माह है । वर्णित स्थिति में लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के बराबर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं है ।]

नियम–51 की चयनित सूचनाओं से सम्बन्धित सदस्यों के सदन में उपस्थित न रहने पर अस्वीकृत किये जाने की भांति निर्धारित वक्तव्यों को सम्बन्धित मंत्री की अनुपस्थिति पर स्थगित न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो नियम–51 में माननीय सदस्यों ने सूचना दी है और उपस्थित नहीं है उन पर आपने प्रतिबन्ध लगाया है । इसी तरह से जो माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देने के लिए उपस्थित नहीं है उनका भी वक्तव्य स्थगित कर दें जिससे माननीय सदस्यों को जिन्हें अनुपूरक स्पष्टीकरण प्राप्त करना है वह मिल सके । जैसे आपने सदस्यों के लिए व्यवस्था दिया उसी तरह से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय मंत्री जी के लिए भी दे दें । अब संसदीय कार्य मंत्री ही सारे कार्य में सक्षम हैं, सारी सूचना पर वही वक्तव्य देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपके विचार आ गये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि मंत्रि-मण्डल का संयुक्त दायित्व होता है, लेकिन माननीय सदस्यों का कोई संयुक्त दायित्व नहीं होता ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपको आपत्ति है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप पद संख्या–49 देख लें । आज जो वक्तव्यों की कापियां प्राप्त हुई हैं, उसमें मद संख्या–49 का वक्तव्य नहीं आया है, उसकी प्रति नहीं मिली है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का अनुरोध निरस्तीकरण के लिये आया है । बाकी अभी बतायेंगे, मद आने दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप मेरी बात तो सुन लें । मद संख्या–56, 61 तक के वक्तव्य आ गये हैं, केवल मद संख्या–49 की प्रतिलिपि नहीं मिली है, इसका क्या अर्थ समझें ?

श्री अधिष्ठाता–

अर्थ इसका बतायेंगे, जब मद आयेगी ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम वजीरपुर बेहलपुर निवासी कार चालक गुड्डू की हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही तथा मृतक आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत.....

*माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हुकुम सिंह–

[श्री रघुबर दयाल वर्मा, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 9-5-2001 को जनपद फिरोजाबाद के ग्राम आसफाबाद के हलवाई बन्टी कुशवाहा की मारूति वैन को किराये पर मैनपुरी ले जाने के लिये श्री भगवती निवासी रशीदपुर कनेटा भोड द्वारा तय किया गया और श्री कुशवाहा के आदेश पर ड्राइवर गुड्डू निवासी ग्राम वजीर पुर जेहलपुर करीब 12.00 बजे अपराह्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भगवती और मुन्ना को गाड़ी में बैठाकर मैनपुरी चला गया और दिनांक 10-5-2001 तक वापस न आने पर ड्राइवर के पिता व गाड़ी मालिक द्वारा थाना रसूलपुर पर सूचना दी गयी और दिनांक 14-5-2001 को ड्राइवर का शव मैनपुरी पर मिल गया किन्तु गाड़ी नहीं मिली । अपराधियों द्वारा मृतक के पिता और भाइयों को जान की धमकी दी जा रही है ।

2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी व पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार थाना–रसूलपुर फिरोजाबाद पर दिनांक 11-5-2001 को पंजीकृत मु०अ०सं०–76/2001 द्वारा 364 भा०द०वि० अनुसार वादी श्री बन्टू कुशवाहा द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 5-6-2001 को उनकी मारूति वैन संख्या–यू० पी०–83 सी०/2805 को अपराह्न 12.00 बजे श्री भगवती प्रसाद निवासी फिरोजाबाद द्वारा जिन्हें वह पूर्व से जानता था अपने साथियों योगेश, लल्ला तथा बड़े के साथ एक हजार रुपये अग्रिम भाड़ा तय करके जनपद मैनपुरी ले जाया गया कि वे रात्रि 9.00 बजे तक लौट आयेंगे किन्तु वे दिनांक 11-5-2001 तक वापस नहीं आया । उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 11-5-2001 को ही 14–45 बजे उक्त अभियोग पंजीकृत करने के उपरान्त नियंत्रण कक्ष के माध्यम से परिक्षेत्र के समस्त थानों को सूचना दे दी गयी । तदोपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्त भगवती प्रसाद और मैनपुरी निवासी उसकी बहन और रिश्तेदारों के यहां दविश दी गयी लेकिन अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सकें ।

3–दिनांक 14-5-2001 को जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र में शव बरामदगी की सूचना पर थाना रसूलपुर की पुलिस व चालक गुड्डू के परिवारी जनों द्वारा शव की पहचान चालक गुड्डू के रूप में करते हुए पंचायत नामा तथा पोस्टमार्टम कराया गया और अभियोग में धारा 302/201 भा०द०वि० की वृद्धि की गयी । अभियुक्तों की तलाश गहरायी से आगरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में की गयी । विवेचना के मध्य दिनांक 19-5-2001 को अभियुक्त भगवती प्रसाद निवासी रशीदपुर थाना–मटसैना जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष अभियुक्तों की तलाश एवं गाड़ी की बरामदगी हेतु विशेष टीम गठित करके कठोर प्रयास जारी है । नामित अभियुक्तों के परिवार वाले पुलिस के भारी दबाव के कारण मकानों में ताला बन्द करके भागे हुए हैं ।

मृतक चालक के पिता एवं भाई को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गयी है । अभियुक्तों के सभी रिश्तेदारों के घरों पर दबिश दी जा रही है । स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकरण में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं । ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य में 5-6-2001 की घटना बताई गई है । अभी तो छठवां महीना आया नहीं है । दूसरी बात अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है । इसमें पुलिस की निष्क्रियता से अपराधी नहीं पकड़े गये हैं । इस मामले में किसी दूसरे थाने से जांच करवा दें । हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इसे स्वयं देख लें । इसमें कई गल्तियां हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

केवल टाइपिंग की गलती है ।

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वक्तव्य की प्रतियां तो मिलनी चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य की प्रतियां पहुंचवा दें, सभी माननीय सदस्यों को ।

जनपद बांदा में करतल मार्ग पर पंगुरी नाले के पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र कराने तथा बानगंगा नाले पर बदौसा-फतेहगंज मार्ग पर पुल का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

* लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

जनपद बांदा में अतर्रा नरैनी करतल मार्ग के कि०मी० 35 में ग्राम पंगुरी के पास गहरार नाले पर एक प्राचीन आर्य पुल बना हुआ था ।

* माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राम प्रसाद कमल––

जनपद बाँदा में अतर्रा नरैनी करतल मार्ग के किमी० 35 में ग्राम पुंगरी के पास गहरार नाले पर एक प्राचीन आर्य पुल बना हुआ था [जो वर्ष 1992 में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ में बह गया था । इस पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 92–93 में एस०आर०एम०डी० मद के अन्तर्गत धनराशि रु० 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । रु० 50.00 लाख के अनुदान में से रु० 45.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । रु० 50.00 लाख के अनुदान में से रु० 45.00 लाख सेतु निगम को दिये गये । सेतु निगम द्वारा सेतु की नींव और सब स्ट्रक्चर का कार्य मई, 95 तक 67% तक पूर्ण कर दिया गया । अब सुपर स्ट्रकचर वियरिंग कोट, स्टील रेलिंग एवं विंग वाल आदि का कार्य होना शेष है । अप्रैल, 1999 में सेतु निगम द्वारा 108.75 लाख का पुनरीक्षित आगणन कार्य पूर्ण करने हेतु प्रेषित किया गया । माह अक्टूबर, 1999 में 108.75 लाख का पुनरीक्षित आगणन जिलाधिकारी बाँदा को भेजकर बुन्देलखण्ड विकास निधि से वाँछित धनराशि नियोजन विभाग से प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया लेकिन यह धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अप्रैल, 1999 में सेतु निगम से प्राप्त आगणन के अनुसार 108.75–45–63.75 लाख रु० सेतु को पूर्ण करने हेतु एवं पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण करने हेतु लगभग 12.00 लाख एवं कुल 75.75 लाख की आवश्यकता है इस प्रकार पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बाँदा में बदौसा फतेहगंज मार्ग के किमी० 1 में बानगंगा नाले पर एक सेतु 3x10 मीटर दर का एवं इसी मार्ग के किमी० 16 में कडैली नाले पर 6 मीटर स्पान के एक रपटे के निर्माण की स्वीकृति जिला योजना वर्ष 84-85 में शासनादेश संख्या–517ई/23–सा०नि०–1–164/83, दिनांक 14–12–84 द्वारा कुल लागत रु० 21.6 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें पुल की लागत की शेष रपटा के निर्माण के लिए थी । उक्त दोनों कार्यों में से मार्ग के किमी० 16 में कडैली नाले पर रपटे का निर्माण कराया जा चुका है । उक्त मार्ग के कि०मी० 1 में बानगंगा नाले पर सेतु का निर्माण अधूरा कराया गया था । सेतु के दोनों ओर के अबेटमेण्ट एवं 2 पियर्स का निर्माण भी पूर्ण हो चुका था परन्तु सेतु निर्माण में ठेकेदार द्वारा कमजोर मसाले का उपयोग किया गया जिसकी पुष्टि अन्वेषणालय लो०नि०वि० द्वारा की गयी । सेतु के दोनों ओर के पहुँच मार्गों पर मिट्टी स्तर तक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है । अब तक अधूरे पुल के निर्माण में रु० 9,24,389.00 की धनराशि व्यय हो चुकी है परन्तु कमजोर मसाले का

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपयोग होने की दशा में कार्य को निष्फल घोषित कर दिया गया है और जाँचोपरान्त दोषी अधिकारियों से वसूली के आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं सेवानिवृत्त हो चुके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सिविल सूट दायर करके वसूली की कार्यवाही की जा रही है । ठेकेदार द्वारा मामला न्यायालय में दायर कर दिया गया जिसमें निर्णय विभाग के विरुद्ध हो गया है । इस निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायाधीश बाँदा के न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है । वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र दिनांक 26–2–2000 द्वारा एक समिति गठित की गयी है । समिति द्वारा जाँच पूर्ण कर ली गयी है । समिति की संस्तुति के अनुसार उक्त पुल को तोड़कर उसी स्थान पर बनाने हेतु रु० 44.50 लाख एवं पहुँच मार्गों को पूरा करने हेतु रु० 11.90 लाख (कुल 56.40 लाख) रु० व्यय भार आयेगा जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–29 एवं 30 के वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं ।

जनपद गौतमबुद्धनगर में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत समस्त गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूं को भारतीय खाद्य निगम द्वारा चमकविहीन बताकर वापस किये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री वंश नारायण पटेल)–

[जनपद गौतमबुद्धनगर में वर्ष 2001-2002 में गेहूं क्रय का लक्ष्य 20,000 मी० टन निर्धारित है जिसके सापेक्ष दिनांक 27-5-2001 को 12706 मी० टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है । गेहूं की खरीद किसान जोत–बही के आधार पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु०–610 प्रति कुन्तल के आधार पर सीधे किसानों से की जा रही है । चमकविहीन गेहूं क्रय किये जाने के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर की जाती है । किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों में शिथिल किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है किन्तु अभी तक चमकविहीन गेहूं क्रय किये जाने के संबंध में भारत सरकार से कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है । किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा स्टेट पुल में कुछ जनपदों यथा–गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में असामयिक वर्षा से प्रभावित चमकविहीन गेहूं क्रय किये जाने के हेतु दिनांक 19 मई, 2001 को जिलाधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है । चूंकि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की संस्था है अतएव उसे चमकविहीन गेहूं लेने के लिये राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती ।]

कानपुर नगर निगम में सीवर सफाई में जहरीली गैस के कारण मृत नवयुवकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा नगर निगम में सेवायोजित किये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा दिनांक 23–5–2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

[नगर निगम, कानपुर के सफाई कर्मचारियो का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने तथा दिनांक 18–05–2001 को दो दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी को सफाई हेतु सीवर में उतारे जाने पर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जहरीली गैस के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो जाने तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संवेदना तक व्यक्त न किये जाने के संबंध में दिनांक 23–05–2001 को श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना देते हुए प्रकरण पर वक्तव्य की मांग की गयी है ।

प्रकरण के संबंध में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी । उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर महानगर में सफाई कर्मचारियों का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाना सही नहीं है। नगर निगम, कानपुर के किसी भी सफाई कर्मचारी का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने की मौखिक या लिखित शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई ।

दिनांक 18–05–2001 को नगर निगम के दो दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी की सीवर में सफाई हेतु उतारे जाने पर जहरीली गैस के कारण अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि स्व० श्री सुरेश पुत्र श्री मुन्ना तथा स्व० श्री मनोज पुत्र श्री धनीराम निवासी 122/236, संगम टाकिज के पास फजलगंज, कानपुर की अकाल मृत्यु सीवर में सफाई हेतु उतरने पर हो गयी है । उक्त दोनों कर्मी नगर निगम, कानपुर के स्थायी अथवा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी नहीं थे । बल्कि 70 रुपये दिहाड़ी पर उन्हें कार्य पर लगाया गया था तथा उनके अतिरिक्त पाँच अन्य सफाई मजदूर भी दिहाड़ी पर नाला सफाई कार्य हेतु लगाये गये थे । यह सही है कि दोनों मृतक अत्यन्त निर्धन परिवार के थे । उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही श्री सी०पी० शुक्ला, उप नगर अधिकारी, श्री धर्मवीर गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, डा० मदन मोहन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा जितेन्द्र केन, अधिशासी अभियन्ता तत्काल चिकित्सालय पहुँचे । मा० नगर प्रमुख की स्वीकृति से नगर निगम कोष से मृतकों के आश्रितों को 10–10 हजार रुपये तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत बचत से एकत्र धनराशि से 10–10 हजार रुपये प्रत्येक मृतक आश्रितों को उपलब्ध कराते हुए संवेदना व्यक्त की गयी । गम्भीर रूप से बीमार मृतक को एल०एल०आर० चिकित्सालय से मधुराज नर्सिंग होम में नगर निगम की गाड़ी से भेजकर इलाज हेतु भर्ती कराया गया तथा नगर निगम कोष से इलाज हेतु रु० 5.00 हजार तत्काल उपलब्ध कराया गया । मा० नगर प्रमुख व अधिकारीगण समय–समय पर मधुराज नर्सिंग होम जाकर मृतक के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त करते थे । अतः यह कथन कि मृतकों के परिवार के मध्य शोक संवेदना व्यक्त करने कोई नहीं गया, सत्य नहीं है ।

मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा मृतक आश्रितों को 5–5 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि इस संबंध में आयुक्त, कानपुर मंडल कानपुर को पत्र भेजकर इन दिहाड़ी मजदूरों के आश्रितों को समुचित धनराशि मा० मुख्य मंत्री जी के राहत कोष से स्वीकृत कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

जहां तक इन दिहाड़ी मृतकों के आश्रितों को नगर निगम, कानपुर में सेवायोजित किये जाने का प्रश्न है, यह अवगत कराया गया है कि उक्त दोनों मृतक मजदूर न तो नगर निगम के स्थायी और न ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे । बल्कि यह सफाई मजदूर दिहाड़ी पर रखे गये थे । दिहाड़ी मजदूरों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को सेवायोजित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है , जिसके कारण मृतक के आश्रितों को नगर निगम कानपुर में मृतक आश्रित के अंतर्गत सेवायोजित किया जाना संभव नहीं है ।]

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री द्वारा मद संख्या–31 के स्थान पर मद संख्या–28 का वक्तव्य पढ़े जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

(मद संख्या–31 के वक्तव्य के स्थान पर माननीय राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद, श्री वंश नारायण सिंह पटेल द्वारा मद संख्या–28 के वक्तव्य को पढ़ना शुरू करने पर और श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आए दिन हम लोग चर्चा करते हैं कि सदन में लोगों की रूचि कम होती जा रही है । मान्यवर, कितने हल्के ढंग से लिया जा रहा है । खाद्य एवं रसद मंत्री को मद संख्या–31 के लिए बुलाया जाता है लेकिन वह मद सं०–28 का वक्तव्य देने लगते हैं । इससे ज्यादा इस सदन का अपमान क्या होगा, मान्यवर, अगर हम इतने पर भी चिन्तित न हों तो यह बहुत गलत बात होगी । मान्यवर, इस सदन की गरिमा बनी रहे इसलिए आप इसमें निर्देश दें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, वह हर विषय के मास्टर है, इसमें दो राय नहीं, उसमें कोई चुनौती की बात नहीं है लेकिन मात्र संसदीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य को पढ़ देने से जो उसका उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा । मान्यवर, इस पर गम्भीर होकर इस सदन की गरिमा बचाने के लिए कोई न कोई निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यहाँ पर खाद्य एवं रसद मंत्री तथा राज्य मंत्री बैठे हैं । नियम –51 के अन्तर्गत जिस वक्तव्य को देने की अपेक्षा की गयी है , वह वक्तव्य मंत्री जी क्यों नहीं देना चाहते हैं, उनसे पूछ तो लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मंत्रि परिषद् की उनकी व्यवस्था है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जैसा लालजी वर्मा जी ने कहा आप पुनः निर्देशित करने की कृपा करें । यदि वक्तव्य की प्रति न हो तो ले लें । मैं भेज दूँ ।

(श्री नवाब सिंह नागर के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

नागर साहब आप बैठें ।

(मद संख्या–31 के वक्तव्य को राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद, श्री वंश नारायण सिंह पटेल ने पढ़ना शुरू किया और अधिष्ठाता द्वारा उसे पढ़ा माना गया)

जनपद मथुरा में गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूँ क्रय किये जाने में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार धोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एव रसद राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री वंश नारायण पटेल)–

नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित करना है कि रबी विपणन वर्ष 2001–2002 में जनपद मथुरा के लिये गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 45,000 मी० टन निर्धारित है । जिसके

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सापेक्ष दिनांक 28-5-2001 तक किसान जोत बही के आधार पर सीधे किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 610 प्रति कुन्तल की दर से कुल 30,644 मी० टन गेहूँ खरीद की जा चुकी है। व्यापारियों के माध्यम से गेहूँ की खरीद नहीं की जा रही है।

जहाँ तक गेहूँ खरीद में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव के गेहूँ खरीद केन्द्र पर पायी गई अनियमितता के फलस्वरूप हाट शाखा के खरीद केन्द्र के केन्द्र प्रभारी श्री सुरेश चन्द्र संत एवं श्री हरचन्दी लाल विपणन सहायक के विरुद्ध थाना बल्देव में मुकदमा अपराध संख्या–110/2001 धारा–420/467/268/471/409 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दिनांक 27-4-2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

उक्त के अतिरिक्त गेहूँ खरीद में अनियमितता पाये जाने पर हाट शाखा के (2) दो विपणन निरीक्षक एवं 01 विपणन सहायक हाट शाखा को निलम्बित भी किया जा चुका है। इस प्रकार गेहूँ खरीद में कदाशयता बरतने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों का शोषण किसी प्रकार से न हो और निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कृषकों को मिले।]

सदस्यों की सूचनाओं के आधार पर सदन में दिये गये वक्तव्यों का तारतम्य न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, यह भ्रामक उत्तर है, जिसको मैंने नहीं पूछा था उसे दर्शाया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पोइया जी, उत्तर भ्रामक मिला है तो सुसंगत नियमों में दे दीजिएगा।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, मद संख्या–29 पर जो हमारी सूचना पर वक्तव्य आया है उसमें हमारी सूचना का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

हम मद संख्या–29 पास कर चुके हैं। अगर आपकी सूचना पर भी समुचित वक्तव्य नहीं आया है और आप संतुष्ट नहीं है तो सुसंगत नियमों में लिखकर दे दीजिएगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, गेहूँ की खरीद प्रदेश भर में हो रही है और 30 जून तक गेहूँ खरीदा जायेगा। किसानों से अपील किया है कि वह जल्दी न करे और अपना गेहूँ सस्ते दरों पर बाजार में न बेचें। गेहूँ खरीद का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है कि इतना गेहूँ खरीदा जायेगा, उसके बाद नहीं खरीदा जायेगा बल्कि हम 30 जून तक गेहूँ खरीदेंगे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी दो माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी सूचना पर जो वक्तव्य आया है उसका हमारी सूचना से कोई मेल नहीं है। आपका निर्देश हो गया कि आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें। आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था इस बात पर चाहता हूँ कि जितने उत्तर आ रहे हैं लगभग सभी सूचना के अनुरूप या वांछित तथ्य पक्ष या विपक्ष में नहीं आ रहा है। निदेश 165, 166 में कितनी सूचनायें सुसंगत नियमों में लायेंगे, कब उत्तर मिलेगा ? इस सदन की प्रासंगिकता क्या होगी, अगर सबको हम कह देंगे कि सुसंगत नियमों में ले आइये। जब उत्तर नहीं आ रहा है और उत्तर का सूचना

से कोई तालमेल नहीं है । इसमें सरकार की इतनी बड़ी गलती नहीं है, विभागीय अधिकारियों की गलती है, जो जानबूझकर माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं का सही उत्तर देकर अपनी पोजीशन खराब नहीं करना चाहते, भ्रामक उत्तर भेज देते हैं । अगर अब हम निदेश सं० 165, 166 में देंगे तो 6 महीने में उत्तर आयेगा, कल परसों हम जनता के बीच में जाकर क्या जवाब देंगे, क्या यह कह देंगे कि हमने निदेश 165, 166 में लगा दिया है क्या इस बात को क्षेत्र की जनता समझेगी ? इस पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूँ कि कृपा करके आज के वक्तव्यों को ही दिखवा लें । जो माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी वक्तव्य से और सूचना के अंश का मेल नहीं है । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो चिन्ता डा० बाजपेयी ने और नवाब सिंह नागर ने व्यक्त की वह अपनी जगह सही है यहाँ पर कुछ न कुछ अपेक्षा लेकर सूचना दी जाती है वह अपेक्षा पूर्ण नहीं होगी तो निराशा तो होगी ही । परन्तु जिम्मेदारी अधिकारी पर डाल देना या किसी और पर डाल देना उचित नहीं है । हमें व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए । जब एक दिन में 25–26 वक्तव्य लगेंगे तो जो गम्भीरता होनी चाहिये वह कैसे आ सकेगी ? मान्यवर, सारी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । कभी आपके पास समय हो या माननीय अध्यक्ष जी के पास समय हो तो हम लोगों को बुला लें, बिठा लें, विचार कर लें कि इसको कैसे प्रभावी बनायेंगे ? जब एक वक्तव्य पर दो–दो बार स्पष्टीकरण आने लगेंगे तो 4 घण्टे इसी में लग जायेंगे । मान्यवर, इसको व्यवहारिक बनाना चाहिए !

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक विभाग से 30–35 सूचनायें नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपको तो हर बात का प्रतिवाद करना होता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी बात का बुरा लगा तो मैं आपके माध्यम से उनसे माफी मांग लेता हूँ । उनको बुरा नहीं लगना चाहिए । मान्यवर, एक विभाग से 30–35 सूचनायें नहीं होती हैं । विधान सभा से जो सूचना जाती है उसको अधिकारी देखते भी नहीं है और मनमाने ढंग से सूचना दे देते हैं ।

श्री हुकुम सिंह –

यह अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं, हर मंत्री पढ़ता है, परीक्षण होता है तब हस्ताक्षर करते हैं । मान्यवर, सवाल इस बात का है कि जिस तरह से माननीय सदस्य अपनी बातें सदन के सामने लाना चाहते हैं तो मान्यवर, माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होने के बाद अपनी बातें सदन के समक्ष रखने में कुछ समय तो लगेगा ही । लेकिन कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं, कुछ प्रभावशाली सदस्य ऐसे हैं जो अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने तर्कों के जाल से अपनी बात किसी भी वक्त कह सकते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वह कौन हैं ?

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, आप भी उनमें से एक हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय पोइया जी जोर दे रहे हैं, इस पर कुछ व्यवस्था करा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने खुद चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–32, 33, 34, 35, 36 पर आधारित वक्तव्य पढ़े हुए मान लिये गये ।

जनपद उन्नाव में बेगार से इन्कार करने पर श्रमिक की रायफल की बटो व हाकियों से पीटकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट व श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद उन्नाव में बेगार से इंकार करने पर श्रमिक की रायफल की बटो व हाकियों से पीटकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट व अन्य मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 23-5-2001 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :–

दिनांक 6-5-2001 को समय रात्रि 9 बजकर 5 मिनट पर वादी श्री राजपाल लोध पुत्र नन्दी लोध निवासी नभाखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा एक प्रार्थना-पत्र थाने में प्रदान किया गया जिसके आधार पर एन० सी० आर० संख्या 49 धारा 323 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया । वादी तथा उसके ग्राम से आये शिवचरन, हनुमान, सुरेन्द्र बहादुर तथा विजया बहादुर आदि को साथ में करके मजरूब को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमेरपुर रवाना किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी । उसके पश्चात् मृतक की पत्नी ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-5-2001 को समय 6.30 बजे प्रदान किया जिसके आधार पर उक्त एन० सी० आर० अपराध संख्या 74/2001 धारा 304/323 भा०दं०वि० पर तरमीम किया गया तथा लाश पंचायतनामा आदि करके पोस्टमार्टम हेतु भेजी गयी । वादी ने अपनी तहरीरी सूचना में 2 नामजद अभियुक्त रिन्कू पुत्र राजकुमार तथा गोरे पुत्र राजकुमार और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति लिखाया था जिसमें से दोनों नामजद अभियुक्त 8-5-2001 को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं तथा एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी की जा रही है । अभियुक्तगण के परिवार में पिता राजकुमार सिंह पुत्र नेपाल सिंह तथा चाचा विनय कुमार पुत्र नेपाल सिंह पर दिनांक 13-4-2001 को गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही की गयी । अभियुक्तगण की माता कमला देवी की राइफल के लाईसेन्स निलम्बन की रिपोर्ट भी दिनांक 13-4-2001 को ही प्रेषित की जा चुकी थी । मृतक के परिवार की सुरक्षा हेतु दो सशस्त्र आरक्षी ग्राम नभाखेड़ा में तैनात किये गये हैं । मुकदमें की विवेचना प्रचलित है जिसे शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

मृतक राजपाल लोध के दिनांक 6-5-2001 के प्रार्थना-पत्र पर संज्ञेय अपराध के बजाय एन० सी० आर० संख्या 49 धारा 323 भा०दं०वि० एवं राजपाल लोध के मृत्यु के उपरान्त अपराध संख्या–74/2001, धारा 302 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत न करने के सम्बन्ध में प्रकरण की प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से करायी जा रही है । अपर पुलिस अधीक्षक की अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 25-5-2001 में जांच से प्रथम दृष्टया मुकदमा को अल्पीकरण कर अंकित किये जाने तथा नियमानुसार चिट्ठी मजरूबी के साथ मजरूब को एक आरक्षी के साथ पी० एच० सी० न भेजे जाने के लिए हे० मो० निजामुद्दीन व उपनिरीक्षक सलीम जफर खान द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने में रूचि न लेने के लिए दोषी पाया गया और इस आधार पर उप निरीक्षक श्री सलीम जफर खान व हे० मो० निजामुद्दीन को निलम्बित कर दिया गया है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में नवगठित तहसीलों के गलत सीमांकन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बाबू खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि शाहाबाद तहसील की पांच न्याय पंचायतों जिसमें 40 गांव आते हैं तहसील सवायजपुर में सम्मिलित कर दिये गये हैं जिसमें उक्त न्याय पंचायतें कूड़ी, ख्वाजगीपुर मैकपुर, पचदेवरा और कमालपुर के 15 कि०मी० की दूरी काटकर पचपन (55) किमी० की दूरी पर तहसील सवायजपुर में जोड़ा गया है । अब उक्त 40 गांव की जनता को 15 के स्थान पर 55 किमी० की दूरी तय करना पड़ेगा । इसी तरह से प्रदेश की अन्य तहसीलों बिलग्राम तहसील आदि का भी प्रकरण है । इस कारण से एक जनपद में नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या–2790/1-5/97–21/84–रा०–5, दिनांक 19-9-97 द्वारा जनपद हरदोई में सवायजपुर तहसील का सृजन किया गया है और उसका मुख्यालय सवायजपुर में ही रखा गया है । तहसील के सीमांकन के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उत्तर प्रदेश का पत्र प्रथमवार प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि गर्रा नदी पर पुल बन जाने के कारण 24 ग्रामों को सवायजपुर से तहसील शाहाबाद में और तहसील शाहाबाद के 3 ग्रामों को तहसील सवायजपुर में मिला दिया जाय । इस सम्बन्ध में दिनांक 18-5-2001 को राजस्व परिषद् की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रारम्भिक चर्चा की गई । समिति द्वारा विस्तृत प्रस्ताव जिलाधिकारी, हरदोई से प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

3–राजस्व परिषद् की उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है । शासन द्वारा शीघ्र विचारोपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद महोबा में जिलाधिकारी द्वारा बिहार में तीन दर्जन व्यक्तियों को राजस्व संग्रह विभाग व तहसीलों में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरिमर्दन सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[श्री अरिमर्दन सिंह, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद महोबा में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व के संग्रह विभाग व तहसीलों में 36 लोगों को लिपिक व अन्य पदों पर नियुक्तियां कर देने से जनपद महोबा में पढ़े-लिखे नौजवान आन्दोलनरत हैं आये दिन चक्का जाम तथा जिला मुख्यालय पर के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है । जनषद के पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं परन्तु नियम विरुद्ध बिहार प्रदेश के लोगों की नियुक्तियों से जन-जन में आक्रोश व्याप्त हो गया है कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जनपद महोबा दिनांक 11-2-1995 को जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा, चरखारी एवं कुल पहाड़ को पृथक करके स्वतंत्र अस्तित्व में आया है । राजस्व विभाग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 22 कनिष्ठ लिपिक, 11 संग्रह अमीन, 1 संग्रह चपरासी, 5 नजारत चपरासी, कुल 39 कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 1998

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के पूर्व की गयी है । उपर्युक्त कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार अथवा अन्य किसी प्रान्त का निवासी नहीं है । तत्समय की गयी यह नियमित नियुक्तियां प्रदेश के विभिन्न विभागों के छटनी शुदा कर्मचारियों, पूर्व अनुभव प्राप्त कार्मिकों अथवा मृतक आश्रितों में से की गयी हैं । जनपद मुख्यालय में इस बिन्दु को लेकर कोई आन्दोलन, प्रदर्शन, धरना या चक्का जाम आदि के सम्बन्ध में न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और न ही कोई आन्दोलन सामने आया है । उक्त नियमित नियुक्तियों में 6 कर्मचारी जनपद महोबा के हैं तथा 14 जनपद हमीरपुर के शेष उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के हैं । अतः यह कहना कि जनपद महोबा का नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है परन्तु नियम विरुद्ध बिहार प्रदेश के लोगों की नियुक्तियों से जन-जन में आक्रोश व्याप्त हो गया है तथा कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, की बात भी सत्य प्रतीत नहीं होती है फिर भी इस प्रकरण में जांच करने के आदेश मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम को निर्गत कर दिये गये हैं ।]

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि० में विद्युत अभियन्ताओं की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम से विद्युत अभियन्ता के पद सृजन का प्रस्ताव पूर्व में शासन के गृह विभाग में प्राप्त हुआ था, जिस पर परीक्षणोपरान्त अवर अभियन्ता (विद्युत) के पदों की स्वीकृति निगम के कार्यभार को देखते हुए सम्भव न होने पर उक्त प्रस्ताव को गृह विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, तथा इसकी सूचना निगम को दिनांक 14-2-1995 के पत्र द्वारा दे दी गयी ।

पुलिस आवास निगम द्वारा विद्युत संबंधी कराये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 18-2-2000 में दिये गये निर्देशों के प्ररिप्रेक्ष्य में पुलिस आवास निगम द्वारा विद्युत अभियन्ताओं के पदों की स्वीकृति की प्रस्ताव पुनः गृह विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में निगम से कतिपय सूचनाएं गृह विभाग में एकत्र की जा रही हैं । वांछित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही गृह विभाग द्वारा विद्युत अभियन्ताओं के पद सृजन पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा और तत्पश्चात् गृह विभाग की मांग पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा अवर अभियन्ता की तैनाती सम्भव हो सकेगी ।]

आयुर्वेदिक निदेशालय लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री आर्य राम शरन एवं श्री राम चन्द्र यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गन्ना विकास चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[माननीय सदस्य श्री आर्य राम शरन द्वारा आयुर्वेदिक निदेशालय लखनऊ में भ्रष्टाचार की स्थिति बताते हुए दवाओं के मद में शासन द्वारा आवंटित धनराशि को लैप्स करा देने तथा प्रदेश के अस्पतालों में दवा न होने तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सूचना दी गयी है ।

माननीय सदस्य श्री राम चन्द्र यादव ने आयुर्वेदिक निदेशालय व क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर से हो रही मनमानी के सम्बन्ध में विशेषकर फैजाबाद मण्डल के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है तथा वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी फैजाबाद डा० राम नयन द्विवेदी की उक्त पद पर तैनाती तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फैजाबाद में रिक्त महिला चिकित्साधिकारी के पद पर महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती न कर पुरूष चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने की सूचना दी है ।

मा० सदस्य श्री आर्य राम शरन द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद विभाग में चिकित्सालयों को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता तथा उनकी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु औषधियों के क्रय हेतु निदेशालय स्तर पर एक कमेटी शासन द्वारा गठित है । तथा निर्धारित नीति के वर्णन अन्तर्गत चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति राजकीय फार्मेसी से या कोआपरेटिव फैक्टरी रानीखेत तथा भारत सरकार के प्रतिष्ठान आई०एम०पी०सी०एल० मोहान के माध्यम से की जा रही है ।

वर्ष 2000-2001 में औषधि मद में कुल 172.41 लाख रुपये का प्राविधान था । शासन द्वारा आवंटित उक्त धनराशि राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी पीलीभीत, लखनऊ प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में 22.80 लाख रुपये, द्वितीय त्रैमास में 60.47 लाख रुपये, तृतीय त्रैमास में 26.49 लाख रुपये, तथा अंतिम त्रैमास में 62.65 लाख रुपये की धनराशि निदेशालय द्वारा आवंटित की गयी अंतिम त्रैमास की पूर्ण धनराशि 07-3-2001 तक अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर दी गयी थी । यह सही नहीं है कि औषधि मद का धन वित्तीय वर्ष समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व आवंटित किया गया । उक्त आवंटन के विरुद्ध 137.42 लाख रुपये का व्यय किया गया । और शेष धनराशि जिन-जिन कार्यालयों द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं हो सकी उनके लिए सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा प्रकरण में यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधियों की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु औषधियों हेतु विभाग के वर्ष 2001-2002 के बजट में गत वर्ष की अपेक्षा तीन गुनी धनराशि का प्राविधान कराया गया है ।

मा० सदस्य श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 48 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद स्वीकृत है किन्तु चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची विवादित होने के कारण विगत 11 वर्षों से डी०पी०सी० की बैठक न होने के कारण उक्त पद पर अधिकांशतः कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्य कर रहे हैं । ऐसे अधिकारियों को नितान्त अस्थाई रूप से बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ता के काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत तैनात करके विभागीय कार्य का सम्पादन कराया जा रहा है । फैजाबाद में कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के पद पर डा० राम नयन द्विवेदी को शासनादेश दिनांक 27-6-2000 द्वारा तैनात किया गया है जो तैनाती के समय अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत समस्त चिकित्साधिकारियों में वरिष्ठ हैं । चिकित्साधिकारियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 9-4-2001 को निर्गत करते हुए आपत्तियां आमन्त्रित की गयी हैं जिन पर आपत्तियां प्राप्त कर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना विचाराधीन है । अन्तिम वरिष्ठता सूची प्राख्यापित होते ही यथाशीघ्र क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी की पदों पर नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रोन्नति विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

चिकित्साधिकारियों का वार्षिक स्थानान्तरण विचाराधीन है । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फैजाबाद में रिक्त महिला चिकित्साधिकारी के पद को भरने हेतु चिकित्साधिकारियों की उक्त स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा । ।

प्रदेश के कृषि निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा दोहरा आवास भत्ता लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस पर वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–37 को कल के लिए स्थगित कर दिया गया है । मद संख्या–38, 39, 40, 41 को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

जनपद बलरामपुर में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को गृह अनुदान उपलब्ध कराये जाने विषयक में श्री बिन्दु लाल, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[जनपद बलरामपुर में वर्ष 2000-2001 की मानसून अवधि में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा रु० 75,82,210/- की धनराशि आवंटित की गई थी । शासन द्वारा तत्कालीन राहत आयुक्त से जनपद में राहत कार्यों/राहत वितरण में दरती गई अनियमितताओं के संबंध में जांच करायी गई । शासन स्तर पर जांच हेतु जनपद में क्षतिग्रस्त भवनों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख मंगाये गये थे । जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरान्त समस्त अभिलेख जनपद को दिनांक 29-5-2001 को वापस कर दिये गये हैं । वर्ष 2000-2001 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के पात्र पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान की राहत सहायता तत्काल वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ।]

जनपद मऊ में फुटकर डीजल की दुकानों के आवंटन में कथित रूप से की गई अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री सुधाकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री वंश नारायण पटेल)–

[नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में श्री सुधाकर सिंह, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जनपद मऊ के फुटकर डीजल दुकानों के आवंटन में जिलापूर्ति अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा काफी धन लेकर सारी मान्यताओं को तोड़कर दुकानें आवंटित की गयीं । जिसमें सुविधा शुल्क नहीं उपलब्ध कराया, उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य विधान सभा ने इस सम्बन्ध में मा० खाद्य मंत्री जी से मिलकर उन्हें इस शिकायत की जांच करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने का उल्लेख भी किया है तथा उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने के प्रति अपना असन्तोष भी व्यक्त किया गया है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 1979 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु हाई स्पीड डीजल उपलब्ध कराने हेतु पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था की गयी थी । जिलाधिकारी द्वारा 10 कि०मी० चतुर्दिक दायरे में कोई नियमित रिटेल आउटलेट न होने पर पेटीडीजल डीलर की

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियुक्ति की जाती थी जिसे कालान्तर में किसानों के हित में घटाकर पांच कि०मी० चतुर्दिक दायरे कर दिया गया ताकि किसानों को अपने कृषि कार्य हेतु अधिक दूरी से डीजल प्राप्त न करना पड़े । यद्यपि कि यह व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए की गयी थी किन्तु जनपदों से लगातार डीजल में अपमिश्रण की शिकायतें मिलने पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था को शासनादेश संख्या– 1020/29-7-2000, दिनांक 23 फरवरी, 2000 द्वारा अग्रिम आदेशों तक पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति रोक दी गयी थी किन्तु व्यापक जनहित एवं मांग को देखते हुए शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश संख्या–78/29-7-2001-डी(15)/2000, दिनांक 4 जनवरी, 2001 द्वारा हटा दिया गया । इसके बाद शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 2001 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है । उक्त शासनादेश में पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति हेतु जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जिसमें अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भागीय सहायक आयुक्त खाद्य तथा रसद एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी नामित है ।

पेटी डीजल डीलर के चयन में आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है, जिसमें अनुसूचित जाति–21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति–2 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग–27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है । इसके अतिरिक्त महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा विकलांग व्यक्तियों को भी होरीजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

उक्त शासनादेश में की गयी आरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–557(1)/29-7-2001–डी(15)/2000, दिनांक 5 मई, 2001 द्वारा तहसील को इकाई मानते हुए आरक्षण व्यवस्था का आंकलन करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/जिलापूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं । जिसके क्रम में जिलाधिकारी, मऊ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा जनपद में उपलब्ध कुल 144 पेटी डीजल डीलर्स की रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 54 फुटकर डीजल डीलर्स लाइसेंसियों की नियुक्ति की गयी है । यह नियुक्ति सन्दर्भित शासनादेशों में निर्धारित नीति के अनुसार ही की गयी है । नियुक्ति 54 पेटी डीजल डीलर्स में से सामान्य जाति के 30, पिछड़ी जाति के 17, अनुसूचित जाति के 07 का चयन किया गया है । जिनमें पुरुष–38, महिला–16, विकलांग–02 एवं विधवा–01 है । यह कार्यवाही गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 23-3-2001 को सम्पादित की गयी ।

अवशेष रिक्त स्थानों के लिए शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही तहसीलवार आरक्षण बनाकर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

मा० सदस्य का यह कथन कि पेटीं डीजल डीलर्स की दुकानों का आवंटन जिलापूर्ति अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धन लेकर किया जा रहा है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा मा० खाद्य मंत्री जी को एक शिकायती-पत्र संख्या–ख–2–नं०–638491, दिनांक 30-4-2001 को दिया गया है । मा० सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर दिनांक 22-5-2001 को अपर आयुक्त/पुलिस उप महा निरीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, उ० प्र० को जांच के आदेश दे दिये गये हैं । धन लेकर पेटी डीजल डीलर की दुकानें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार मा० सदस्य द्वारा की गयी शिकायत के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है क्योंकि पेटी डीजल डीलर का चयन अकेले जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है । यह प्रक्रिया शासन द्वारा ही निर्धारित नीति के अनुरूप है ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत हुए अग्निकाण्ड से क्षति विषयक श्री राम विशुन आजाद, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[वर्ष 2000-2001 में जनपद गोण्डा के जिन गांवों में अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई, उनमें पीड़ित पात्र परिवारों में अहेतुक सहायता मद में धनराशि रुपये 21,03,137 गृह अनुदान में रु० 11,07,290 एवं अनुग्रह अनुदान में रु० 504250 राहत सहायता के रूप में वितरित की गई । इसके अतिरिक्त 34 पीड़ित पात्र परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयनित करके आवास आवंटित किये जा चुके हैं ।

वर्ष 2001-2002 में अग्निकाण्ड से पीड़ित पात्र परिवारों में अहेतुक सहायता रु० 16,43,000 गृह अनुदान रु० 9,06,000 एवं अनुग्रह अनुदान मद में रुपया 2,44,000 वितरित की जा चुकी है । तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम ढ़डौवा मेहनियां, कलेनिया, हरनाटायर में अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई । ग्राम ढ़डौवा मेहनियां में कुल 26 परिवारों के मकान जले जिसमें 16 व्यक्तियों के आवासीय मकान थे जिन्हें अनुमन्य राहत सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है । 10 गैर आवासीय भवन होने के कारण कोई राहत सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है । इसी प्रकार ग्राम क्लेनिया में 8 परिवारों के मकान जले जिसमें 4 व्यक्तियों के आवासीय एवं 4 व्यक्तियों के गैर आवासीय भवन जले हैं । इसमें आवासीय पात्र परिवारों को अनुमन्य राहत सहायता वितरित की जा चुकी है । ग्राम हरनाटायर में कुल 10 मकान जले हैं जिसमें 5 आवासीय एवं 5 गैर आवासीय मकान हैं । पीड़ित 5 पात्र परिवारों में राहत सहायता वितरित की जा चुकी है । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया अभी तक पूर्ण न होने के कारण पात्र परिवारों का चयन नहीं किया गया है । ग्राम रुदापुर में दिनांक 10-4-2000 को अग्निकाण्ड की घटना में 19 व्यक्तियों के आवास प्रभावित हुए जिसमें 8 पात्र परिवारों को राहत सहायता वितरित की जा चुकी है । शेष 11 परिवारों को गैर आवासीय भवन होने के कारण राहत सहायता नहीं दी गई है । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामवार लक्ष्यों का निर्धारण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से सम्बन्धित है । इसलिए इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ही की जानी है ।]

मेरठ नगर निगम में कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 24-05-2001 में नगर निगम, मेरठ के कुछ अधिकारियों द्वारा गृहकर, तहबाजारी ठेका तथा होर्डिंग ठेका में की गयी कतिपय अनियमितताओं तथा नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा बिना केन्द्र सरकार के अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने का उल्लेख करते हुए उक्त सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच कराये जाने का बिन्दु उठाते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा गृहकर, तहबाजारी ठेका के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार का सामान्य आरोप लगाया गया है । किसी विशिष्ट बिन्दु का उल्लेख नहीं किया गया है । होर्डिंग ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन मा० नगर प्रमुख के आदेशानुसार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्र मेरठ समाचार तथा हीरा टाइम्स के अंक दिनांक 14-07-2000 में प्रकाशित तीन वर्ष ठेके के लिए दिनांक 22-07-2000 को नीलामी हेतु सूचना प्रकाशित करायी गयी थी ।

अधिकतम बोलीदाता को दिनांक 22-07-2000 को कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा अपने सचल प्रस्ताव के माध्यम से मै० बिजनेस लिंक को होर्डिंग्स का ठेका अंकन रुपया 1126600/- का दिये जाने की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की गयी । यह ठेका रुपये 1126600/- प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया था । साथ ही अनुबन्ध में यह भी उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार का कार्य उक्त अवधि में संतोषजनक रहता है तो उसे 20 प्रतिशत धनराशि बढ़ाकर 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है । उक्त ठेके की जांच आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ से कराने के आदेश दिये गये हैं । अपर मुख्य नगर अधिकारी, द्वारा मा० उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया गया है । शपथ पत्र के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी मा० उच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है । श्री राजेन्द्र सिंह, अपर मुख्य नगर अधिकारी, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18-05-2001 में दी गयी अनुमति से विदेश यात्रा पर गये हैं । श्री सिंह ने स्टडी टूर पर प्रस्थान करने से पूर्व भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में श्री सिंह के विदेश यात्रा से लौटने पर उनसे स्थिति स्पष्ट करायी जायेगी ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया है कि जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था उसका विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, इस पर जांच अधिकारी को मेरठ कब तक भेजेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मण्डलायुक्त से जांच के लिए कहा गया था लेकिन माननीय सदस्य की इच्छा थी कि इसके लिए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को भेजा जाय तो कहना चाहता हूं कि सदन के तत्काल बाद में इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

मद संख्या–42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं ।

खुर्जा शहर में खुर्जा मुण्डाखेड़ा रोड के निकट पशुवध के उपरान्त सड़क पर ही मलवा फेंक देने से व्याप्त प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नगर पालिका परिषद, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत ग्राम मुण्डाखेड़ा रोड पर नगर पालिका परिषद् के स्वामित्व में एक पशुवधशाला हैं, जिसका ठेका दिनांक 19-4-99 को 5 वर्ष के लिये नगर पालिका परिषद् द्वारा हाजी नवाब पुत्र फखरूद्दीन निवासी खुर्जा के पक्ष में दिया गया था । दिनांक 14-1-98 के पत्र द्वारा उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर पालिका, खुर्जा को यह नोटिस दी थी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि पशुवधशाला में पशुओं का वध मैनुअल प्रक्रिया से किया जाता है तथा पशु वधशाला के वध से निकलने वाले रक्त

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं कचरे को समीपवर्ती तालाब में निस्तारित किया जाता है, जिससे तालाब में सड़ने से भयंकर दुर्गन्ध उत्पन्न होती है तथा भूमिगत जल के प्रदूषित होने की सम्भावना है । नोटिस में कहा गया था कि पशुवधशाला, मुण्डाखेड़ा रोड, खुर्जा द्वारा बिना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किये हुए अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन करते हुए व्यवसायिक उत्प्रवाह का निस्तारण किया जा रहा है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के प्राविधानों का उल्लंघन है । इस नोटिस में यह कहा गया था कि जन स्वास्थ्य के हित में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 133 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन पशु वधशाला, मुण्डाखेड़ा रोड, खुर्जा के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश/निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

(1) पशु वधशाला, मुण्डाखेड़ा रोड, खुर्जा को तुरन्त बन्द कर दिया जाय ।

(2) उपरोक्त पशुवधशाला को बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तुरन्त बन्द कर दिया जाये ।

(3) पशु वधशाला मुण्डाखेड़ा रोड, खुर्जा यदि अपनी इकाई का पुनः संचालन कराना चाहते हैं, तो वह अपनी औद्योगिक इकाई से हो रहे जलीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करेगा तथा जलीय प्रदूषक पदार्थ, जो कि उनके द्वारा निस्तारित होंगे, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करेगा और औद्योगिक इकाई के पुनः संचालन के पूर्व राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा ।

नगरपालिका परिषद्, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर द्वारा उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपरोक्त नोटिस दिनांक 14-1-98 के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खुर्जा को दिनांक 27-1-2001 के पत्र के माध्यम से पुनः यह निर्देश दिये गये कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक 14-1-98 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27-1-2001 की प्रति जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को भी पृष्ठांकित की गयी थी ।

पशु वधशाला के कारण खुर्जा क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण के फलस्वरूप इस पशु वधशाला को बन्द कराने के लिये स्थानीय जनता का भारी दबाव बना हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस अधीक्षक, खुर्जा द्वारा अपरजिला मजिस्ट्रेट, खुर्जा को प्रेषित आख्या के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट, खुर्जा ने अपने आदेश दिनांक 3-2-2001 द्वारा भा०द०प्र०सं० 1973 की धारा 133 (1) (बी) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् खुर्जा की मुण्डाखेड़ा रोड स्थित पशुवधशाला को बन्द करा दिया ।

उप जिला मैजिस्ट्रेट, खुर्जा के उक्त आदेश दिनांक 3-2-2001 के विरुद्ध ठेकेदार हाजी नवाब ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समादेश याचिका सं० 483/2001 राज्य सरकार के विरुद्ध योजित की, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा उप जिला मैजिस्ट्रेट के उक्त आदेश दिनांक 3-2-2001 को स्थगित कर दिया गया, सम्प्रति स्थगन आदेश दिनांक 31-7-2001 तक प्रभावी है । मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश का समादर करते हुए उप जिला मैजिस्ट्रेट, खुर्जा द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-2-2001 को निरस्त कर दिया गया है तथा वर्तमान में खुर्जा नगर में उपरोक्त पशुवधशाला संचालित है ।]

जनपद अलीगढ़ के आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु ताला एवं पीतल उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रसायन ट्राईक्लोरीइथीलीन पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में डा० ज्ञानवती सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद अलीगढ़ के आवासीय क्षेत्रों में स्थित ताला और पीतल उद्योगों में ट्राईक्लोरीइथीलीन नामक रसायन के प्रयोग से प्रदूषण में हो रही वृद्धि के संबंध में उपरोक्त सूचना दी गयी है । इस संबंध में यह अवगत कराना है कि अलीगढ़ शहर में विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार 1308 इकाइयां पंजीकृत है । इसके अतिरिक्त अनेकों अपंजीकृत इकाइयां भी आवासीय क्षेत्र में कार्यरत होने की सूचना है । आवासीय क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा स्थानीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है । इस समिति द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कर प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है ।

2–अलीगढ़ शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में ताला तथा ब्रास हार्डवेयर की लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाईकास्टिंग आदि जल एवं वायु प्रदूषणकारी प्रक्रियायें की जाती हैं । आवासीय क्षेत्रों में स्थित इन इकाइयों द्वारा एसिड्स, हैवीमैटल्स एवं अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है । इन उद्योगों से निस्तारित होने वाले प्रदूषणकारी उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है । इसी प्रकार इन उद्योगों में डाईकास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, पेन्टिंग तथा डी०जी० सेट के संचालन से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या है । इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है तथा उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति भी नहीं प्राप्त की जा रही है । सर्वेक्षण/निरीक्षण के दौरान पायी गई प्रदूषणकारी इकाइयों के विरुद्ध "बोर्ड" द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है ।

3–अलीगढ़ शहर में ब्रासवेयर का उत्पादन एवं निर्यात करने वाला लगभग 100 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं । इन इकाइयों द्वारा ब्रास हार्डवेयर्स की पालिशिंग से पूर्व अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हेतु ट्राइक्लोरीइथीलीन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है यह रसायन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हैजार्डस रसायनों की सूची में सम्मिलित है । यह रसायन औद्योगिक प्रक्रिया में पुनः प्रयोग हो जाता है तथा रसायन के पुनः प्रयोग न होने की स्थिति में निस्तारित किये जाने तथा प्रोसेस के दौरान वाष्पीकृत की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अभी तक सर्वेक्षण किये गये उद्योगों में से 20 उद्योगों द्वारा ट्राईक्लोरीइथीलीन का प्रयोग किया जाना पाया गया तथा उनके द्वारा वाष्पीकृत ट्राईक्लोरीइथीलीन को वायु मंडल में जाने से रोकने हेतु कन्डेसिंग सिस्टम की व्यवस्था की गयी है परन्तु निष्प्रयोज्य ट्राईक्लोरीइथीलीन के निस्तारण हेतु उद्योगों में समुचित व्यवस्था नहीं है इन उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समाज कल्याण विभाग के उप विभाग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सहायक विकास अधिकारी की सेवा नियमावली न होने एवं इनकी पदोन्नति न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम हर्ष सिंह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

[समाज कल्याण विभाग के उप विभाग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सहायक विकास अधिकारी की सेवा नियमावली न होने एवं इनकी पदोन्नति न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि :–

सहायक विकास अधिकारी (स०क०) हेतु "उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली 1997" बनी है । उक्त नियमावली सहायक विकास अधिकारी (स०क०) की पदोन्नति का कोई प्राविधान न होने के कारण अब तक सहायक विकास अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकी है । ग्राम्य विकास विभाग या अन्य किसी विभाग के कार्मिक समाज कल्याण विभाग में पदोन्नति नहीं पाये हैं ।

समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारियों को जिला समाज कल्याण अधिकारी के सीधी भर्ती के 50% पदों को छोड़ कर शेष 50% में से 35% पदों पर पदोन्नति का प्राविधान किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991" में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है । उक्त संशोधन के पश्चात् ही समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जा सकेगी ।

जहां तक समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी को ग्राम्य विकास विभाग के खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने का प्रश्न है, "उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991" के प्राविधानों के अनुसार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी ही खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं । उक्त सेवा नियमावली 1991 में अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों के खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्राविधान न होने के कारण समाज कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती है ।]

राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं छोटे मुद्रक एवं प्रकाशकों का बकाया भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[मा० सदस्य महोदय ने सदन को सूचित किया है कि बेसिक शिक्षा विभाग उ० प्र० डी०पी० ई०पी० के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2000-2001 के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक तथा सभी वर्ग की बालिकाओं हेतु कक्षा–1 से 5 तक की सम्पूर्ण राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें सभी प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा अधिकृत मुद्रक/प्रकाशकों द्वारा समस्त जनपदों में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निःशुल्क वितरित की गयी । राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 18-7-2000 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पुस्तकों की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पुस्तकों की संख्या व गुणवत्ता की जांच करके पुस्तक प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर तथा शेष 10 प्रतिशत भुगतान पुस्तकें वितरित होने के पश्चात् करें, किन्तु अधिकांश जनपदों के अधिकारियों ने समयावधि में भुगतान नहीं किया, जिससे छोटे मुद्रक/प्रकाशकों का करोड़ों रुपया फंस गया । प्रदेश के कतिपय जनपदों में 2 माह से 5 माह के पश्चात् भुगतान किया गया, सात जनपदों में आठ माह व्यतीत होने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किया गया । वर्ष 2000-2001 में 14 जनपदों में आठ माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अवशेष भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण मा० सदस्य का लाखों रुपया फंसा पड़ा है ।

2–मा० अध्यक्ष के माध्यम से सूचित करना है कि भारत सरकार की निर्गत डी० पी० ई० पी० गाइड लाइन्स के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा सभी वर्ग की बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरण करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में तत्समय इस परियोजना से आच्छादित जनपदों में पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी । लखनऊ में जनशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा कानपुर नगर में राज्य सरकार द्वारा वितरण की योजना संचालित की गयी है ।

3–बेसिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० के नियन्त्रणाशील विद्यालय में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए परिषद् द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें लागू की गयी है । इनके मुद्रण की व्यवस्था हेतु शिक्षा निदेशक (बे०) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण से सम्बन्धित कार्यवाही पाठ्य पुस्तक अधिकारी द्वारा की जाती है । निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु निर्धारित मानक, स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता को पाठ्य पुस्तकें आपूर्ति हेतु पुस्तकों का क्रय एवं निःशुल्क वितरण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया गया । मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निःशुल्क वितरण के क्रयादेश जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देश में विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये । पाठ्य पुस्तक अधिकारी द्वारा आपूर्ति हेतु पुस्तकों का कागज, आवरण तथा स्पेसिफिकेशन आदि की सूचना सभी विशेषज्ञ–बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दी गयी । पुस्तकों का साइज तथा नमूने के आधार पर छपाई आदि की शर्तें निर्धारित थी । इनकी गुणवत्ता और स्पेसिफिकेशन भी निर्धारित की गयी थी ।

4–शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुबन्धित मुद्रकों एवं प्रकाशकों को 20 जुलाई तक पुस्तकों की आपूर्ति की जानी आवश्यक थी किन्तु मुद्रकों एवं प्रकाशकों द्वारा आपूर्ति अगस्त से अक्टूबर के मध्य की गयी । विलम्ब से की गयी आपूर्ति अनुचित थी । इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश सभी जिलाधिकारियों को राज्य परियोजना के पत्रांक दिनांक 13 जून, 2000 द्वारा दिए गये थे । परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 18 जुलाई, 2000 द्वारा निर्देश दिये गये कि पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता की जांच एवं सत्यापन शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं पाठ्य पुस्तक अधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सही होने की दशा में 90 प्रतिशत देय भुगतान तीन दिन के अन्दर कर दिया जाय । अनेक जिलाधिकारियों–कन्नौज, फिरोजाबाद, हरदोई, महाराजगंज, ललितपुर, आजमगढ़ तथा रामपुर आदि से घटिया स्तर का कागज, छपाई की कमियां और पुस्तकों के साइज की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई । राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 11 अक्टूबर, 2000 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से कटौती का मानक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया । वर्णित स्थिति में शासन द्वारा पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न कमियों और निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, कागज के मानक की कमी, पाठ्य पुस्तकों के आकार और छपाई मानक के अनुरूप न होने पर कटौती पर विचार कर शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर, 2000 द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि जिन

प्रकाशकों एवं मुद्रकों की आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार न हो उनके लम्बित भुगतान निम्नानुसार कटौती के उपरान्त भुगतान किया जाय :–

(क) पाठ्य पुस्तकों का कागज यदि मानक से कम हो–कटौती 10% ।

(ख) पाठ्य पुस्तकों का आकार यदि निर्धारित मानक से कम हो–कटौती 10% ।

(ग) पाठ्य पुस्तकों की छपाई यदि मानक के अनुरूप न पाये जाने पर–कटौती 5 % ।

5–मा० सदस्य को अवगत कराना है कि पाठ्य पुस्तकों के मूल्य लगभग 36 करोड़ रुपये के समक्ष दिनांक 25-11-2000 तक कुल राशि रुपये 22 करोड़ 6 लाख का भुगतान किया गया था । इसी प्रकार दिनांक 8-1-2001 तक रु० 28,81,62,37?/- का भुगतान जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार किया गया था । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकाशकों ने समय के अन्तर्गत पुस्तकें नहीं उपलब्ध करायी । पाठ्य पुस्तकों के क्रयादेश, प्राप्ति वितरण एवं भुगतान की नियमित समीक्षा उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं राज्य सरकार द्वारा की जाती रही । राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भुगतान की स्थिति का सतत् अनुश्रवण किया गया है ।

6–राज्य सरकार छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । हमारा संकल्प है कि प्रारम्भिक शिक्षा हेतु 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित करायेंगे तथा यथासम्भव शैक्षिक सुविधायें, आकर्षक शैक्षिक परिवेश एवं शिक्षण अधिगम की नूतन विधाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने का भरसक प्रयास करेंगे । सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का अवसर सुलभ हो । इसी क्रम में पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की योजना संचालित की गई है ।

7–जनपद–सोनभद्र, मथुरा तथा कानपुर नगर में देय धनराशि क्रमशः रु० 41,36,245/- 24,43,686/- तथा रु० 32,35,207/- तथा गोण्डा में रुपये 59,63,475/- का भुगतान हो चुका है । जनपद–अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून तथा रुद्रप्रयाग उत्तरांचल राज्य से संबंधित है । इसके अतिरिक्त जनपद–फिरोजाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, देवरिया, संत कबीरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं इटावा में परीक्षण उपरान्त देय धनराशि का भुगतान हो चुका है । निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु क्रय की गई पाठ्य पुस्तकों का देय रु० 36,95,85,787/- का भुगतान किया जा चुका है । स्पष्ट है कि मानक कटौती के पश्चात देय धनराशि का भुगतान हो चुका है । आशा है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण एवं भुगतान के संबंध में दी गई सूचना से मा० सदस्यगण संतुष्ट होंगे ।]

जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करमडाडा एवं लखनऊ की ग्राम पंचायत अटेसुवा के रिक्त प्रधान पदों का शीघ्र चुनाव कराने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

पंचायतीराज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

[श्री रामचन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करमडाडा की ग्राम प्रधान राम राजी की मृत्यु के कारण रिक्त हुए पद पर दिनांक 29-5-2001 को चुनाव कराने का निर्णय शासन ने लिया था । इस हेतु दिनांक 16 व 17 मई को नामांकन की तिथि समाप्त हो चुकी है । परन्तु निर्वाचन अधिकारी व संबंधित अधिकारियों की

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लापरवाही के कारण नामांकन नहीं हो सका है, जिससे चुनाव नहीं कराया जा सकता । अधिकारियों की उदासीनता के कारण ग्राम पंचायतों में आक्रोश व्याप्त है । इसी प्रकार जनपद लखनऊ के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है कि जनपद लखनऊ के बख्शी का तालाब के ग्राम पंचायत अटेसुवा का भी चुनाव नहीं हो रहा है, जिससे सभी प्रकार के विकास कार्य बाधित हैं । अतः जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करमडाडा तथा लखनऊ के अटेसुवा ग्राम का चुनाव दिनांक 29-5-2001 को ही कराये जाने अथवा दूसरी तिथि पर कराये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है ।

उपरोक्त मा० सदस्य, विधान सभा की शिकायतों के संबंध में उल्लेख करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ० प्र०, लखनऊ के अधिसूचना संख्या–1309/रा०नि०आ०अनु०–3/2001, दिनांक 8 मई, 2001 के क्रम में जनपद फैजाबाद के सभी विकास खण्डों से पंचायत पदाधिकारियों के रिक्त पदों की सूचना जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) फैजाबाद द्वारा अपने पत्र रेडियोग्राम संख्या–मेमो दिनांक 9-5-2001 द्वारा मांगी गयी थी । विकास खण्डों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस जनपद में छः ग्राम पंचायत सदस्यों एवं दो ग्राम प्रधान के पदों पर उप चुनाव हेतु अधिसूचना दिनांक 10-5-2001 को जारी की गयी । यह अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ग्राम पंचायत करमडाडा के ग्राम प्रधान के मृत्यु की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को प्राप्त हुई । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगली अधिसूचना जारी होने पर प्रधान, ग्राम पंचायत, करमडाडा के रिक्त पद पर उप चुनाव करा लिया जाएगा । इस ग्राम पंचायत में प्रधान पद का कार्यभार उप प्रधान द्वारा किया जा रहा है । विकास कार्य बाधित नहीं है ।

इस प्रकार जनपद लखनऊ के ग्राम पंचायत अटेसुवा के ग्राम प्रधान पद के रिक्त होने से न होने वाले उप चुनाव के संबंध में उल्लेख करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ० प्र० लखनऊ की अधिसूचना संख्या–1309/रा०नि०आ० अनु०–3/2001, दिनांक 8 मई, 2001 के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी की सूचना के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 10-5-2001 को अधिसूचना जारी की गयी । जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा ग्राम पंचायत, अटेसुवा के ग्राम प्रधान पद के रिक्त होने की कोई सूचना नहीं दी गयी थी । सर्वप्रथम इसकी जानकारी उस समय हुई, जब श्री मो० समी, पूर्व प्रधान, अटेसुवा ने इस संबंध में एक लिखित शिकायत जिलाधिकारी, लखनऊ को 15-5-2001 को दिया तथा इसी सन्दर्भ में श्री आजाद अन्सारी, भारतीय किसान यूनियन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ । जिला पंचायत राज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कहा गया । स्थिति स्पष्ट होने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत अटेसुवा के निर्वाचित प्रधान मो० सलीम की मृत्यु दिनांक 24-10-2000 को हो गयी थी । खण्ड विकास अधिकारी बी० के० टी० द्वारा रिक्त पद की सूचना दिनांक 14-5-2001 को दी गयी । इस प्रकार रिक्त पद की सूचना न होने के कारण ग्राम पंचायत अटेसुवा के प्रधान के रिक्त पद के उप चुनाव की अधिसूचना दिनांक 10-5-2001 को नहीं जारी हो सकी । इस संबंध में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांग कर कार्यवाही की जा रही है । ग्राम पंचायत अटेसुवा के प्रधान के रिक्त पद के उप निर्वाचन हेतु आयोग से अधिसूचना जारी करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है । मृत्यु के पश्चात् प्रधान के पद का कर्य भार उप प्रधान द्वारा देखा जा रहा है । विकास कार्य प्रभावित नहीं है ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों आदि की सेवा निवृत्ति पर एवं कर्मचारियों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके बीमा दावों का शीघ्र भुगतान किये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

[मा० सदस्य विधान सभा श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों की संख्या–623 है जिनमें 11 नगर निगम हैं और 174 नगरपालिका परिषद् हैं और 410 नगर पंचायतें हैं, जिनमें लगे सफाई कर्मचारी व सफाई नायक, मिस्त्री, ड्राइवर आदि के सेवानिवृत्त व कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद 10 (दस-दस) सालों से अपनी-अपनी निगमों के चक्कर लगा रहे हैं । लेकिन बीमों के दावों का भुगतान नहीं हुआ है । कर्मचारियों को बीमों के दावों में यदि प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया जाये तो कर्मचारियों को काफी राहत मिल जायेगी ।

2–उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक एवं नियमित कर्मचारियों पर भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना वर्ष 1978 में लागू की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से प्रति माह रु० 20 अभिदान के रूप में काट कर रु० 1.63 पैसे प्रति माह की दर से निकायों के अंशदान सहित कुल रु० 21.63 पैसे प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से बीमा धनराशि निकायों द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा की जाती है । शासन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को मासिक प्रीमियम का भुगतान करने हेतु धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय को स्वीकृति की जाती है । मासिक प्रीमियम का भुगतान विलम्ब से होने पर जीवन बीमा निगम द्वारा विलम्ब शुल्क लिया जाता है ।

3–कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रु० 25000.00 तथा बचत खाते में जमा धनराशि का भुगतान किया जाता है । सेवा निवृत्त कर्मचारी को बचत खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित दी जाती है । योजनान्तर्गत रु० 21.63 की धनराशि में से रु० 15.63 रिस्क प्रीमियम तथा रु० 6.00 प्रतिमाह बचत प्रीमियम के रूप में जमा होती है ।

4–मृतक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीमा दावे संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर उनका परीक्षण कर भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे जाते हैं । भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इन दावों का भुगतान सीधे संबंधित स्थानीय निकायों को भेजा जाता है जिसकी कोई सूचना निदेशालय को नहीं दी जाती है ।

5–भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 में इस योजना के संचालन में मनमानी शर्तों को लगाकर भुगतान में बाधा उत्पन्न की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आच्छादित कर्मचारियों की सूची एवं मासिक प्रीमियम के संबंध में जी०बी० फार्म प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराना, मासिक प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब शुल्क की मांग करना तथा भुगतान में विलम्ब होने पर पालिसी कालातीत कहकर बीमा दावों का भुगतान रोक देना, जिन कर्मचारियों का नाम सूची में किसी कारण से नहीं है तो उनका बीमा भुगतान अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर भी न करना, तीन वर्ष से पुराने दावों का भुगतान न करना तथा योजना के प्रारम्भ से आच्छादित अस्थायी कर्मचारियों को अब योजना में शामिल न करना और उनका भुगतान न करना आदि प्रमुख हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

6–भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्पन्न की जा रही कठिनाइयों को एवं कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम से हटाकर राज्य कर्मचारियों की भांति सामूहिक बीमा निदेशालय उत्तर प्रदेश के माध्यम से संचालित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में वित्त विभाग एवं सामूहिक बीमा निदेशालय की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये बीमा योजना लागू की जायेगी ताकि उक्त योजना को अधिक प्रशासनिक सुगमता के साथ संचालित किया जा सकेगा ।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में श्री विजयपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद आगरा में भू-गर्भीय जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है । पेयजल की गंभीर समस्या पैदा हो गयी है । विगत वर्षों में जो हैण्डपम्प लगाये गये थे, जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है । मानक के अनुसार सभी गांव संतृप्त किये जा चुके हैं, जबकि वास्तविक रूप से जितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं उससे कहीं ज्यादा खराब हो गये हैं । राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे कार्यक्रम एन०जी०ओ० के सहयोग से कराये जा रहे हैं । इस योजना का अभी तक प्रचार-प्रसार ही किया जा रहा है । समितियों का गठन नहीं हो पाया है ।

2–उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद आगरा में कुल 13,907 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं जिसमें से कुल खराब 1660 हैण्डपम्पों के सापेक्ष 1018 हैण्डपम्प ठीक कराये जा चुके हैं । उक्त के अतिरिक्त इस माह में कुल 18 हैण्ड पम्प रिबोर किये गये हैं । हैण्डपम्पों के मरम्मत/रिबोर का कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम तथा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/जिला अधिकारियों को दिए गए हैं । भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों में सामुदायिक सहभागिता पेयजल कार्यक्रम (जलनिधि) चलाये जाने की अनुमति दी गयी है जिसके अन्तर्गत जनपद आगरा में उक्त कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार से वित्त पोषित है । योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत अंश लाभार्थी समूह द्वारा तथा 90 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य स्तरीय मिशन का गठन, जनपद स्तरीय मिशन का गठन, जनपदों में मिशन के खाते खोले जाने की कार्यवाही, आई०ई०सी० कार्यक्रम का शुभारम्भ, कार्यशालाओं का आयोजन आदि कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है । प्रथम चरण की अवधि 15 अगस्त, 2001 तक है जिसके भीतर अवशेष कार्य सम्पादित किये जाने हैं । भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है । भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एन०जी०ओ० का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।]

शासन द्वारा श्री चन्द्रेश पासवान को उपलब्ध कराये गये दूरभाष के रिकार्ड कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम–38(3) के अन्तर्गत दी गयी सूचना को निरस्त किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस सूचना को निरस्त कर दिया जाये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० संसदीय कार्य मंत्री ने इस सूचना को नियम–38 (3) के प्राविधानों के अन्तर्गत इसको निरस्त करने के लिए प्रार्थना की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सूचना तो निरस्त हो गयी, लेकिन यह एक सदस्य के प्राणों की रक्षा का मामला है । इनके भाई की हत्या हो चुकी है । इनकी हत्या करने का प्रयास हो रहा है । इनका टेलीफोन टेप किया जा रहा है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने निरस्त कर दिया है वह अपनी जगह पर है, लेकिन इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री चन्द्रेश पासवान–

मान्यवर, मेरे बड़े भाई की हत्या हो गयी है और मेरी हत्या की योजना बनायी जा रही है और मेरे टेलीफोन टेप कराये जा रहे हैं, ताकि मेरी गतिविधियों के बारे में जानकारी मेरे विरोधियों को रहे । 8 मार्च को विकास खण्ड जकौड़िया में दिनदहाड़े गोलीबारी की जिससे एक आदमी मारा गया तथा मेरे एवं मेरे परिवार का जानमाल का खतरा बना हुआ है । फोन टेप कराया जाना बन्द कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी इसको आप दिखवा लीजिएगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

श्री चन्द्रेश पासवान–

मान्यवर, कोई समुचित उत्तर सरकार की तरफ से आ जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है कि इस प्रकरण को देखेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री इस प्रकरण को अगंभीर समझ रहे हैं तो हमारे कहने से फायदा नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा कि इस प्रकरण पर सदन के बाद जानकारी कर लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इनकी प्राण रक्षा के बारे में सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी ने कहा है कि सदन के बाद इस प्रकरण को दिखवा लूंगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि आपके निर्देशों का पालन किया जायेगा इसके बाद आश्वासन की बात नहीं रह जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–50, 51, 52, 53, 54, 55 पर निर्धारित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डांव अन्तर्गत घाघरा नदी पर मलहदुहिया नाला दुबारी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुधाकर सिंह, नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

[जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 1998-99 राज्यांश से स्वीकृत परियोजना दुबारी धर्मपुर मार्ग के कि०मी०–1 में दुबारी के निकट घाघरा नदी से निकलने वाले नाले पर सेतु निर्माण के लिए आदेश दिनांक 24-3-1999 द्वारा कुल रु० 30.02 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु रु० 24.02 लाख की धनराशि लोक निर्माण विभाग को माह मई, 1999 में अवमुक्त की गई थी। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मऊ के पास उक्त कार्य को कराये जाने हेतु आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध न होने के कारण आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 28-9-2000 द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को परिवर्तित करने का अनुरोध नियोजन विभाग से किया गया था।

2–प्रश्नगत सेतु का निर्माण किन परिस्थितियों में प्रारम्भ नहीं किया जा सका, की जांच कराई जायेगी।]

जनपद लखनऊ निवासी श्री संजय तिवारी के पक्ष में मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवशेष वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[डी०ए०वी० इण्टर कालेज, लखनऊ एक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का पद मौलिक रूप से रिक्त हो जाने के फलस्वरूप वरिष्ठतम प्रवक्ता रसायन, श्री बालकृष्ण श्रीवास्तव को आयोग से चयनित अभ्यर्थी आने तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 20-8-97 को मान्यता प्रदान की गई। रसायन विज्ञान प्रवक्ता के अल्पकालिक रिक्ति के प्रति प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री संजय तिवारी की अनियमित रूप से नियुक्ति करके पत्रादि जिला विद्यालय निरीक्षक को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया।

श्री तिवारी के नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं (दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन आदि) का पालन नहीं किया गया प्रधानाचार्य का पद मौलिक रूप से रिक्त होने के आधार पर विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर अनुमोदन दे दिया गया और उसी के आधार पर अल्पकालिक नियुक्ति कर ली गई। अल्पकालिक रिक्ति में भी चयन की प्रक्रिया अपनायी जानी अनिवार्य है। इस मामले में प्रबन्धक ने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना निकालकर कतिपय 3-4 नाम आमंत्रित कर लिये और श्री संजय तिवारी का चयन कर लिया गया जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित नियमों/विनियमों के विरुद्ध होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदन न दिए जाने/अमान्य कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री तिवारी द्वारा याचिका संख्या–865 (एस०एस०)/98 दायर की गई जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 5-5-2000 द्वारा श्री तिवारी को अप्रैल, 2000 से वेतन भुगतान करने एवं सी०ए० दायर करने का निर्देश दिया। मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया तथा मा० न्यायालय के उक्त आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र भी दाखिल किया गया है जो मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेतन भुगतान हेतु तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी एवं वर्तमान में मा० मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर दिये गये आदेशों के संबंध में अवगत कराना है कि जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतएव शासकीय हित में वेतन भुगतान किया जाना उचित न होगा ।]

जनपद–महराजगंज में रोहिन नदी पर स्थित त्रिमुहानी सेतु एवं फरेन्दा से सिद्धार्थनगर मार्ग पर स्थित हड़हवा घाट सेतु को पथकर मुक्त किये जाने के संबंध में श्री विनोदमणि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मुख्य अभियन्ता, गो० क्षे०, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद–महराजगंज में फरेन्दा–महराजगंज राज्य मार्ग संख्या–86 के किलोमीटर 16 में रोहिन नदी पर त्रिमुहानी सेतु का निर्माण रु० 31–60 लाख की लागत से दिसम्बर, 1974 में कराया गया था और शासकीय अधिसूचना दिनांक 26-12-74 से सेतु पर पथकर वसूली प्रारम्भ हुई थी । सेतु पर दिनांक 31-03-2001 को रु० 226-02 लाख पथकर वसूली अवशेष है ।

इसी प्रकार जनपद महराजगंज में फरेन्दा–धानी मार्ग के किलोमीटर 5 में पोहनाला पर हड़हवा घाट सेतु का निर्माण रु० 9-99 लाख की लागत से जुलाई, 1971 में कराया गया था और इस सेतु पर पथकर वसूली शासकीय अधिसूचना दिनांक 01-7-1971 के अनुक्रम में दिनांक 03-7-71 से प्रारम्भ हुई थी । उक्त सेतु पर दिनांक 31-3-2001 को रु० 74-92 लाख पथकर वसूली अवशेष है ।

उक्त सेतुओं पर पथकर वसूली हेतु अवशेष धनराशि सेतु की लागत से कई गुना होने का कारण यह है कि सेतु पर पथकर वसूली की गणना वर्ष के प्रारम्भ में बकाया वसूली, व्यवस्थापन व्यय, अनुरक्षण व्यय तथा ब्याज की राशि आदि जोड़कर उसमें वर्ष में प्राप्त पथकर वसूली को घटाकर की जाती है ।

प्रश्नगत सेतुओं को शासकीय अधिसूचना संख्या–5662/23-2-94-92/89 दिनांक 29-12-94 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत पथकर से मुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि "किसी पुल पर पथकर का उद्ग्रहण उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल के निर्माण पर किये गये कुल व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय, पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, किया जायेगा ।" उल्लेखनीय है कि न तो उक्त सेतुओं के निर्माण की कुल लागत ही वसूल हो पाई है और न ही सेतुओं पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि ही पूर्ण हुई है ।]

जनपद संत रविदास नगर भदोही में निर्माणाधीन 33 के०वी० भदोही–सुरियावाँ लाइन को जोड़ने के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा दी गयी सूच पर नियम–51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[वर्तमान में 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सुरियावां की आपूर्ति 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र औराई से की जाती है जिसकी 33 के०वी० लाइन की लम्बाई लगभग 30.0 किमी० है । मोढ़ से सुरियावां तक 33 के०वी० लिंक लाइन के निर्माण से 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों सुरियावां तथा पाली को 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र भदोही से भी विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी । अतः सुरियावां तथा पाली विद्युत उपकेन्द्रों की वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था हेतु मोढ़ से सुरियावां तक 33 के०वी० लाइन का निर्माण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वितीय प्रणाली के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है । इन लाइन के निर्माण की लागत लगभग 18.55 लाख रुपये है । इसके लिये भदोही की सी०आई०बी० स्कीम के अन्तर्गत 10.50 लाख रुपये स्वीकृत हो गये हैं । शेष 8.05 लाख रुपये कारपोरेशन के आन्तरिक संसाधन से व्यय करने होंगे ।

सन्दर्भगत 33 के०वी० लाइन के लिये पैकेज स्वीकृत है । इस लाइन के शीघ्र निर्माण हेतु निदेशक (वितरण) द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।]

जनपद—बहराइच के कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु खराब नलकूप ठीक करने के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)—

[नियम—51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना में डा० वकार अहमद शाह, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि बहराइच के मोहल्ला बरिहाट में जल निगम द्वारा एक नलकूप का निर्माण किया गया है । इसे विद्युत कनेक्शन भी मिल गया है परन्तु अभी तक इससे पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है । इसी प्रकार मोहल्ला बशीरतगंज में लगा नलकूप चार बार खराब हो चुका है । इस समय पानी बहुत कम आ रहा है, एक नलकूप के न चालू होने व दूसरे से कम मात्रा में पानी आने के कारण नगर जनता में त्राहि-त्राहि मची है । लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । इस गर्मी के मौसम में पानी न मिलने से समस्या गंभीर हो गयी है ।

इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि बहराइच के मोहल्ला बरिहाट में नलकूप बनाने हेतु वर्ष 98-99 में एक योजना अनुमानित लागत रु० 14.46 लाख की स्थानीय स्तर पर विरचित की गयी थी । जिसके विरुद्ध 10.00 लाख रु० मा० सांसद श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये थे । प्राप्त धनराशि से जल निगम द्वारा नलकूप संबंधी समस्त कार्य वर्ष 1999 में ही पूर्ण कराया जा चुका है । 23-4-99 को अध्यक्ष, नगर पालिका के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया था कि नलकूप से सम्बन्धित पाइप लाइन का कार्य नगर पालिका द्वारा स्वयं कराया जायेगा परन्तु नगर पालिका द्वारा न तो अभी तक कार्य ही कराया गया एवं न ही इस कार्य को करने के लिए जल निगम को धन उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया जिसके कारण से इस नलकूप से पानी की आपूर्ति अभी नहीं हो पा रही है । धनराशि प्राप्त होने पर यह कार्य जल निगम द्वारा कराया जा सकेगा ।

मोहल्ला बशीरतगंज का कथित नलकूप काजीपुरा में स्थित है । यह नलकूप वर्ष 94-95 में निर्मित हुआ था तथा वर्तमान में उसका श्राव घटकर 1000 एल०पी०एम० रह गया है । इस नलकूप के पम्पिंग प्लांट भी निष्प्रयोज्य हो गया है जिसके स्थान पर नगर पालिका के पास उपलब्ध कम क्षमता के पम्पिंग प्लान्ट को अधिष्ठापित करके जलापूर्ति की जा रही है । इस नलकूप के वर्तमान क्षमता के अनुसार पम्पिंग प्लांट की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जा रही है जिसके लग जाने पर पानी की आपूर्ति में वृद्धि हो जायेगी काजीपुरा नलकूप से वर्तमान में 13 घन्टे की जलापूर्ति की जा रही है ।]

जनपद जौनपुर में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के शुभारम्भ में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय, द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)—

[मा० विधान सभा सदस्य श्री जगदीश नारायण राय ने नियम—51 के अन्तर्गत यह सूचना दी है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जनपद—जौनपुर का चयन हुआ, वहीं पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु धनराशि भी अवमुक्त हुई । उसके लिये जनपद स्तर पर एक कमेटी निर्धारित है, जिसकी अध्यक्षता

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला पंचायत अध्यक्ष को करना होता है । उसमें सामान्य सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि मेम्बर हैं । जिला पंचायत राज अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं । बैठक में कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप 20 मई रविवार को मा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पंचायती राज मंत्री को उद्घाटन करना था । उसके लिये दैनिक जागरण तथा अन्य स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रसारित हुआ, दिनांक 19 तक उस विज्ञापन में किसी विधायक का नाम नहीं था, परन्तु 20 मई रविवार को जो विज्ञापन दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ, उसमें तीन विधायक का नाम दिया गया । किसी अन्य विधायक का नाम नहीं दिया गया, जबकि जिले में कुल दस विधायक हैं । कार्यक्रम की अध्यक्षता एक सांसद से कराया गया, जबकि जिलाध्यक्ष हैं । इससे जनपद में कार्यक्रम की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गयी है । जनता में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि यह सरकारी योजना है । धन का दुरुपयोग हो रहा है ।

मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुभूत आवश्यकता के सृजन, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने, परिव्यय आधारित कार्यक्रम के स्थान पर मांग आधारित कार्यक्रम चलाये जाने और नयी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्यक्रम के अन्तर्गत 50% आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष से इस जनपद का सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी०ए०सी०) को प्रारम्भ किया गया । शासनादेश संख्या–3827/33–3–99–227/99, दिनांक 21 फरवरी, 2000 द्वारा डिस्ट्रक्चर्ड सेन्ट्रली स्पांसर्ड रूरल सैनीटेशन प्रोग्राम की मार्गदर्शिका जारी की गई है जिसके अनुसार गवर्निंगबाडी में जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंगबाडी के अध्यक्ष तथा पदनाम सहित 13 अन्य अधिकारियों को सदस्य एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को संयोजक बनाया गया है । गवर्निंगबाडी की बैठक अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में दिनांक 5-5-2001 को आहूत की गयी जिसमें विधायकगण एवं सदस्य उपस्थित रहे ।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जनपद जौनपुर के क्रियान्वयन हेतु शुभारम्भ समारोह दिनांक 20 मई, 2001 को आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पंचायती राज मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ० प्र० शासन तथा अध्यक्ष माननीय स्वामी चिन्मयानन्द सांसद थे । विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रभावती पाल, अध्यक्ष, जिला पंचायत भी रहीं । उक्त कार्यक्रम का विज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर के कार्यालय के पत्रांक–450/7/पं0/2001-2002, दिनांक 17 मई, 2001 द्वारा दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला में प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से दिया गया, जिसमें विधायक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, यद्यपि जनपद के समस्त विधायकों को उक्त समारोह में उपस्थित रहने हेतु अनुरोध पत्र/निमन्त्रण पत्र प्रेषित किये गये थे । दिनांक 20-5-2001 (रविवार) को जारी विज्ञापन में दैनिक जागरण द्वारा मात्र तीन विधायक का नाम कैसे अंकित किया गया, इसकी जानकारी विज्ञापनदाता को नहीं है और न तो इस आशय का विज्ञापन जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर से जारी किया गया है ।

उक्त आख्या से स्पष्ट है कि मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना सत्य तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होती है ।]

प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत मानदेय के आधार पर कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों/ अनुदेशिकाओं के प्रावधान के सम्बन्ध में श्री राम औतार शास्त्री द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[अनौपचारिक शिक्षा योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित योजना थी । इस योजना के अन्तर्गत परियोजना स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर अध्ययन करने वाले बालक/बालिकाओं हेतु अंशकालिक व स्वैच्छिक अनुदेशकों को मात्र 200 रुपये प्रतिमाह के आधार पर 02 वर्ष के लिए कार्ययोजित किये जाने का प्राविधान था । इनका चयन ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किये जाने का प्राविधान था एवं इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित थी । इनके मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते से मानदेय भुगतान की धनराशि उसके व्यक्तिगत खाते में ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम शिक्षा समिति अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाता था । ऐसे अनुदेशक/अनुदेशिकाओं की अनुमानित संख्या–47906 थी ।

चूंकि अनौपचारिक शिक्षा योजना को भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-3-2001 से समाप्त कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि दि० 31-3-2001 से उक्त योजना पर कोई धनराशि नहीं दी जायेगी और चूंकि योजना को एकाकी रूप से राज्य सरकार द्वारा चलाया जाना सम्भव नहीं था, जिसके कारण प्रतिनियुक्ति पर आये परियोजना अधिकारियों को उनके पैतृक विभागों में वापस कर दिया गया और जो परियोजना अधिकारी 15–20 वर्षों से कार्यरत थे उन्हें विभाग में उपलब्ध पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर समायोजित कर दिया गया ।

चूंकि प्रश्नगत अनुदेशक/अनुदेशिकायें अंशकालिक एवं स्वैच्छिक रूप से मात्र 200 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर मात्र 02 वर्ष के लिए ही कार्ययोजित होते थे अतः योजना समाप्त होने पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी । यह राजकीय कर्मचारी की श्रेणी में थे ही नहीं अतः इनके समायोजन का कोई आधार स्थापित नहीं होता । ।

जनपद वाराणसी में जलने से मृत महिलाओं के शवों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु विशेष मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित करने एवं मृत्यु पूर्व बयान लेने हेतु समय से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मृत्यु कालीन कथन अंकित करने तथा पंचायतनामा के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा मेमो प्रस्तुत करने के पश्चात् उसी समय सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है । जहां तक वाराणसी स्थित शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल में भरती रोहतास (बिहार) के सुन्दरगंज की कान्ती देवी तथा गाजीपुर जिले की नन्दगंज क्षेत्र की जाहिदा बेगम की दिनांक 18 मई, 2001 दिन शुक्रवार को मृत्यु हो जाने के पश्चात् कई बार सूचित करने पर भी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति न होने के कारण पोस्टमार्टम न हो पाने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उक्त तिथि को मृत्युकालीन कथन अंकित करने तथा पंचायतनामा हेतु कार्यवाही करने के लिए अपर परगना मजिस्ट्रेट (सदर) वाराणसी की ड्यूटी लगाई गयी थी । जो बिना किसी सूचना के दिनांक 19-5-2001 को मुख्यालय से बाहर चले गये जिसके कारण मृतक महिलाओं का मृत्युकालीन कथन अंकित नहीं किया जा सका है । अपर परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इस अनुशासनहीनता और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिए उनसे जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

अपर परगना मजिस्ट्रेट सदर के मुख्यालय से बाहर होने की जानकारी होने पर अन्य मजिस्ट्रेट को भेजकर मृतक महिलाओं के पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी । ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना एवं उसी सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने 1 मई, 2000 को नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न सं०–3 पूछा था जिसमें कहा गया था कि 2000–2001 की जिला योजना क्या समस्त जनपदों में रोक दी गयी है तो उसका उत्तर दिया गया था जी नहीं । मैंने यह पूछा था यदि नहीं तो क्यों, उसका भी उत्तर दिया गया था "जी नहीं" । मान्यवर, इस पूरे सत्र के दौरान एक बात चारों तरफ से आयी है प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे इधर का हो या उधर का हो उसने चिन्ता प्रकट की है कि जिला योजना 2001-2002 के जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों से लिये गये थे उन पर जो स्वीकृतियां हुयी थीं और सहमति बनी थी उन पर शासन द्वारा धन का आवंटन नहीं किया गया । प्रधान मंत्री ग्राम योजना आ गयी । पहले प्रस्ताव लिये गये थे कि 1 हजार की आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे और प्रधान मंत्री योजना में यह कहा गया कि 5 सौ आबादी के गांव लिये जायेंगे । जो 5 सौ के गांव थे ब्यूरोक्रेसी ने उनको खुद तय कर दिया । तो अब यह आशंका जनप्रतिनिधियों के मन में है कि क्या उनके द्वारा बताये गये प्रस्ताव के अनुसार कार्य होगा या नहीं । जब कोई योजना स्वीकृत हो जाती है तो हम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों को जानकारी दे देते हैं कि उनकी फलं-फलां सड़क स्वीकृत हो गयी है । लेकिन पाँच सौ की आबादी के सम्बन्ध में विधायकों से प्रस्ताव नहीं लिये गये हैं जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । सरकार का कहना है कि 2000-2001 तक जितने प्रस्ताव दिये गये हैं उन सब पर काम करा दिया जायेगा । लेकिन जब विधायकों ने पूछा तो 'दादा बड़ा न भइया सबसे बड़ा रुपइया' काम के लिये पैसा चाहिये । पैसा भेजा नहीं गया' । आशंका है कि यह सड़कें बनेंगी या नहीं । मान्यवर, यह कहा गया कि 7 करोड़ रुपया प्रधान मंत्री योजना से आया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका जनपद वार आवंटन कितना कितना किया गया है लेकिन इसकी भी जानकारी नहीं है । यह भी नहीं बताया जा रहा कि जो सड़कें बनेंगी वह कहां से बनेगीं । नाबार्ड से पैसा आयेगा या जिला योजना का पैसा होगा । इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं आ पाया है । इसी बजट में आया है कि नावार्ड को जो प्रस्ताव भेज रहे हैं उनकी स्वीकृति में विलम्ब होगा इसलिये कोशिश की जा रही है कि हमें ब्रिज लोन मिल जाय । जब तक नावार्ड से ब्रिज लोन नहीं मिलता है तब तक वित्त विभाग उतनी राशि उपलब्ध करा दें और बाद में नावार्ड को राशि वापस कर दी जायगी । मान्यवर, इस तरह की बातें सदन में इस विषय में आयी । जिसका कारण है सरकार के द्वारा बार-बार यह कहने के बावजूद कि 2000-2201 में जो प्रस्ताव आये हैं उनको इस फाइनेंशियल इयर में जरूर बनवा देंगे । लेकिन उसका आधार समझ में नहीं आया । वह गोरखधन्धा स्पष्ट नहीं हो पाया । इस कारण सदस्यों के मन में आशंका घर कर गयी । कि 2000-2001 तक काम नहीं होगा । इसकी पुष्टि इस बात से हुई कि राज्य मंत्री जी ने उत्तर देते समय यह कह दिया कि धनाभव है 2000-2001 में जितनी सड़कें चयनित होंगी निर्मित होंगी लेकिन कब तक ? इस पर उत्तर स्पष्ट नहीं है ? व्यवस्था कहां से बनेगी इस पर कोई उत्तर नहीं दे सके । इस चर्चा का उद्देश्य 2000-2001 की सड़कों का निर्माण स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण होगा कि नहीं होगा । वहीं दूसरी ओर तमाम जनपदों में इतनी सड़कें चली गयीं उतना पैसा चला गया जिससे माननीय सदस्यों की यह धारणा पुष्ट हो गयी कि शायद हमारा हिस्सा का पैसा कहीं और चला गया । इस चर्चा के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब कल सत्र समाप्त हो जाएगा आज तो माननीय सदस्यों की इस जिज्ञासा और आशंका को दूर कर दें । 2000-2001 में जिला योजना में बैठकर जितने प्रस्तावों को हमने स्वीकृत किया है एक हजार की आबादी को सड़कों को जिनको हमने अपने क्षेत्र की जनता के बीच में दिया है वह सड़कें निश्चित रूप

से बन जाएंगी उनके लिए धन की व्यवस्था कहां से होगी इतना सन्तोष सदन के सदस्यों को कर दें और यहीं सन्तोष क्षेत्र की जनता को हो जाए। तो हम बेहतर तरीके से जनता के बीच जा सकें। इस विषय पर अन्य सदस्य भी अपने विचार रखना चाहेंगे, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मद संख्या–58, मद संख्या–59 के विषय एक ही हैं आप इस पर दोनों पर एक साथ चर्चा करा दें। इससे समय भी बच जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

मान्यवर, यह प्रस्ताव उचित है। दोनों के विषय एक ही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। सदन की राय है तो मद संख्या–58 व मद संख्या–59 को एक साथ करके चर्चा करा लें रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस तरफ से भी बोलने का मौका दें। क्योंकि यह सदन की सम्पत्ति बन चुका है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, बाजपेयी जी ने जिस चर्चा को प्रारम्भ किया है पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 2000-2001 की जिला योजना में इस प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने जनपद में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठकर कुछ निर्णय लिया। शासनादेश थे जिसमें जिला योजना के अन्तर्गत वही सड़कें स्वीकार की जाएंगी। जिन गांवों की आबादी एक हजार होगी। इस तरह से इस प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने विशेष रूप से मैं पूर्व उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूं। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की एक हजार से अधिक आबादी के गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए जिला योजना में प्रस्ताव दिये। जिला योजना में प्रस्ताव जाने के बाद जिला योजना स्वीकृत हो गयी। मान्यवर, समस्या यहीं आकर फंस जाती है। 2000-2001 में आज तक स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत उन सड़कों के लिए धन निर्गत नहीं किया गया। बाद में पता नहीं कौन सा शासनादेश आया जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जिला योजना के अन्तर्गत 500 और 1000 के नीचे के गांव लिए जायेंगे। जिला योजना की बैठकों में एक हजार की आबादी के गांव चयनित किये गये फिर बीच में पांच सौ हजार की बात कहां से आ गयी। प्रदेश के अन्दर किसी भी जनपद से धन निर्गत नहीं हुआ है और शासन अपनी बातों से मुकर रहा है। यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश आने चाहिए आश्वासन आना चाहिए ताकि जो भ्रम की स्थिति है दूर हो सके। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जो योजना स्वीकृत हुई थी उसे मानकर धन निर्गत किया जाय। यह कहा जा रहा है कि नाबार्ड से वित्त पोषित किया जा रहा है इससे मन में शंका बन रही है कि 2000-2001 की जिला योजना में और मान्यवर, प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात है वहां उसके अन्तर्गत भी 2000-2001 में 65.6 करोड़ आया लेकिन वह जो अधूरी सड़कें थीं उनके लिए आया नई सड़क के लिए प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत खास तौर से मेरे जिले आजमगढ़ में एक भी पैसे का आवंटन नहीं हुआ। ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जिला योजना की बैठकों में जो बात आयी उसके स्पष्ट निर्देश आ जाने चाहिए। आर०डी०एफ० या नाबार्ड से वित्त पोषण करने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से चल रही योजना है वैसे ही चलायी जायं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिलों के चहुमुखी विकास के लिए 35 विभागों का प्लान बनता है इस वर्ष कितने रुपये देना है किस मद में देना है इसके लिए 35 विभाग के मदों का प्लान बनता है । 2000-2001 में किस-किस मद में किस-किस जिले में कितना-कितना पैसा अवमुक्त हुआ । अभी तक जो सड़कें हम विधायकों द्वारा चयनित करके दी गयी हैं उस पर काम क्यों नहीं हुआ उसके लिए पैसा अवमुक्त नहीं हुआ । हमारे यहां तो और ज्यादा खराब स्थिति है नियोजन राज्य मंत्री दिखा रहे हैं कि 35 विभागों के नाम धनराशि अवमुक्त हुई उसमें दुग्ध कृषि का पैसा दिखाया है टोटल रकम दिखा रहे हैं लगभग 14 सौ करोड़ । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक जिले में मदवार कितना रुपया दिया गया वह कहां-कहां खर्च हुआ इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिए । अभी तक इसकी जानकारी नहीं है । उनके क्षेत्रों में इन-इन विभागों में इतना रुपया आया और अमुक जगह पर लगा । मैं एक उदाहरण के रूप में देना चाहता हू कि कृषि विभाग का सीड डिमान्स्ट्रेशन के लिये जो रुपया दिया था, हमने सूची मांगी कि जो डिमान्स्ट्रेशन सीड दिया गया है और किया है, उसकी सूची दे दें लेकिन यह सूची आज तक प्राप्त नहीं हुई । कारण यह है कि न वह पैसा आया न सीड डिमान्स्ट्रेशन हुआ । केवल एक यही विभाग ऐसा नहीं है अनेक विभाग हैं, पशुपालन, दुग्ध, सड़क कोई नहीं कहता है कि हमको पैसा मिला । सब कहते हैं कि पैसा आ जायेगा तो काम हो जायेगा । मान्यवर, बड़ी असमनजस्य की स्थिति है 2000-2001 के बजट के पैसे के बारे में । जिला योजना में मिलकर के प्लान तैयार हुआ, फिर उसकी समीक्षा बैठक हुई, नतीजा क्या निकला, ढाक के तीन पात । पैसा पहुंचा नहीं काम कुछ हुआ नहीं । मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, कि हमारे यहां फिरोजाबाद में लोक निर्माण विभाग का बजट और अन्य कई विभागों का बजट आज तक क्यों नहीं पहुंचा है, इसका आप सर्वेक्षण करवा लें । किस स्तर पर गलती हुई है कि पैसा अवमुक्त होने के बाद कहां अटका है । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी जांच करा लें और जांच के जो परिणाम आयें उनसे सदन को अवगत करा दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं सिर्फ कुछ बिन्दुओं को इंगित करूंगा क्योंकि सामान्य रूप से चिन्ता सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस पर व्यक्त की गई । इस सदन का प्रत्येक सदस्य किसी मर्यादा से बंधा होने के कारण बात नहीं कह पा रहा हो परन्तु अपने क्षेत्र की चिन्ता सबको लगभग एक सी है । मैं विस्तार से उन पर कोई बात नहीं कह रहा हूं । बिन्दुवार इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी बैठे हैं, जब वे उत्तर दे देंगे तो जो स्थिति अस्पष्ट है, जैसा कि माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा है, उसका निराकरण हो सकेगा, वह स्पष्ट हो जायेगी । मान्यवर, पंचायत कानून में पंचायत को जो अधिकार दिये गये हैं और उसके तहत जिला योजना की कमेटी का स्वरूप परिवर्तित हो गया है । डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी बदल गई । पिछली बार की जो डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी थी उससे जो जिला योजना दी उसके आने के बाद हम लोगों को यह बताया गया कि जिला योजना स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी । इसको कार्यवाही में लिखा जाय, चाहे माननीय मंत्री जी जो भी उत्तर देना चाहें मैं दोहराकर कहना चाहता हूं । यहां उद्धरित करना उचित नहीं रहेगा लेकिन करना पड़ रहा है कि ग्राम्य विकास मंत्री जी, और अन्य लोगों से हम पूछ-पूछ कर थक गये स्वतः उन्हें ही स्थिति क्लीयर नहीं है कि जिला योजना है कि नहीं । इतने भ्रम की स्थिति है । मैं सिर्फ पी०डब्ल्यू०डी० की बात करना चाहता हूं । जिला योजना में जितनी सड़कें प्रस्तावित थीं । दो-तीन तरह से परिव्यय स्वीकृत करते हैं । हम यह नहीं कहते कि जो तनख्वाह स्वीकृत की गई थीं वह नहीं मिल रही हैं । एस० एण्ड० डी० वाली सड़कें हैं वह एक भी नहीं गई और जब पूछा गया जनवरी, फरवरी में तो यह कहा गया कि प्रधान मंत्री ग्राम विकास योजना चालू है इसके तहत 6 करोड़ रुपये अपने जनपद बलिया की बात बता रहा हूं । पूरे प्रदेश में

सम्भवतः 700 करोड़ होगी । जनपद बलिया की सड़कों के लिये 6 करोड़ रुपये हुए फिर बैठक डी०आर०डी०ए० की बुलाई गई उसके तहत सड़कों का चयन हुआ । एक हजार की आबादी, 500 की आबादी वाले प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में बराबर की सड़कें चुनी गई । उसकी सूची चली गई कि 31 मार्च के पहले इस पैसे को खर्च हो जाना चाहिए । खर्च करने का तात्पर्य यह है कि उस विभाग के पी०एल०ए० में पैसा चला जायेगा तो मान लिया जायेगा कि पैसा खर्च हो गया । आज की स्थिति यह है कि जिलायोजना में जो सड़कें प्रस्तावित थीं, पी०डब्ल्यू०डी० राज्य मंत्री हैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सड़क हमारे जनपद की नहीं हैं उसके बाद यह जो प्रधान मंत्री योजना में सड़क गई उसका पैसा अभी आया नहीं । इस साल पैसा आयेगा कि नहीं, स्थिति स्पष्ट कर दें । मंत्रिगण की कठिनाई होती होगी हमें भी कठिनाई होती है अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में कहते हैं अमुक सड़क प्रस्तावित कर दी यह बन जायेगी । सदस्य का 'मान' जाता है, भ्रम और धोखे की स्थिति पैदा होती है । जिला योजना में स्वीकृति है तो भेज दिया, यह कहा गया मान्यवर, बलिया प्रान्तीय खण्ड पी०डब्ल्यू०डी० को क्या जिला योजना का एक भी रुपया एक भी सड़क के लिए 2000-2001 का भेजा गया है । क्या प्रधान मंत्री ग्राम्य विकास योजना का एक भी रुपया बलिया में भेजा गया है, आप बता दें भ्रम की स्थिति का निवारण हो जाएगा या तो गम्भीर आर्थिक संकट हो गया है तो मंत्री जी बतायेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जायेगी, तब थोड़े ही कहा जाएगा । सुरेश खन्ना जी के पत्र के साथ लिस्ट मिली है जिले की सूचना है इससे आपने जो सूची दी है मेल नहीं खाती है, इसका कोई तालमेल नहीं है मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को दोहरा रहा हूं मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं गल्ती हो तो मुझे दण्डित कर दें यह भ्रम कहां से आ रहा है एक रुपया भी जिला योजना का पी०डब्ल्यू०डी० को नहीं गया है ।

* नियोजन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

आप जिम्मेदार उप नेता हैं बड़ी पार्टी के...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों के विचार आ जाएं तब आप एक बार में बता दीजिएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप बता दें बलिया में जिला योजना का एक रुपया भी गया या नहीं, इसकी स्वीकृति हुई या नहीं ।

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

आपका प्रस्ताव आया नहीं है 32 जनपद से आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक साथ उत्तर आ जाएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक विशेष प्रश्न उपस्थित हो गया है मंत्री जी ने कहा है कि आपके जिले से जिला योजना नहीं आई है अगर नहीं आई है तो माननीय वित्त मंत्री जी जो जिम्मेदार हैं इस सदन में, उनके द्वारा एक बात आ जाए––(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या जिला योजना में न आने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मंत्री जी दण्डित करेंगे ।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं जिला योजना में न आने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सरकार दण्डित करेगी या यह [× × ×] है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक साथ उत्तर दे देंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

आप कहमे दें ।

(व्यवधान)

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

बीच-बीच में बोलते रहेंगे तो आपका समुचित उत्तर नहीं आ पाएगा ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

इतनी बड़ी चिन्ता है सदन की मेरी भी, पिछले तीन-चार दिनों से लेकर कुछ निकालने की कोशिश की है, जिला योजना एक चीज है और सड़क की योजना एक दूसरी चीज है सड़क योजना के बारे में प्रश्न का प्रस्ताव जिला योजना से आया, जिला योजना से प्रस्ताव होता है वह नियोजन मंत्री जी जिला योजना को लिखकर देते हैं आपने सड़क की बात रखी, बलिया के प्रस्ताव की बात रखी, सड़क के बारे में हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया । पी०डब्लू०डी० के पास नहीं है बड़ी कोशिश के बाद 38 जिलों का प्रस्ताव आया था ।

मान्यवर, उन 38 जिलों के प्रस्तावों को लेकर और पैसे का प्रबन्ध करने की व्यवस्था आज करा दी है । ये जिले हैं–प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, जालौन, खीरी, लखनऊ, बिजनौर, हमीरपुर, फतेहपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, बांदा, सीतापुर, झांसी, कन्नौज, ललितपुर, सहारनपुर, रामपुर, इलाहाबाद, बागपत, बरेली, कौशाम्बी, आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, गाजीपुर, सोनभद्र, ज्योतिबा, फूलेनगर, पीलीभीत, संत रविदास नगर, सुल्तानपुर, हाथरस, अम्बेडकरनगर, चन्दौसी, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर ये 38 जिलों में आ गये थे 32 जिलों के और आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

और भी माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा है वह आ जाय तब एक साथ उत्तर आ जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय सदस्य कह लेते उसके बाद शासन से उत्तर आता तो उचित होता एक-एक समस्या का समाधान हो जाता ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आजमगढ़ जिला योजना नहीं आयी है यह गलतबयानी हो रहा है । मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिन जिलों की जिला योजना नहीं आयी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जो जिम्मेदार है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी वह जानकारी मैं चाहता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, इसमें दो बिन्दु हैं । एक मद संख्या–58 और दूसरी मद संख्या–59 । 58 में सड़क सम्बन्धित है और उसमें प्रश्न यह है कि 2000-2001 में नयी स्वीकृतियां जिला योजना के अन्तर्गत की गयीं और क्या उन्हीं स्वीकृतियों के अनुसार कार्य किया गया, धन आवंटित किया गया ? मान्यवर, जिला योजना का जो नया शासनादेश माननीय मंत्री जी ने किया और जिलाधिकारी को उसके लिए अधिकृत किया गया । शासन में कोई नयी स्वीकृति आने के लिए बाध्यता नहीं रह गयी । वह प्रस्ताव विभाग बनाता है सलाहकार समिति के माध्यम से जो अनुश्रवण समिति है माननीय विधायकों की सहमति से प्रस्ताव बनता था मान्यवर, पिछले साल कमिश्नर को अधिकृत किया गया था इस वर्ष से जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया । जिलाधिकारी को उसकी स्वीकृति करनी थी मान्यवर, मेरे जिले अम्बेडकरनगर में 2000-2001 में करीब तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव माननीय विधायकों से प्राप्त करने का कार्य किया गया । जिलाधिकारी ने स्वीकृति जारी कर दी । उस स्वीकृति के जारी करने के बाद शासन से निर्देश गया कि उसे निरस्त कर दिया जाये उन्होंने निरस्त कर दिया । फिर शासन से निर्देश गया कि 500 तक की आबादी के जो प्रस्ताव रहे हों उनका प्रस्ताव बनाकर भेज दें एक हजार रुपये उसमें टोकन ग्रान्ट दे दी जाये । मान्यवर, जो पूरी तरह से जिला योजना के अन्तर्गत चयन किया गया था वह स्वीकृति के बाद निरस्त हो गया । मान्यवर, एक बार जिला योजना में पास होने के बाद कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण का नियम बना था । उसमें पहले जिले के अन्दर पैसा भेजना था जिलाधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति जारी होनी थी लेकिन मान्यवर, इस पूरे प्रदेश में 2000-2001 के अन्तर्गत शासन ने कोई पैसा भेजा ही नहीं । पहले स्वीकृति के आदेश दिये कहीं-कहीं टेंडर को निरस्त करने का फरमान जारी हुआ वह फरमान पूरा हो गया । मान्यवर, जिला योजना में पैसा भेजने की बाबत नियोजन विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है । मान्यवर, कहां से विसंगति आयी । मैं अम्बेडकरनगर का उदाहरण देना चाहता हूं । 19 करोड़ सत्तासी लाख की जिला योजना चिन्हित की गयी । यहां से गया कि बनाकर प्रस्ताव भेजिये उसके अनुसार 14 लाख 78 हजार की स्वीकृति जारी हुई । 13 करोड़ 12 लाख 74 हजार की स्वीकृति की बात आयी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें ।

(व्यवधान)

मान्यवर यानी 6 करोड़ 74 लाख 25 हजार यहां से नहीं लिया गया । मान्यवर, फैजाबाद की 27 करोड़ की योजना पास थी 21 करोड़ रुपये दिया गया अम्बेडकर नगर में 19 करोड़ 87 लाख की योजना थी मात्र 13 करोड़ दिया गया । मान्यवर, इसमें भी मनमाने ढंग से धन देने का काम किया गया है जो सभी सदस्यों की चिन्ता का विषय है । मान्यवर, हम सभी लोगों ने यह कह दिया कि अमुक-अमुक सड़क चयनित कर दी है जिला योजना में बन जायेगी । 31 मार्च तक बन जायेगी आज मई बीत

गया है और जून महीना कल से शुरू हो रहा है । मान्यवर, इस तरह से जहां जिले के जिलाधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति जारी होनी थी उनको सारा धन दिया जाना था उतना मात्रात्मक किया गया था ।

मान्यवर, कोई भी आज भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया । मान्यवर, प्रस्ताव तो यहां आना नहीं था । जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद प्रस्ताव यहां आने के लिए निर्देश आपने दिया तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है डी०एम० और आपके अधिकारी यदि नहीं दे रहे हैं तो हम सभी माननीय सदस्यगण क्या नियंत्रण करेंगे । माननीय मंत्री जी को नियंत्रण करना है । मान्यवर, विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा बजट पास किया गया था जिला योजना के आधार पर । उस बजट प्राविधान को बदलने का अधिकार कैबिनेट को नहीं है क्या सदन को विश्वास में लिये बिना उसे बदला जा सकता है । मान्यवर, जो आज मनमाने ढंग से कटौती कर ली गयी है अगर यह अधिकार आप दे देंगे तो निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा यह चिन्ता का विषय है । सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करते हुए जो बजट प्राविधान किया गया था उसके अनुसार पैसा जिलों को भेजने का काम करे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

वह जो दो प्रश्न थे इन दोनों में काफी हद तक साम्यता है मगर एक जरा सम्पूर्ण प्रश्न है और एक अधूरा प्रश्न है । एक सड़कों से संबंधित प्रश्न है और दूसरा जिला योजना का है । मान्यवर, इसमें जो चिन्ता का विषय है वह यह है कि यह सदन जो बजट पारित करता है उसकी सैंक्टिटी बची कि नहीं और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जिला योजना में जो बैठकर उसको पारित किया जाता है अब उसका भी कोई मतलब रहा कि नहीं और तीसरा प्रश्न यह है कि जो बजट पारित किया गया उसके लिए धन उपलब्ध कराया गया बजट के माध्यम से । 'तो हिसाब ज्यों का त्यों तो कुनबा डूबा क्यों ? मान्यवर, यह तीन मूल प्रश्न है जो इन दोनों प्रश्नों से संबंधित है । हमारी कठिनाई है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में या कहीं न कहीं अपने जिलों में जब देखते हैं जिला योजना की बैठक से निकलते हैं तो कहते हैं कि आपका यह काम हमने सैंशन करा दिया और जब वह काम पूरा नहीं होता है तो हमारी भी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाता है । उत्तर में कह दिया जाता है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यवर, आपका कल नहीं, आज नहीं सुबह नहीं, शाम नहीं रह गयी एक नहीं हां का कोई नाम नहीं और जब कभी उत्तर आता है, प्रश्नोत्तर आता है तो कहा जाता है कि 2000-2001 की सारी सड़कें हम अगले वर्ष इस चलते हुए वर्ष में बनवा देंगे इस पर एक शेर याद आता है–

"आप कहते हैं बार-बार नहीं,
आपकी हां का भी एतबार नहीं ।"

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इस शेर पर मैं एक शेर कहता हूं–

"तेरे वादे पर कोई कहां तक जिये,
कर कोई ऐसा नया बहाना जो मेरी आस टूट जाय ।"

बुनियाद साहब मैं आपसे इत्तिफाक करता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कठिनाई कहां पैदा हो रही है । कठिनाई पैदा यह हो रही है कि चीजों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है । अगर कुछ जिलों से सड़कों के बारे में सूचनाएं नहीं आईं, वहां से प्राक्कलन नहीं आया है उसका जिम्मेदार कौन है ? उसका जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ हद तक हो सकता

है उसको दबाव बनाना चाहिए था। मगर क्या पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम स्थानीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें कठोरता के साथ सरकार को कदम उठाना चाहिए। बिना कठोरता से कदम उठाये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी और पूरे लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा। बजट सदन में पारित कर रहे हैं। शासन उसको पारित करा रहा है। पारित करने के बाद एक संदेश जाता है प्रदेश की जनता के सामने कि जिला योजना में इतना पैसा जा रहा है और इस मद में जा रहा है और बाद में पता लगा कि सारे वर्ष प्रदेश की जनता प्रतीक्षा कर रही है। हमने कहा कि आपको उसमें हमने सैंशन करा दिया और काम होने वाला है और पूरा वित्तीय सत्र गुजर जाय और पूरा वित्तीय सत्र गुजर जाने के बाद कोई सड़क नहीं, तालाब नहीं, विद्युतीकृत गांव नहीं नजर आ रहे हैं। यह कठिनाई तो किसी न किसी तरह से दूर करनी पड़ेगी। आज मैं आग्रह करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, राज्य मंत्री लोक निर्माण, नियोजन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं जो अपने वाक्य चातुर्य से कठिन से कठिन परिस्थितियों में निकलने का उनको लाघव प्राप्त है। मान्यवर, सारा सदन यह अपेक्षा करता है कि आज जब कहा जाय हां तो हमें यह शेर न दुहराना पड़े–

आप कहते हैं बार-बार नहीं। आपकी हां का भी एतबार नहीं। अगर हां करिये तो काम करिये कि इस वर्ष 2000-2001 की सारी जिला योजना का पैसा चला जायेगा और वह कार्य फलानी तारीख तक पूरा समाप्त कर दिया जायेगा, जब ऐसा होगा तभी इस चर्चा की सार्थकता होगी।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण और हर जनप्रतिनिधि, प्रदेश के हर जनपद से जुड़ा अहम सवाल है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिये वह संकट की घड़ी होती है, जब जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। हम लोग बैठकर जिला प्लान तय करते हैं और तय करने के बाद जनता के बीच जाकर बताते हैं कि अमुक-अमुक सड़क जिला प्लान में स्वीकृत करा ली है। वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत जो भी सड़कें स्वीकृत हुईं, जनता के बीच उनकी सूचना गई, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाते हुये यह बात जानने की कोशिश की गई वैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ जिलों की घोषणा भी की, साथ ही एक पत्र भी लिखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो परिव्यय होना चाहिये, जो धन अवमुक्त हुआ है, उसमें बड़ी विसंगति परिलक्षित हो रही है, इतने धन से इतना निर्माण कार्य कैसे हो पायेगा। जनता को यह लालीपाप दिखाया गया है। अप्रैल–मई समाप्त होने वाला है, और कल से जून आने वाला है, एक महीने से कम में पावस ऋतु आने वाली है। इस एक महीने में जो कुछ काम होना है, होना है। अगर धन नहीं जा रहा है, सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है तो राजनीतिक विश्वसनीयता का संकट जनप्रतिनिधियों के सामने है। यहां माननीय नियोजन मंत्री जी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी बैठे हैं और लोक निर्माण के राज्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो मकड़जाल का वातावरण बना है, संदेह का वातावरण बना है, भ्रम का वातावरण बना है, यह समाप्त हो। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया है, उसको यथावत मान लें क्योंकि जो धन अवमुक्त हुआ है, उससे तो सड़कें बन नहीं सकतीं और जो धन हमें चाहिये, उसमें विसंगति है। जिन जनपदों से प्रस्ताव नहीं आया है, उसे यथावत् मानकर इसी वर्ष पूरा करें और यह जो अनिश्चितता का वातावरण बना है, उसे समाप्त करें। माननीय वित्त मंत्री, माननीय नियोजन मंत्री और माननीय लोक निर्माण राज्य मंत्री बैठे हैं, कृपया इस पर व्यवस्था देने का कष्ट करें।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा में बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जिन-जिन माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर था, जो यहां हैं, उनको मैंने बुलवा लिया । श्री लालजी वर्मा को भी बुलवा लिया । अब जितना समय बचा है, उसमें आप लोग माननीय मंत्री जी से उत्तर भी चाहेंगे, अगर इतना समय नहीं रहेगा तो माननीय मंत्री जी का उत्तर समय समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जायेगा, इसलिये यदि कोई बात कहनी है सुझाव रूप में, तो कह दीजिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, मैं आभारी हूं । मैं इन बिन्दुओं को दोहराना नहीं चाहता । मान्यवर, कल आप जिस चर्चा में भाग ले रहे थे, आपने चर्चा प्रस्तुत की थी, खासतौर से सामान्य संतुलित विकास नहीं होता है, जो पिछड़ा है, वह और पिछड़ जायेगा और विकसित है तो विकसित की स्थिति तो और अच्छी हो जायेगी, जब तक इन्फ्रास्ट्रेक्चर का डेवलपमेन्ट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का विकास नहीं हो सकता । अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि 38 जिलों की संस्तुतियां पहले आ गयी थीं, 22 जिलों की कल आई 10 जिलों की आनी शेष है, लिस्ट दी है 71 जिलों की । मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक जिला कौन छोड़ा गया है ? आपने स्वीकृतियां जो जारी की हैं मैंने कई बार गणित लगायी, आप इस बात को भी स्पष्ट कर दें । जितने जनपद में आपने जिलायोजना की स्वीकृतियां दी हैं, वह 71 होते हैं । वह कौन सा जिला है जिस एक जिले में सड़क की योजना नहीं है । हो सकता है कि इसमें मैनपुरी हो, इसलिए हम चिन्तित हैं । मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैनपुरी जिले में आपने 16 करोड़ 24 लाख 79 हजार रुपये जारी किए हैं और स्वीकृतियां जारी की थीं मान्यवर, 18 करोड़ 14 लाख 95 हजार और धनराशि अवमुक्त की है 16 करोड़ 24 लाख 79 हजार । मंत्री जी मैं मैनपुरी जिले का हूं कम से कम यह बता दें कि सड़क के संबंध में कितनी धनराशि आपने निश्चित की है और जो योजना बनाई है उस योजना में कितना रुपया खर्च होगा और उस योजना में सड़क बनाने की क्या व्यवस्था है और तीसरी बात मान्यवर, यह प्रस्ताव जो अभी आया है ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी समय समाप्त हो रहा है, आप प्रश्न ही पूछते रहेंगे । तो मंत्री जी का उत्तर नहीं आ पायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं सबसे पहले कोई बात कहूं, मैं सम्मानित सदस्यों को जितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं, इस बिन्दु पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और जब से यह सदन चला है मान्यवर, इसके लिए जहां तक सब लोगों को चिन्ता है, इधर के और उस तरफ के भी माननीय सदस्यों को और आपका भी मान्यवर, निर्वाचन क्षेत्र है, आप वहां बैठे हैं इसलिए आप कुछ कह सकते नहीं लेकिन मैं कह दे रहा हूं । मान्यवर, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2001, मार्च खत्म हो गया । अगली 2001-2002 की योजना आ रही है । यह बात तो समझ में आती है कि जब बच्चा पैदा भी नहीं होता तो उससे पहले अनुमान लगाया जाता है कि बेटी होगी या बेटा होगा । लेकिन पैदा होने के बाद भी यह सरकार स्पष्ट ही नहीं कर पाई कि बेटी हुई कि बेटा हुआ । आज बताने की स्थिति में नहीं है कि सड़क प्रधानमंत्री योजना से बनेगी या जिला योजना से बनेगी और यह कहां की पारदर्शिता है । हमारी समझ में नहीं आया । मंत्री जी भी सरकार होते हैं और मंत्री जी को हम देख रहे हैं |× × × | यहां पर हां लाबी और नहीं लाबी का प्रश्न नहीं है, मान्यवर ।..

नोट :–|× × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, यह असंसदीय भाषा है इसे कार्यवाही से निकाला जाए ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, केवल निकाला ही न जाए, इनको समझा भी दिया जाए कि सब्जी मण्डी में भाषण नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कैसे सहन होगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

शब्दों का चयन तो ठीक कर सकते हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं श्रीमन्, यह कह रहा हूं कि वह सम्मानित वित्त मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं । मैं आपके माध्यम से सम्मानित मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये चुनावी वर्ष है और मान्यवर, यह अभी तक स्पष्ट ही नहीं कर पाए हैं कि यह जिला योजना से सड़क बनेगी या प्रधान मंत्री सड़क योजना से । मुझे निश्चित जानकारी है । मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं है । पहले यह स्पष्ट तो कर दीजिए कि कहां से बनेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठिये । समय खत्म हो रहा है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, 10 मिनट समय बढ़ा दीजिए ।

* श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिला योजना के अन्तर्गत जब से हम लोग निर्वाचित हो करके आये, प्रत्येक वर्ष जिला योजना स्वीकार होती थी उसमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और सामान्य योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराया जाता था । वर्ष 2000-2001 में जिला योजना की बैठक हुई परिव्यय निर्धारित किया गया लेकिन जिलों पर एक पैसा नहीं पहुंचा । जिला योजना की बैठक के बाद गांवों में सूचना दी जा चुकी है कि जिला योजना के अन्तर्गत जो जनपद का एलाटमेंट हुआ है, निर्वाचन क्षेत्र का जो हिस्सा है उसके अनुरूप सड़कें बनायी जायेंगी ।

आज सदन का अन्तिम दिन होने वाला है, अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि जिला योजना का धन जनपदों में जायेगा या नहीं जायेगा । तीन प्रकार की स्थिति है । 38 जनपदों की सूचना आ गयी है, 22 की सूचना आज आ गयी है 10 जिले ऐसे हैं जिनमें गोरखपुर भी है, उसकी सूचना अभी तक नहीं मंगायी गयी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन 10 जिलों की सूचना नहीं आयी तो उसके लिए जनपद के अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, उनकी उदासीनता, अकर्मण्यता के कारण जनता के हित में जो सड़कें बनने वाली हैं, आज हम जनप्रतिनिधियों का अपमान होने वाला है इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और जनपदों से तत्काल सूचना मंगाकर उसको शामिल किया जाये और जिला योजना से जो सड़कों का निर्माण होना है उसका निर्माण कराया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, थोड़ा सा भ्रम इस कारण से है, वह कारण यह है कि जिला योजना में सड़कें भी हैं और वह उसका एक अंग है, एक तो इस नाते से हैं। दूसरे जिला योजना के बारे में है, तो सड़क की योजना अलग है और जिला योजना अलग है, लेकिन सदस्यगण एक ही मान रहे हैं। इस नाते से भ्रम है। मान्यवर, नाबार्ड और पी०एम०जी०वाई० से धन जिला योजना में जाता है। डी०एम० सड़क स्वीकार करता है। नीति का प्राविधान यह होगा कि पी०एम०जी०वाई० में 315 करोड़ और 411 करोड़ रुपया देने की बात कही गयी थी यहां नीति बनायी गयी कि सड़कों का निर्माण इससे कराया जाये। नाबार्ड से पैसा लेकर एक हजार या उससे ऊपर की जनसंख्या वाले गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होंगी उन्हें पी०एम०जी०वाई० से जोड़ा जायेगा। 500 से 999 तक की जनसंख्या वाले गांवों को नाबार्ड से धन देकर सड़क निर्माण कराया जायेगा। यह नीति बनी जिसके कारण यह प्रस्ताव जिले से मुख्यालय मंगाया जा रहा है। यह जो प्रस्ताव है यह 500 से 999 तक की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव मांगा जा रहा है क्योंकि यह प्रस्ताव नाबार्ड को भेजना है।

कई जिलों में बात आ रही है कि नये प्रस्ताव मांगे गये। 38 जनपदों की सूचना आ गयी है। यह दूसरे विभाग का मामला है लेकिन जिम्मेदारी है इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 38 का आ चुका है जो मेरे पास है। हम सब चाहते हैं कि जल्दी आ जाये। नाबार्ड पैसा देने को तैयार है, प्रस्ताव नाबार्ड को जाना है। दो-तीन दिन के अन्दर पैसा आ गया, नहीं आयेगा तो वित्त मंत्री के नाते यह कह दिया है कि कुछ न कुछ हम रास्ता निकालकर भेज देंगे और नाबार्ड भेजता रहेगा। जो 32 बचे हैं। आज सुबह नियोजन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 22 जिलों का आ गया है। अभी माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हमारे आजमगढ़ जनपद का प्रस्ताव नहीं आया। हम यह मानकर चलते हैं कि 32 जनपदों से प्रस्ताव नहीं आये हैं। पी०एम०जी०वाई० में 315 करोड़ रुपये की राशि और 411 करोड़ रुपये की राशि आ चुकी है। इस प्रकार कुल 726 करोड़ रुपये की व्यवस्था है इससे एक हजार या उससे ऊपर की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण होगा। 500 से 999 तक की जनसंख्या वाले गांवो को नाबार्ड से लेना तय हुआ है। नाबार्ड से बात तय हो गयी है, जितने प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों के लिए वित्तीय प्रबन्ध कर दिया जायेगा। इसमें यदि कोई विलम्ब होगा, वित्त विभाग ने आपस में बातचीत करके सोचा है, एक "ब्रिज" शब्द होता है अगर देर होगी तो कोई उपाय करके पैसा दे दिया जायेगा।

मान्यवर, यह सदन है इसमें कोई चीज छिपाने की आदत नहीं है कई बार ऐसा लगता है, कुछ लोग सोचते होंगे कि 315 करोड़ रुपया पी०एम०जी०वाई० का आया है, पुराना जितना काम 1998-1999 का रह गया है, उन कामों पर पैसा लगा दिया है। 2000-2001 के नये कामों के लिए पी०एम०जी०वाई० का पैसा चला गया है, अलग से 60 करोड़ रुपया दे दिया गया है जिससे वह मान लिये जायं। 411 करोड़ रुपये के आने की प्रतीक्षा है। अतः एक हजार या उससे ऊपर के जो गांव होंगे उनको पैसा देकर काम शुरू कर दिया जायेगा और कोई प्रश्न किया होगा तो मैं समझता हूं कि इससे उसका समाधान हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं है। मान्यवर, यह बात सही है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है और यह सभी जानते हैं कि रुपयों की कमी है लेकिन मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होगा और प्रसन्न होगा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, लोक निर्माण विभाग, नियोजन विभाग से पैसे लेकर इस कार्य को पूरा कराया जा रहा है। मान्यवर, 1999-2000 में सड़कों पर 300 करोड़ रुपये लगाया गया है और 2000-2001 में 321.01 करोड़ रुपया दिया गया है। मान्यवर, यह कोई नहीं देख रहा है कि पैसे की कमी है फिर भी इनका कार्य पूरा कराने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम इसको पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह नहीं बताया कि जो पैसा पी०एम०जी०वाई० केन्द्र सरकार से आया था और जो जिला योजनाओं के लिए उसे बजट में आवंटित करना था वह पैसा कहां गया ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, यह जो एक नीति बन गयी है चूंकि माननीय मंत्री जी नहीं हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, पी०एम०जी०वाई० से पैसे लेकर जो सड़कें बनायी जानी थीं वह नहीं बन सकीं तो जब जिला योजनाओं में सड़कें बनायी जाती हैं उसके लिए केन्द्र से पैसा नहीं मिल रहा है और इसके लिए कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है इसीलिए यह नाबार्ड से बनवाई जा रही हैं। मान्यवर, पैसे की उपलब्धता की कमी नहीं थी लेकिन पुरानी योजनाएं पूर्ण न होने के कारण नयी योजनाओं का काम न हो सका।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो बजट इस सदन में पारित होता है और जिन योजनाओं के लिए वह पैसा दिया जाता है तो क्या सदन की अनुमति के बिना उस पैसे का उपयोग कहीं और किया जा सकता है क्या उस धन का उपयोग सदन की अनुमति के बिना किया जा सकता है। यदि सदन की अनुमति है तो ठीक है अन्यथा यह गलत है अवैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप इसके लिए समय बढ़ाने को तैयार हों तो ठीक है नहीं तो इसकी चर्चा स्थगित कर दी जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पांच मिनट का समय बढ़ा दीजिए।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिला योजना का पैसा कहां अटक गया वह क्यों नहीं खर्च किया गया ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने शुरू में कहा था कि एक भ्रम है आशंका है, कब है और अपने आपको असत्य साबित होने की भी आशंका है।

इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री, नियोजन मंत्री, पी० डब्लू० डी० राज्य मंत्री बैठे हैं। क्यों नहीं 3 व्यक्ति मिलकर सदन के समक्ष वास्तविक स्थिति को रख रहे हैं। वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री योजना आ गयी, लेकिन जो प्रतिबद्धता थी शासन ने निर्णय ले लिया था कि पी०जी०एम०वाई० से कार्य करायेंगे तो जिला योजना का पैसा कहां चला गया ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं एक शेर सुना दूं।

''तू इधर उधर की बातें न कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा,
न राहजनी का गिला है, न रहवरी का सवाल है।''

मान्यवर, केवल यह जानना चाहता हूं कि जिला योजना का पैसा कहां गया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 को जिला योजना के अन्तर्गत 1800 करोड़ रुपये का प्राविधान निर्धारित किया गया था और 1800 करोड़ में से 1656 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हुई और इनके

अगेन्स्ट जो धन अवमुक्त किया गया है वह 1424.30 करोड़ है । यह सूचना माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी है । अब सवाल यह उठता है कि अब यह जो पैसा हमको दिया गया था वह हमने दे दिया जिला योजना को, 1-4-2000 को हमारे पास अवशेष कार्य था वह 7 हजार 875 थे और जिनकी लागत थी 544.7 करोड़ । इसमें से वर्ष 2000-2001 में यह अवशेष कार्य जो 1-4-2000 तक के हैं उनके लिये 261.8 करोड़ जारी किया है । इसमें अधिष्ठान का व्यय शामिल नहीं है अगर यह व्यय शामिल कर लिया जाता है तो 333 करोड़ हो जाता है । मान्यवर, 31-3-2001 तक 2586 काम हुए और इसमें 251.8 करोड़ रुपये खर्च हुए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समय समाप्त हो गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब तक मंत्री जी का उत्तर पूरा न हो जाये तब तक के लिये समय बढ़ा दें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वर्ष 2000-2001 तक 5944 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी हुई हैं जो जिला योजना के काम पेंडिंग हैं वह इस पैसे से किये जायेंगे और इसके अतिरिक्त जो कैबिनेट का फैसला है 23-3-2000 तक उस बारे में हमने स्थिति पहले स्पष्ट कर दी है कि 1000 आबादी वाले जितने गांव हैं वह पी०जी०एम०वाई० योजना से आच्छादित होंगे । इसके अन्तर्गत जो पैसा मिलेगा उससे बनाये जायेंगे और जो 500 से 999 आबादी वाले गांव हैं वह नाबार्ड से बनाये जायेंगे ।

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, जो भी सड़कें जिला योजना में ली गयी हैं, वह हर सड़क बनाने के लिये सरकार कटिबद्ध है । मैं सदन को यह आश्वस्त कराना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने जो जानकारी फिरोजाबाद के बारे में दी उसकी मेरे पास सूचना आ गयी है । यह सूचना मैं वर्मा जी को भेज दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का उत्तर समाप्त हुआ, मैं अब अगली मद ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, ओम प्रकाश सिंह का पी०डब्लू०डी० का पैसा काट दिया गया है । आपस की प्रतिद्वन्दिता के कारण ऐसा हो रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव–

यह आपका भ्रम है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा परिसर में तम्बाकू, पान मसाला तथा धूम्रपान एवं तम्बाकू से बने सभी पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने संबंधी मा० अध्यक्ष के निर्देश की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा परिसर में तम्बाकू, पान मसाला तथा धूम्रपान एवं तंबाकू से बने सभी पदार्थों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यदि कोई व्यक्ति विधान सभा परिसर में उक्त पदार्थों का प्रयोग करता हुआ पाया जायेगा तो उसे परिसर से बाहर निकाला जा सकेगा और भविष्य में विधान सभा परिसर में उसका प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है ।

मा० अध्यक्ष के उक्त निर्णय के अनुपालन में विधान सभा की समितियों में पान, तम्बाकू आदि का प्रयोग भी निषिद्ध किया जाता है ।

प्रदेश में बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार तथा उनसे बकाये की धनराशि की वसूली किये जाने विषयक श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, मेरी सूचना तीन बार स्थगित हो चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मंत्री जी द्वारा इस सूचना को आज स्थगित करने का अनुरोध किया गया है । आज यह सूचना स्थगित की जाती है । अब कल आएगी ।

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिए वर्तमान कानून के स्थान पर नया कानून बनाये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 9 मई, 2001 का तारांकित प्रश्न–3 नत्थी ख में स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता था कि प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये वर्तमान कानून के स्थान पर कोई नया कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है । सरकार ने उत्तर दिया था जी नहीं । मैं सरकार के इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रदेश की क्या स्थिति है इस संबंध में कानूनी स्थिति क्या है उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सरकार का यह उत्तर कि जी नहीं यह नितान्त अनुचित उत्तर है, असत्य उत्तर है । इस प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों को रोकने के लिये नये कानून की आवश्यकता है । भारत सरकार ने इस कानून को रिकमेण्ड करके भेज रखा है ।

सेन्ट्रल मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956 की धारा 15 में धारा (2) का प्राविधान है फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों को रोक लगाने का धारा 3 में प्राविधान है कि यदि कोई फर्जी चिकित्सक पाया जायेगा तो उस पर एक हजार का जुर्माना और एक वर्ष की सजा की जाएगी या दोनों । भारत सरकार के इंडियन मेडिकल सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट की धारा 56 यह कहती है । यू० पी० मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1917 की धारा 30 में यह प्राविधान है कि 300 रुपये जुर्माना किया जाएगा फर्जी चिकित्सकों के पाए जाने पर । भारत सरकार के एक्ट में प्राविधान है एक हजार रुपये का जुर्माना व एक वर्ष की सजा उत्तर प्रदेश के एक्ट में प्राविधान है 300 रुपये का जुर्माना व सरकार का उत्तर है कि नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । विधान परिषद् की आश्वासन समिति 1982 में मेरठ गई थी उसने वहां फ़र्जी चिकित्सकों का एक प्रश्न आया था उसने रिकमेण्ड किया था कि 50 हजार रुपये का जुर्माना किया जाना चाहिये । उस आश्वासन समिति की संस्तुति को न्याय विभाग को भेजा गया । न्याय विभाग ने कहा कि भारत सरकार से अधिक नहीं कर सकते । इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956 की धारा 3 में प्राविधान कर रखा है कि एक हजार रुपया जुर्माना व एक वर्ष की सजा या दोनों उससे अधिक हम नहीं कर सकते । उसके बाद भारत सरकार ने पत्र लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को 20-2-1997 को आपकी पीठ से इस विषय पर निर्देश प्राप्त होना चाहिये ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि हमारे एक्ट के अनुसार अपने एक्ट में संशोधन करके एक हजार रुपये का जुर्माना एक साल की सजा की व्यवस्था कर लें । लेकिन इसके बाद भी स्थिति यह है कि सरकार कह रही है इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिया है 23-8-2000 को उसमें उन्होंने कहा कि आपका कानून अक्षम है, व इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अपने यहां व्यवस्था कीजिये । सरकार ने शासनादेश जारी किया कि

सी० एम० ओ० अपने जनपदों में फर्जी चिकित्सकों के बारे में स्वप्रेरणा से इस बात की जांच करें व उनकी देख-रेख में कार्यवाही की जाए कि कोई फर्जी चिकित्सक उनके क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो ।

मान्यवर, आठ माह हो गये हैं इस आदेश को जारी हुए । इसमें यह भी है कि यदि कोई फर्जी चिकित्सक पाया जायगा तो उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायगी कार्यवाही होगी । लेकिन आज तक एक भी केस सी०एम०ओ० द्वारा स्वप्रेरणा से सरकार के संज्ञान में लाया गया । किसी जनपद में कोई एफ०आई०आर० दर्ज हुई है ? यह भी व्यवस्था है इसमें कि डी०एम० इस प्रकार के प्रकरणों पर सप्ताह में समीक्षा करेंगे क्या अभी तक कोई समीक्षा किसी जिलाधिकारी द्वारा की गई यदि की गई तो क्या परिणाम आया ? यह भी अंकित है इस शासनादेश में कि यदि सी०एम०ओ० और डी०एम० अपने कार्य का पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्ट अंकित की जायेगी उनकी चरित्र पंजिका में । इसके बाद आगे लिखा है कि महानिदेशक अपने स्तर पर प्रतिमाह इस संबंध में बैठक करेंगे अनुश्रवण करेंगे समीक्षा करेंगे और शासन को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगे ।

मान्यवर, आठ माह हो चुके हैं । अभी तक किसी भी सी०एम०ओ० ने स्वप्रेरणा से किसी फर्जी चिकित्सक की जांच नहीं की और अब तक 32 सप्ताह बीत चुके हैं किसी भी जिलाधिकारी ने कोई समीक्षा नहीं की क्या किसी सी०एम०ओ० या डी०एम० के विरुद्ध उसकी चरित्र पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई ? महानिदेशक स्तर पर आठ माह में एक भी बैठक नहीं की गई यदि की गई तो उसकी कोई रिपोर्ट शासन को दी गई ? नहीं । फिर भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने प्रश्न पूछा कि फर्जी चिकित्सकों से निपटने के लिए कोई नये कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं तो सरकार का उत्तर आता है जी नहीं । सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट–56 विधान परिषद् की आश्वासन समिति न्याय विभाग की राय भारत सरकार के पत्र दिनांक 20-2-97 और उच्चतम न्यायालय का निर्णय और इस निर्णय के परिपेक्ष्य में निर्गत शासनादेश में विभिन्न प्राविधानों का पालन न होना फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों का लगातार बढ़ते जाने के कारण जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जन जीवन के स्वास्थ्य के प्रति खतरा बना रहना फिर भी सरकार का उत्तर है "जी नहीं" । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इस सदन में इस विषय को रखकर सरकार से उत्तर चाहूंगा और मैं जानता हूं सरकार का उत्तर क्या आयेगा लेकिन मान्यवर, आपकी पीठ से कृपापूर्ण संरक्षण चाहता हूं इस जनहित समस्या पर आपका निर्देश आ जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रश्न और इसके उत्तर से सारे सदन का संबंध है ही मगर इस उत्तर से निकलने वाले परिणाम का पूरे प्रदेश की जनता से सीधा संबंध है । कारण यह है एक तो वह चिकित्सक होते हैं जिन्हें किसी न किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से उसे सनद मिली है अधिकार मिला है कि जनता की सेवा आप चिकित्सक के रूप में करें । कुकरमुत्ते की तरह ऐसी कई संस्थायें इस प्रदेश में चल रही हैं आर०एम०पी०, पी०एम०पी० आदि करके डिग्री बांट रही हैं । स्पष्ट रूप से इंडियन मेडिकल काउन्सिल के निर्देश हैं कि किस श्रेणी के चिकित्सक को कौन-कौन सी दवायें उपयोग में लानी हैं । सिड्यूल बना हुआ है जी का कौन सी का कौन करेगा और ओवर द काउन्टर जिसे हम ओ०टी०सी० कहते हैं का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है स्थिति दुखद यह है कि जो पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह तो दवाओं के उपयोग और उनसे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में परिचित हैं, सम्भलकर उचित दवा, डायगनोज करने के बाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरीज इनसे ठीक हो जायेगा ।

दूसरी तरफ जो फर्जी चिकित्सक हैं, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम्पाउन्ड्री करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं । यह बहुत बड़ी-बड़ी ऐन्टी बाइटिक दवाएं प्रारम्भ में बुखार के लिये, मामूली हरारत के लिये देते हैं । इन दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में इनको जानकारी नहीं होती । भविष्य में इन

दवाओं का मरीज पर क्या असर होगा, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बाडी रिसेसटेन्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन्हें कोई जानकारी नहीं है । इन सारी दवाओं की न तो इन्हें जानकारी होती है न इनको नागरिकों की चिन्ता है । मान्यवर, यदि आंकड़े एकत्र किये जायं तो आज सच्चाई यह है कि क्वालिफाइड होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के जितने चिकित्सक हैं, उनसे 10 गुना संख्या इन फर्जी चिकित्सकों की है । मान्यवर, कभी आप गांव में जायं । पेड़ की डाल से पानी चढ़ाते हुए लेटे हुए आदमी जगह-जगह दिख जायेंगे । इस तरह से धन, धर्म और प्राण भी गये और हम मूक होकर चुपचाप इसको देखते रहे । इसका अर्थ यह हुआ कि किसी प्रकार से सरकार की कोई रुचि प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति नहीं है । वह मरें या जियें ।

मान्यवर, अस्पतालों में क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है, कहीं पट्टी नहीं है, रुई नहीं है, सुई नहीं है, ड्रिप चढ़ाने के लिये बोतल नहीं मिलेगी, साधारण दवाएं नहीं मिलेंगी । कहना पड़ रहा है कि गांव से आदमी आता है, मजबूर होकर वहां जाता है । यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार उसका कोई सब्सटीट्यूट तैयार नहीं कर पाई है । मरीज कष्ट में है तो वह सिर्फ यह देखता है कि फलां डाक्टर है उसकी डिग्री नहीं देखता कि वह एम०बी०बी०एस० है, एम०एस० है, पी०एम० है, आर०पी०एम० है । मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य की चिन्ता करें । कठोरता से इस प्रकार की प्रैक्टिस को बन्द करें अन्यथा जो मेडिकल कालेज खोलने शुरू किये हैं, नये-नये प्राइवेट में खोले जा रहे हैं स्थिति यह बनेगी कि प्रदेश का नागरिक अज्ञानवश मारा जायेगा और जो क्वालिफाइड चिकित्सक निकलेंगे वे सड़क पर यह आवाज लगा हुए निकलेंगे सुई लगवा लो, ब्लड प्रेशर नपवा लो । यह सत्य कह रहा हूं, कठोर सत्य है ।

(माननीय सदस्यों के हंसने पर)

हंसने की बात नहीं है । मैं सच्चाई कह रहा हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह आवाज भी कार्यवाही में कैसे आयेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

आवाज भी आ जायेगी । सदन की कार्यवाही की रिकार्डिंग भी होती है । आप चाहेंगे तो आपके पोते इसको सुन सकेंगे । मान्यवर, यह गंभीर विषय है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब चर्चा का उत्तर दें तो इसको हल्के से न लें । बड़ी कठोरता के साथ इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है । यही समय है कि, जब आपको इस पर निर्णय लेना है नहीं तो आने वाले समय में इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, जो कि प्रदेश के लोगों को और जो नये चिकित्सक बनकर आयेंगे, चाहे वे किसी भी विदा के हों, उनको भुगतने पड़ेंगे ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और डा० सरजीत सिंह ने इस पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं यह सही है कि देहातों में अनक्वालिफाइड डाक्टर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे आदमी मर ही जाता है ठीक नहीं होता है । ठीक होता है तो थोड़ी देर के लिये भले ही हो जाय । जिला अस्पताल के चारों त पैथालाजी, एक्सरे कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं, जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है । जो टैक्नीशियन थे या वार्ड ब्वाय थे । इन जगहों पर केस भेजे जाते हैं । जिला अस्पताल में जो फिजीशियन, सर्जन बैठे हैं अपने अस्पताल में इन सुविधाओं के मौजूद होने के बाद भी इन प्राइवेट जगहों पर मरीज को भेजते हैं क्योंकि उनसे 60-70 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है । यह दुखद बात है अगर इनको प्रोत्साहन मिल रहा है तो वह क्वालिफाइड डाक्टर दे रहे हैं अपनी

प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए । अधिक से अधिक सजा इनको दीजिए । जिला चिकित्सालयों के चारों तरफ जितने पैथालाजी अल्ट्रासाउन्ड केन्द्र यह लोग संचालित कर रहे हैं इसकी जानकारी मंत्री जी करा लें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मैं आभारी हूं आपने मुझे फर्जी डाक्टरों के विषय पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, फर्जी चिकित्सक इतने हैं कि किस रूप में इन पर नियंत्रण किया जाए । यह सोचने की बात है । श्रीमन् व्यवस्था ऐसी थी कि आयुर्वेदिक डाक्टर है पैतृक रूप से चला आ रहा था कि लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे तो मोहर लग जाती थी यह अब नहीं हो रहा है । आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन न होने से परेशानी आई है । मान्यवर, इसी की आड़ में फर्जी डाक्टर पैदा हो गए हैं, फर्जी डाक्टर सरकारी भी हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र मथुरा में संतोष राजवंशी के नाम से महिला अधीक्षक होती थी वह एक्सपायरी दवाओं का प्रयोग करती थी और जितने आपरेशन होते थे स्वयं न करके बाहर से डाक्टर मंगाकर कराती थी तो कहीं कैंची छूट जाती थी, कहीं काटन छूट जाती थी । इस तरह से आपरेशन होते थे इसमें व्यवस्था दोषी है जब तक सही डिग्री न आ जाए, वह जाने कहां-कहां से पढ़कर आते हैं इसको देखना चाहिए ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 23-8-2000 को शासन का आदेश जारी हुआ है, इसमें लिखा जा सकता है । (व्यवधान) बस दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । दिनांक 29 नवम्बर, 2000 लोक सभा का अतारांकित प्रश्न सं०–1714 है इसमें नरेश तुगलिया द्वारा लोकसभा में प्रश्न पूछा गया है, इस पर वहां गंभीरता से विचार हुआ और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अनर्ह व्यक्तियों द्वारा इलाज किए जाने को रोकने हेतु एक माडल विधायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम उठाया है–

दी प्राहिबिशन आफ अनअथराइज्ड इंस्टीट्यूशन एण्ड प्रैक्टिस बाइ अनक्वालिफाइड परसन्स इन माडर्न मेडिसिन इण्डियन सिस्टम आफ मेडिसिन एण्ड होम्योपैथी आर दी लाइक बाइ प्रीफिक्सिंग आर सफिक्सिंग दीज टर्मस बिल, 1990।

भारत सरकार ने 1956 के एक्ट के बाद भी एक नया माडल एक्ट बनाकर लोकसभा के सदस्यों के बीच में पूछा है स्टेट ला कमीशन ने भी अपनी संस्तुति प्रदेश सरकार को 23-2-99 को आया है भेजी है । इस पर भी उत्तर है कानून की आवश्यकता नहीं है ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० रामबाबू हरित)–

अधिष्ठाता महोदय मैं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० डंग साहब, डा० वकार अहमद शाह, माननीय अजय कुमार पोइया को धन्यवाद देना चाहता हूं इन्होंने सरकार के संज्ञान में बड़ी गंभीर समस्या के बारे में विचार व्यक्त किए हैं लेकिन मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो काफी गंभीर मामले या जनहित में कोई कार्य करना होता है तो पूर्णतया उचित कार्यवाही करती है । मान्यवर, यह फर्जी, डाक्टर्स की जो समस्या है यह भयंकर समस्या है और सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और इस संदर्भ में सरकार द्वारा 25-5-75, 3-6-94, 12-5-95 तथा 27-5-95 के अन्तर्गत शासनादेश किये गये कि ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए । हमारी सरकार ने 25 अगस्त, 2000 को शासनादेश किया उसमें यह व्यवस्था करायी जैसा बाजपेई जी ने पूर्व में कहा है, हमने यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी स्व-प्रेरणा से यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ एफ०आई०आर० करायी जाय । प्रदेश का सम्मानित व्यक्ति भी चाहे तो एफ०आई०आर० करा सकता है जिससे यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित हो सके ।

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि प्रदेश और पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति चिकित्सक है । आप बीमारी बतायें कोई न कोई नुस्खा दे देता है । तो इसका प्रचार और प्रसार हो । जो फर्जी डाक्टर है, उससे जनता को जानकारी मिल सकती है । हम पोस्टर्स के माध्यम से, समाचार-पत्रों के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, वाल पेन्टिंग के माध्यम से जो फर्जी चिकित्सा कर रहे हैं उनके पास दवा नहीं लेनी चाहिए यह करा रहे हैं । यदि आपके संज्ञान में कोई बात आती है.....

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, किसी भी दीवाल में कहीं पर भी या होर्डिंग के माध्यम से नहीं प्रचार किया गया है । यह मंत्री जी सीधे-सीधे बतायें कि जो भारत सरकार ने इच्छा व्यक्त की है आप उस एक्ट को अंगीकृत करेंगे कि नहीं । आप उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं ? उस एक्ट के तहत कितनी एफ०आई०आर० हुई है ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, या तो माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें कि फर्जी चिकित्सा के कारण मृत्यु नहीं हुई है और अगर मृत्यु हुई है तो कितने 304(1) और (27) के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये और कितने पर निर्णय हुआ और कितने फर्जी चिकित्सकों को सजा हुई है ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, मैं पूरी बात कर लूं । डंग साहब स्वयं चिकित्सक हैं और मैं उनसे परामर्श लेता हूं जब परेशानी में आता हूं तो यह व्यवस्था सुनिश्चित की है । इसके साथ-साथ जैसा कि बाजपेई जी ने जो यू०पी० मेडिकल कौंसिल ऐक्ट का हवाला दिया है उसकी धारा 30 के अन्तर्गत व्यवस्था है यदि इस प्रकार से चिकित्सक पाये जायेंगे तो तीन सौ रुपया जुर्माना किया जायेगा ।

मान्यवर, लेकिन इण्डियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट की धारा 15(2) (3) के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसमें एक वर्ष का कारावास या एक हजार रु० का जुर्माना या दोनों है । मान्यवर, हम इसको काफी गम्भीरता से ले रहे हैं आगे भविष्य में कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी जिससे इस बीमारी से पूरे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके । अभी जो तमाम सदस्य जानना चाह रहे थे सरकार ने कुछ नहीं किया हमारी सरकार ने जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा जो जनहित में कठिन से कठिन कार्य हैं वह निर्णय लेती है । हमने एक कमेटी बनायी है तीन सदस्य हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, जो चाहे वे बोले जायेंगे ।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, आश्वासन समिति ने इसमें कुछ सुझाव दिये हैं वह न्याय विभाग को गये हैं परामर्श के लिये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजयेयी–

वहां से परामर्श आ गया है ।

डा० रामबाबू हरित–

मेरी बात तो सुन लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप भारत सरकार से अधिक नहीं कर सकते हैं जो यू०पी० मेडिकल कौंसिल ऐक्ट है, 1917 का इसमें धारा 30 में 300 रुपये का जुर्माना है जो अप्रासांगिक है और दूसरी तरफ जो आपका इण्डियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट है उसकी धारा 26(2) (3) में एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना है तो आप कृपया उसे स्वीकार करें। मैंने विधि आयोग का भी हवाला दे दिया है।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, जो आश्वासन समिति के सुझाव आये थे उसके अनुरूप हमने एक विनियमितीकरण समिति गठित कर दी है इसमें 3 सदस्य हैं, डाइरेक्टर, सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर डिपार्टमेन्ट, रजिस्ट्रार, मेडिकल कौंसिल और ज्वाइन्ट डाइरेक्टर मेडिकल केयर। इसकी तीन बैठकें अप्रैल, मई, अगस्त, 2000 में हो चुकी हैं। जो अभी तक हमने कार्रवाई की है वह हमने आपको बताया। हमारे पास आंकड़े हैं। हमने 976 फर्जी चिकित्सक जो पाये हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। अभी डा० वकार अहमद शाह जी ने कहा कि जिला चिकित्सालयों के पास किसी तरह की व्यवस्था चल रही है तो यदि उनके पास कोई सूचना हो तो हमारे संज्ञान में लों। हम अपने स्रोत से जानकारी करायेंगे। आप भी कृपया जानकारी कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह मद संख्या–61 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्यों डा० अशोक बाजपेयी, डा० डंग, डा० वकार अहमद शाह, पोइया जी सारे सदस्यों के विचार आये। शासन का पक्ष सुना। यह बात अपने आप में माननीय मंत्री जी गंभीर है और सीधे-सीधे जनजीवन से संबंधित यह प्रकरण लग रहा है। जो वर्तमान नियम है।

जो वर्तमान निर्देश हैं उसका अनुपालन निर्देश का नहीं हो रहा है तो इसको भी दिखवा लीजिएगा और आश्वासन समिति तथा जो न्यायालय की इस पर मंशा है उसका भी संज्ञान लें और उसके तद्नुरूप प्रभावी कोई कार्यवाही इस पर सुनिश्चित हो। यह उचित रहेगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कल हमने अंगीकृत किया है। भारत सरकार का अधिनियम, 1993, उसी तरह से इसको भी अंगीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

दिनांक 31 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13-15 पर ।)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का संलग्नक)

क्र० सं०	नाम ग्राम
1	मुस्तफाबाद
2	उमती
3	चेरूईडीह
4	हिरनपुर
5	अलाउद्दीनपुर
6	मुंहपोछा
7	नसीरुद्दीनपुर
8	सरकण्डा
9	नगहरा
10	भारोली
11	जनईपुर
12	खुशहालपुर
13	मन्सड़ा खुर्द
14	मेनुद्दीनगंज
15	सवानीपुर
16	सिकन्दरपुर
17	बरहा
18	टंडवा मु० काझा
19	रानीपुर
20	सबुईखास
21	बागदासी सोहबतबाग
22	कठघर क्याग
23	अवस्थाइब्राहिम
24	खिजिरपुर
25	महमुदवा
26	निजामपुरम् सुल्तानपुर
27	तैयबपुर
28	अब्दुल अजीज चक
29	लतीफपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र० सं०	नाम ग्राम
30	कुतुबपुर
31	जमालपुर
32	गोपालपुर बहोरदास
33	सुल्तानपुर
34	बारा
35	खुरधरपुर
36	छपरा चकबरदीन
37	ताहिरपुर
38	चक्कन्नी
39	खलीलपुर
40	फुलवरिया
41	कमालुद्दीनपुर
42	रसूलपुर
43	दोसपुर
44	दांदुपुर
45	चैनपुर
46	याहिया चक
47	समाउद्दीनपुर
48	फतेहपुर मु० हाफिजपुर
49	बख्तीयार चक
50	महमूदपुर
51	शंभूपुर
52	मोलना चक
53	प्रभुटण्डा
54	मदवा
55	लड्डूपार
56	मुहम्मदपुर हसनपुर
57	भीरपुर मु० दरियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 2 विधान सभा (2)–2001–813 (डी० टी० पी०) ।